नवम माला, खंड 9, अंक 18

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990
13 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

AME...
No.
Date...

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

नवम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 18, मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990/13 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1 28
*तारांकित प्रश्न संख्या : 367 से 371	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	28—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 372 से 386	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4227 से 4395, 4397 से 4423, 4425 से 4463 और 4463 क	
रेलवे बोर्ड के एक सदस्य द्वारा एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में	193—197
असम में "उल्फा" आतंकवादियों के अत्याचार के बारे में	198—207
अधिक वसूल की गई उत्पाद/सीमा शुल्क की राशि की वापसी के बारे में	207—229
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	229—231
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंधी समिति	231—232
पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	232
छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	232—243
सत्तर मारुति वाहनों के परिवहन के दौरान गुम हो जाने का समाचार	
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	232—236
श्री अजीत सिंह	232—233, 239—243

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश रावत	236—237
श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति	237—238
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख	238—239
श्री मोरेश्वर सावे	238—239
नियम 377 के अधीन मामले	243—250
(एक) वर्ष 1989-90 के लिये चीनी की 8.5 प्रतिशत वसूली वाले गन्ने के सांविधिक मूल्य में 25 रुपये प्रति टन की वृद्धि किये जाने की मांग	
श्री एम० बागा रेड्डी	243
(दो) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों में रिक्त स्थान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर भरे जाने की मांग	
श्री मनोरंजन भक्त	243—244
(तीन) महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों का गठन किए जाने की मांग	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	
(चार) बिहार के खगरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग लगाए जाने की मांग	
श्री राम शरण यादव	244—245
(पांच) बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी आवेदनों को स्वीकृत किए जाने की मांग	
श्री राज मंगल मिश्र	245
(छः) सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिए जाने की मांग	
श्री मान्धाता सिंह	245
(सात) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में जमरानी बांध का निर्माण पुन: शुरू कराए जाने की मांग	
श्री राजवीर सिंह	245—246
(आठ) भारतीय युद्ध बंदियों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा कराए जाने की मांग	
श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख	246

विषय	पृष्ठ

(नौ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री राम लाल राही — 246

नियम 193 के अधीन चर्चाएं — 251—274

*मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

और

*सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

श्री हरीश रावत — 251—259

श्री दिनेश सिंह — 259—266

श्री हुकमदेव नारायण यादव — 266—274

* एक साथ चर्चा की गई।

लोक सभा

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990/13 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र में खोई पर आधारित अखबारी कागज का संयंत्र

[अनुवाद]

*367. श्री एस० बी० थोरट : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कारपोरेशन और महाराष्ट्र कोआपरेटिव शूगर फेडरेशन ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नीम गांव (टी०) तालुक माधा में खोई पर आधारित प्रस्तावित अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना हेतु आशय पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये ऊर्जा बचत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहेंगे कि आशय-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

विवरण

(क) मैसर्स वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) में नीमगांव में खोई पर आधारित अखबारी कागज बनाने के लिए एक नया उपक्रम लगाने हेतु आशय पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

(ख) इस परियोजना के लिए केवल प्रारंभिक ऊर्जा बचत अध्ययन किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित एकक के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होगा।

(ग) सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और 31-8-90 को एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री एस० बी० थोरट : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने लेटर आफ इन्टेंट जारी कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब कोई सवाल तो नहीं पूछना है।

श्री एस० बी० थोरट : एक छोटा-सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम बनाकर आप कब तक इसे पूरा करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, आप बधाई के पात्र बन गये हैं, अब इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : यह सांझे क्षेत्र की परियोजनाओं पर निर्भर करता है। उनके लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाना उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, शुगर फैक्टरीज की लाइसेन्सिंग पोलिसी की कुछ गाइडलाइन्स निर्धारित हैं और जहां तक हमारी जानकारी है, ये गाइड लाइन्स ऐसी हैं कि सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री किसी प्रस्ताव को रिकमैंड करके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भेजती है, इण्डस्ट्रीज विभाग उसे प्रोसेस करता है।

अध्यक्ष महोदय : पुरोहित जी, यह तो एक स्पेसिफिक सवाल था।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरे सवाल का मतलब यही था कि लाइसेंसिंग पोलिसी के संबंध में देयर शुड बी० सम डिसिप्लिन, क्योंकि हमें खबर मिली है कि डायरेक्ट इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री, जितने की लाइसेंस देने थे, डील कर रही है।

श्री अजित सिंह : यह मूल सवाल लाइसेंस के बारे में है, शुगर मिल्स की लाइसेंसिंग पौलिसी से इसका कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महेश्वर सिंह।

दिल्ली में सिटी बुकिंग एजेंसियां

[अनुवाद]

***368. श्री महेश्वर सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में कार्यरत सिटी बुकिंग एजेन्सियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार एजेन्टों को दिया गया कमीशन और भाड़े आदि की दर का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख)

क्रम सं०	सिटी बुकिंग एजेंसी का नाम	वर्ष 88, 89 तथा 90 में यात्री टिकटों पर कमीशन की दर	यातायात की किस्म	सरविंग स्टेशन	पिछले तीन वर्षों के दौरान पार्सल तथा माल यातायात पर भाड़ा दर 1988 (तथा 16-7-89 तक)	1989 (17-7-89 से)	1990
1.	दिल्ली सदर बाजार	2%	माल	नई दिल्ली	1.16 रु० (सामान्य माल के लिए)	1.74 रु० (सामान्य माल के लिए)	17-7-89 से लागू भाड़े के समान
			पार्सल	दिल्ली	1.75 रु० (भारी माल के लिए)	2.63 रु० (भारी माल के लिए)	
2.	दिल्ली सब्जी मंडी	2%	माल	तुगलकाबाद			
			माल	नई दिल्ली	दिल्ली सदर बाजार के समान		
			पार्सल	दिल्ली			
3.	दिल्ली कनाट प्लेस	1.25%	माल	नई दिल्ली			
			पार्सल	दिल्ली	—यथोक्त—		
4.	दिल्ली करोल बाग	1.75%	पार्सल	दिल्ली	—यथोक्त—		
					प्रति 40 कि०ग्राम	प्रत्येक अतिरिक्त 20 कि० ग्राम	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दिल्ली शाहदरा	2%	पार्सल	दिल्ली			
				शाहदरा	0.98 रु०	0.49 रु०	1988 के समान
				दिल्ली	1.08 रु०	0.54 रु०	
				नई दिल्ली	1.38 रु०	0.69 रु०	
			फुटकर	दिल्ली			
				शाहदरा	0.96 रु०	0.48 रु०	
				नई दिल्ली	1.36 रु०	0.68 रु०	
6.	तिलक नगर	2%	पार्सल	दिल्ली	1.29 रु० 0.60 रु०		
				नई दिल्ली	1.29 रु० 0.60 रु०	—1988 के समान	
			माल	नई दिल्ली	1.27 रु० 0.61 रु०		
					1988 में कार्यरत नहीं थी	प्रति 40 कि० ग्रा० प्रत्येक अतिरिक्त 20 कि० ग्राम	
7.	बजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया (यात्री यातायात के लिए नहीं)		पार्सल	दिल्ली		0.20 रु० 0.10 रु०	1989 के समान
			माल	नई दिल्ली		0.20 रु० 0.10 रु०	
					प्रति 40 कि. ग्राम प्रत्येक अतिरिक्त 20 कि०ग्राम		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	करनाल (यात्री यातायात के लिए नहीं)		पार्सल	करनाल	0.25 रु० 0.20 रु०	1988 के समान	1988 के समान
			फुटकर माल		0.25 रु० 0.20 रु०		
			डिब्बा भार		प्रति 100 कि० ग्रा० 1.00 रु०		
9.	गाजियाबाद	2.5%	पार्सल	गाजियाबाद	2.00 रु० (सामान्य माल के लिए 3.00 रु० (भारी माल के लिए)	—यथोक्त—	—यथोक्त—
10.	रोहतक	2.5%	पार्सल	रोहतक	0.50 रु० 0.30 रु०		
			फुटकर माल		0.50 रु० 0.30 रु०	—यथोक्त—	—यथोक्त—
			डिब्बा भार		प्रति 100 कि०ग्रा० 1.10 रु०		
11.	मेरठ	2.5%	पार्सल	मेरठ	1.70 रु० 0.85 रु०		
			फुटकर माल		1.70 रु० 0.85 रु०	—यथोक्त—	—यथोक्त—
			डिब्बा भार		प्रति 100 कि०ग्रा० 2.60 रु०		

1	2	3	4	5	6	
12.	मुजफ्फरनगर	2.5%	पार्सल मुजफ्फरनगर	0.40 रु०		
			फुटकर	0.40 रु०	1988 के समान	1988 के समान
			माल			
			डिब्बा			
			भार	प्रति 100 कि० ग्राम 1.10 रु०		
	(उप-एजेंसियों सहित)					
	(1) नवीन मण्डी		पार्सल	0.50 रु०		
			फुटकर	0.50 रु०	—यथोक्त	—यथोक्त—
			माल डिब्बा			
			भार	प्रति 100 कि० ग्राम 1.40 रु०		
	(2) मोरना		पार्सल	1.10 रु०		
			फुटकर	1.10 रु०	—यथोक्त—	—यथोक्त—
			माल डिब्बा			
			भार	प्रति 100 कि० ग्राम 2.50 रु०		

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा-पटल पर रखी गई है उसके अन्तर्गत विभाग ने बुकिंग एजेंसियों को दिया जाने वाला कमीशन 1.25 प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत तक दर्शाया है। इसका क्या कारण है और यह अन्तर क्यों है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : मान्यवर, यह कमीशन डिस्टेंस और लोकेशन पर डिपेन्ड करता है। इसलिए ये वेरिएशन्स हैं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन कमीशन एजेंट्स के पास ये बुकिंग एजेंसियां कब से है और किस पद्धति के अन्तर्गत दी जाती हैं ?

श्री अजय सिंह : मान्यवर, ये टेण्डर सिस्टम से दी जाती हैं। ये अलग-अलग समय पर दी गई हैं। वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया की एजेंसी पिछले साल दी गई थी।

श्री महेश्वर सिंह : इसकी अवधि क्या है ?

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये 5 साल के साल के लिए दी जाती हैं और 5 साल के बाद इनको रिन्यू किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : संसद में यह परम्परा थी कि संसद सदस्य अपने अतिथियों के लिए संसद भवन में खोले गए रेलवे टिकट काउन्टर से टिकट खरीद सकते थे। कुछ समय पहले मेरी जानकारी में यह बात आई है कि इस सुविधा को अब समाप्त कर दिया गया है और जो आरक्षण पहले-संसद-सदस्यों तथा उनके अतिथियों के लिए उपलब्ध था, उसे समाप्त कर दिया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि यह किस उद्देश्य के लिए किया गया है ? बेशक, जब हम मन्त्री महोदय को टिकट के लिए लिखते हैं, तो हमें वे टिकट उपलब्ध करवा देते हैं। परन्तु, यह उनको कष्ट देने वाली बात है क्योंकि हमें उन्हें बार-बार लिखना पड़ता है। पहले, संसद सदस्य तथा उनके अतिथियों के लिए कोटा उपलब्ध था। 320 वायुयान की उड़ानें रद्द होने के कारण लोगों को हवाई जहाज के टिकट नहीं मिल रहे हैं। वे हमारे पास सहायता के लिए आते हैं। लोग यहां पर व्यापार, इलाज तथा दूसरे कामों से आते हैं। रेल यात्रा के लिए टिकट लेने के लिए उन्हें लम्बे समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माननीय मंत्री जी, जो कि मंत्रियों से ही नहीं बल्कि संसद सदस्यों से भी सहयोग करते हैं, उनसे मैं यह जानना चाहूंगा कि किन विवशता के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा ? क्या वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की सहायता करने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सबसे बड़ी विवशता सीटों इत्यादि की उपलब्धता की थी जिसके कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ा। इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परन्तु, मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना उचित कदम नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो बुकिंग एजेंसीज हैं इनके बारे में क्या यह सच है कि इनमें अनेकों एजेंसी ऐसी हैं जिनके बारे में लगातार शिकायतें आई

थीं और उन शिकायतों को जांच के बाद सही पाया गया फिर भी उन्हीं को ये एजेंसियां दे दी गई क्या आप इसके बारे में इन्वेस्टीगेशन कराएंगे कि जिनके खिलाफ करप्शन और अन्य अनेक तरह की शिकायतें थीं, चार्जेज थे, किसी तरह से मैनीपुलेशन करके, उन्हीं को फिर ये एजेंसियां मिल गयीं। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : साहब, खुराना जी की पार्टी के लोगों को दे दो, तब ठीक है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पहले भी इनकी ही चलती थी और अब भी मैनीपुलेशन करके ये एजेंसीज इनके ही लोगों को मिल गई हैं। जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें थीं जिनको ब्लैक-लिस्टेड होना चाहिए था, उन्हीं को ये एजेंसीज पुन: आपने कैसे दे दीं ?

श्री अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जरूर जांच करवाएंगे।

औषध कम्पनियों की ओर बकाया धनराशि

*369. श्री हुवंचन :

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) औषध मूल्य समकारी लेखा के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न औषध कम्पनियों की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर 31 मार्च, 1990 तक 5 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकाया थी; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और सरकार यह धनराशि कब तक वसूली कर कर लेगी ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अस्थाई आधार पर निर्धारित राशियों और प्रत्येक कम्पनी द्वारा जमा की गयी राशियों के ब्यौरे बताने वाला एक अनुबन्ध संलग्न किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों के खिलाफ अस्थायी देनदारियों का निर्धारण प्रथम चरण में 31 दिसम्बर, 1983 तक और शेष कम्पनियों के लिए विवरण में दर्शाई गयी अवधि तक किया गया है।

(ख) उन कम्पनियों के नाम जिनके खिलाफ उपर्युक्त आधार पर अस्थाई देनदारी 5 करोड़ रुपये से अधिक की है, नीचे दिए जाते हैं :

1. मे० साइनामाइड इण्डिया लि०

2. मे० हैक्स्ट इण्डिया लि०

3. मे० मेरिण्ड लि०

4. मै० लायका लैब्स०

5. मै० ग्लैक्सो इण्डिया लि०

(ग) देनदारी के निर्धारण के काम के लिए कम्पनियों के रिकार्डों की जाँच की आवश्यकता होती है जो काफी पुराने हैं। फिर भी इन मामलों में सरकार तेज गति से कार्य कर रही है ताकि वसूली का मामला तत्काल सदा के लिए निपटाया जा सके।

अनुबन्ध

क०सं०	कम्पनी का नाम	पुनरीक्षा के बाद 31-12-83 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए गणना की गई अस्थाई राशि (रु० लाखों में)	अब तक जमा की गयी राशि (रु०लाखों में)
	(क) सर्वोच्च न्यायालय के मामले		
1.	मै० सिनामिड इण्डिया लि०	536.91	100.00
2.	मै० हैक्सट इंडिया लि०	2491.05	312.10
3.	मै० जोहन वेयथ इंडिया लि० और	173.02	45.00
	मै० ज्योफरी मेनर्स लि०	28.37	
4.	मै० इथनोर लि०	10.19	10.19
5.	मै० फ्रैंको इंडियन फार्मास्युटिकल्स लि० और मै० ग्रीफोन लि०	14.02	1.43
6.	मै० फाइजर लि०	87.61	19.90
7.	मै० अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि०	11.61	कुछ नहीं
8.	मै० एस० जी० फार्मास्युटिकल्स	205.36	कुछ नहीं
9.	मै० तमिलनाडु दादा फार्मास्युटिकल्स	37.97	कुछ नहीं
10.	मै० मेरिण्ड लि०	781.38	कुछ नहीं

(ख) डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के अन्तर्गत वसूली योग्य और अस्थाई राशियों के ब्यौरे

क्रम सं०	कंपनी का नाम	शामिल अवधि	अस्थाई निर्धारित राशि (रु० लाखों में)	अब तक जमा की गई राशि
1	2	3	4	5
	रिकोम्बिनेशन			
1.	बायोकैम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	
2.	सिक्या लैब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70
3.	आस्ट्रा आई० डी० एल० लि०	82-83 से 5/84	24.11	2.41
4.	माइक्रो लैब्स	79-80 से 82/83	2.24	
5.	थेमिस केमिकल्स लि०	82-83 से 83-84	36.31	
6.	एलम्बिक केमि० वर्क्स०	81-82 से 83-84	38.73	3.80
7.	बम्बई ड्रग्स हाउस	80-81 से 83-84	1.73	
8.	फार्मेड प्रा० लि०	79-80 से 83-84	66.01	
9.	डोलफिन लैब्स	1979 से 1983	18.11	
10.	एलबर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	0.39
11.	फार्मा एण्ड केमि० इण्ड०	80-81 से 82-83	87.99	
12.	कैडिला लैब्स प्रा० लि०	79-80 से 83-84	76.52	7.50
13.	साराभाई केमिकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00
14.	लुपिन लैब्स	8/80 से 3/84	215.89	21.60
15.	रैनबैक्सी लैब्स	4/79 से 6/84	36.23	3.63
16.	वेबेस फार्मास्युटिकल्स	4/82 से 2/84	2.82	0.29
17.	इथीको ड्रग्स एण्ड एम० एफ० जी० कं०	5/82 से 3/84	140.90	
18.	मे० इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	12/80 से 1/86	2.18	
19.	मे० हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	81-82 से 83-84	36.66	

1	2	3	4	5
डिबाइरोडामील				
1.	जर्मन रिमेडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95
बेन्हामाइसिन				
1.	फुलफोर्ड आई० लि०	79-80 से 2/84	194.62	50.00
2.	बायोकेम फार्मा० लि०	79-80 से 3/84	33.88	
3.	लियया लेब्स लि०	7/79 से 3/84	17.47	1.75
4.	निकोल्स लेब्स	79/80 से 3/84	53.83	10.00
			299.00	
सालबूटामोल				
1.	खण्डेलवाल लि०	79-80 से 81-82	0.15	
2.	सिडिल स्वेयर प्रा० लि०	4/79 से 3/83	142.74	
			142.89	
क्लोफाजामाइन				
1.	एस० जी० फार्मास्युटिकल्स	4/79 से 3/84	5.01	
एम्पीसिलिन एमोक्सीलिन				
1.	बायोकेम फार्मा० लि०	79/80 से 83-84	11.80	
आक्सीफेनबुटाजोन				
1.	टेबलेट्स इण्डिया लि०	79/80 से 83-84	9.49	
मेट्रोनिडाजोल				
1.	बूट्स कम्पनी लि०	79/80 से 25-8-87	62.17	
2.	स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट फार्मा० लि०	79/80 से 83-84	7.82	
3.	के० एस० डी० पी० एल०	79/80 से 83-84	5.5	
4.	खण्डेलवाल लेब्स	79/80 से 3/84	1.34	
5.	मे० आई० डी० पी० एल०	79/80 से 3/84	20.33	
			77.01	

1	2	3	4	5
साल्बामेथोक्साजोल				
1.	मे० बुरोज वेलकम	79-80 से फर० 84	441.27	
ट्राइमेथोप्रिम				
1.	मे० जर्मन रिमेडीज	2/82 से 5/86	8.25	8.25
क्लूसीनोलोन एसिटामाइड				
1.	मे० सिक्या लेब्स	79-80 से 25 अगस्त, 87	678.73	
	(ग) उच्च न्यायालयों के मामलों में वसूल की गई राशियां			
1.	साराभाई एम० केमिकल्स	उपलब्ध नहीं		20.00
2.	ग्लैक्सो		6635.00	819.00
	(घ) अधिक वसूली के खिलाफ देय राशियां			
1.	मे० वार्नर हिन्दुस्तान लि० और अब पार्क डेविस		106.36	55.49
2.	मे० वोहरिंगर मोल लि०		97.74	—

[हिन्दी]

श्री हुकमचंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमने जो प्रश्न किया था वह बड़ा स्पष्ट था कि "औषध मूल्य समकारी लेखा के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न औषध कम्पनियों की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया थी ?" जबकि मन्त्री महोदय ने जो जानकारी उपलब्ध करवाई है वह 31-12-83 तक की है। यह वह जानकारी है जो इन दवा कम्पनियों ने जो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, तब यही जानकारी सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करवाई गई थी। उसी जानकारी को माननीय मन्त्री महोदय, यहां उपलब्ध करवा रहे हैं। तब से लेकर आज तक इस रकम में बड़ा अन्तर हुआ है। 31-12-83 की जो जानकारी आज उपलब्ध करा रहे हैं, तब लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपया बकाया था। इन्होंने जो लिखा है कि वसूल किया है, यह वह धनराशि है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया था कि आप मुकदमे के दौरान जो देय है उसको जमा करते रहिए। उसी जमा करने को मन्त्री जी ने अपने उत्तर में दर्शाया है। अपने उत्तर के तीसरे पैरा में कहा है कि देनदारियों के निर्धारण के लिए कम्पनियों के रिकार्डों की जांच की आवश्यकता होती है जो काफी पुराने हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1983 तक के रिकार्ड की जानकारी तो आपके पास है। 1983 के बाद की देनदारियों को ज्यादा पुराना कहना उचित नहीं है, इसमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 31-12-83 के बाद ड्रग प्राइस इक्विलाईजेशन ऐकाउन्ट के तहत वसूली की जाने वाली राशियों का निर्धारण आज तक क्यों नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो दवा कम्पनियां नहीं गई थीं जिन्होंने वहां पर कोई अपील नहीं की थी उनकी वसूली आज तक नहीं की गई जो करीब चार सौ करोड़ रुपया है।

इस बारे में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप यह कुल रकम लगभग एक हजार करोड़ रुपया हो गयी है।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि देनदारियों को मार्च, 1990 तक क्यों नहीं दिखाया गया है। माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि यह देनदारियां 1979 से 1983 तथा उसके बाद 1983 से 1987 की अवधि की है। इनमें दो प्रकार के मामले हैं। एक वे मामले हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मामले कहलाते हैं क्योंकि इन मामलों को न्यायालय में ले जाया गया था। इन मामलों में अप्रैल तथा मार्च, 1987 में निर्णय लिया गया। तब तक मामलों में कोई वसूली नहीं की जा सकती थी। कुल मिलाकर ऐसे 13 मामले हैं।

दूसरी प्रकार के मामलों में जिन्हें डी० पी० ए० मामले कहा जाता है—उनमें देनदारियों की गणना करनी पड़ती है। वे अनैच्छिक लाभ है। पहले वर्ग में वे मामले है जिनमें अधिक राशि वसूल की गई है। वे अलग हैं। ये देनदारियों पिछली अवधि की हैं, वर्तमान अवधि की नहीं। हमने गणना कर ली है। उन्होंने कुल देनदारियों की राशि पूछी है और उन्होंने स्वयं यह राशि 500 करोड़ रुपए के लगभग बताई है। मैं किसी राशि पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा। हम भी गणना कर रहे हैं। यह केवल अस्थायी आकलन है और हमारे पास पूरी व्यापक जानकारी नहीं है। दवाई कम्पनियों ने अपने सभी रिकार्ड नहीं दिखाए हैं यद्यपि उन्हें बार-बार इसके लिए कहा गया है तथा नोटिस भी जारी किए गए हैं। उपलब्ध रिकार्ड तथा बातों के आधार पर हमने 100 कम्पनियों की गणना की है। इन 100 कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास हैं। मोटे तौर पर यह राशि 75 करोड़ रुपए के लगभग है तथा वास्तविक राशि 76.53 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने अभी तक 14.84 करोड़ रुपए अदा किए है। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही कम राशि अदा की है। हमने नोटिस जारी किए हैं। 260 के करीब नोटिस लगभग सभी कम्पनियों को जारी किए गए हैं और उत्तर केवल 30 कम्पनियों से प्राप्त हुए है। मैं सारी गणना प्रणाली की बात कर रहा हूं और वे राशि के सम्बन्ध में विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्हें विवाद करने दीजिए तथा रिकार्ड दिखाने दीजिए। इस रिकार्ड के अनुसार हम बकाया राशियों का निर्धारण करेंगे। संक्षेप में यह देनदारियों की कहानी है।

[हिन्दी]

श्री हुकं चंद : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी यहां पर जो कथन कह रहे हैं उस कथन से मुझे बड़ी निराशा हुई है। मैं अपने क्षेत्र में, जहां से चुनकर आया हूं, देखता हूं कि छोटी-छोटी बकाया राशियों के चलते लोगों को तहसील में बन्द कर दिया जाता है। यहां मन्त्री जी बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपना ऐकाउंट दिखाइए। मन्त्री जी अनुरोध न करें। मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों से अनुरोध की स्थिति इस देश की जनता ने दिसम्बर 1989 में समाप्त कर दी थी।

अब भी यदि आप अनुरोध ही करेंगे तो पैसा वसूल करने में विलम्ब होगा और लोगों में हमारे प्रति जो भावना पैदा हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। इसके अलावा 1987 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर की धारा 7 (2) को पिछली सरकार ने उस समय समाप्त कर दिया था जब बोफोर्स का मामला, वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर का मामला और फ्योरसना होल्डिंग जैसे आर्थिक अपराध के मामले अपनी चरम सीमा पर थे, क्या आप उस धारा को पुनः जोड़ने का कष्ट करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : महोदय, मैं अपने मित्र तथा माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। मैं भी इस बकाया धन राशि को यथाशीघ्र वसूल करना चाहता हूं। जब से मैंने कार्य भार संभाला है, तब से मैंने तेजी से कार्रवाई कराई है। नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिसों को दुबारा से भेजा गया है। यदि वे बकाया धनराशि जमा नहीं करते हैं, यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : जहां तक औषध मूल्य समकरण लेखा का सम्बन्ध है, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा औषध उद्योग के सामने एक जैसी ही कठिनाइयां हैं। औषध उद्योग संकट की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से उन उपायों के बारे में जान सकता हूं जिन्हें वे इस गतिरोध का समाधान करने के लिए करने जा रहे हैं?

मेरा यह दूसरा प्रश्न है। पिछली बार जब एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह उत्तर दिया गया था कि जहां तक होइचेंस्ट इंडिया लि॰ का सम्बन्ध है, इस पर 1933 तक 4.53 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया थी। कुछ समय बाद किसी दूसरे दल ने इसे परिवर्तित करके 24.91 करोड़ रुपए कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : महोदय, मेरे मस्तिष्क में इस बारे में कोई गतिरोध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी इस बारे में चिंतित हैं कि धनराशि को किस प्रकार वसूल किया जाए। यही समस्या है।

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : मैंने यह बात पहले ही कह दी है। परन्तु इसमें कोई गतिरोध नहीं है। चिन्ता इसमें अवश्य हो सकती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुपादस्वामी, उनकी सहानुभूतियां आपके प्रति हैं न कि उद्योग के प्रति परन्तु प्रश्न यह है कि उनसे धनराशि किस प्रकार वसूल की जाये।

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : मैं जानता हूं कि सदस्य महोदय को औषध उद्योग की अच्छी जानकारी है। परन्तु मेरी ओर से यह प्रयास होगा कि औषध उद्योग की ओर सभी बकाया सरकारी धनराशि जल्दी से जल्दी वसूल की जाए। वे यह समझ सकते हैं कि मैं अत्यधिक उदार हूं। मैं इतना उदार नहीं हूं। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, मैंने उन्हें पहले ही नोटिस भेज दिये हैं। यदि वे उत्तर नहीं देते हैं, यदि कोई समायोजन नहीं होता है, तो जैसा कि मैंने कहा था, कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक औषधियों की गुणवत्ता और आपूर्ति के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है···

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : बकाया धनराशि में भारी अन्तर है···(व्यवधान)···

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : इसमें अन्तर है क्योंकि हर वर्ग ने अपने तरीके से गणना की है। इसी कारण इसमें अन्तर है। हमें केवल अनन्तिम गणनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे आंकड़े काफी अनन्तिम एवं अस्थाई हैं औ वे अन्तिम नहीं हैं। एक सौ फर्मों के मामले में, मैंने कहा है कि लेखानुसार उनकी ओर 176 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह धनराशि इससे भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार गणनाओं में कुछ अन्तर हो सकता है। हम गणना कर रहे हैं। मैं उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना नहीं चाहता। हमारा प्रयास यह है कि औषधि उद्योग की ओर जो सरकारी धनराशि बकाया है, उसे

जल्दी से जल्दी वसूल किया जाए। सरकार को सदस्य महोदय की तुलना में धन की आवश्यकता अधिक है। सरकार को धन के अभाव में नुकसान हो रहा है। मैं इस बकाया धनराशि को वसूल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो दवा निर्माताओं की कम्पनियां हैं— देशी और विदेशी, क्या इनके बीच एकीकरण बढ़ता जा रहा है और क्या इनके साथ एक ही नियम बरते जाते हैं ? क्या दवा निर्माताओं और कानून मंत्रालय की ओर से कोई ऐसा सुझाव मंत्रालय के पास आया है कि इन सारे मामलों को निपटाने के लिए एक कमेटी बना दी जाए जिससे मुकदमें वगैरह खत्म हों और पैसा वसूल हो सके। इसके अलावा देशी और विदेशी दवा निर्माताओं के बीच में जो पक्षपात होता है क्या आपसे दूर करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : देश का कानून विदेशी एवं भारतीय, दोनों कम्पनियों पर लागू होता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और हमारे द्वारा बकाया धनराशि की मात्रा को निश्चित करने के लिए किसी समिति का गठन करने की जो बात है, यह जरूरी नहीं है। मेरा विभाग पूरे मामले की देख-रेख कर रहा है। औषधि उद्योग के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए मैंने अपने विभाग में एक समिति का गठन पहले ही कर दिया है। इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि जिन दवा कम्पनियों के ऊपर यह पैसा बकाया है, जिसकी सूचना माननीय मन्त्री जी ने 1983 के आधार पर बताई है कि 1983 में कुल धनराशि 173 करोड़ थी और अब कह रहे हैं कि करीब 5 करोड़ रुपये होगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितनी दवा कम्पनियां हैं, जिनके ऊपर बकाया है, सभी को इन्होंने नोटिस जारी किया है ? किन-किन कम्पनियों को 78 की धारा 7 के तहत जो वसूली की नियमावली बनी है, उनके ऊपर कार्यवाही करने का काम किया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय सरकार का कुल धनराशि कितनी बकाया है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैंने पहले ही कह दिया है कि नोटिस भेज दिये गये हैं। 100 दवा कम्पनियों को 200 से अधिक नोटिस भेजे गये हैं। यदि दूसरी कम्पनियां भी उत्तरदायी पायी जाती हैं, तो उन्हें भी नोटिस भेजे जाएंगे। इस बारे में कोई शंका नहीं है। मैंने लगभग 100 दवा कम्पनियों की बकाया धनराशि की मात्रा पहले ही बता दी है। परंतु यह अन्तिम है। रिकार्डों की जांच करने के बाद ही बकाया धनराशि की सही मात्रा का पता लगेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं सदस्य महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि इस धनराशि को वसूल करने के लिए सभी कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : अब 1990 चल रहा है तो 1990 में कुल बकाया धनराशि कितनी होती है, इनके जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैंने बताया है कि ये बकाया धनराशियां 1979-83 अवधि की हैं और 1983-84 की बकाया धनराशि के बारे में 1990 में पता चलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मन्त्री महोदय की अपने विभाग की ओर से प्रकट की गई अनभिज्ञता बिल्कुल भी उचित नहीं है। दल और विभाग के मूल्यांकन के बीच दो गुने अन्तर है। अब आप यह जानते हैं कि इन आंकड़ों में बकाया 6000 करोड़ रुपए की धनराशि अलग है। इसके अतिरिक्त, हाल ही का उत्पादन शुल्क भी 4000 करोड़ रुपये अथवा उसमें बराबर है। कुल बजट घाटा केवल 6000 करोड़ रुपये का है। यदि विभाग दण्डात्मक उपायों सहित क्रियाविधि को सुचारु बनाए, तो ये बकाया धनराशियां वसूल की जा सकती हैं। यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मन्त्री महोदय स्वयं राजस्व विभाग में हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि क्या वे इन सभी मामलों की जांच कराने हेतु नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक से कहने के लिए तैयार हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवा समिति घटित घटनाओं की जांच के बाद तत्संबंधी जिम्मेदारी निश्चित करेगी? इस प्रकार के गम्भीर मामले पर ऐसी प्रतिक्रिया उचित नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपने मित्र महोदय के विचारों को ध्यान में रखूंगा। मैं उनके विचारों की काफी कद्र करता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतूंगा। मैं कोई भी प्रयास करने के लिए तैयार हूं। सरकार को भी धन की तुरन्त आवश्यकता है। जहां तक नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के बारे में उनके सुझाव का सम्बन्ध है, मैं देखूंगा कि क्या मैं इस कार्य को अपने विभाग के द्वारा ही कर सकता हूं या नहीं। यदि मैं इसे अपने विभाग के द्वारा नहीं कर सकता, तो हम दूसरे अभिकरणों की सहायता लेंगे।

[हिन्दी]

श्री बाबूभाई मेघजी शाह : अध्यक्ष महोदय, ड्रग प्राइस इक्वेलाइजेशन एकाउण्ट में अभी तक कितनी धनराशि जमा की गई है? यह जो ड्रग प्राइस इक्वेलाइजेशन स्कीम है, उसमें दवाई के ज्यादा दाम आये, उसके पैसे वसूल करने हैं तो ऐसी जो नुकसान की हुई कम्पनियां हैं, उनके नुकसान की भरपाई करने की भी इस स्कीम में से कोई पद्धति है क्या और है तो इसमें से कितनी दवाई कम्पनियों को यह धनराशि दी गई है?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि मैंने उसके प्रश्न को ठीक प्रकार से समझा है, तो वे यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी कोई ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम उन कुछ औषधि कम्पनियों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। हमारे पास डी० पी० ई० ए० निधि है। यह एक ऐसी निधि है जो औषधि क्षेत्र में कुछ उद्योगों की सहायता करने के उद्देश्य से बनाई गई है और यदि कुछ फर्मों को अनपेक्षित लाभ प्राप्त होता है, यदि डी० पी० ए० ई० निधि में कुछ धनराशि प्राप्त होती है, तो उस धनराशि का प्रयोग उन उद्योगों की सहायता करने के लिए किया जाता है जिन्हें मदद की जरूरत होती है, जो संकट में होती हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है। परन्तु आज की स्थिति के अनुसार हमें इसमें कम धन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री जी ने बताया है, पिछले तीन सालों में जिन कम्पनियों के ड्यूज बकाया है उनको नोटिस दिया गया है, तो केवल नोटिस देने से हमारा परपज सर्व नहीं होगा।

[अनुवाद]

हम उनसे जो चाहते थे, उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछले तीन सालों में आपने नोटिस के अलावा कितनी कम्पनियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है, बाकी पैसा वसूली के लिए ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, जैसा मैंने कहा है, हमने पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। (व्यवधान) लेकिन, पहले जब यह मामला लिया गया था, कुछ कम्पनियां न्यायालय गयी थीं। कुछ कम्पनियां उच्च न्यायालय गयी थीं और कुछ उच्चतम न्यायालय गई थी। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है और पुष्टि की है कि सरकार औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम है। उस मूल्य का उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया है। औषध कम्पनियों ने इसे चुनौती दी। इस मामले का निर्णय अप्रैल, मई, 1987 में किया गया था। तब तक हम कुछ नहीं कर सके। अतः बाद में कारंवाई की जा सकी और इन फर्मों के खातों की जांच और संवीक्षा की गई। कुछ समितियां पूर्व सरकार द्वारा मन्त्रालय में भी गठित की गई थीं। उन्होंने समूचे प्रश्न पर विचार किया और इन आंकड़ों की सांसदों द्वारा चुनौती दी गई थी। मूर्ति और कल्याण सुन्दरम समिति द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों को सांसदों द्वारा चुनौती दी गई थी। मन्त्रालय को कई पत्र आए इस सम्बन्ध में दूसरे लोगों ने भी लिखे थे। इसलिए, विभाग ने नई संवीक्षा कराने का निर्णय लिया। समूचे मामले की पुनरीक्षा की गई। जब मैंने कार्यभार सम्भाला तो स्थिति बदल चुकी थी और इसे अब किया गया है। अतः मैं अपने मित्र को आश्वासन देता हूं कि मैं उस बकाया और पहले से ही अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई राशि को एकत्र करने में पीछे नहीं हटूंगा जैसा मैंने कहा था और आगे जांच चल रही है।

[हिन्दी]

श्री दसई चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसानों के पास जब पैसा बकाया रह जाता है तो उसे वसूल सूद के साथ किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जिन कम्पनियों के पास पैसा बकाया है, क्या सरकार उसको सूद सहित वसूल करना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, यह बात तो है। मुद्दा यह है कि इन कम्पनियों पर बकाया है। उन्होंने पूरा भुगतान नहीं किया है। कुछ ही राशि का भुगतान सरकार को किया गया है। उन्होंने अपने पास इस राशि को रखा हुआ है। वे इस राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वास्तव में सरकार को देय है। मुझे इस बात की जानकारी है। हमने देखना है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं और इस धन को कैसे एकत्र कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : उनका प्रश्न यह है कि क्या आप ब्याज लेंगे··· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री वसई चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसानों के पास जो पैसा बकाया रहता है उसको आप सूद के साथ वसूल करते हैं। मैं मन्त्री जी जानना चाहता हूं कि मिल कम्पनियों के पास जो पैसा बकाया है, क्या सरकार उसको सूद के साथ वसूलना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : महोदय, मैं स्वयं एक किसान हूं और मैं किसानों की कठिनाइयां जानता हूं। अत: मुझे किसानों की समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्याज या जो कुछ बकाया है, कानून के अनुसार इन कम्पनियों से वसूल किया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें ब्याज भी शामिल है। मुझे उम्मीद है माननीय सदस्य इस पर और अधिक चर्चा नहीं करना चाहते। इन सभी मामलों में कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ बात करते हैं और इण्डस्ट्री वाले कुछ और बात करते हैं, इस बीच में कई इण्डस्ट्री सिक हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इण्डस्ट्री सिक करने के बाद डिसीजन लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी : महोदय, यह अलग मामला है प्रश्न बकाया का है; रुग्णता के बारे में नहीं है।

पटना से चलने वाली गाड़ियों में अधिक सीटों की व्यवस्था

*370. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना से दिल्ली तक आने जाने वाली अप और डाउन मगध सुपर फास्ट एक्सप्रेस में वातानुकूलित तथा गैर-वातानुकूलित दोनों प्रकार के डिब्बों में इस समय कितनी सीटों और शायिकाओं के आरक्षण की व्यवस्था है;

(ख) क्या प्रथम श्रेणी में भी स्थान न पाने के कारण बहुत से यात्रियों का निराश होना पड़ता है;

(ग) नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस तथा तिनसुकिया एक्सप्रेस के वातानुकूलित शायिका और प्रथम श्रेणी में पटना जंक्शन से कितना कोटा है;

(घ) क्या सरकार का इन दोनों रेलगाड़ियों में पटना से दिल्ली तक के लिए वातानुकूलित शायिका और प्रथम श्रेणी, दोनों में अधिक सीटों की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पटना में दिल्ली के लिए और दिल्ली में पटना के लिए मगध एक्सप्रेस में आरक्षण के लिए उपलब्ध शायिकाओं की संख्या इस प्रकार है—

	पहला दर्जा वातानुकूल	वातानुकूल शयनयान	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
पटना में 2391 मगध एक्सप्रेस में	14 (मंगलवार, बृहस्पतिवार, और रविवार को)	28 (मंगलवार, बृहस्पतिवार शनिवार और रविवार को) 69 (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को)	20	366
नई दिल्ली में 2392 मगध एक्सप्रेस में	12 (सोमवार, बुध-वार और शुक्रवार को)	34 (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को) 80) मंगलवार; बृहस्पतिवार और शनिवार को)	20	293

(ख) व्यस्त अवधियों के दौरान प्रतीक्षा सूचियां बहुत लम्बी देखी गयी हैं।

(ग) पटना में, तिनसुकिया मेल में दोनों दिशाओं के लिए तथा नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में गुवाहाटी के लिए वातानुकूल शयनयान में 2-2 शायिकाओं के कोटे की व्यवस्था की गई है। पहले दर्जे में किसी कोटे की व्यवस्था नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ये गाड़ियां अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही हैं और इनमें अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। निचले दर्जे में स्थान कम नहीं किया जा सकता है और वातानुकूल शयनयान सहित ऊंचे दर्जे के सवारी डिब्बों की भी कमी है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से दिल्ली से मगध आने वाली सुपर फास्ट ट्रेन, पटना से दिल्ली आने वाली ट्रेन के सम्बन्ध में मैंने पूछा था। ये हम लोगों के राज्य से सम्बन्धित है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के अत्यधिक मजदूर दिल्ली में रहते हैं और सुपर फास्ट ट्रेन वगैरह में उनके लिए अतिरिक्त बोगी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से

जानना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए उनको पैसा देकर आरक्षित नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था करते हैं।

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष जी एक नयी गाड़ी का इन्तजाम हो रहा है और इसी महीने उस गाड़ी की व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तिनसुकिया ट्रेन को और मगध भी है, जो नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस चलती है, उस गाड़ी में क्या आप अतिरिक्त बोगी लगाने का कोई प्रावधान करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसी कोई योजना इस वक्त नहीं है।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मगध ट्रेन, जो दिल्ली से पटना तक जाती है और पटना से भागलपुर तक जाती है और विक्रमशिला बन करके जाती है पटना से, उसमें ए० सी० टू० टायर में भागलपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। क्या मन्त्री जी जो ट्रेन विक्रमशिला बन कर जाती है और पटना से बन करके भागपुर जाती है, उसमें ए० सी० टू० टायर की बोगी लगायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो मन्त्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनाउसमेंट किया है कि जल्दी ही कोई नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इलाहाबाद, हरवारी, सिराथू, खागा जो कि महत्त्वपूर्ण स्थान हैं, क्या आपकी नई ट्रेन इन स्टेशनों पर भी रुकेगी, क्योंकि यहां पर पैसिंजर्स का बहुत प्राब्लम है। क्या मन्त्री महोदय इन स्टेशनों पर ट्रेन को रोकने के बारे में विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह ट्रेन मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी और मुगलसराय की तरफ चलेगी।

श्री आर० एन० राकेश : इसमें इलाहाबाद नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पलाई के० एम० मेथ्यू : महोदय, केरल में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। इस कारण से और अन्य कारणों से भी केरल के लोग बहुत ही गतिशील हैं और वे हमेशा विभिन्न कारणों से पूरे भारत के हिस्सों में इधर से उधर आते जाते रहते हैं। केरल से जाने वाली और केरल आने वाली या केरल से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ होती है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार त्रिवेन्द्रम या कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए एक और रेलगाड़ी चलाने तथा अन्य रेलगाड़ियों में और डिब्बे जोड़ने पर भी विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री अमर रायप्रधान : अध्यक्ष महोदय, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस और तिनसुखिया मेल ये दोनों मेल गाड़ियां नार्थ ईस्ट जोन से दिल्ली के लिए चल रही हैं। आपने देखा होगा कि चिकिन पैकिंग बाक्स में भी कुछ स्थान होता है लेकिन इन गाड़ियों में जरा सी खाली जगह नहीं होती और यात्रियों की

हालत बहुत ही खराब होती है। यह सच है। अत: इन परिस्थितियों में जबकि गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है; क्या माननीय मन्त्री इन रेलगाड़ियों में पटना से दिल्ली तक आरक्षण कोटे को वापस लेने पर विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसी कोई योजना नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस भोजपुर जिले से पास होकर जाती है। भोजपुर जिले के बहुत से लोग कलकत्ता, आसाम, दिल्ली में सर्विस करते हैं, जिनको पटना जाना पड़ता है। क्या मन्त्री महोदय नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस का स्टापेज भोजपुर में रखेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस वक्त ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है।

श्री हरभजन लाखा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिमगिरि एक्सप्रेस को फगवाड़ा में ठहरने की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं वहां के निवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं इसके साथ ही फगवाड़ा जो कि औद्योगिक नगर है, उसके महत्व को देखते हुए वहां पर सभी गाड़ियों में ए०सी० में और फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, मन्त्री महोदय से निवेदन है कि फगवाड़ा में रिजर्वेशन की सुविधा प्रदान करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री नन्दू थापा : महोदय, सिक्किम में कोई रेलवे नहीं है। हमें उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ी लेनी होती है। केवल एक रेलगाड़ी दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस है। यह कटिहार पर समाप्त हो जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी तक बड़ी रेल लाइन है। मैं नहीं जानता कि मन्त्रालय इस गाड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी तक क्यों नहीं बढ़ा देते। इससे उत्तर बंगाल, सिक्किम, भूटान और नेपाल के दूसरे हिस्सों को भी लाभ होगा। मैं नहीं जानता कि इस बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं प्रस्ताव पर विचार करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री युवराज।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस और तिनसुकिया मेल जो पटना से दिल्ली की ओर आती है, उनमें वातानुकूलित शायिकाएं कितनी आबंटित हैं और प्रथम श्रेणी की कितनी सीटें आबंटित हैं।

यह रेल मन्त्री जी की घोषणा है कि समान स्तर पर लाने वाली स्थिति में यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था की जायेगी और नार्थ-ईस्ट में उस दिशा में दूसरी श्रेणी के दर्जे में यात्रियों की सुविधा के लिए कौन-कौन सी व्यवस्था नई की गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, तीन गाड़ियां हैं। एक तो मगध एक्सप्रेस, दूसरी नार्थ ईस्ट

एक्सप्रेस और तीसरी तिनसुकिया मेल। मगध में फर्स्ट क्लास ए० सी० है जो हफ्ते में तीन दिन चलता है। सेकण्ड ए० सी० स्लीपर सप्ताह में चार दिन एक है और तीन दिन दो हैं। फर्स्ट क्लास के दो डिब्बे हैं। सेकण्ड रिजर्व के नौ डिब्बे हैं व सैकण्ड क्लास अनरिजर्व चार हैं और दो एस० एल० आर० और एक पेन्ट्री कार है। कुल मिलाकर बीस हैं। नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सप्ताह में एक बार ए० सी० फर्स्ट क्लास है, ए० सी० स्लीपर एक है, फर्स्ट क्लास दो है, सैकण्ड क्लास स्लीपर नौ है और अन-रिजर्व सैकण्ड क्लास तीन है। एस० एल० आर० दो और पेन्ट्री एक है। तिनसुकिया मेल में सैकण्ड क्लास ए० सी० स्लीपर एक है और फर्स्ट क्लास दो है और सैकण्ड क्लास स्लीपर ग्यारह हैं, सैकण्ड क्लास अन-रिजर्व तीन हैं और एस० एल० आर० स्लीपर-कम एस० एल० आर० तथा पेन्ट्री कार एक है।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली से पटना जाने वाली या जो लम्बी लाईनों पर गाड़ी चलती है तो रिजर्वेशन के भ्रष्टाचार की शिकायतें रेलवे मन्त्रालय को प्राप्त हुई हैं या नहीं और अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है। जो आरक्षित व्यक्ति होता है तो उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आरक्षित डिब्बों में घुसने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं और इस पर कार्यवाही चलती रहती है। जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की बात है तो उसकी तत्काल जांच की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के वर्तमान एककों का विस्तार

*371. **श्री नकुल नायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपने वर्तमान एककों का विस्तार करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने प्रत्येक एकक के लिए क्या योजना बनाई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का उक्त योजना अवधि के दौरान नये ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में नये ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा हाथ में ली जाने वाली विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत संबंधी कार्यक्रम के परिव्यय के ब्यौरों की जानकारी इसको अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकेगी। तथापि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अनुमोदित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से आठवीं योजनावधि के दौरान 5441 मेगावाट की क्षमता चालू किए जाने की आशा है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबन्ध

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अनुमोदित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से आठवीं योजना के दौरान जोड़े जाने वाली संभावित क्षमता का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थान	कुल अनुमोदित क्षमता (मेगा०)	आठवीं योजना के दौरान जोड़े जाने वाली संभावित क्षमता (मेगा०)
(क)	कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं			
1.	फरक्का सु० ता० वि० परि० चरण-2	प० बंगाल का जिला मुर्शिदाबाद	1000	1000
2.	फरक्का सु० ता० वि० परि० चरण-3	प० बंगाल का जिला मुर्शिदाबाद	500	—
3.	राष्ट्रीय राजधानी ता० वि० परि० चरण-1	यू० पी० का जिला गाजियाबाद	840	840
4.	विन्ध्याचल सु० ता० वि० परि० चरण-1	मध्य प्रदेश का जिला सिधी	**1260	210
5.	कहलगांव सु० ता० वि० परि० चरण-1	बिहार का जिला भागलपुर	840	840
6.	तलचेर सु० ता० वि० परि० चरण-1	उड़ीसा का जिला धर्मकनाल	1000	1000
(ख)	गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं			
7.	औरैया जी० पी० पी० चरण-1	यू० पी० का जिला इटावा	*652	102
8.	क्वास जी० पी० पी० चरण-1	गुजरात का जिला सूरत	632	632
9.	दादरी जी० पी० पी० चरण-1	यू० पी० का जिला गाजियाबाद	817	817
		जोड़	7541	5441

*550 मेगावाट क्षमता 7वीं योजना में चालू की गई।

**1050 मेगावाट क्षमता 7वीं योजना में चालू की गई।

श्री नकुल नायक : अध्यक्ष महोदय, समूचे राष्ट्र में बिजली की काफी कमी है। अत: आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आठवीं योजना में कोई नया संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। बिजली की वास्तव में कमी है। मुख्य प्रश्न उन्होंने आठवीं योजना में एन० टी० पी० सी० की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे पूछा था। जैसा मैंने मुख्य उत्तर में बताया है, आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और शुरू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत संबंधी कार्यक्रम के परिव्यय के ब्योरों की जानकारी इसको अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगी। तथापि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अनुमोदित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं से आठवीं योजनावधि के दौरान 5411 मेगावाट की क्षमता चालू किये जाने की आशा है। आम विद्युत स्थिति के बारे में आठवीं योजना के दौरान 38,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने का प्रस्ताव है और यदि यह 38,000 मेगावाट हो जाती है तो आठवीं योजना के अन्त तक समूचे भारत में ऊर्जा की कमी 0.8 प्रतिशत हो जायेगी और अधिकतम कमी 16.3 प्रतिशत हो जायेगी। लेकिन 38,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए 1,28,000 करोड़ रुपये के संसाधनों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग में इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। हम अथक प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है हमें सदन के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा अत: विद्युत कार्यक्रम के विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जायें।

श्री नकुल नायक : उड़ीसा में सदा बिजली की कमी बनी रहती है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में बिजली की इस भारी कमी को दूर करने के लिए क्या कोई विशेष योजना विचाराधीन है?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आठवीं योजना में निर्माणाधीन तालचेर प्रथम चरण परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट की होगी तथा कार्यक्रम के अनुसार प्रथम इकाई अप्रैल, 1994 में और दूसरी मार्च, 1995 में चालू हो जाएगी इस निर्माणाधीन परियोजना के अतिरिक्त उड़ीसा में जिन अन्य परियोजनाओं का, आठवीं योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है, वे हैं तालचेर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी और इब वैली परियोजना, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट होगी। लेकिन इन दोनों चयनित परियोजनाओं को कार्यान्वित करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री ललित विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां विद्युत क्षमता की बहुत कमी है और बिहार सरकार ने अनेक सालों से एक प्रोजेक्ट तैयार करके, उत्तरी कर्मपुरा थर्मल पावर का दिया है जिसकी क्षमता एक हजार मेगावाट और लागत दो हजार करोड़ रुपये है। दूसरा प्रोजेक्ट पटना के नजदीक 300 मेगावाट वाला थर्मल पावर स्टेशन का दिया है जिसकी लागत 660 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय इस पर कृपया ध्यान दें और बताने की कृपा करें कि उपरोक्त के, इसके बारे में उनका क्या अभिप्राय है? कब तक इसकी स्वीकृति देंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जो प्रोजेक्ट माननीय सदस्य ने बताये हैं, मैंने जो लिस्ट देखी है,

क्योंकि वे एन० टी० पी० सी० से सम्बन्धित नहीं है और मूल प्रश्न एन० टी० पी० सी० से सम्बन्धित है इसलिए आपकी आज्ञा होगी तो मैं माननीय सदस्य को इन परियोजनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध करा दूंगा। बिहार को हम फरक्का से 135 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, यह मेरे पास सिर्फ ईस्टर्न रिजन का है, इसके अलावा पिछले कई महीनों से लगातार नार्दर्न रिजन से भी नियमित रूप से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिहार में बिजली की स्थिति के बारे में जो कह रहे हैं वही सही है कि वहां ऊर्जा की हालत खराब है। आप प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हमारी तरफ से न देने का सवाल ही नहीं उठता, हम निश्चित तौर पर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि बिहार सरकार की मदद कर सकें और वह ऊर्जा की गम्भीर स्थिति से उबर सके। मिसाल के तौर पर प्रदेश में चलने वाली जितनी परियोजनायें हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर बहुत नीचे है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमने जो यहां पर माडर्नाइजेशन/रिनोवेशन की 500 करोड़ रुपये की स्कीम लागू की है, उसके बाद जो पावर्स फाईनेंस कारपोरेशन्स हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि उनके पास जो दूसरे साधन हैं, वह राज्यों के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को उपलब्ध करायें ताकि प्लांट लोड फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए वे उनकी मरम्मत कर सकें, उसका आधुनिकीकरण कर सकें।

श्रीमन, हमारी पूरी मदद होगी। अभी तो मेरे पास पूरा प्रोग्राम नहीं है। उसका कारण यह है कि मूल प्रश्न एन० टी० पी० सी० की 8वीं योजना में बनने वाली परियोजना से सम्बन्धित है। इसलिए उनके प्राजेक्ट्स के बारे में उसके बाद सोचा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के बारे में...।

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान को नजरअन्दाज नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : देश में विद्युत के उत्पादन में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम न केवल बड़ी बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सामान्यतः बड़ी परियोजनाएं, जो कि 1000 मेगावाट से ऊपर की होती है उन्हीं का कार्य अपने हाथ में लेता है। यह बहुत बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं। लेकिन छोटी परियोजनाएं भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि संसाधनों की कमी है और माननीय मंत्री ने इस विषय में सदन का समर्थन प्राप्त करने को कहा है। सदन निश्चित रूप से माननीय मंत्री को समर्थन देगा। मसला यह है कि क्या 1000 मेगावाट या 2000 मेगावाट की बड़ी सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण विवेकपूर्ण है। सुपर एक शब्द है जो हर बात के पहले लगता है—इसका त्याग किया जाना चाहिए और क्या आप छोटी ताप विद्युत परियोजनाओं पर विचार करेंगे जैसे मध्य प्रदेश की पेन्च परियोजना जो कि एक ताप विद्युत परियोजना है और छिन्दवाड़ा जिले में है, जिसे योजना आयोग और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, सभी कोणों से स्वीकृत कर दिया गया है और दुर्भाग्यवश जिसे कार्यान्वित करने में राज्य सरकार असक्षम और अकुशल है?

क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और माननीय मंत्री कृपा करके यह कहेंगे कि वह इस पर विचार करेंगे—मैं विशेष तौर पर केवल इस परियोजना को राज्य सरकार से उन्हें अपने हाथ में लेने के लिए विचार करने को कह रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार इसे कार्यान्वित करने में असक्षम है?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : हमारी संवैधानिक योजना के अन्तर्गत, उपभोक्ता को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयंत्र की स्थापना, रख-रखाव और प्रचालन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। लेकिन 1975 से विद्युत कार्यक्रम के विकास की योजना केन्द्रीय क्षेत्र में भी शुरू की गई है। लेकिन बुनियादी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बुनियादी स्थिति यह है कि इन परियोजनाओं की स्थापना का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केवल वही परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए ली गई हैं, जो बहुत बड़ी हैं और जिन्हें तकनीकी-आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, और जहां इतनी बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। मूलत: प्रश्न यह था कि क्या लम्बी दूरी से कोयले की ढुलाई की जाए या बिजली लाई जाए। यही वजह है कि इनमें से अधिकतर प्रतिष्ठान उन स्थानों पर स्थापित किये गये, जो कोयला-खानों के पास थे।

श्री कमल नाथ : माननीय मंत्री मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मेरे माननीय मित्र श्री कमल नाथ को राज्य सरकार की कार्य-क्षमता पर संदेह हो सकता है, लेकिन मेरा संविधान के प्रावधानों में और राज्य सरकार की कार्य-क्षमता पर पूरा विश्वास है और मैं यह जानता हूं कि वे निर्वाचित संस्थाएं हैं, और प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, और निश्चित रूप से वे कर्तव्य-निष्ठ हैं तथा जिस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में श्री कमल नाथ सोच रहे हैं, उन्हें कार्यान्वित करने में वे सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अभी मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जो कुछ बताया, वर्तमान यूनिट्स के विस्तार के बारे में जानकारी दी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप आठवीं योजना को कब तक अन्तिम रूप दे देंगे, उसमें कितना समय अभी और लगेगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पर आधारित नये विद्युत केन्द्र बनाने के लिये आपके पास प्रस्ताव भेजे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कौन-कौन-सी योजनाओं के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं और आठवीं योजना अवधि में आप कुल कितने यूनिट्स विद्युत को जैनरेट करने का प्रस्ताव करने वाले हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन, आठवीं योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, इसका उत्तर देने के लिये शायद मैं उपयुक्त मंत्री नहीं हूं। फिर भी, मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि आठवीं योजना के बारे में हमारे प्रस्ताव क्या हैं, यदि आप चाहें तो मैं बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, यही तो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आठवीं योजना के लिए हमने जो प्रस्ताव किया है, यद्यपि उसके आंकड़े मैं पहले भी दे चुका हूं कि हमने एक पावर सर्वे कमेटी बनायी थी, जो एक स्टैंण्डिंग कमेटी होती है, उसके अध्ययन के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 48 हजार मेगावाट एडीशनल कैपेसिटी अधिक क्षमता हमें प्रतिष्ठापित करनी चाहिये, तभी हमारी जो विद्युत की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता और उत्पादन के बीच में तारतम्य स्थापित हो सकेगा। लेकिन 1988 में योजना आयोग ने विद्युत विभाग को कहा कि संसाधनों की कमी है इसलिये आप 48 हजार मेगावाट की बात मत कीजिये, आप योजना बनाते वक्त 48 हजार मेगावाट से आगे मत जाइयेगा। यदि 48 हजार मेगावाट विद्युत हम आठवीं योजना में उत्पादन करते हैं, तो कुल स्थिति क्या होगी, यदि

आपकी इजाजत हो तो उसे फिर से सदन में दोहरा दूंगा, परन्तु जो स्थिति मैंने बतायी है, उसमें 16.3 की पीक्क कैपेसिटी की कमी होगी और 0.8 परसेंट एनर्जी शार्टेज होगा। फिर भी, आज हमें जो स्थिति लग रही है और चूंकि आम तौर से विद्युत परियोजनाओं को बनाने में काफी समय लगता है, काफी संसाधनों की आवश्यकता होती है और साधारणत: यह होता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की जितनी विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर सन 1988 में या 1989 में एडवांस एक्शन शुरू हो जाना चाहिये था, उसके लिये पैसा दिये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती, परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जो विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं उनमें से लगभग किसी में भी सन 1988 या 1989 में एडवांस एक्शन के तहत जो काम होने चाहिये थे, वे नहीं हुए, कोई एडवांस मनी पहले से नहीं दिया गया। हमारी पूरी कोशिश रही है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि इन योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, जबकि 38 हजार मेगावाट हम जोड़ना चाहते हैं और उसमें कमी हमें नजर आ रही है, इसलिये हमने 11 हजार मेगावाट विद्युत गैस पर आधारित परियोजनाओं का निर्माण करके उत्पादन करने का निश्चय किया है, हमारी पूरी कोशिश है कि वह लिंकेज हमें मिल जाये ताकि 38 हजार मेगावाट में जो कमी होने वाली है, उस कमी को हम गैस बेस्ड स्टेशन्स के जरिये पूरी कर सकें।

[अनुवाद]

श्री हराधन राय : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न बिहार से संबंधित है, मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में 150 से अधिक खानें हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध के अन्तर्गत इस्पात उद्योग भी आते हैं। ताप विद्युत स्टेशन सार्वजनिक क्षेत्र की ताप विद्युत निगम के अन्तर्गत आते हैं। पश्चिम बंगाल में अनेक कारखाने हैं जैसे अल्युमीनियम कारखाने, साईकिल, इंजिनियरिंग कारखाने इत्यादि। वहां कुछ गैस पर आधारित उद्योग भी हैं। इन इकाईयों के अलावा कई सौ छोटे और मझोले उद्योग पूरे पश्चिम बंगाल में फैले हुये हैं। लेकिन विद्युत की कमी और लगातार बिजली की कटौती, चोरी के कारण यह अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। अतएव मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समूचे पश्चिमी बंगाल, विशेषकर आसनसोल और दुर्गापुर के उप-डिवीजनों में विद्युत उपलब्ध करायें···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार की ओर से सरकार ने केन्द्रीय परियोजनाएं इस तरह स्थापित की हैं कि उस बिजली का एक सा वितरण हो, जो केन्द्रीय परियोजनाओं द्वारा सभी राज्यों में उत्पादित किया जाता है। पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। एन० टी० पी० सी० और एन० एच० पी० सी० दोनों ही केन्द्रीय परियोजनाएं पूर्वी क्षेत्र के लिये हैं। हम, अपने पड़ोसी देश भूटान की चूका परियोजना से देश में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हम इस बिजली का समान अनुपात में एक ऐसे फार्मूले के आधार पर वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर सभी राज्यों के बीच समझौता हुआ था। फिर इन राज्यों की बिजली की कमी को हम सप्लाई बढ़ाकर पूरा करने का प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आठवीं योजना में राजस्थान में किस प्रकार के थर्मल पावर प्लान्ट देने की योजना है

और क्या इसके अभाव में आप मथानियां में जो सोलर-प्लाण्ट लगाने वाले हैं, उनको आप कब प्रारम्भ कर सकेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन, असल में, मैंने पहले ही कहा— अगर आप एक मिनट का समय दे देंगे, तो मैं बता सकता हूं। हमारे एन० टी० पी० सी०, एन० एच० पी० सी० की जो परियोजनाएं हैं वे किसी राज्य विशेष के लिए नहीं हैं। सारे राज्यों को कुछ रीजन्स में बांटा गया गया है। राजस्थान में जो परियोजनाएं लगाई हुई हैं उनसे जो उत्पादन हो रहा है केवल उसी को राजस्थान के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है बल्कि जैसे सिंगरौली में जो बिजली बनती है या कोटा में जो बिजली बनने वाली है, वह 3-4 स्टेट्स के अन्दर बांटी जाती है। जहां तक केन्द्रीय सरकार की परियोजना का सवाल है, उस रीजन में लगने वाली कितनी परियोजनाएं हैं यह असल सवाल है। मूल सवाल एन० टी० पी० सी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की एक्सपेंशन के सम्बन्ध में था। उस रीजन में कितनी परियोजनाएं लगने वाली हैं और हम कितनी बिजली उपलब्ध करवायेंगे, यह सूचना मैं, माननीय सदस्यों को लिखकर भिजवा दूंगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उपनगरीय रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार पर व्यय

*372. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कलकत्ता और हावड़ा के लिये उपनगरीय रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार पर, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किये गये व्यय के पृथक-पृथक विवरण सहित कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान मुम्बई में उपनगरीय सेवाओं के सुधार पर किये गये खर्च की तुलना में यह खर्च कितना अधिक अथवा कम है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नागालैंड में हैलिकाप्टर सेवाएं पुन: चालू करना

*373. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में वर्ष 1989 में हुई हैलीकाप्टर दुर्घटना के बाद वहां हैलीकाप्टर सेवा बन्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां के लिए हैलीकाप्टर सेवाएं पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के पवनहंस लिमिटेड ने नागालैंड के लिए अपनी स्वयं की कोई भी हैलीकाप्टर सेवा परिचालित नहीं की। तथापि, राज्य सरकार द्वारा पवनहंस लिमिटेड से पट्टे पर लिये गये एक वेस्टलैंड हैलीकाप्टर से हैलीकाप्टर सेवाएं चलायी जा रही थी। यह पट्टा करार 27 सितम्बर, 1987 को शुरू हुआ

था और 31 मार्च, 1989 तक वैध था। वेट लीज पर लिया गया यह हैलीकाप्टर 7 फरवरी, 1989 को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब दीमापुर और कोहिमा के बीच गैर-अनुसूचित उड़ान पर था। इसलिये उसी तारीख से हैलीकाप्टर सेवाएं बंद कर दी गयीं और राज्य सरकार ने पवनहंस लिमिटेड के साथ पट्टा करार का नवीकरण न करने का निर्णय किया।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, मांग और आयात

[हिन्दी]

*374. डा० कुणाल परशराम बोपचे :

श्री बबनराव ढाकणे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि किये जाने के कारण चालू वर्ष के दौरान तेल के आयात पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा;

(ख) सरकार का इस अतिरिक्त व्यय के लिये संसाधनों को किस प्रकार जुटाने का विचार है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान तेल/पेट्रोल के अतिरिक्त उत्पादन के लिये बनाई गई योजनाओं और इसकी अनुमानित मांग का ब्योरा क्या है; और

(घ) इसे समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) विद्यमान अस्थिर कीमत स्थिति और आपूर्ति के सम्बन्ध में अनिश्चितता की वजह से, चालू वर्ष के दौरान तेल की कीमत में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप कच्चे तेल के आयात पर होने वाले सम्भावित अतिरिक्त खर्चे का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। आयात को नियंत्रित करना और निर्यात को बढ़ाना, विदेशी सहायता के वितरण में तेजी लाने के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के मांग को उपयुक्त स्तर तक नियमित करने जैसे उपाय विदेशी मुद्रा सहित व्यय मे बचत करने के लिये किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) आगामी पांच वर्षों के लिये पेट्रोल की मांग निम्न प्रकार से आंकी गई है :—

वर्ष	(आंकड़े एम० एम० टी० में) पेट्रोल के लिए अनुमानित मांग
1990-91	3.792
1991-92	4.133
1992-93	4.464
1993-94	4.821
1994-95	5.207

वर्ष 1990-91 के दौरान अपनी रिफाइनरियों में आयातित और देशी कच्चे तेल के 51.18 मिलियन टन के संसाधित करने का अनुमान लगाया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के

लिये युपुट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि ये आठवीं योजना में शामिल करने के लिये अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करेंगे।

कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किये जा रहे प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

उत्पादन क्षेत्रों में हो रहे ह्रास को रोकने के उपाय करना अर्थात आवश्यकतानुसार कृत्रिम उठान योजना और कुओं से उत्पादन बढ़ाने के लिये समय-समय पर उत्प्रेरक लागू करना।

—चल रहे विकास कार्यक्रमों को समय पर पूरा करना अर्थात विकास कुओं की खुदाई, भूतल उत्पादन की स्थापना, संसाधन और परिवहन सुविधाएं लगाना।

—नई विकास परियोजनाओं को आठवीं योजना में पर्याप्त साधनों की उपलब्धता के अनुसार एल-II एल-III नीलम, गंधार, मुक्ता और पन्ना को हाथ में लेना ताकि इन क्षेत्रों से उत्पादन किया जा सके।

वर्तमान रिफाइनरियों को सुचारू करके और नई ग्रासरूट रिफाइनरियों की स्थापना करके शोधन क्षमता को बढ़ाने के भी प्रस्ताव हैं। रिफार्मर स्थापित करके वर्तमान रिफाइनरियों में मोटर स्प्रिट के उत्पादन को बढ़ाने तथा मौजूदा कैटेलिटिक क्रैकर्स को सुचारू बनाने का भी प्रस्ताव है। नई रिफाइनरियों के कुछ प्रस्तावों में मोटर स्प्रिट के उत्पादन की सुविधाएं लगाना शामिल है।

बिना टिकट यात्री

[अनुवाद]

*375. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध जोन-वार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए और क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) सूचना नीचे दी गई है।—

(लाख में)

रेलवे	बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या		
	1987-88	1988-89	1989-90
मध्य	9.61	11.65	13.74
पूर्व	12.16	12.53	14.46
उत्तर	9.35	10.50	12.03
पूर्वोत्तर	4.72	5.26	5.94

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	1.79	1.81	1.98
दक्षिण	4.09	3.78	3.64
दक्षिण मध्य	4.49	4.77	5.34
दक्षिण पूर्व	10.57	11.14	12.20
पश्चिम	10.25	10.94	12.29
जोड़	67.06	72.38	81.62

(ख) 1-7-90 से लागू नये रेल अधिनियम के अन्तर्गत :—

(1) न्यूनतम अधिक प्रभार की राशि 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है।

(2) पकड़े जाने से पहले यात्री द्वारा रेलवे कंडक्टर को सूचित कर दिए जाने पर न्यूनतम अधिक प्रभार लेने से संबंधित उपबंध समाप्त कर दिया गया है।

कलकत्ता में मेट्रो रेल का निर्माण पूरा करना

*376. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मेट्रो रेल का कितना कार्य अभी शेष है;

(ख) इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या रेल अधिकारियों को पश्चिम बंगाल और/अथवा अनधिकृत कब्जाधारियों से मेट्रो रेल के लिए आवश्यक पूरी भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) परियोजना के कुल 16.43 कि०मी० लम्बे भाग में से 6.63 कि०मी० भाग में अभी कार्य पूरा किया जाना शेष रहता है।

(ख) 1992 के अन्त तक, बशर्ते शेष भूखण्ड उपलब्ध हो जाएँ।

(ग) जी नहीं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा भुगतान में कथित हेराफेरी

[हिन्दी]

*377. श्री साइमन मरांडी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर द्वारा रेलवे को ढुलाई-प्रभारों के भुगतान में की गई कथित हेराफेरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या तत्काल कार्यवाही की गई है;

(घ) इन मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या विभागीय और कानूनी कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) हेराफेरी का कोई मामला नहीं हुआ था लेकिन एक मामले में औपचारिक बुकिंग के बिना कुछ माल डिब्बों की ढुलाई की गई थी।

(ख) 1973 से 1975 तक की अवधि के दौरान आदित्यपुर के एक्सचेंज यार्ड से बांसपानी और नोवामुंडी तक खाली माल डिब्बों के रेकों के साथ थोड़े-थोड़े लाटों में पर्ल कोक से लदे 767 माल डिब्बों की औपचारिक बुकिंग के बिना ढुलाई की गई थी।

(ग) जैसे ही यह मामला ध्यान में आया वैसे ही माल-भाड़ा प्रभार वसूल करने के लिए कार्रवाई की गई।

(घ) कानूनी कार्रवाई का कोई मामला नहीं था। तथापि, प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं के लिए दो रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ङ) यह एक अकेला और छुट-पुट मामला था और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बुकिंग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

*378. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मौजूदा रसोई गैस एजेंसियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार तथा वहां की जनता से हिमाचल प्रदेश में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) नई एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटर शिप खोलने के सम्बन्ध में संभाव्यता का पता लगाने के लिए तेल उद्योग ऐसे अनुरोध की जांच करता है। यदि उद्धृत स्थान निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं तो उन्हें एल० पी० जी० की उपलब्धता और ऐसे अन्य मांगों के अनुसार "आल इंडिया बेसिस" के आधार पर चरणों में विपणन योजनाओं में शामिल किये जाने पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1.	सिरमौर	2
2.	कांगड़ा	6
3.	हमीरपुर	1

1	2	3
4.	ऊना	1
5.	बिलासपुर	1
6.	मंडी	3
7.	कुल्लू*	1
8.	लाहौलस्पिती	1
9.	शिमला	7
10.	सोलन**	3
11.	चम्बा	5
12.	किन्नौर	1
	योग:	32

इसके अतिरिक्त,

*विस्तार केन्द्र के रूप में एक स्थान पर एल० पी० जी० की सुविधा दी गई है।

**तीन स्थानों पर विस्तार केन्द्र के रूप में एक स्थान पर एल० पी० जी० की सुविधा दी गई है।

पंजाब के जिलों में रसोई गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

*379. श्री कमल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के होशियारपुर और अन्य जिलों में पिछले आठ महीनों के दौरान रसोई गैस का अभाव रहा है और उपभोक्ताओं को अपनी मांग दर्ज करने के दो-तीन सप्ताह के बाद भी गैस का रिफिल नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पंजाब में, विशेष रूप से होशियारपुर जिले में रसोई गैस की कमी को दूर करने और समय पर "रिफिल" दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) परिवहन समस्याओं और प्रचालन कठिनाइयों के अतिरिक्त, एल० पी० जी० की थोक उपलब्धता में अड़चन के कारण पंजाब के कुछ स्थानों में एल० पी० जी० रिफिलों की छुट-पुट कम सप्लाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बाटलिंग संयंत्रों से परिवहन में वृद्धि करके और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्य-घंटों में वृद्धि करके रिफिल सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की निकट से निगरानी की जा रही है।

रेलवे माल डिब्बों/यात्री डिब्बों का निर्माण

[हिन्दी]

*380. श्री गुमान मल लोढा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर में माल डिब्बों के निर्माण के बारे में वर्ष 1977 से 1979 की अवधि के दौरान की गई घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह योजना समाप्त कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जोधपुर में छोटी रेल लाइन के माल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों के दौरान 70 यूनिटों का निर्माण किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदर्भ एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाना

[अनुवाद]

*381. श्री वसंत साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए नागपुर और मुम्बई के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली विदर्भ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी;

(ग) विदर्भ एक्सप्रेस के पुराने यात्री डिब्बों को बदलने और इस रेलगाड़ी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) महाराष्ट्र एक्सप्रेस में वातानुकूलित-द्वितीय श्रेणी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चालू वर्ष के दौरान किये गये/किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुराने सवारी डिब्बों का आयु-एवं-हालत के आधार पर बदलाव करना एक सतत् प्रक्रिया है। उपयोग में लाये जा रहे सवारी डिब्बों में सभी मानक यात्री सुविधाएं हैं।

(घ) महाराष्ट्र एक्सप्रेस में वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बा लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा "स्वागत" पत्रिका का मुद्रण

*382. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की पत्रिका "स्वागत" का मुद्रण और प्रकाशन एक विदेशी फर्म द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ग) विदेशी फर्म के साथ हुए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(घ) इस पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन विदेश में कराने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुई;

(ङ) क्या सरकार का इस पत्रिका का प्रकाशन अपने देश में ही कराने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान गत पत्रिका "स्वागत" का मुद्रण और प्रकाशन मैसर्स मीडिया ट्रांसेशिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो हांगकांग में निगमित की गई थी और जिसका एक अनिवासी भारतीय है।

(ख) प्रकाशन के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती है।

(ग) करार के अन्तर्गत उक्त प्रकाशक प्रत्येक माह यात्रियों के लाभ के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों पर इस उड़ानगत पत्रिका को 60,000 प्रतियां निःशुल्क प्रदान करता है। प्रकाशक "स्वागत" में विज्ञापनों के जरिये राजस्व प्राप्त करके लागत को पूरा करता है।

(घ) इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती।

(ङ) और (च) अब तक किसी भी भारतीय पार्टी द्वारा इस प्रकार की आकर्षक शर्तों और किस्म की पेशकश नहीं की गई है, जैसा कि मैसर्स मीडिया ट्रांससेशिया लिमिटेड ने की है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकाशक के साथ किया गया करार केवल मई, 1993 में ही समाप्त होगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के मीटर किराए में वृद्धि

*383. श्री मनोरंजन सुर :

श्री अनादि चरण दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अप्रैल, 1989 से बिजली के मीटर किराए 300 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के प्रशासक ने मई, 1990 में उक्त वृद्धि को रद्द करने का कोई आदेश दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अभी भी बिजली का मीटर किराया वर्ष 1989 में बढ़ाई गई दर के अनुसार ले रहा है और दिल्ली नगर निगम के आदेश का पालन नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और वापस की जाने वाले धनराशि को कब तक समायोजित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा दिनांक 1-1-1989 से मीटर किराए की मासिक दरों में निम्नानुसार वृद्धि की गई है—सिंगल फेज के लिए 2/-रु० से 6/-रु०, लो टेंशन पोली फेज के लिए 5.25 रु० से 16.50 रु०, लो टेंशन/करंट ट्रांसफार्मर मीटर के लिए 10.00 रु० से 26.00 रु० और हाई टेंशन/लो टेंशक टू एण्ड ग्रो वेक्टर एनर्जी मीटरों के लिए 120.00 रु० से 310.00 रु०।

दिल्ली नगर निगम के प्रशासक द्वारा डेसू को निर्देश दिया गया है कि मीटर किराए में कथित वृद्धि के विनियमन हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति/दिल्ली नगर निगम का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। चूंकि मीटर किराए में वृद्धि से सम्बन्धित आदेश वापिस नहीं लिए गए हैं, डेसू द्वारा संशोधित दरों पर वसूली की जा रही है और नगर निगम प्रशासक के निदेशानुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति/दिल्ली नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही भी आरम्भ की गई है।

गुजरात में हाजिरा में संयुक्त क्षेत्र में पेट्रो रसायन एकक

[हिन्दी]

*384. **श्री सी० डी० गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में हाजिरा में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में एक पेट्रो रसायन एकक स्थापित करने का काफी पहले निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पेट्रो रसायन एकक को अब तक स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस एकक का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा इसके कब तक पूरा होने और कब तक इसमें उत्पादन होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) एक समय, केन्द्र और राज्य सरकारों तथा जनता के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गुजरात में हाजिरा के निकट एक पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स पर विचार किया गया था। किन्तु, मुख्यत: संसाधनों सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० में नियुक्तियां

[अनुवाद]

*385. **डा० असीम बाला** :

श्री मदन लाल खुराना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० में महाप्रबन्धक (बिक्री) आदि जैसे कुछ वरिष्ठ पदों को हाल ही में भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्तियों के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या उनके चयन को सरकारी उद्यम ब्यूरो ने स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो वे नियुक्तियां किन परिस्थितियों में की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी के निदेशक मण्डल की स्वीकृति से और इसके द्वारा दी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर चयन किया गया था।

(ग) चूंकि पद बोर्ड स्तर से नीचे के थे अत: सरकारी उद्यम ब्यूरो की स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की सप्लाई

[हिन्दी]

*386. **श्री फूल चंद वर्मा** :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की कितनी मांग की गई थी और जनवरी, 1989 से अब तक महीने-वार केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया; और

(ख) राज्य सरकार को मिट्टी का तेल किस दर पर सप्लाई किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का आकलन पूर्वकालिक आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में दिए गये आबंटनों पर उचित वृद्धि दर देकर किया जाता है और तदनुसार आबंटन किया जाता है। इसके अलावा, समय-समय पर बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए तदर्थ आबंटन किये जाते हैं।

जनवरी, 1989 के मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल के आबंटनों और प्रदायों के माहवार ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं—

विवरण

मास	आबंटन	प्रदाय
जनवरी, 1989	31450	31620
फरवरी	32450	31459
मार्च	30000	29362
अप्रैल	29150	28520

1	2	3
मई	29150	28000
जून	29150	28851
जुलाई	27980	29104
अगस्त	28465	29316
सितम्बर	28465	28820
अक्तूबर	29465	30023
नवम्बर	33620	34441
दिसम्बर	33620	33535
जनवरी, 1990	33620	34450
फरवरी	33620	33883
मार्च	31513	30975
अप्रैल	31013	32245
मई	31013	31172
जून	31013	31319
जुलाई	29504	29890
अगस्त	29504	—
सितम्बर	29504	—
अक्तूबर	29504	—

सादिक नगर निवासियों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान

[अनुवाद]

4227. **श्री एम० के० आदवाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सादिक नगर (सरकारिया निवास) टाइप-2 सुधार सभा ने सरकार से कालोनी के निवासियों से बिजली के बिलों के भुगतान की वसूली सुव्यवस्थित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) सुधार सभा द्वारा की गई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, डेसू को इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सादिक नगर के उपभोक्ता लाजपत नगर एवं ग्रेटर कैलाश स्थित डेसू के रोकड़ कार्यालयों जो कि 2 कि०मी० से भी कम दूरी पर स्थित हैं पर बड़ी आसानी से अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता ग्रेटर कैलाश स्थित ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स एवं इंडियन बैंक की शाखाओं में बिजली

के बिल का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पर्याप्त विद्यमान सुविधाओं को मद्दे-नजर रखते हुए डेसू सादिक नगर में अलग से रोकड़ एकत्रण केन्द्र उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं समझता है।

नयी औषध नीति

4228. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी वर्ष 1986 की औषध नीति के स्थान पर एक नई नीति बनाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई औषध नीति की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार औषध कम्पनियों की इस चालबाजी एवं अनुपम शैली के लिए असंख्य ब्रांड की औषधियां निकाल कर डाक्टरों को प्रभावित कर रही है और बिक्री संवर्धन में डाक्टरों को भी शामिल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन कम्पनियों द्वारा अपने बिक्री संवर्धन के लिए अपनाए जा रहे अनैतिक तरीकों को विफल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) इस समय सरकार 1986 की औषध नीति की कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पुनरीक्षा कर रही है ताकि इस क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और उद्योग की उचित लाभ सुनिश्चित करते समय उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर आवश्यक औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान समय में पुनरीक्षा का कार्य प्रगति पर है और अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) अलग-अलग कम्पनियों की बाजार नीतियों को यह विभाग मानीटर नहीं करता है। अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों पर स्वीकृत एम० ए० पी० ई० विनिर्माण की अवस्था से खुदरा बिक्री और विनिर्माताओं के लाभ तक हुए विनिर्माण के पश्चात् अधिकतम अनुमत्य खर्च में उत्पादकों का लाभ सहित विपणन व्यय शामिल होता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य का आन्दोलन चलाया जाना

4229. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "डेसू" कर्मचारियों ने एक सप्ताह के लिए नियमानुसार कार्य का आन्दोलन चलाया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) डेसू के

अनुसार, डेसू उपकेन्द्र तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन से अभ्यावेदन दिनांक 26-4-90 और 15-5-90 को प्राप्त हुए हैं जो उनकी शिकायतों के साथ-साथ वेतनमान में विषमता अधिवर्षिता की आयु बढ़ाए जाने, एसोसिएशन की मान्यता निर्धारित परिवहन भत्ते की अदायगी, अनुग्रहपूर्वक अदायगी में वृद्धि आदि के सम्बन्ध में थे। एसोसिएशन मान्यता प्राप्त नहीं है। एसोसिएशन द्वारा "नियमानुसार कार्य का आन्दोलन" 3-7-1990 को वापस ले लिया गया था। तथापि डेसू ने उचित कार्यवाही हेतु एसोसिएसन की शिकायतें नोट कर ली हैं और उप-केन्द्रों पर प्रचालन एवं अनुरक्षण/केबिल क्वाइंटर स्टाफ की व्यवस्था करने के मानक तैयार करने के लिए एक विभागीय समिति का भी गठन किया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भूमिगत केबल बिछाना

[हिन्दी]

4230. श्री दौलत राम सारण : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने वर्ष 1989 के दौरान दक्षिण दिल्ली में कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों के फार्म हाउसों को बिजली की निरन्तर सप्लाई करने के लिए आठ किलोमीटर लम्बी भूमिगत केबल बिछाई है;

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली के सतरपुर, फतेहपुर बेरी, चान्दालहोला, सतबड़ी, डेरा, मान्डी, गदईपुर, जोनापुर, सुल्तानपुर इत्यादि गांवों में, जो भूमिगत केबल बिछाये गये क्षेत्र के आसपास स्थित हैं भी बिजली पहुंचाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन गांवों को उपलब्ध कराए गए बिजली कनेक्शनों का गांव-वार ब्योरा क्या है और सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) डेसू के अनुसार, उसने 1989 में महरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 11 के० वी० नेटवर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महरौली से फतेहपुर बेरी उप-केन्द्र, 220 के० वी० ग्रिड उप-केन्द्र से 8 कि०मी० (भूमिगत) और 4 कि० मी० (शिरोपरि) की दो फीडर लाइनें बिछायीं।

(ख) और (ग) डेसू के अनुसार, सभी कथित गांवों का विद्युतीकरण पहले ही कर दिया गया है और संदर्भी उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक औपचारिकताओं के पूरा करने पर इन गांवों में बिजली-कनेक्शन दे दिए जाते हैं।

साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स में संविदात्मक श्रमिकों का वेतन

4231. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोयले की खुदाई, चढ़ाई और उतराई के लिए साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड के गेवरा, कोरबा, भटगांव, चरचा और हसदेव क्षेत्रों की कोयला खदानों में ठेका श्रमिक नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें न्यूनतम सांविधिक वेतन की तुलना में कम वेतन दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतें मुख्य श्रमायुक्त के पास तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या जेबरा कोलफील्ड्स में ऐसे अनेक श्रमिकों को रोजगार से हटा दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) चुर्चा तथा हंसदेव क्षेत्रों में ठेके के श्रमिक नियोजित नही किए जाते हैं। कोरबा (पश्चिम) में श्रमिकों द्वारा कोयले का लदान/उतराई किए जाने के सम्बन्ध में कोई ठेका नहीं दिया गया है। ठेके के श्रमिकों को क्रमशः यंत्रीकृत उपकरणों के माध्यम से तथा ठेकेदारों द्वारा कोयले का परिवहन किए जाने के लिए गेवरा तथा मटगांव में नियोजित किया जाता है। इस संबंध में संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को गेवरा के किसी ठेके के श्रमिक को काम से हटाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

पूर्वी दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जारी करना

4232. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में 1985-86 के दौरान पंजीकृत आवेदकों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं जबकि नई दिल्ली क्षेत्र में वर्ष 1987-88 के दौरान पंजीकृत आवेदकों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में शीघ्र ही खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) उत्पाद, उपस्कर और सुविधाओं के होने पर नए एल० पी० जी० कनेक्शन चरणों में उन डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा दिए जाते हैं जो निर्धारित अधिकतम सीमा स्तर से नीचे परिचालन कर रहे हैं। चूंकि एल० पी० जी० एक कमी वाला उत्पाद है और ग्राहकों का नया नामांकन सीमित है, इसलिए यह निर्दिष्ट करना मुश्किल है कि उन सभी लोगों को कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे, जो प्रतीक्षा सूची में हैं।

सीमेंट उद्योग में घाटा

4233. श्री हरीश पाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1990 के "जनसत्ता" में सीमेंट उद्योग में सभी कंपनियां घाटे में शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है, और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विस्तृत जांच नहीं की गई है। तथापि, अपर्याप्त आधारभूत सहायता, निविष्टि की लागत में वृद्धि और कम वसूली के कारण पिछले कुछ समय से सीमेंट निर्माता घटिया वित्तीय परिणामों की सूचना दे रहे हैं अनुकूलतम उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्योग को कोयले और रेल डिब्बों की पर्याप्त आपूर्ति के रूप में आधारभूत सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास प्रयास किए जाए जा रहे हैं। तारीख 1-3-1989 से सीमेंट से मूल्य एवं वितरण पर नियन्त्रण हटा लेने के बाद यह उद्योग बेहतर वित्तीय निष्पादन के संकेत दे रहा है।

पुरानी दिल्ली में बिजली की दोषपूर्ण वायरिंग

[अनुवाद]

4234. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में बिजली की दोषपूर्ण वायरिंग है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषपूर्ण वायरिंग को बदलने सम्बन्धी कोई योजना शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) डेसू ने दिल्ली के "वाल्डसिटी" क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए एक स्कीम तैयार की है जिसमें पुराने भूमिगत केबिलों/सेवा योग्य नहीं रही सर्विस लाइनों आदि को बदला जाना शामिल है। स्कीम का क्रियान्वयन परियोजना को तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो एवं संसाधनों इत्यादि की उपलब्धता पर, निर्भर करेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वसूल किया गया विकास प्रभार

[हिन्दी]

4235. **श्री राम सिंह शाक्य** :

श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने उन कई अनधिकृत कालोनियों के जहां बिजली के खम्भे तथा कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, निवासियों से विकास प्रभार वसूल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

(ग) दिल्ली के न्यू अशोक नगर, चिल्ला सरोदा सहित ऐसी कालोनियों में बिजली के कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की है और कितनी कालोनियों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, केवल ऐसी अनधिकृत कालोनियां जो 1-1-1981 तक विद्यमान थी, विहित विकासात्मक

प्रभारों की अदायगी पर विद्युतीकरण किए जाने एवं मुफ्त उपकेन्द्र सौंपी जाने की पात्र होती हैं। डेसू ऐसी कालोनियों के निवासियों से अपेक्षित विकासात्मक प्रभार वसूल कर रहा है जिन्हें विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है। 25% प्लाटधारियों द्वारा विहित विकासात्मक प्रभार जमा करा दिए जाने एवं अन्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बाद ही विद्युतीकरण संबंधी स्कीम आरम्भ की जाती है।

(ग) डेसू के अनुसार, यद्यपि न्यू अशोक नगर चिला सरोवा, दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के कुछ निवासियों द्वारा आवश्यक विकासात्मक प्रभार जमा करा दिए गए थे, फिर भी इस क्षेत्र का विद्युतीकरण संभव नहीं हो पाया है क्योंकि डी० डी० ए० द्वारा 66 के० वी० उपकेन्द्र के लिए दालूपुर में उपलब्ध कराई गई भूमि विवादास्पद है और टावर लाइन के लिए मार्ग स्वीकृति को भी अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस आकार की स्कीम के क्रियान्वयन में डेसू, अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद सामान्यत: 2 वर्ष का समय लेता है।

(घ) डी० डी० ए० द्वारा समय-समय पर प्रायोजित एवं वित्त पोषित पुनर्वास/जे० जे० कालोनियों को डेसू पहले ही विद्युतीकृत कर चुका है। इस प्रकार की कालोनियों में विद्युतीकरण/सड़क रोशनी के लिए किसी नई नई स्कीम के लिए अपेक्षित होता है कि वह डी० डी० ए० अथवा इन कालोनियों के विकास में रुचि रखने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित हो।

कम्पनियों को विदेशी मुद्रा आय

[अनुवाद]

4236. श्री हुमेन्द्र सिंह बनेड़ा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 211 के अन्तर्गत कम्पनियों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन में विदेशी मुद्रा आय और आयात तथा विदेशी मुद्रा में किए गए अन्य व्यय की सूचना देनी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल और भूटान को की गई वस्तुओं की बिक्री से हुई आय को विदेशी मुद्रा आय माना जाता है; और

(ग) क्या इन देशों से किए गए आयात को विदेशी मुद्रा की निकासी माना जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और नेपाल के बीच तथा भारत और भूटान के बीच समस्त व्यापार व्यवहार, भारत और इन देशों के बीच विद्यमान व्यापार और पारगमन समझौतों द्वारा शासित होते हैं। इन देशों को आयात/निर्यात के लिए किए गए और इनसे प्राप्त किए सभी भुगतान, ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां ऐसे आयात/निर्यात की लागत का वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे विश्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदानों/ऋणों द्वारा हो, जो विदेशी मुद्रा में देय/स्वीकार्य हो, केवल भारतीय रुपयों में किए जाते हैं।

रेल विभाग द्वारा व्यापार और परिवहन के बीच विवाद को जांच के सम्बन्ध में विश्व बैंक का अध्ययन

4237. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने हाल ही में जारी किए गए "विश्व बैंक नीति आयोजना और अनुसंधान कम्पलेक्स" के "भारत में व्यापार और परिवहन के बीच बढ़ते विवाद" सम्बन्धी अध्ययन की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अध्ययन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी व्यापार तथा परिवहन-बाजार में कंटेनीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है, और

(ग) रेल विभाग द्वारा व्यापार और परिवहन के बीच, यदि कोई विवाद बढ़ रहा है, तो उसे निपटाने के लिए रेल विभाग का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय को "भारत में व्यापार और परिवहन के बीच बढ़ते विवाद" नामक शीर्षक के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। वित्त मन्त्रालय से विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है जिसकी जांच की जा रही है।

प्राकृतिक गैस से चलाई जाने वाली कारें

4238. श्री भवानी शंकर होता : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के बजाए प्राकृतिक गैस से कारें चलाने के लिए कोई परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) जन-साधारण के लिए प्राकृतिक गैस से चलाई जाने वाली कारें कब तक उपलब्ध कराई जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आयातित किटों की सहायता से गैसोलीन और डीजल चालित वाहनों को बदलकर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके चलाने लायक बनाया है। उन्होंने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कुछ बसों को भी बदलकर संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलाने लायक बनाया है। गैस आथारिटी आफ इंडिया लि० भी इस तरह का प्रयोग कानपुर और दिल्ली में करने की अपनी योजना बना रहा है। यह केवल प्रायोगिक अध्ययन हैं और अभी तक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक प्रयोग शुरू नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की पोलिस्टर एक्स-रे फिल्म परियोजना

4239. डा० गुलाम यासदानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या सरकार को हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा

पोलिस्टर एक्स-रे फिल्म परियोजना की स्थापना करने में कुछ अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड के सिविल ठेकेदारों द्वारा बनाए गए ऊटकमंड स्थित अस्थायी बैरकों में आग लग गई थी। तथापि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की कोई सम्पत्ति आग से प्रभावित नहीं हुई थी।

(ग) से (ङ) पालिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्मों के समेकित विनिर्माण हेतु सुविधाएं जुटाने के लिए एच० पी० एफ० द्वारा मेसर्स ड्यूपांट अमरीका से आयातित तकनीक की उच्च लागत तथा अप्रचलन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हें तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया था।

एयर टैक्सी सेवाएं

4240. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान चलने वाली एयर टैक्सी सेवाओं का वर्षवार अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार एयर टैक्सियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) एयर टैक्सियों के प्रचलन से इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत की टिकटों की बिक्री और प्रचालन पर पड़े प्रभाव का अलग-अलग ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस समय तीन पार्टियों द्वारा हवाई टैक्सी सेवाएं परिचालित की जा रही हैं। हवाई टैक्सी प्रचालकों को अनुसूचित परिचालनों वाले सभी हवाई अड्डों से अनुमति दी जाती है बशर्ते कि सम्बन्धित हवाई अड्डे के प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो। हवाई टैक्सी परिचालन के लिए कोई मार्ग निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) दो।

(ग) हवाई टैक्सी के परिचालनों से इंडियन एयरलाइन्स या वायुदूत की बिक्री/परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

बैंक कालोनी शाहदरा और झरेड़ा गांव के निवासियों को बिजली के कनेक्शन

4241. **श्री हेतराम** :
डा० बंगाली सिंह :
श्री रामसिंह शाक्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बैंक कालोनी, शाहदरा और दिल्ली छावनी के अन्तर्गत झरेड़ा गांव के निवासियों को घरेलू कार्य के लिए बिजली के कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा वहां पर बिजली के कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहयोग

4242. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 31 दिसम्बर, 1989 तक कितने विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से कुछ सहयोग प्रस्तावों को त्याग दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनको त्यागे जाने से भारत के उन देशों के साथ सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मंजूर किए विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	अनुमोदनों की संख्या
1985	1024
1986	957
1987	853
1988	926
1989	605

(ख) और (ग) सरकारी अनुमोदन के पश्चात् उद्यमियों को अनुमोदन की शर्तों के आधार पर परियोजना को कार्यान्वित करने के कदम उठाने होते है। सरकार द्वारा अनुमोदित सहयोग प्रस्तावों को त्याग दिए जाने का प्रश्न सामान्यतया नहीं उठता। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1989 में एक विशेष योजना के अधीन अनुमोदित एक सहयोग प्रस्ताव को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह उस योजना के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता। प्रस्ताव पर अब उचित मंच पर विचार किया जा रहा है।

(घ) चूंकि विदेशी सहयोग प्रबन्धों को आम तौर पर वाणिज्यिक स्वरूप का समझा जाता है, इसलिए मंजूर किए गए अनुमोदनों के कार्यान्वित ना होने का अन्य देशों के साथ सम्बन्धों पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

मारुति उद्योग लिमिटेड में तालाबन्दी

4243. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड में बार-बार तालाबन्दी और हिंसात्मक वारदातों के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके कारण मारुति वाहनों का उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा इन हिंसात्मक वारदातों को रोकने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कारखाने की तालाबन्दी के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) मारुति फैक्ट्री में कोई तालाबन्दी नहीं हुई। कुछ समय पहले बाहरी तत्वों के सहयोग से मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों के एक बहुत छोटे से वर्ग द्वारा, कम्पनी में एक अन्य यूनियन को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रबन्धन पर दबाव डालने के लिए, हिंसा की घटनाएं की गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से कहा गया है कि वे धमकी प्राप्त कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ऊर्जा के परम्परागत स्रोत

[हिन्दी]

4244. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि आन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना को राज्य सरकार को सौंप दिया जाये; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दादरी में राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत केन्द्र परियोजना

[अनुवाद]

4245. **डा० बंगाली सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विदेशी-स्वदेशी सप्लायरों को दिये गये ठेके बारे में 22 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 9946 के भाग (ख) और भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ द्वारा व्यक्त किये गये विचार की जानकारी है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने मूल ठेके में दी गई वास्तविक विशिष्टियों से अलग कार्य किये जाने के बारे में अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जैसाकि 22 मई, 1990 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1946 के संदर्भ में दिये गए उत्तर में उल्लेख किया गया था, प्राप्त

हुए प्रतिवेदन में भी सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री वाई० वी० चन्द्रचूड़ की राय को शामिल किया गया था। प्रतिवेदक में की गई सिफारिशों की जांच की गई थी तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इनको युक्तियुक्त नहीं पाया गया था।

सरकार द्वारा परियोजना को दिये गये अनुमोदन में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के ठेकों के लिए तकनीकी विशिष्टियां तैयार की जाती हैं। सम्बन्धित वित्त पोषण एजेंसियों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार (इस मामले में विश्व बैंक) बोली लगाने सम्बन्धी प्रयोज्य शर्तों समेत व्यापक तकनीकी विशिष्टियों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की जाती है। बोलियों सम्बन्धी सम्बन्धी करगजातों में उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त हुई बोलियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। शीतलन टावर पैकेज हेतु ठेके के लिए भी विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी।

क्लोराम्फेनीकोल पाउडर का बिक्री मूल्य

4246. **श्री कल्पनाथ राय :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्स बेसिक और इन्टरमीडिएट स्टेजों से निर्मित क्लोराम्फेनीकोल पाउडर के लिए सामान्य विक्रय मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एक्स बेसिक स्टेज से निर्मित उत्पादन लागत सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य बहुत अधिक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) अंतर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद क्लोरैमफेनिकोल पाउडर एक्स-बेनजेलडीहाइड और एक्स-एल बेस की कीमत 8 जून, 1990 से 1133.00 रुपये प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गयी है।

(ग) जी नहीं।

औषध कम्पनियों द्वारा औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश का उल्लंघन

4247. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषध कम्पनियों सम्बन्धी विशेषज्ञ दल से औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किसी विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गई है। अतः इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले का लदान

4248. **श्री हाराधन राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मूल्य के कोयले का लदान ट्रक और रेल के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) ठेका प्रणाली के अंतर्गत क्रमश: ट्रक और रेल द्वारा कोयले के लदान में कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(ग) क्या भारी संख्या में स्थानीय लोग स्वयं लदानकर्ता के नाम पर ट्रकों का लदान कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने स्वयं लदानकर्ता विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं;

(घ) क्या स्थानीय लोगों के लिए कोई उपस्थित रजिस्टर और वेतन रजिस्टर रखा जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपस्थिति और वेतन भुगतान किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (च) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्धता के अनुसार सूचना को सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बड़ौदा में कम्प्यूटर द्वारा रेलवे-आरक्षण

4249. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि बड़ौदा में कंप्यूटर रेलवे आरक्षण प्रणाली आरम्भ की जावे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) ऐसी कोई सिफारिश नोटिस में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रामगुंडम स्थित वर्कशाप का विस्तार

4250. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुंडम में वैगनों के मरम्मत करने की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में रामगुंडम स्थित वर्तमान "वैगन रिपेयर वर्कशाप" का विस्तार करने का विचार है; यदि हां, तो कब; और

(ग) इस क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रामगुंडम के माल डिब्बा डिपो की मौजूदा मरम्मत क्षमता प्रति माह साठ नेमी ओवरहाल करने की है।

(ख) जी हां। मार्च, 1991 तक इसके पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

(ग) रामगुंडम में 60 बी० ओ० एक्स० एन० रेकों को खड़ा करने के लिए क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली-जयपुर-अजमेर वायु मार्ग के लिए वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

4251. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त विमान सेवाएं होने के कारण विदेशी पर्यटकों का राजस्थान पहुंचने में भारी असुविधा हो रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विमानपत्तनों का विकास और विमान सेवाओं का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-जयपुर-अजमेर वायु मार्ग के लिए वायुदूत सेवाएं प्रारंभ करने और अजमेर में एक विमानपत्तन का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उपलब्ध विमान क्षमता के भीतर राजस्थान को समुचित विमान सेवा मुहैया की जा रही है। तथापि राजस्थान में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) जयपुर हवाई अड्डे में धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जयपुर और जोधपुर के टर्मिनल भवनों के परिसरों का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। तथापि, राजस्थान को कोई नई विमान सेवा शुरू कराने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) अजमेर को विमान सेवा शुरू करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकार अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण कर रही है। इस प्रयोजन के लिए स्थान का पता लगा गया है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया है।

गोदावरी नदी के ऊपर बने पुल को आंध्र प्रदेश को सौंपना

[अनुवाद]

4252. श्रीमती के० अमुना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी पर तीसरे नए रेल पुल का निर्माण कार्य पूरा होने को देखते हुए गोदावरी नदी पर बने पुराने रेल पुल को आंध्र प्रदेश को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गोदावरी नदी पर तीसरे रेल पुल को यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1993 की दूसरी छमाही में।

जैपुर के लिए वायुदूत सेवा

4253. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर से जैपुर (कोरापुट) के लिए वायुदूत विमान सेवा, जो 1989 में बंद कर दी गई थी, पुन: चालू कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जबकि वायुदूत सेवाओं को पुन: शुरू करने के लिए उत्सुक है, वे विमानों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सके हैं।

अंकलेश्वर में तेल और गैस का उत्पादन

4254. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में अंकलेश्वर के मुख्य तेल क्षेत्र में स्थित तेल कुओं से उत्पादन आरंभ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भावी योजनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) अंकलेश्वर मुख्य क्षेत्र में 1961 से ही तेल का उत्पादन हो रहा है।

(ख) अंकलेश्वर मुख्य तेल क्षेत्र में इस समय 129 तेल कुएं 2077 मिट्रिक टन प्रतिदिन की दर से उत्पादन कर रहे हैं।

अंकलेश्वर मुख्य क्षेत्र में तेल उत्पादन का ह्रास हो रहा है और फिलहाल प्रतिप्राप्ति को उच्चतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बदलापुर से करजत और मुम्बई तक रेल गाड़ी

4255. प्रो० रामगणेश कापसे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रेलवे को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बदलापुर स्टेशन से करजत और मुम्बई की ओर रात बारह बजे से दो बजे के बीच एक उपनगरीय रेलगाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है या करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेल-नेटवर्क का विस्तार

4256. श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री आर० प्रभु :

श्री सी० जी० मुदालगिरियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेल-नेटवर्क का 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस विस्तार कार्य का जोन-वार पृथक-पृथक ब्योरा क्या है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जोन में कितना-कितना कार्य होगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं हेतु राज्यों द्वारा अनुदान

4257. श्री एम० आर्म रेड्डी :

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भविष्य में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु राज्यों से अपने कोष में से समान अनुदान राशि देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति, राज्यों से समान अनुदान राशि (मैचिंग ग्रान्ट) की मंजूरी के आधार पर ही नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य शुरू करने का है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

तंजावुर-मद्रास लाइन पर ऊपरी पुल

4258. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तंजावुर में तंजावुर-मद्रास मेल लाइन पर वर्तमान रेल फाटकों के स्थान पर तंजावुर-पट्टुकोट्टल रोड और तंजावुर-नागपट्टिनम रोड पर ऊपरी पुलों का निर्माण करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान रेल फाटकों के स्थान पर ऊपरी पुलों का निर्माण करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां। केवल तंजाऊर-नागपट्टिनम रोड

पर तंबाकूर यार्ड में कि० मी० 354/8-9 पर समपार सं० 304 के स्थान पर ऊपर सड़क पुल के निर्माण के संबंध में।

(ख) निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षित तकनीकी विवरण तथा अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एयर इंडिया द्वारा संयुक्त कार्गो सेवा आरम्भ करना

4259. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने संयुक्त कार्गो सेवा के लिए विदेशी विमान कम्पनियों के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन कारणों से एयर इंडिया को ऐसे समझौते करने पड़े हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है।

मध्य प्रदेश में हबीबगंज स्टेशन का विकास

[हिन्दी]

4260. श्री एस० सी० वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हबीबगंज स्टेशन के विकास की योजना तैयार की गई है तथा इसका कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस विकास-योजना पर कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी तथा इसका कार्यान्वयन इस समय किस चरण में है; और

(ग) निर्माण तथा विकास-संबंधी कार्यों को कब तक पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) हबीबगंज में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं से संबंधित कार्य की अनुमानित लागत 12.63 करोड़ रुपए है। कार्य अभी शुरू किया गया है।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

औषधियों की कमी

[अनुवाद]

4261. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तपेदिक, कैंसर, आन्तज्वर, मलेरिया की औषधियों तथा ज्वरनाशक एवं प्रतिजीवाणु औषधियों का अभाव है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) क्लोरम-फेनिकोल, टाइफाइड रोधी औषध की केवल तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल राज्यों में कम आपूर्ति होने की हाल ही में सूचना मिली थी। विनिर्माताओं को इन राज्यों में क्लोरमेफिनिकोल की सप्लाई भेजने के लिए तत्काल तौर दिए गए थे। जहां तक अन्य उत्पादों का संबंध है, कुछ विशेष ब्रांडों की कमी थी जिनके चिकित्सीय समतुल्य उपलब्ध थे।

भारतीय सीमेंट निगम का कार्यकरण

[हिन्दी]

4262. **श्री एम० एस० पाल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम के कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) नेशनल काउन्सिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष और महानिदेशक डा० एच० सी० विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की कार्य-प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। समिति ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन दिनांक 30 अप्रैल, 1986 को और अन्तिम प्रतिवेदन मार्च, 1988 में प्रस्तुत किया।

(ग) समिति द्वारा सुझाई गई अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी गई हैं जबकि उनमें से कुछ को सतत आधार पर लागू किया जाना है।

दक्षिणी क्षेत्र में कंटेनर डिपो

4263. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में और अधिक कंटेनर डिपो स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी हां। हैदराबाद में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने की मांग है। दक्षिण भारत में हैदराबाद में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो के प्रारंभिक चरण के विकास का कार्य भारतीय कंटेनर निगम द्वारा किया जा रहा है। आशा की जाती है कि यह अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

औद्योगिक उत्पादन

[अनुवाद]

4264. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत पांच वर्षों के दौरान मूल और मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है और यदि हां, तो कितना और इस उत्पादन वृद्धि में कौन-कौन से कारक सहायक हुए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान खनन, विनिर्माण विद्युत तथा विनिर्माणकारी क्षेत्र के भीतर समस्त 17 उद्योग समूहों में विकास की औसत दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

सातवीं योजना में लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन, बेहतर उन्नयन प्रयासों, प्रोत्साहनों एवं राज-सहायता का प्रबन्ध, लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए रियायती वित्त की व्यवस्था तथा विद्युत एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में मूल संरचना निष्पादन में लगातार सुधारों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से उच्च विकास दर देखी गई । अन्य कारक जिनसे औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है उनमें ब्रॉड-बेंडिंग, परि-चालन के न्यूनतम पैमाने के संदर्भ में क्षमता का पुन: पृष्ठांकन तथा परिचालन के न्यूनतम पैमाना लागू शामिल हैं, जिन्होंने उद्योग को अधिक प्रतियोगी तथा सक्षम बनने के लिए प्रोत्साहित किया ।

विवरण

दो अंक स्तर संकेत	उद्योग	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में महत्व	विकास दरें 1985-90 औसत
1	2	3	4
	निम्नलिखित का विनिर्माण		
20-21.	खाद्य उत्पाद	5.3	4.7
22.	बेवरेजिज, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	1.6	—1.0
23.	सूती कपड़ा	12.3	1.8
25.	पटसन, सन तथा मेस्टा उत्पाद	2.00	—0.3
26.	कपड़ा उत्पाद जूतों के अलावा पहनने वाले परिधान	0.8	11.8
27.	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	0.5	—2.5
28.	कागज तथा कागज उत्पाद एवं छपाई उद्योग	3.2	6.7
29.	मरम्मत को छोड़कर चमड़ा तथा फर उत्पाद	0.5	6.5
30.	रबर, प्लास्टिक्स, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद	4.0	3.5

1	2	3	4
31.	पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद को छोड़कर रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	12.5	11.7
32.	गैर-धात्विक खनिज उत्पाद	3.0	6.7
33.	मूल धातु एवं मिश्र धातु उत्पाद	9.8	6.1
34.	मशीनरी एवं परिवहन उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पाद एवं हिस्से-पुर्जे	2.3	6.3
35.	इलैक्ट्रिक मशीनरी को छोड़कर मशीनरी, मशीन औजार तथा हिस्से-पुर्जे	6.2	6.0
36.	इलैक्ट्रिकल मशीनरी उपकरण एवं यन्त्र	5.8	25.8
37.	परिवहन उपकरण एवं हिस्से-पुर्जे	6.4	6.5
38	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	0.9	23.0
	विनिर्माणकारी	77.1	10.5
	खनन एवं उत्खनन	11.5	5.7
	विद्युत	11.4	9.4
	सामान्य सूचकांक	100.0	8.5

कर्नाटक में पेट्रोल/डीजल पम्पों का आवंटन

4265. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में डीजल/पेट्रोल पम्प खोलने हेतु चुने गये स्थानों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो (श्रेणी वार) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शीघ्रतापूर्वक आवंटन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) कर्नाटक के विभिन्न जिलों में खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) के विकास के लिए 29 स्थानों को निदिष्ट किया गया है। प्रत्येक स्थान का जिलावार श्रेणी-वार विवरण और साथ ही उसकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) डीलरशिप के आबंटन से पूर्व उठाए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न कदमों को शीघ्र उठाने के लिए तेल कम्पनियों और तेल चयन बोर्डों से अनुरोध किया गया है।

विवरण

राज्य	स्थान	श्रेणी	स्थिति
बंगलौर	दोमलुर	एस० सी०	आशय-पत्र निर्गत
	बंगलौर	मंत्रालय का नामिती	आशय-पत्र निर्गत
	बंगलौर	वही	वही
	बंगलौर	ओ० पी०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
	बंगलौर	ओ० पी०	आशय पत्र निर्गत
	बंगलौर	डी० ई० एफ०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
	तुमकुर रोड	पी० एच०	विज्ञापन दिया जाना है।
	जिम्मीगोनी तुमकुर रोड	एस० सी०	आशय-पत्र निर्गत
	मगाडी	ओ० पी०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
	अट्टूगोडी	ओ० पी०	वही
	इन्दिरा नगर	यू० जी०	आशय पत्र निर्गत
बेलगाम	हुक्कीनत	एस० सी०	आशय पत्र निर्गत
चिकमंगलूर	शृंगेरी	पी० एच०	आशय पत्र निर्गत
गुलबर्गा	बेहरामपुर क्षेत्र और शाहु बाजार	एस० सी०	आशय पत्र निर्गत
	एम० एस० के मिल्स रोड	ओ० पी०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
	काडागंची	ओ० पी०	आशय पत्र निर्गत
हसन	हसन	पी० एच०	आशय पत्र वापस ले लिया गया।
कोडागू	मेरकारा	ओ० पी०	विज्ञापन दिया जाना
मैसूर	मलाई महादेश्वर हिल्स	मंत्रालय का नामिती	आशय पत्र निर्गत
	तेराकनाम्बी	मंत्रालय का नामिती	आशय पत्र निर्गत

रायपुर	मानवी	ओ० पी०	आशय पत्र निर्गत
	अमरेश्वर कैंप	एस० सी०	विज्ञापित किया जाना है।
साउथ कन्नार	मंगलूर-II	यू० जी०	आशय पत्र निर्गत
	कतपाडी	एस० मी०	आशय पत्र निर्गत
	उड्डेन	ओ० पी०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
	मंगलूर	ओ० पी०	आशय पत्र निर्गत
	मंगलूर	एस० सी०	आशय पत्र वापस ले लिया गया।
	उदीपी	एस० मी०	तेल चयन बोर्ड की सिफारिश प्रतीक्षित
तुमकुर	येदूयार	मंत्रालय का मामिमी	आशय पत्र निर्गत

केरल को औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता

4266. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना और सातवी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय योजना के राज्यवार व्यय के अनुमानों से संकेत मिलता है कि केरल में केन्द्रीय निवेश का प्रतिशत छठी योजनावधि में 2.33% से बढ़कर सातवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों (कुल) में 2.7% हो गया है। किसी राज्य राज्य को औद्योगीकरण की मुख्य जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। तथापि केंद्र सरकार केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कुछ प्रोत्साहन जैसे लाइसेंस देने में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि देकर उनके प्रयासों में मदद करती है। केरल मे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने वाले उद्यमी उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकसित की जाने वाली विकास केन्द्र योजना के अधीन केरल को 2 विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं जिनका पता लगा लिया गया हैं और घोषणा कर दी गयी है।

मध्य रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन

4267. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल मैनेजर, मध्य रेलवे, वी० टी० मुम्बई (बम्बई) के पास रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं के पेंशन के कुल कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) इनमें से ऐसे कितने आवेदन अक्तूबर, 1988 से लंबित हैं; और

(ग) इन आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है और इसकी समयबद्ध कार्य योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले के लिए मध्य प्रदेश को रायल्टी

4268. श्री लोकेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के लिए उड़ीसा को मध्य प्रदेश की तुलना में प्रति टन कितने रुपये रायल्टी दी जा रही है; और

(ख) क्या दरों में कोई अंतर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और मध्य प्रदेश को उड़ीसा के ही समान रायल्टी दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिनांक 13-2-1981 प्रभावी केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए निर्धारित की गई रायल्टी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

कोयले पर रायल्टी की दरें कोयले में ग्रेडों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं तथा उन राज्यों, जिनमें कोयले का उत्पादन किया गया है, के अनुसार परिवर्तित नहीं की जाती है ।

दिनांक 13-2-1981 से प्रभावी कोयले पर रायल्टी की दरें

विवरण

(1) ग्रुप-I कोयला :	
(क) कोककर कोयला इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशरी ग्रेड-I	केवल 7/- रु० प्रति टन
(ख) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	
(2) ग्रुप-II कोयला :	
(क) कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-III	
(ख) अर्ध-कोककर कोयला ग्रेड-I अर्ध-कोककर कोयला ग्रेड-II	केवल 6/- रु० तथा 50 पैसे प्रति टन
(ग) अ-कोककर कोयला ग्रेड-ए अ-कोककर कोयला ग्रेड-बी	
(घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में उत्पादित उच्च ग्रेड आर०ओ०एम० कोयला	
(3) ग्रुप III-कोयला :	
(क) कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-4	केवल 5.50 पैसे प्रति टन
(ख) अ-कोककर कोयला ग्रेड-सी	

(4) ग्रुप-4 कोयला :

अ-कोकर कोयला ग्रेड-डी अ-कोकर कोयला ग्रेड-ई	केवल 4.30 पैसे प्रति टन

(5) ग्रुप-5 कोयला :

अ-कोकर कोयला ग्रेड-एफ अ-कोकर कोयला ग्रेड-जी	केवल 2.50 रु० प्रति टन

(6) ग्रुप-6 कोयला :

आंध्र प्रदेश की (सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०) द्वारा उत्पादित कोयला	केवल 5 रु० प्रति टन

टिप्पणी —इस मद के प्रयोजन के लिए कोयले के प्रत्येक ऐसे ग्रेड का विनिर्दिष्टीकरण कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 1945 की धारा 3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

चार्टर्ड एकाउण्टेंट की परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

4269. श्री रामजी लाल सुमन : क्या उद्योग मन्त्री चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री के बारे में 24 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की परीक्षाओं के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि छात्रों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अध्ययन सामग्री एक साथ उपलब्ध कराई जाए;

(घ) क्या यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स की इण्टरमीडिएट तथा अन्तिम परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को हिन्दी में प्रश्न उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी अध्ययन सामग्री तथा प्रश्न पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना नया अध्ययन पाठ्यक्रम लागू किए जाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) भारतीय सनद प्राप्त लेखापाल संस्थान ने सनद प्राप्त लेखापाल की परीक्षाओं के अध्ययन पाठ्यक्रम में संशोधन के एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है।

(ख) संशोधित अध्ययन पाठ्यक्रम को लागू करने की तारीख, जब कभी अनुमोदित होगी, भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम

[हिन्दी]

4270. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवहन पर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम संसद में लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह अधिनियम संसद में कब तक लाया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार और उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष उपाय और प्रोत्साहन

[अनुवाद]

4271. **श्री बलवन्त मनवर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालयों ने पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष उपाय करने और प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना करने वाले उद्यमी लाइसेंस में प्राथमिकता, रियायती वित्त आदि जैसे प्रोत्साहन पाने के पात्र है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के औद्योगिक एकक परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत कच्चे माल व तैयार वस्तुओं की ढुलाई के लिए 30 मार्च, 1990 तक परिवहन राजसहायता पाने के भी पात्र थे। इस योजना का विस्तार करना सिद्धांत रूप में मान लिया गया है। इसके अलावा, विकास केन्द्र योजना, जिनका आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान विकास किए जाने का प्रस्ताव है, के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए विकास केन्द्र आबंटित किए गए।

कलाइकुण्डा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर माल चढ़ाने/उतारने की सुविधाएं

4272. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के कलाइकुण्डा रेलवे स्टेशन पर सीमेंट उतारने/चढ़ाने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) सीमेंट उतारने की उपयुक्त सुविधाएं देने हेतु कलाइकुण्डा रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन पर सीमेंट की उतराई के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध हैं। 39 बॉक्स माल-डिब्बों को खड़े करने की क्षमता तथा 244 मीटर लम्बे प्लेटफार्म वाली साइडिंग पहले ही उपलब्ध है। तथापि, बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म को 122 मी० और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

बीना स्टेशन पर लोको शेड को बंद करना

[हिन्दी]

4273. श्री राघवजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजनों का प्रयोग बन्द कर देने के कारण मध्य प्रदेश स्थित बीना रेलवे स्टेशन के लोको शेड में कार्य कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लोको शेड के सभी उपकरणों, भवन और कर्मचारियों आदि का वैकल्पिक उपयोग करने के बारे में कोई योजना बनाई जा रही है ताकि बीना कस्बे से अधिक संख्या में लोगों के जाने को रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बीना में सवारी एवं माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कुछ कर्मचारी समाहित हो जाने की संभावना है। बहरहाल, ट्रेन मार्गों का उत्तरोत्तर डीजलीकरण/विद्युतीकरण किए जाने तथा माल गाड़ियों को "एक छोर से दूसरे छोर" तक चलाए जाने के कारण बीना रेल इंजन बदलने का स्थल नहीं रह गया है और इस प्रकार यहां रेल इंजनों अथवा सवारी एवं माल डिब्बा अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाओं का विकास नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के अलावा कोई और अन्य रेल परियोजना बीना में स्थापित नहीं की जा सकती है। अतः कुछ मशीन तथा संयंत्र और अपरिहार्य रूप से कम से कम संख्या में कर्मचारियों का अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरण समग्र हित में करना ही पड़ता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों पर से नियंत्रण हटाना

[अनुवाद]

4274. श्रीमती टी० मनेम्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अगस्त, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में टोटल डिकंट्रोल आफ ड्रग्स रूल्ड आउट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 26 औषधों में से कुछ औषधों को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाने से केलकर समिति द्वारा निर्धारित मानदंड पूरे नहीं होते हैं; और

(ग) क्या स्थायी समिति अथवा उत्पादन संबंधी समिति ने इन औषधों को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत शामिल करने की सिफारिश की थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सरकार ने 14-8-1990 को "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) इन 26 औषधों को शामिल करने में केलकर समिति द्वारा निर्धारित कारोबार मानदंडों को विचार में लिया गया है।

(ग) स्थाई समिति एक स्थाई सलाहकार निकाय है और समय-समय पर इसके द्वारा किए गए विचार-विमर्श के ब्यौरे देना जन-हित में नहीं होगा।

गंगागंज बाटलिंग प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा

4275. **श्री केशरी लाल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगागंज (पंकी), कानपुर में एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई है; और

(ख) उक्त सभी व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) कानपुर में एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा जमीन का अधिग्रहण कानपुर विकास प्राधिकरण से किया गया था न कि सीधे निजी जमीन मालिकों से। इस जमीन का अधिग्रहण करते समय भू-वंचितों को रोजगार देने का कोई वचन नहीं दिया गया था।

सलाया मथुरा पाइप लाइन की लीकेज

427.. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सलाया मथुरा कच्चे तेल की पाइप लाइन कई बार टूटी/लीक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक बार कितनी हानि हुई है;

(ग) इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया गया है तथा क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसे लीकेज को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त घटना के कारण कच्चा तेल किसानों की भूमि पर फैल गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक किसान को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(च) यदि अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। सलाया-मथुरा पाइपलाइन में जंग लगने और चोरी करने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान रिसाव

की पांच घटनाएं हुई हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	घटनाओं की किस्म और तारीख	क्षति (रुपये)	स्थान (बाड़ीनार से)
1.	चोरी करने दिनांक 30-5-1988	हानि नहीं	46.0 कि०मि०
2.	चोरी करने दिनांक 24-8-88	10,57,103	172.5 कि०मि०
3.	जंग लगने के कारण रिसाव दिनांक 25-9-88	2,55,744	25.5 कि०मि०
4.	जंग लगने के कारण रिसाव दिनांक 9-8-89	52,818	146.2 कि०मि०
5.	जंग लगने के कारण रिसाव दिनांक 17-9-89	1,07,680	24.05 कि०मि०

(ग) चोरी की घटनाओं के मामले में राज्य प्राधिकारियों (पुलिस विभाग सहित) के साथ संपर्क किया गया है कि वे इसकी जांच करें और भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें। जंग लगने के कारण हुए रिसाव के मामलों में पाइप लाइन के उस खंड पर लेप चढ़ाकर और पट्टी लगाकर उसकी मरम्मत की गई है और बदलकर नए लगाए गए तथा ऐसे रिसाव को रोकने के लिए कैथोडिक सुरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) किसानों को मुआवजा इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि कच्चे तेल के रिसाव से फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची थी।

औषधि (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1979 का पैरा 7 (2)

4277. श्री ओ० एस० बासवराज :

श्री बसन्त साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1979 का पैरा 7(2) आयातित और स्वदेशी दोनों तरह की बल्क औषधों पर लागू है यदि हां, तो वसूली के मामले में कुछ औषधों का चयन करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या औषधि (मूल्य) नियन्त्रण आदेश, 1979 का पैरा 7(2) सरकारी और गैर सरकारी सभी कम्पनियों पर लागू होता है, यदि हां तो क्या सभी कम्पनियों को वसूली के नोटिस जारी किए गए थे;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक उत्पाद के संबंध में कितनी धनराशि बकाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। यद्यपि डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के उपबन्धों द्वारा प्रथम दृष्टि में प्रभावित अनेक प्रपुंज औषधों के संबंध में नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं लेकिन केवल उन औषधों के बारे में अब तक वसूलियों की गणना करना संभव हुआ है जिनके संबंध में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं। शेष मामलों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) पैरा 7(2) उन सभी कंपनियों पर लागू था जो डी० पी० सी० ओ, 1979 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण के दायरे में आते हैं।

(ग) से (ङ) जानकारी जो भी उपलब्ध होगी एकत्र की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधों सम्बन्धी व्यापार अन्तर की पुनरीक्षा

4278. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** :

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों संबंधी व्यापार अंतर की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं;

(ग) क्या थोक बिक्री व्यापार अन्तर को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) व्यापार लाभ पर नेशनल कौन्सिल आफ अप्लाइड एण्ड इकानामिक रिसर्च (एन० सी० ए० ई० आर०) द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) डी० पी० सी० ओ०, 1987 में यथाविनिर्दिष्ट वर्तमान व्यापार लाभ इस उद्देश्य के लिए डा० विजय केलकर, अध्यक्ष बी० आई० सी० पी०, की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशों पर आधारित है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में खान धसने की दुर्घटनायें

4279. **श्री राम दास सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जनवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान खानों के धंसने की, जान लेवा सहित, कितनी दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोला लि० में धंसाव के कारण कोई दुर्घटनाएं नहीं हुई।

इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4280. **श्री कृपाल सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के कितने कर्मचारियों को दिल्ली से अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया;

(ख) क्या स्थानातरित करते समय पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने संबंधी सरकार के आदेश को ध्यान में रखा गया है;

(ग) क्या सरकार को गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के ऐसे कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1 जुलाई, 1988 से 31 जुलाई, 1990 के बीच इंडियन एयरलाइन्स के 158 कर्मचारियों का दिल्ली से अन्य क्षेत्रों/स्टेशनों को स्थानांतरण किया गया।

(ख) जी, हां। रिक्तियों के उपलब्ध होने पर।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स को स्थानातरित कर्मचारियों से तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि एक अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था, अन्य दो अनुरोधों को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि तैनाती के स्थान पर रिक्त पद उपलब्ध नहीं था और प्रशासनिक कारणों की वजह से भी एसा किया गया था।

नई दिल्ली तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर सफाई

4281. **श्री हरा अम्बारामु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आवधिक सफाई न किए जाने के कारण गन्दगी फैली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नई दिल्ली तथा विशेष रूप से महानगरों के स्टेशनों पर पर्याप्त सफाई बनाए रखने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, रेलों द्वारा स्टेशन परिसरों में सफाई के स्तर में सुधार तथा उसे बनाये रखने की ओर निरन्तर ध्यान दिया जाता है। बड़े स्टेशनों पर चौबीसों घंटे सफाई की जाती है। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक मंडल में सबसे अधिक साफ-सुथरे स्टेशनों को वार्षिक पुरस्कार देने की योजना भी प्रचलित है।

केरल में परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना

4282. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केरल में परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों तथा विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता पारम्परिक और गैर० पारम्परिक दोनों प्रकार के उद्योगों के लिये दी जाती है। केरल में परम्परागत उद्योगों के संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

—पिछले कुछ वर्षों से केरल में परम्परागत उद्योगों के संवर्धन हेतु धन के वितरण में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1989 में वितरित की गयी अनुदान की राशि 207 लाख रुपये और ऋणों की रकम 436 लाख रुपये थी।

—जिन परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है उनमें प्रमुखतया मलमल खादी, रेशा उद्योग।

—शहद उत्पादन-मधुमक्खी पालन उद्योग, कुटीर माचिस उद्योग, फल और सब्जी प्रसंस्करण आदि उल्लेखनीय है।

—डिजाइन विकास केन्द्र, श्री कार्यम् में रेशा उपयोगी सामान उत्पादन में अनुसंधान और विकास कार्यों के माध्यम से नये डिजाइनों का विकास/खादी के ग्रामोद्योग आयोग के रेशा डिजाइन-सह-विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम ने मूंज घास से एक नयी वस्तु पाइस कार्पेट का उत्पादन किया है।

—कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादों के विपणन में सहायता।

—परम्परागत उद्योगों में लगे उद्यमियों/कामगारों को प्रशिक्षण की सुविधाएं।

कलकत्ता/हावड़ा आने वाली यात्री गाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई

4283. श्री अमल दत्त : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हावड़ा जाने वाली उपनगरीय यात्री गाड़ियों में बड़ी मात्रा में माल विशेष रूप से चावल की बोरियों की ढुलाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त माल की इस आवाजाही के मूल स्रोत और इन यात्री गाड़ियों द्वारा इसकी ढुलाई किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ग) यात्री गाड़ियों द्वारा इस माल की ढुलाई करने की अनुमति दिये जाने के लिए रेल कर्मचारी किस सीमा तक उत्तरदायी हैं; और

(घ) सरकार ने विगत समय में इस सम्बन्ध में यदि कोई कदम उठाया है, तो क्या; और इन उपनगरीय यात्री गाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई में कमी करने अथवा इसे बन्द करने के लिए भविष्य में उसका क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रेलवे जांच कर्मचारियों द्वारा कुछ मामले पकड़े गये हैं।

(ख) जो यात्री सामान ले जाते हैं वे अधिकांशत: छोटे व्यापारी हैं। रेलों द्वारा चावल की बोरियां बुक नहीं की जाती है।

(ग) रेल कर्मचारियों का सम्मिलित होना नोटिस में नहीं आया है। तथापि, सतर्क न पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) (i) इस प्रकार के संचलन को रोकथाम करने के लिए चावल के लदान वाले स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल तथा चल टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।

(ii) इस बुराई को रोकने के लिये राजकीय रेलवे पुलिस तथा सिविल पुलिस की मदद से जांच भी की जाती हैं।

हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बिहिया में "हाल्ट"

[हिन्दी]

4284. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बिहार में बिहिया स्टेशन पर "हाल्ट" का प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

सीमेंट संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

4285. **श्री के० एस० राव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद द्वारा जिन सीमेंट संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमेंट संयंत्र के कितने इंजीनियरों/वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) "स्ट्रैंथनिंग एन० सी० बी० केपेबिलिटीज इन प्रोडक्टिविटी एनहॉन्समेंट ऑफ सीमेंट इण्डस्ट्री" नामक यू० एन० डी० पी० की परियोजना का उद्देश्य संस्था निर्माण है तथा इसका मकसद प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों के सम्बद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् (एन० सी० बी०) की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है। अत:, इस परियोजना के तहत एन० सी० बी० द्वारा अलग-अलग सीमेंट संयंत्र को आधुनिक बनाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आधुनिकीकरण सहित उत्पादकता में सुधार करने के लिए 24 विदेशी विशेषज्ञों के दौरों के माध्यम से 55 सीमेंट संयंत्रों को प्रौद्योगिकीय सहायता दी गयी है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत विदेश में प्रशिक्षण के लिए सीमेंट से चार नामांकनों में से केवल एक अधिकारी ने प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ उठाया है और शेष तीन अधिकारियों को

सीमेंट संयंत्रों ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए नहीं छोड़ा जबकि यूनिडो/यू० एन० डी० पी० ने उनके लिए प्रशिक्षण निश्चित किया था।

(ग) पिछले वर्षों में भारतीय सीमेंट उद्योग की कुल उत्पादकता में सुधार हुआ है जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है—

	की स्थिति के अनुसार	
	1984-85*	1988-89
(1) क्षमता उपयोग	77%	79.5%
(2) औसत उष्मा खपत (के सी० ए० एल/के० जी० सी० एल०)	1195	1000**
(3) औसत बिजली की खपत (के० डब्ल्यू० एच/मी० टन सीमेंट)	130	124**

*परियोजना 1 अक्तूबर, 1985 को शुरू हुई।

**डी० सी० सी० आई० के माध्यम से 80 संयंत्रों के ऊर्जा आंकड़ों पर आधारित।

बी० सी० सी० एल० से डाक्टरों का स्थानान्तरण

4286. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० के अधीन लोयाबाद अस्पताल में काम करने वाले डाक्टरों के नाम क्या हैं और वे यहां कब से कार्यरत हैं;

(ख) क्या गत 6 महीनों में वहां भ्रष्टाचार होने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या "बी० सी० सी० एल०" के अन्तर्गत एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में डाक्टरों को स्थानान्तरित करने की कोई प्रणाली है और यदि हां, और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या बी० यू० एल० से सेन्ट्रल हास्पिटल में आपातकालीन वार्ड और बहिरंग रोगी विभाग है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बी० सी० सी० एल० के मेडिकल डिवीजन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० के लोयाबद स्थित अस्पताल में नियुक्त चिकित्सकों के नाम तथा उनकी नियुक्ति किए जाने की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विगत छः महीनों के दौरान तीन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही करने तथा नकारात्मक आचरण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत करने वालों में से एक ने बाद में इस तरह की कोई शिकायत किए जाने से इंकार कर दिया।

(ग) उपयुक्त रूप में स्थानापन्न व्यक्ति उपलब्ध होने पर चिकित्सकों को सामान्यतः प्रत्येक पांच से छः साल के पश्चात् स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) भा० को० को० लि० के केन्द्रीय अस्पताल में आबजरवेशन-बेड तथा नियमित बाह्य रोगी विभाग सहित एक आपातकालीन विभाग दिन-रात कार्यरत है। अस्पताल में आपातकालीन वार्ड के रूप में अलग से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किन्तु आपातकालीन मामले को सम्बद्ध आंतरिक बिस्तरों की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे ही प्रवेश दे दिया जाता है। अस्पताल के विस्तार कार्यक्रम में विद्यमान बाह्य रोगी विभाग में दो ब्लाकों के साथ आपातकालीन वार्ड का निर्माण किए जाने की योजना बना ली गई है।

विवरण

नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1. डा० आर० एल० प्रसाद, चिकित्सा अधीक्षक	30-9-1987
2. डा० ए० के० साहू, वरि०, फिजीशियन	12-7-1985
3. डा० (श्रीमती) पी० करन, विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	27-11-1985
4. डा० बी० बी० प्रताप, वरि० विशेषज्ञ (एनिस्थीसिया)	27-11-1985
5. डा० आर० सी० मिश्रा, विशेषज्ञ (चक्षु)	19-10-1984
6. डा० एन० के० सिंह, वरि० विशेषज्ञ	30-8-1982
7. डा० पी० एल० सचदेव, विशेषज्ञ (बाल चिकित्सा)	1-9-1986
8. डा० एस० एल० दास, वरि० चिकि० अधिकारी (दन्त रोग)	28-1-1987
9. डा० (श्रीमती) के० चावला, विशे० (बाल चिकित्सा)	02-1-1987
10. डा० संबाल डे पुरकास्थया, चिकित्सा अधिकारी	11-3-1988
11. डा० (श्रीमती) एस० मुखर्जी, वरि० विशे० (रोग विज्ञान)	20-5-1988
12. डा० (श्रीमती) मंजुला सिंह, चिकित्सा अधिकारी	17-6-1988
13. डा० विजय कुमार सिन्हा, चिकित्सा अधिकारी	17-6-1988
14. डा० जे० एल० माथुर, उप चिकित्सा अधीक्षक	20-7-1988
15. डा० एस० शाह, उप चिकित्सा अधीक्षक	22-7-1988
16. डा० (श्रीमती) वीना सहाय, उप चिकित्सा अधीक्षक	20-7-1988
17. डा० सुवर्तो मुखर्जी, विशेषज्ञ (सरजरी)	27-1-1989
18. श्री राजेन्द्र प्रसाद, जे० ई० टी (फार्मा०)	08-5-1989
19. डा० यू० के० पांडे, एम० एस० (सर्जन)	22-6-1989
20. डा० (श्रीमती) मनीन टिग्गा, विशे० (ओ एंड जी)	22-9-1989
21. डा० तपन ज्योति मजूमदार, चिकित्सा अधिकारी	08-9-1989
22. डा० अशोक कुमार सिन्हा, वरि० चिकित्सा अधि०	06-11-1989
23. डा० उत्तम कुमार बगारिया, चि० अधि० (आर्थो)	12-2-1990
24. डा० वीरेन्द्र प्रसाद, चि० अधि० (चर्म तथा वी० डी०)	06-4-1990
25. डा० सुभाशिष दास, चि० अधि० (आर्थो)	11-5-1990

मद्रास को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

4287. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मद्रास को प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

4288. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने अपने विभिन्न संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से धन की मांग की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारी पूंजी निवेश किये जाने के बावजूद ओबरा और कानपुर स्थित ताप बिजलीघर अपेक्षित बिजली का भार वहन नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) ओबरा, पनकी और हरदुआगंज स्थित विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 183.30 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक स्कीम स्वीकृत की गई है। इसमें से केन्द्रीय ऋण सहायता 100.39 करोड़ रु० होगी। इसके अलावा, 186.30 करोड़ रु० की कुल लागत पर इन विद्युत केन्द्रों के अनुवर्ती नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया गया है जिनका कार्यान्वयन आठवीं योजना के दौरान किया जाएगा। 8वीं योजना के दौरान व्यय के लिए वित्त व्यवस्था, विद्युत वित्त निगम द्वारा किए जाने की संभावना है।

जबकि ओबरा ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 1981-84 के दौरान 39.5% के औसत से बढ़कर 1986-90 के दौरान 50.3% के औसत के बराबर हो गया है, पनकी (कानपुर) केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 1981-84 के दौरान 49% के औसत की अपेक्षा कम होकर 1986-90 के दौरान 43.4% के औसत के बराबर हो गया है। पनकी केन्द्र के अपेक्षाकृत असंतोषजनक कार्य-निष्पादन का कारण, दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप यूनिटों की जबरन बंदी होना है।

इंडियन एयरलाइन्स/एअर इण्डिया में यातायात अधिकारियों की भर्ती

4289. श्री माणिक सान्याल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया में 1 जुलाई, 1988 से 1 जनवरी, 1990 की अवधि में, माह-वार, सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में यातायात अधिकारियों की पदोन्नति, चयन, सीधे भर्ती का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : 1-7-88 से 1-1-90 की अवधि में, इंडियन एयरलाइन्स में नियुक्ति किये गये यातायात अधिकारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

संगठन में ही किया गया चयन	पदोन्नति	सीधी भर्ती
2. अनु० जाति 1 अनु० जनजाति (जनवरी, 1989 में)	2 अनु० जाति 1 अनु० जनजाति (अगस्त, 1989 में)	2(सामान्य) (मई-89)
1. अनु० जाति (मई, 1989 में)		1 अनु० जाति* (मई, 1989 में)
3. अनु० जाति 2 अनु० जनजाति (जनवरी, 1990 में)		3 अनु० जाति* (अक्तूबर, 1989 में)

*प्रबन्ध प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया और उसके बाद यातायात अधिकारियों में रूप में खपा लिया गया।

एअर इंडिया में यातायात अधिकारी की कोई श्रेणी नहीं है।

पुरायर (एर्नाकुलम) में उपरिपुल

4290. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन् : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एर्नाकुलम् जिले में चोवारा के निकट पुरायर में एक उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) इस सुविधा के लिए, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति सहित रेलों को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीलरों द्वारा परेशान करना

4291. श्री युसुफ बेग : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "इंडेन" रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीलरों द्वारा परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में इण्डेन के ग्राहकों से उन्हें अनेक डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा तंग किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(ग) संबंधित अधिकारियों के यहां दर्ज ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

भावनगर डिवीजन में यात्री सुविधाएं एवं रेल लाइनें

4292. **श्री शशिभाई जामोद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और भावनगर जिले के अन्य संगठन भावनगर-पारापुर बड़ी लाइन के निर्माण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान अभ्यावेदनदेते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपर्युक्त बड़ी लाइन कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 150 कि०मी० लम्बी बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यह पता चला था कि यातायात की संभावनाएं कम हैं इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एयर बस-320 के जांच कार्य के दौरान यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय

4293. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर में एयर बस ए-320 की दुर्घटना की जांच कार्य पर सरकार ने यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता और अन्य खर्चों के रूप में कितनी राशि व्यय की ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : कर्मचारियों के वेतन कार्यालय खर्चे, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि से संबंधित खर्च करने के लिए जांच अदालत के पास आज की तारीख तक 4 लाख रुपए की राशि रख दी गई है। जांच अदालत ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

एयर इंडिया द्वारा "लोगो" बदलने पर हुआ खर्च

[हिन्दी]

4294. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इण्डिया द्वारा विमानों पर लगे "प्रतीक" (लोगो) को बदलने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा प्रत्येक विमान पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस "प्रतीक" को बदलने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1990 तक एयर इंडिया के विमान पर किया गया कुल खर्च 2.90 करोड़ रुपये था। एअर इण्डिया एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स है और उन अन्य विमान कम्पनियों से जिनके पास अधिक आधुनिक और नये विमान हैं, कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने हेतु पुराने केबिन उपस्करों का बदलाव और जहां भी जरूरी हो कलर योजना में परिवर्तन इत्यादि करना उसके लिए आवश्यक था ताकि एयरलाइन की अच्छी छवि प्रस्तुत की जा सके और अधिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सके।

अहमदाबाद में बोइंग 733 की दुर्घटना

[अनुवाद]

4295. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1990 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "सेन्टर फाल्टेड फार आई० ए० क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसमें उल्लिखित प्रत्येक विषय पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिसके प्रति सरकार की कोई प्रतिक्रिया हो।

एयर इंडिया जम्बो जेटों की मरम्मत करने में अनियमितताएं

4296. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1990 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "रजिगनेशन ऑफ जेटली एन आई वाश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें की गई अनियमितताओं की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) समाचार में एयर इंडिया के प्रबन्धक वर्ग के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

के० एल० एम० रायल डच एयरलाइन्स की उड़ानें

4297. श्री एन० डेनिस : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० एल० एम० रायल डच एयरलाइन्स ने भारत सरकार से उसे रियायती दरों पर बड़ी-बड़ी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) नीदरलैंड सरकार ने सप्ताह में तीन पारगमन सेवाओं की बजाए दिल्ली के लिए दो "टर्न अराउण्ड फ्रीक्वेंसी" प्रचालित करने की अनुमति मांगी थी। भारत सरकार ने के० एल० एम० और एयर इंडिया के बीच उपयुक्त वाणिज्यिक करार के आधार पर उनके अनुरोध पर विचार करना स्वीकार कर लिया था।

ईस्टर्न कोल लिमिटेड में कोयले का गोलमाल

[हिन्दी]

4298. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1990 के दैनिक "आवाज" में "ई०सी० एल० में 32 टन कोयले का गोलमाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में खबर में यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1989-90 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई० को० लि०) की 28 खानों में कोयले की 32 लाख टन की कमी पाई गई है। इसमें वर्ष 198 -89 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयले की 40 लाख टन की कमी का भी उल्लेख किया गया है। कोल इण्डिया लि० (को० ई० लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 5% की स्वीकार्य सीमा से अधिक कोयले की निम्नलिखित रूप में पाई गई है।

(लाख टन में)

1987-88 (1-4-88 की स्थिति के अनुसार)	1988-89 (1-4-89 की स्थिति के अनुसार)	1989-90 (1-4-90 की स्थिति के अनुसार)
0.44	7.81	22.86

इसके अलावा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने कोयले के 13.75 लाख टन के स्टाक को गैर-बिक्री योग्य घोषित कर दिया है। कोल इंडिया लि० ने 11 खानों के कोयले की कमी की जांच करने के लिए एक विशेष उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी है। बकाया खानों के मामले में सम्बद्ध क्षेत्रों के महा प्रबंधकों को प्रारम्भिक जांच रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने का जांच कार्य प्रगति पर है। इस मामले में आगे की कारंवाई जांच रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद की जाएगी।

(ग) कोयला कम्पनियों को अपने कोयले के खान मुहाना स्टाकों को सीमित रखने का परामर्श दिया गया है। उक्त स्टाकों की सम्बद्ध प्रबन्धक/एजेंट द्वारा जांच की जा रही है। कोल इंडिया लि० स्टाकों का वास्तविक सत्यापन करने के लिये स्टाक सत्यापन दल भी भेजता है। कुछ मामलों में प्राप्त उच्च स्तरीय कोयले की कमी संबंधी रिपोर्टों को देखते हुए कोल इंडिया स्टाकों की नाप-जोख की आवृत्ति में वृद्धि किये जाने पर विचार कर रहा है।

दिल्ली/नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों का आवंटन

[अनुवाद]

4299. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के जल आपूर्ति विभाग को टाइप-वार और क्षेत्र-वार कितने क्वार्टर आबंटित किये गये, तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) इन क्वार्टरों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये;

(ग) क्या टाइप-iv के क्वार्टरों के आबंटन में अनियमितताएं बरती गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या जल आपूर्ति विभाग द्वारा इन क्वार्टरों का आबंटन करने के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन क्वार्टरों का आबंटन वरीयता के अनुसार किया जा रहा है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 25 अदद। ब्योरा नीचे दिया गया है –

टाइप-I क्वार्टर

पंजाबी बाग	—	3
दिल्ली	—	1
पहाड़गंज	—	1
दिल्ली किशनगंज	—	16
	जोड़	21

टाइप-II क्वार्टर

रामनगर	—	3
सब्जीमंडी	—	1
	जोड़	4

(ख) और (ङ) सेवा में वरिष्ठता के आधार पर आबंटन किया जाता है।

(ग) और (घ) जल आपूर्ति विभाग के पूल में टाइप-IV का कोई क्वार्टर नहीं है।

एअर इंडिया, मुम्बई के सामान-यान में सोना पकड़ा जाना

[हिन्दी]

4300. प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1990 में सहारा विमानपत्तन, मुम्बई में एअर इंडिया के विमान के सामान-यान में रखे गए टूल बाक्सों में 1.61 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया के दोषी पाए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में एअर इण्डिया के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।

बल्क औषधों के मूल्य

[अनुवाद]

4301. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो गैर बल्क औषध उत्पादकों के लिए भी उनके फार्मूलेशन के लिए बल्क औषधों के अधिसूचित मूल्य जमा 8 प्रतिशत की प्रणाली अपना रहा है;

(ख) क्या इससे तैयार औषधियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधियों का मूल्य निर्धारण बल्क औषधों के खरीद मूल्य पर आधारित करना है; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) सूत्रयोग का मूल्य निर्धारित करते समय या तो प्रपुंज औषध का अधिसूचित मूल्य या क्रय मूल्य, जो भी कम हो, पर विचार किया जाता है। बिक्री कर, चुंगी और परिवहन लागतों आदि को पूरा करने के लिए उस पर 8 प्रतिशत अनुदेशीय प्रभार की केवल तभी अनुमति दी जाती है जब सूत्रयोग लोडर वैक हो या सूत्रयोग में अन्तर्ग्रस्त प्रपुंज औषध का निर्माण इसमें सूत्रयोग निर्माता द्वारा नहीं किया जाता हो।

पवन हंस लिमिटेड के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

4302. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में हैलीकाप्टर सेवायें पुन: आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मामूली

वित्तीय अनियमितता के सोलह मामले जिनमें पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारी अन्तग्रंस्त पाए गए हैं, कम्पनी के ध्यान में आए हैं। कम्पनी के नियमों और विनियमों के अनुसार कारंवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) वेस्टलैंड हैलिकाप्टरों को जिन्हें 21-12-89 से उनके परिचालनात्मक और सुरक्षा पहलुओं के कारण ग्राउंड किया गया था, हुसैनी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार और नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधीन प्रतिबंधित शर्तों के अंतर्गत उड़ने की अनुमति दे दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों/महाप्रबन्धकों के विरुद्ध जांच

[हिन्दी]

4303. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों और प्रबन्ध बोर्ड के अन्य सदस्यों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में गबन और हेराफेरी में पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और इस राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में छः जांच की जा रही/की गई हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 5 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं। इनमें से एक मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभियोजित किया जा रहा है, 3 मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा रही/की गई है जबकि एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया है।

(ग) उपर्युक्त में गबन का कोई मामला नहीं है।

प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति

4304. **श्री हरीश रावत :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में पिछले सात महीनों में केवल कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे उपक्रम कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन उपक्रमों में प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्त करने के लिए कोई समय सूची निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस समय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और पवन हंस लिमिटेड में कार्यकारी प्रबंध निदेशक हैं। एयर

इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और पवन हंस लिमिटेड में क्रमश: 18-7-90, 17-2-90 और 1-8-90 को प्रबन्ध निदेशक के पद खाली हुए थे।

(ग) और (घ) उच्च स्तर के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। जबकि पवन हंस लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के आदेश की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि अन्य दो उच्च स्तर के पदों को लम्बी अवधि के लिए रिक्त न रखा जाए।

मध्य प्रदेश में कोरबा में दीपिका परियोजना

4305. श्री ए० लरंग साय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुआवजे का भुगतान करने के बाद भी दीपिका परियोजना का खनन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह खनन कार्य उत्पादन हेतु कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने में ग्रामीणों के अवरोधों के कारण दीपिका परियोजना के खनन क्रियाकलापों को परियोजना रिपोर्ट में वर्णित अनुसार मूल स्थान पर शुरू नहीं किया जा सका। किन्तु खनन उपकरण को गेवरा पट्टेदारी से स्थानान्तरित किए गए क्षेत्र में दीपिका खान के अंतिम पूर्वी भाग में स्थापित कर दिया गया है तथा कंपनी के उक्त क्षेत्र से कोयले के उत्पादन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

मनाली पेट्रो-रसायन परियोजना का विस्तार

[अनुवाद]

4306. श्री आर० जीवरत्नम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मनाली पेट्रो-रसायन परियोजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रत्येक परिवार के जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, एक सदस्य को रोजगार दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कितने परिवारों को अभी रोजगार दिया जाना शेष है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु में मनाली पेट्रो-रसायन परियोजना की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि० द्वारा परियोजना के लिए भूमि मेसर्स सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन से ली गई थी जिन्होंने इसे कोठारी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से प्राप्त किया था और निजी भू-स्वामियों से सीधे ही प्राप्त नहीं की गयी थी।

पश्चिम बंगाल के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की गवेषणा रिपोर्ट

4307. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए खुदाई के बारे में गवेषणा-रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत कर दी है क्योंकि उसने पश्चिम बंगाल में खुदाई कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस संबंध में नियमित स्थिति भेजी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में लघु उद्योग विद्युत एककों को संरक्षण

4308. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले :**

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अतिरेक सम्बन्धित लोड से अतिरेक लोड के लिए सरचार्ज लेवी हटाने हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लघु उद्योग विद्युत एककों के लिए मानकीय खपत की अवधारणा प्रारम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित लोड के आधार पर प्रभार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को लघु उद्योग विद्युत एककों के संरक्षणार्थ 100 किलोवाट की अनुमेय लोड सीमा निश्चित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के नियन्त्रण के अन्तर्गत लघु उद्योग विद्युत एककों की अपनी लागत से लो-टेंशन-मेक्सीमम-डिमांड-इन्डीकेटर मीटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान राजस्व और लघु उद्योग एककों के हित में एल० टी०—एम० डी० आई० मीटर स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच की है; और

(ङ) यह प्रस्तावित योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, लघु उद्योग विद्युत यूनिटों के लिए मानकीय खपत की अवधारणा सर्वप्रथम टैरिफ में वर्ष 1987-88 के लिए प्रारम्भ की गई थी। 100 कि० वा० के सम्बन्धित भार वाले औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को लघु उद्योग विद्युत उपभोक्ता की कोटि में रखा जाता है और ऐसे उपभोक्ताओं जिनका विद्युत भार 400 कि० वा० से अधिक होता है उनको बृहद उद्योग विद्युत कोटि के लिए लागू दरों पर भुगतान करना पड़ता है। लघु उद्योग विद्युत की कोटि के अन्तर्गत स्वीकृत भार सीमा से अधिक बढ़ने के फलस्वरूप लघु उद्योग विद्युत कोटि से बृहद उद्योग विद्युत कोटि में परिवर्तित होने

पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है। भार सीमा का अतिक्रमण कम किया जाए, इसके लिए ऐसे मामलों में पेनाल्टी लगाना आवश्यक होता है।

(ग) से (ङ) लघु उद्योग विद्युत की कोटि में मेक्सीमम डीमांड-इंडीकेटर मीटरों (एम० डी० आई०) की स्थापना करना ठीक नहीं पाया गया है, क्योंकि उनके मामले में बिलों की ऊर्जा की वास्तविक खपत के आधार पर तैयार किया जाना अपेक्षित होता है और लघु उद्योग विद्युत कोटि के उपभोक्ताओं के अतिरेक/अनधिकृत भार को निश्चित किए जाने का आधार मंजूर/अनुबन्धित भार होता है। इसके अतिरिक्त, डेसू द्वारा एम० डी० आई० मीटरों के आधार पर टैरिफ का प्रावधान करना रोक दिया गया है यहां तक कि हाई टेंशन सप्लाई/बृहद उद्योग विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में भी यह विधि स्थगित कर दी गई है।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4309. बाबा सुच्चा सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में श्रेणी एक, दो, तीन, और चार कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों आदि से सम्बन्धित कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है।

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से कम है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में इसके लिए निर्धारित कोटे के अनुसार बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 31-12-1989 को श्रेणीवार पदों की संख्या और अनुसूचित जाति आदि से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है : —

श्रेणी	पदों की संख्या (31-12-1989 की स्थिति के अनुसार)	अनुसूचित जाति आदि के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी-1	2325	188
श्रेणी-2	75	9
श्रेणी-3	54807	9431
श्रेणी-4	8123	1768

अनुसूचित जातियों आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों के बकाया (बैकलोग) को भरने के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था। तथापि इस विषय पर राज्य

सरकार के अनुदेशों के प्रतिकूल वैधानिक घोषणा किये जाने के कारण इस मामले में कार्य में प्रगति नहीं हुई है।

पार्सलों की बुकिंग में भ्रष्टाचार

4310. श्री नन्दलाल मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि पार्सलों की बुकिंग के मामले में रेल कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट गिरोह प्रेषक एजेंट और पोर्टर अपना धंधा चलाने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) बुकिंग तथा डिलीवरी के मामले में सामान और पार्सल कार्यालय/शेड के कार्यकरण पर नियंत्रण को सख्त करने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या डिलीवरी लेने की बजाय विलम्ब शुल्क देना अधिक पसन्द करते हैं इस प्रकार मूल्य में वृद्धि होती है क्योंकि विलम्ब शुल्क को मूल्यों में जोड़ दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने के लिए कौन-से कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए आरक्षित मदों की सूची

4311. श्री मान्धाता सिंह :

श्री बनवारीलाल पुरोहित :

श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु एवं कुटीर उद्योग की परिभाषायें क्या हैं;

(ख) लघु एवं कुटीर उद्योग में पृथक-पृथक रूप से और संयुक्त रूप से उत्पादन हेतु आरक्षित मदों अथवा केवल संबंधित उद्योग में उत्पादन के लिए मदों की सूची क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों की प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए इस समय क्या प्रोत्साहन सुविधायें और रियायतें दी जा रही हैं;

(घ) इस समय इन क्षेत्रों में कुल कितना निवेश होने का अनुमान है और कितने लोग नियोजित हैं;

(ङ) इन क्षेत्रों के कुल उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्या है और प्रति उद्योग उत्पादन कितना है;

(च) क्या इन क्षेत्रों को दैनिक उपयोग और आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में बड़े उद्योग से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) संसद में 31-5-1990 को पेश किये गये विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया था कि लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनों में किए जाने वाले निवेश की वर्तमान सीमा (जो 1985 में निश्चित की गई थी) 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी जाएगी और तदनुसार सहायक एककों की सीमा भी 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी जाएगी। अति लघु एककों की वर्तमान निवेश सीमा को भी 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा। जहां तक उनके स्थापना स्थल का सम्बन्ध है, 1981 की जनगणना के अनुसार 50,000 की जनसंख्या संबंधी सीमा लागू रहेगी। कुटीर उद्योगों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं है क्योंकि कुटीर उद्योगों के लिए निवेश की सीमा निर्धारित नहीं है।

(ख) इस समय केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए 836 मदें आरक्षित हैं। केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की कोई सूची अलग नहीं है।

(ग) लघु, ग्रामीण तथा कृषि आधारित उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक महत्व-पूर्ण शुरूआत के रूप में उद्योग मंत्रालय ने जनवरी, 1990 में लघु उद्योग एवं कृषि एवं ग्रामीण उद्योग नामक एक नये विभाग की स्थापना की है। यह नया विभाग लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु विद्यमान सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें संस्थानगत सहायता देना तथा रियायतें और राहतें देना जैसे कि उदार शर्तों पर वित्त प्रदान करना, उत्पादन शुल्क में रियायत देना, उत्पादन हेतु वस्तुओं के आरक्षण द्वारा उनके विपणन में सहायता करना और केवल लघु उद्योगों से ही खरीद के लिए वस्तुओं का आरक्षण करना, किराया खरीद के आधार पर मशीनें देना, तकनीकी परामर्श सेवाएं औद्योगिक स्थानों तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल हैं। लघु उद्योगों को संस्थानों से सरलतापूर्वक ऋण मिल सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1990 से एक अलग शीर्ष बैंक चालू किया गया है जिसका नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है।

(घ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

	उप क्षेत्र	1988-89 (लाख व्यक्ति)	1989-90 (लाख व्यक्ति) (पूर्वानुमानित)
1.	खादी	14.04	14.32
2.	ग्रामोद्योग	28.83	29.70
3.	हथकरघा	73.43	88.65
4.	रेशम उद्योग	58.50*	59.63*
5.	हस्तशिल्प	38.30	42.15
6.	कयर	5.54	5.54
7.	लघु उद्योग	113.00	119.60
8.	विद्युतकरघा	51.70	54.40

*कृषि कार्यों में कार्यरत श्रमिकों सहित।

विभिन्न ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों में अनुमानित निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान हुए उत्पादन के अनुमानित मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है :—

		1988-89 (चालू कीमतों पर) (करोड़ रु०)	1989-90 (चालू कीमतों पर) (करोड़ रु०)
1.	खादी (कपड़ा)	235.35	247.00
2.	ग्रामोद्योग	1443.39	1580.00
3.	हथकरघा (कपड़ा)	2773.06**	3324.00**
4.	रेशम उद्योग (कच्चा रेशम)	808.29	991.12
5.	हस्तशिल्प	8250.00	9750.00
6.	कयर (रेशा)	144.84	153.23
7.	लघु उद्योग	106400.00	118210.00*
8.	विद्युतकरघा (कपड़ा)	9130.30	9715.28

* 1988-89 की कीमतों पर

** 1984-85 की कीमतों पर

एफ० अन्नतिम

(च) ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र की उन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जिन क्षेत्रों में मदों का उत्पादन ग्रामीण तथा लघु उद्योग एवं बड़े उद्योग दोनों द्वारा किया जा रहा है।

(छ) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में मझोले/लघु एककों के प्रवेश/विस्तार को रोकने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति आरक्षण सम्बन्धी नीति के उल्लंघन के उन मामलों की जांच करती है, जो उसके ध्यान में लाये जाते हैं।

31-5-1990 को संसद में पेश किए गए विवरण में यह कहा गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े एककों के अनाधिकार प्रवेश और उल्लंघन सम्बन्धी मामलों में प्रभावशाली कार्रवाई की जाएगी।

मारुति उद्योग लिमिटेड में हिस्सा

4312. श्री पी० एम० सईद :

श्री आर० गुण्डु राव :

श्री बनवारीलाल पुरोहित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड में हाल ही में जानबूझकर की गई हिंसात्मक घटनाओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस की सहायता ली गई थी और क्या पुलिस ने कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया था; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्धन से मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों के छोटे से भाग द्वारा बाह्य तत्वों के सहयोग से आयोजित हिंसा की घटनाओं की शिकायतें मिली हैं। स्थानीय जज ने कारखाने के दरवाजे से 200 मीटर के अन्दर धरनों, प्रदर्शनों आदि पर रोक के आदेश किये थे परन्तु मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद ये आदेश लागू नहीं किए जा सके। विरोध करने वाले कर्मचारी मारुति उद्योग लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाथापाई और प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाने तथा उनकी निजी कारों को क्षति पहुंचाने में लगे थे।

(ग) और (घ) मारुति उद्योग लिमिटेड ने स्थानीय पुलिस के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा किन्तु मारुति उद्योग लिमिटेड के बार-बार आग्रह के बावजूद स्थानीय पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। यहां तक कि उन्होंने हिंसा में लिप्त लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने धमकी प्राप्त स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में असंगठित श्रमिक

[हिन्दी]

4313. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों में असंगठित श्रमिकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी भर्ती विभागीय तौर पर की गई है अथवा ठेकेदारों के माध्यम से की गई है और वे कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं और उन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या उनके कार्य का स्वरूप स्थायी है अथवा अस्थायी है; और

(घ) क्या इन श्रमिकों का भविष्य भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स के हाथों में सुरक्षित है अथवा ठेकेदारों के हाथों में सुरक्षित है और उनके हितों की किस प्रकार रक्षा की जाती है और क्या उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जोकि स्थायी श्रमिकों को प्रदान की जाती हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) इस समय "भेल" में कार्यरत असंगठित श्रमिकों की संख्या 1754 है। वे सुनिश्चित अवधि और सुनिश्चित कार्यों के लिए अस्थाई अथवा अनियमित किस्म के कार्य के लिए ठेकेदारों द्वारा लगाए जाते हैं। जब भी "भेल" में रिक्तियां होती हैं और अगर

ऐसे कर्मचारी स्थाई नौकरियों के लिए उपयुक्त होते हैं तो उन्हें रिक्तियां भरते समय वरीयता दी जाती है। एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में "भेल" न्यूनतम मजदूरी, अवकाश, कैंटीनों इत्यादि जैसे सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है।

एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कम्पलीमेन्टरी विमान टिकट जारी किया जाना

[अनुवाद]

4314. श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स कम्पलीमेन्टरी विमान टिकट और पास जारी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या इन दोनों कम्पनियों के निदेशकों को भी यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पास जारी करने के कारण यदि कोई घाटा हुआ है, तो उसकी राशि क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संगठन के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी सेवाओं पर पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों को नि:शुल्क/छूट परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। इन श्रेणियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से आने वाले लोग इस प्रकार हैं :—

(I) विमान कम्पनी का अपना स्टाफ,

(II) अन्य वाहकों के कर्मचारी,

(III) विमान कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति जो ड्यूटी करने के लिए यात्रा करते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया निम्नलिखित को भी नि:शुल्क परिवहन की व्यवस्था करते हैं :—

(I) अनिवार्य सरकारी आदेशों के अन्तर्गत, पर्यटन प्रोत्साहन कर्मचारी, लेखक, पत्रकार और फोटोग्राफर।

(II) जटिल चिकित्सा सम्बन्धी मामले, अन्तर-सरकारी अनुरोध, सांस्कृतिक गतिविधियां, प्राकृतिक विपदाएं आदि जैसी विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत अनिवार्य सरकारी आदेशों के आधार पर व्यक्ति/समूह।

(III) ऐसे एजेंटों, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक ठेकाओं आदि को जिन्हें व्यवसाय प्राप्त करने और वाणिज्यिक कारणों के बदले पास जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) दोनों विमान कम्पनियों के निदेशकों को विमान में ड्यूटी के समय यात्रा के लिए कंप्लीमेंट्री परिवहन की व्यवस्था की जाती है।

(ङ) इस प्रकार के कंप्लीमेंट्री पासों के जारी होने के कारण हानि का पता लगाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर पास "लोड के आधार पर" जारी किए जाते हैं जिसके फलस्वरूप किसी राजस्व की हानि नहीं होती है क्योंकि अन्यथा भी सीटें खाली ही रहतीं। पुष्टिकृत आधार पर जारी किए गए पास देश या एयरलाइन्स के दीर्घकालीन लाभ के लिए होते हैं और इन्हें हानि नहीं समझा जा सकता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

4315. श्री समरेन्द्र कुण्डू : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1989 के अंत तक कितने औद्योगिक गृहों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की अधिकतम सीमा पार कर ली है;

(ख) इन औद्योगिक गृहों की वर्ष 1967 और 1989 के दौरान कुल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 दिनांक 1-6-1970 से लागू हुआ, और इसलिए, वृहद औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों का वर्ष 1967 का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

78 वृहद औद्योगिक घरानों के नाम तथा वर्ष 1988-89 और 1972 में उनकी परिसंपत्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को संशोधित करने का कोई प्रस्तात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वृहद औद्योगिक घरानों के नाम और 1988-89 तथा 1972 में उनकी परिसम्पत्तियां

क्र॰ सं॰	औद्योगिक घराने का नाम	परिसंपत्तियां (करोड़ रुपये में) 1988-89	1971
1	2	3	4
1.	बिड़ला	6974.06	589.42
2.	टाटा	6621.38	641-93
3.	रिलायंस	3241.24	30.27 (1976)

1	2	3	4
4.	जे० के० सिंघानिया	1828.75	121.45
5.	थापर	1762.52	136.16
6.	मफतलाल	1296.55	183.74
7.	बजाज	1228.37	63.32
8.	मोदी	1192.34	58.04
9.	लार्सन एण्ड टूब्रो	1130.33	79.03
10.	एम० ए० चिदम्बरम	1032.23	28.05 (1975)
11.	टी० वी० एस० आयंगर	929.06	50.97
12.	हिन्दुस्तान लीवर	924.85	77.87
13.	ए० सी० सी०	909.13	134.36
14.	श्रीराम	799.17	120.77
15.	आई० टी० सी०	742.19	74.65
16.	यूनाइटेड बेवरीज	715.71	35.53
17.	आई० सी० आई०	674.46	135.21
18.	बांगुर	657.41	125.26
19.	किर्लोस्कर	633.07	86.46
20.	वालचंद	625.75	99.47
21.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	619.57	58.49
22.	गोएनका	570.00	18.01
23.	एस्कॉर्ट्स	537.33	40.32
24.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी	490.83	122.33 (1981)
25.	कस्तूरभाई लालभाई	478.52	78.61
26.	इस्सार	437.30	122.66 (1983)
27.	नरवारे	437.23	62.34 (1979)
28.	अशोक लेयलैण्ड	422.14	29.03
29.	साराभाई	383.59	84.44
30.	डनलप	377.61	41.56
31.	नौरोसजी वाडिया	366.43	31.85

1	2	3	4
32.	मैकनील एण्ड मागुर	353.84	64.80
33.	भिवंडीवाला ए० एम०	344.64	45.91
34.	इफ्का	343.07	28.97 (1980)
35.	सिम्पसन	335.63	42.81
36.	चौगले	,334.56	57.52
37.	गोदरेज	331.35	37.74
38.	जटायु (बम्बई)	329.18	75.44
39.	फिलिप्स	327.04	62.33
40.	लोहिया मशीन्स	325.84	162.80 (1984)
41.	ओबेराय एम० एस०	301.47	19.98
42.	मदुरा कोट्स	289.17	34.52
43.	ओरके सिल्क मिल	267.20	199.87 (1986-87)
44.	वाचालेस	253.51	21.39
45.	रौनक सिंह	246.97	21.86
46.	गार्डन सिल्क	244.72	नया समूह
47.	रासी	243.11	65.54 (1984)
48.	वी० रामकृष्णा	232.53	28.21
49.	मुकमप्पा चेत्तियार	230.48	28.49
50.	साहू जैन	230.07	19.84
51.	टाटा टी	230.06	115.80 (1984)
52.	हिन्दुस्तान केबल कार्पो०	223.18	159.66 (1985)
53.	जी० ई० सी०	220.81	37.10
54.	नायडू जी० वी०	216.72	47.00
55.	चिया	211.09	33.71 (1975)
56.	एम० आर० एफ०	200.52	110.49 (1986-87)
57.	रैलीस	197.89	32.14
58.	एशिया ब्राउन बावरी	193.56	नया समूह
59.	ए० पी० जे०	193.32	19.70 (1976)

1	2	3	4
60.	बेस्ट एण्ड क्राम्पटन	192.98	29.95 (1981)
61.	गोल्डन टोबेको	179.59	19.92
62.	निरलॉन सिन्थेटिक्स	173.93	184.38 (1985)
63.	उड़ीसा सीमेंट	173.22	45.99 (1980)
64.	जैन शुद्ध	172.69	87.97 (1984)
65.	एस० के० एफ०	172.53	106.15 (1987-88)
66.	जी० के० डब्ल्यू०	165.81	49.86
67.	श्री अम्बिका	164.32	30.08
68.	फैकोर	145.27	52.01 (1982)
69.	पैरी	138.59	66.64
70.	कोठारी	138.02	27.70 (1975)
71.	डालमिया जे०	138.02	51.61 (1984)
72.	एन० आर० सी०	129.38	56.24 (1981)
73.	मद्रास सीमेंट	127.77	23.72 (1975)
74.	सरस्वती एण्ड सिंडीकेट	114.72	30.28 (1981)
75.	के० ई० सी०	112.41	97.66 (1987-88)
76.	सबभारत	108.99	69.76 (1983)
77.	स्वीडिश मैच	108.20	17.57
78.	सिंदिया	106.24	107.73

टिप्पणियां

1. वर्ष 1988-89 की परिसम्पत्तियां 31-3-1989 को एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा संबद्ध बृहद औद्योगिक घराने संबंधित कम्पनियों के बारे में हैं।

2. 1972 की परिसंपत्तियां 30-6-1978 को पंजीकृत कंपनियों से संबंधित है।

3. कुछ समूहों के मामले में परिसम्पत्तियां कोष्ठक में दर्शाए गये सबसे पूर्व वर्ष से सम्बन्धित है।

4. क्रम संख्या 10 में दिए गए "एम० ए० चिदम्बरम" औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियों में सदर्न पेट्रोकैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की 1985 से परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

5. क्रम संख्या 22 पर गोएनका औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियों में उससे पहले कि 1988-89 की सीएट टायर्स औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

6. क्रम संख्या 48 पर वी० रामकृष्ण औद्योगिक घराने की परिसम्पत्तियों में पहले की "वी० आर० नायडू" औद्योगिक घराने की 1986-87 की परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

गैस क्रैकर परियोजना

4316. श्रीमती बासव राजेश्वरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की पहली गैस क्रैकर परियोजना 18 जुलाई, 1990 को प्रारम्भ हो गई है,

(ख) यदि हां तो इसमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) देश के लिए यह किस हद तक लाभकारी सिद्ध होगी;

(घ) क्या ऐसी कोई अन्य परियोजनाएं भी शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलैक्स (एम जी सी सी) का गैस क्रैकर संयंत्र इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई सी पी एल) द्वारा 16 जुलाई, 1990 को चालू किया गया था।

(ख) एम जी सी सी की कुल अनुमानित लागत 1390 करोड़ रुपए हैं।

(ग) एम जी सी सी के चालू होने से प्लास्टिक के कच्चे माल और रबड़ मध्यवर्तियों की स्वदेशी उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी और उस सीमा तक इन मदों के आयात में कमी होगी और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(घ) और (ङ) गुजरात में गंधार में अपने डाउन स्ट्रीम यूनिटों से गैस क्रैकर काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए आई सी पी एल को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में औरैया में गैस क्रैकर स्थापित करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लि० को दूसरा आशय-पत्र जारी किया गया है। असम में भी एक गैस क्रैकर काम्पलैक्स सिद्धान्त रूप में स्वीकृत कर दिया गया है।

गुजरात में विमान पत्तनों का विकास

[हिन्दी]

4317. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार गुजरात में स्थित कितने विमान पत्तनों का विकास करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर का विमान पत्तन बनाने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमान मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गुजरात में राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित सभी हवाई अड्डे राष्ट्रीय स्तर के हैं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

मध्य प्रांतीय रेल लाइनें

[अनुवाद]

4318. श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रांतीय रेल लाइनें जिनमें मुर्तजापुर-यवतमाल, मुर्तजापुर-अचलपुर और पुलगांव आरवी रेल लाइनें शामिल हैं, का संचालन मुंबई स्थित एक-सरकारी कम्पनी, मैं० किलिक निक्सन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेल के अधिकारियों द्वारा इस कम्पनी के साथ "कन्ट्रैक्ट" पर कब हस्ताक्षर किए गए और इस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) भारतीय रेल विभाग द्वारा इस कम्पनी को वार्षिक रूप से कितनी धनराशि दी जा रही है और गत तीन वर्षों के दौरान इसे कुल कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या इस कम्पनी द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे का क्या उपाय करने का विचार है कि इन रेल मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को मूल सुविधायें उपलब्ध हो सकें; और

(ङ) क्या इन रेल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। एक करार की शर्तों के अन्तर्गत इन लाइनों का संचालन मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है।

(ख) संविदा पर 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। शर्तों और निबंधनों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय भारतीय रेल द्वारा इस कम्पनी को प्रति वर्ष लगभग 8.37 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान कम्पनी को कुल 25,12,950 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) कम्पनी यात्रियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं करती है। भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार प्रशासन द्वारा यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) जी नहीं।

विवरण

केन्द्र सरकार और सेंट्रल प्रोविंसेज रेलवेज कम्पनी लिमिटेड के बीच 23-7-1916 को हुए करार की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) संचालन व्यय को पूरा करने के लिए इन लाइनों से प्राप्त सकल आमदनी का 45 प्रतिशत मध्य रेलवे अपने पास रखता है।

(ii) सकल आमदनी के शेष (55 प्रतिशत) को शाखा लाइनों की शुद्ध आमदनी के रूप में माना जाता है।

(iii) यदि शुद्ध आमदनी, कम्पनी के प्रदत्त हिस्सा पूंजी (98 लाख रुपए) से 5 प्रतिशत कम है तो प्रदत्त हिस्सा पूंजी में 5 प्रतिशत की कमी के बराबर राशि को पूरा करने के लिए कम्पनी को छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय-प्रबन्ध के व्यय के लिए 15,000 रुपए का भुगतान किया जाता है।

(iv) यदि शुद्ध आमदनी, प्रदत्त हिस्सा पूंजी से 5 प्रतिशत अधिक है तो 5 प्रतिशत की सीमा से ऊपर की अधिक राशि में से 21,000 रुपए की राशि का भुगतान कम्पनी को

कार्यालय व्यय और प्रबन्ध व्यय के लिए किया जाता है और शेष राशि मध्य रेलवे और कम्पनी के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाती है।

(v) सरकार के पास 31-3-1947 को तथा उसके बाद, हर 10 वर्षों के अन्तराल पर कम्पनी को 12 महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर इन लाइनों को खरीदने का विकल्प है।

शाहगंज-मऊ मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

4319. श्री रामकृष्ण यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए कृत संकल्प है;

(ख) क्या शाहगंज से मऊ तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं तो यह काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है इसलिए इस समय यह बताना कठिन है कि इसे कब शुरू किया जाएगा अथवा पूरा किया जाएगा।

बिहार में बिजली की स्थिति

[अनुवाद]

4320. श्री एल० पी० सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पिछले कुछ समय से बिजली की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब रही है;

(ख) क्या इसके लिए विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों का पुराना होना, पारेषण और वितरण लाइनों का दोषपूर्ण और घिसा-पिसा होना समान रूप से जिम्मेवार कारण है;

(ग) क्या बिहार ने इनको बदलने/मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो यह मामला किस स्तर पर लंबित है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) बिहार में अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान 24.3% बिजली की कमी पड़ी थी। बिजली की कमी का मुख्य कारण बिहार स्थित ताप विद्युत केन्द्रों, जोकि पुराने हैं, से विद्युत का उत्पादन कम होना और जून, 1990 के अन्तिम सप्ताह के दौरान पूर्वी क्षेत्र में ग्रिड संबंधी बड़े व्यवधान का होना था।

(ग) और (घ) विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से पतरातू, बरौनी एवं करबीगहिया ताप विद्युत केन्द्रों पर एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत के अधिकांश कार्यकरण पूरे कर लिए गए हैं। इन

केन्द्रों की शेष रह गई कमियां 8वीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम चरण-2 के अन्तर्गत दूर किए जाने का प्रस्ताव है।

गुजरात में पाइप लाइनों द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई

4321. श्री बब्बूभाई देशमुख :

श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पाइप-लाइनों द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) बड़ौदा, अंकलेश्वर-भरोच, सूरत और अहमदाबाद के शहरों में घरेलू/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पाइप द्वारा प्रवाहित प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए समय-समय पर गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस समय, गुजरात के बड़ौदा और अंकलेश्वर-भरोच में घरेलू इस्तेमाल के लिए पाइप-लाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जा रही है। उसी प्रयोजन के लिए सूरत शहर के लिए वचनबद्धता की गई है। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की दृष्टि से, अहमदाबाद शहर को गैस की सप्लाई की अभी सहमति नहीं दी गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

[हिन्दी]

4322. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण/वर्कशाप्स के लिए कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1843 अधिकारियों को प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए विदेश भेजा गया जिसमें 97 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति के थे। इस प्रयोजन के लिए कुल 684.79 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह

[अनुवाद]

4323. श्री आर० गुण्डू राव :

श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार अपना पुरस्कार वितरण समारोह राजधानी के एक पांच सितारा होटल में आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का इस कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या पांच सितारा होटलों में ऐसे अपव्ययी समारोह के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को पांच सितारा होटल में समारोह आयोजित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि वर्षानुवर्ष इसे घाटा हो रहा है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मांग आपूर्ति और आयात

4324. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान (अब तक का) पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति का मद-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए आयात और इनकी लागत का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 (जनवरी से जुलाई तक) के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मांग/खपत और स्वदेशी उत्पादन निम्नानुसार हैं—

मांग/खपत

(मात्रा : मिलियन टन में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	मिट्टी का तेल
1988	2.98	18.4	7.59
1989*	3.36	20.3	8.07
1990* (जनवरी-जुलाई)	2.15	12.69	4.84

*अस्थायी

उत्पादन

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	मिट्टी का तेल
1988	2.70	16.40	5.12
1989*	3.39	17.98	5.21
1990* (जनवरी-जुलाई)	2.15	10.28	3.51

*अस्थायी

(ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 (जनवरी से जुलाई तक) के दौरान आयातित पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है—

(मात्रा : मिलियन टन में/मूल्य : करोड़ रुपये)

वर्ष	पेट्रोल		डीजल		मिट्टी का तेल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1988	शून्य	शून्य	2.07	430	2.41	553
1989*	शून्य	शून्य	2.96	879	2.69	871
1990* (जनवरी-जुलाई)	शून्य	शून्य	1.90	582	1.45	485

*अस्थायी

(ग) स्वदेशी स्रोतों से इन उत्पादों की मांग को पूरा करने और इस दिशा में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित प्रभावी उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) ग्रास रूट रिफाइनरियों की स्थापना और मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार करना।

(2) देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के संबंध में कार्यकलापों में तेजी लाना :

(3) अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण उपायों को उच्च वरीयता प्रदान करना।

मंगलौर और बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा

4325. श्री बी० कृष्ण राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मंगलौर के बीच वर्तमान रेल मार्ग काफी लम्बा और घुमावदार है;

(ख) यदि हां, तो इस रेल मार्ग पर कुल कितने किलोमीटर का घुमाव है;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि मंगलौर से बम्बई के लिए सीधी गाड़ियां चलाई जायें;

(घ) सीधी गाड़ियां कब तक चलाई जायेंगी;

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) 2041 कि॰ मी॰।

(ग) से (ङ) बड़ी लाइन के रास्ते तथा बड़ी-एवं-मीटर लाइन मार्ग से (मिरज में यानान्तरण सहित) बम्बई और मंगलोर के बीच सीधी गाड़ी सेवायें पहले ही उपलब्ध हैं।

पिछड़े जिलों का औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

4326. श्री मित्रसेन यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग

4327. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एक दीर्घ-कालिक नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति है कि चयनात्मक आधार पर सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को बढ़ावा दिया जाये जोकि चूना पत्थर संसाधनों और कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसाकि आठवीं योजना के लिए अनुमान लगाया गया है सीमेंट की मांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार नये सीमेंट संयंत्रों, विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में, की स्थापना और मौजूदा एककों को आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ावा देती है ताकि सर्वोत्तम किफायती स्तर प्राप्त किया जा सके। जहां तक मिनी सीमेंट संयंत्रों का संबंध है, वी॰ एस॰ के॰ प्रौद्योगिकी और चूना-पत्थर के बिखरे भण्डार पर आधारित 100/200 टी॰ पी॰ डी॰ क्षमता तक के ऐसे संयंत्रों को सामान्यतया प्रोत्साहन दिया जाता है। मौजूदा मिनी सीमेंट संयंत्रों को अपनी क्षमता 200 टी॰ पी॰ डी॰ से बढ़ाकर 300 टी॰ पी॰ डी॰ करने और कुछ शर्तों के अधीन बढ़ाकर 600 टी॰ पी॰ डी॰ तक भी करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और सरकार नम प्रक्रिया वाले संयंत्रों को अर्ध-शुष्क/शुष्क प्रक्रिया वाले संयंत्रों में बदलने के लिए कारगर उपाय करने के लिए सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देती है। नीति के अनुसार, इस उद्देश्य के लिये प्रौद्योगिकी और उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाती है। सीमेंट के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकी में अभिनव परिवर्तनों का समावेश करने और कारगर परिचालन नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक यंत्रों को अपनाने और गुणवत्ता रख-रखाव, ऊर्जा बचत, उत्पादन लागत में किफायत, क्षमता उपयोग, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि के लिए आवश्यक योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

बंगलौर विमानपत्तन पर विजिटर्स गैलरी के लिए अलग रास्ता

[अनुवाद]

4328. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन के भीतर भारी भीड़ हो जाने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या "विजिटर्स गैलरी" की ओर जाने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिये एक अलग रास्ता बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बंगलूर हवाई अड्डे पर यातायात में तीव्र वृद्धि के कारण टर्मिनल में भीड़ भाड़ हो गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) मौजूदा टर्मिनल भवन में विस्तार करने की दृष्टि से उसके माडल को बदला जा रहा है। इस परियोजना के लिये बनाये गए नक्शों में मुलाकात करने वालों के लिये भवन के बाहर से अलग गैलरी की व्यवस्था की गई है।

तेल उद्योग में भारत-सोवियत संघ सहयोग

4329. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु नई दिल्ली में 6 अगस्त, 1990 को भारत सोवियत संघ दलों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या तेल उद्योग में सहयोग करने के कोई निर्णय लिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत-सोवियत दल की बैठक के परिणामस्वरूप दिनांक 10-8-90 को एक

नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए। इस नयाचार में, उत्तरी कंम्बे और कावेरी बेसिनों में "गहन समेकित" अन्वेषण परियोजनाओं के लिए विस्तृत कार्यक्रम का प्रावधान है। उत्तरी कंम्बे बेसिन में 3100 लाइन कि० मी० भू-कम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है। परियोजना में 26 कूपों के लिए किए गए प्रावधान में से 20 अन्वेषी कूपों की ड्रिलिंग हो गई है और 2 में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। कूपों की और आगे की ड्रिलिंग, उत्पादन-परीक्षण के अधीन दो कूपों की वाणिज्यिक संभाव्यता के मूल्यांकन पर आधारित होगी। कावेरी बेसिन में, प्रथम चरण में 20 अन्वेषी कूपों की ड्रिलिंग की जानी है। नयाचार में पश्चिम बंगाल बेसिन के लिए गहन समेकित अन्वेषण परियोजना के अधीन आंकड़ों की अधिप्राप्ति की प्रगति में तेजी लाने का भी प्रावधान है। सोवियत रूस में भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और जोरहाट में तीसरे कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना का भी प्रावधान नयाचार में है। इसमें, दो देशों के अनुसंधान और विकास संस्थानों के बीच सहायता की दीर्घ-अवधि के कार्यक्रम का प्रावधान है।

इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रतिभागियों की सूची

शिष्ट मंडल—सोवियत पक्ष	भारतीय पक्ष
1. श्री ए० के० मुहमोतजीआनाव, उप मन्त्री तेल और गैस उद्योग मंत्रालय शिष्टमंडल के नेता	1. डा० एम० डी० गाडबोले, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग
2. श्री ए० जी० इयूसुखिया, वी०वी०ओ० प्रेजीडेंन्ट, मंकीनोइम्पोट	2. श्री एस० एल० खोसला, अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
3. श्री एन० एन० लिओवस्की, सोवियत संघ के तेल तथा गैस उद्योग के भूगर्भीय विभाग के अध्यक्ष,	3. श्री एन० शिवासुब्रह्मणयम, अपर सचिव, एवं वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग
4. डा० एन० सोवस्तजिनोफ, "नैफतेगैसीओफिजिका" एसोसिएशन के महानिदेशक	4. डा० पी० के० चन्द्रा, उपाध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
5. श्री बी० के० कुटीचिकिन, एन०पी०ओ० "आर्कअंजनेफटीसट्रायट" के प्रथम उप महानिदेशक	5. श्री एम० सी० नवालखा, सदस्य वित्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
6. श्री वी० एम० प्रेजिन, "टैक्नीफ्तेगैस", बी०वी०ओ० मैकिनो इम्पोर्ट कम्पनी के निदेशक	6. श्री नरेश दयाल, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग

शिष्ट मंडल — सोवियत पक्ष	भारतीय पक्ष
7. श्री वी० आई० इग्रेवस्की, यू०एस०एस०आर स्टेट कमेटी फार सांइस एंड टैक्नोलॉजी के चेयरमैन के काउंसलर	7. श्री राजीव सिकरी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
8. श्री वी० पी० वेमीदाफ, सोवियत संघ के विदेशी आर्थिक कार्य मंत्रालय के मुख्य विशेषज्ञ	8. श्री एन० मुथुकृष्णन, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय
9. डा० आर० एम० नूरगेलाफ, पी०ओ० "जापेतजीओफिजिका" के महानिदेशक	9. श्री जे० एस० मिश्रा, सलाहकार अन्वेषण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग
10. डा० जी० एन० गोगोनेन्कोफ, सेंट्रल जीओफिजिकल एक्सीपीडिशन के मुख्य इन्जीनियर	10. श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, उप सचिव, (ई०सी०), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग
11. श्री आए० ए० शेवचेंन्को, एन०पी०ओ० "जारूबेजनेफ्टीस्ट्राय" के उत्पादन विभाग के अध्यक्ष	11. डा० ए० के० दत्ता, महाप्रबन्धक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
12. श्री आई० आई० कंपचोके, एन०पी०ओ "जारूबेजनेफ्टीस्ट्राय" जिओफिजिक विभाग के अध्यक्ष	12. डा० एम० के० नय्यर, उप निदेशक, (आई०एम०टी०), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
13. श्रीमती एम०वी० उरतसेकेवा, सिनियर कारसपोंडेंसइन्टरप्रेटर	

II. अन्य प्रतिभागी

1. श्री जी० ए० सेकेरबाकाफ, सोवियत संघ के व्यापार आयुक्त	1. श्री जी० बनर्जी, महाप्रबन्धक (डी०) एस० आर० बी० सी०
2. श्री वी० ए० बीओलोगोर पसेव, उप व्यापार आयुक्त	2. श्री के० एल० गोयल, निदेशक, आई० एम० डी०
3. श्री जी० ए० याकोवेन्को, सोवियत संघ के तेल तथा गैस मंत्रालय तथा वी०वी०ओ "मैंगिनोइम्पोट" के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष	3. श्री चमन लाल, महाप्रबन्धक (डी०), आई०डी०टी०

4. श्री एल० पी० रियूसचेन्को,
सोवियत संघ के तेल तथा गैस उद्योग मंत्रालय तथा वी०वी०ओ० "मेकिइम्पोर्ट" के प्रतिनिधिमंडल के उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक)

5. श्री आई० एन० सलेवको,
व्यापार प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ इन्जीनियर

6. श्री वी० वोनटेम्काफ,
दूभाषीय

4. श्री डी० पी० बाजपी,
महाप्रबन्धक (एम०एस०),

5. श्री एस. आर० चवन,
उप महाप्रबन्धक, (वित्त)

6. डा० एस० श्रीनिवासन,
उप महाप्रबन्धक,
(जिओलोजी)

7. श्री एस० नागाराजन,
परियोजना समन्वयक, आई०आई०ई०पी० कावेरी

8. श्री के० जे० एम० राव, परियोजना समन्वयक आई० आई० ई० पी०, काम्बे

9. श्री बी० वी० नायडू, परियोजना समन्वयक, आई० आई० ई० पी०, पश्चिम बंगाल

10. श्री पी० सी० गुप्ता, चीफ जिओफिजिस्ट

11. श्री ए० डी० सिंह, चीफ जिओलोजिस्ट

12. श्री एम० एन० बहुगुणा, सुप० इन्जीनियर (डी)

13. श्री पन्ना लाल, सुप० जिओफिजिस्ट

सीमेंट कारखाने

[हिन्दी]

4330. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री हरीश पाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार सीमेंट कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमेंट की मांग पूरा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग-मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) संगठित क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों और इनकी स्वीकृत क्षमता-केन्द्रवार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	संयंत्रों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मी०टन मिलियन मे)
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	12.125
2.	असम	3	0.285
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.009
4.	बिहार	10	2.706
5.	दिल्ली	1	0.500
6.	गुजरात	29	6.005
7.	हरियाणा	2	0.548
8.	हिमाचल प्रदेश	2	0.760
9.	जम्मू तथा काश्मीर	3	0 253
10.	कर्नाटक	22	5.097
11.	केरल	2	0.571
12.	मध्य प्रदेश	26	11.956
13.	मेघालय	1	0.284
14.	महाराष्ट्र	7	4.393
15.	उड़ीसा	5	1.218
16.	राजस्थान	19	6.634
17.	तमिलनाडु	12	4.794
18.	उत्तर प्रदेश	6	3.027
19.	पश्चिम बंगाल	1	0.600
		185	61.765

(ख) और (ग) उत्तरी क्षेत्र में सीमेंट की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमताएं स्वीकृत की हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

	राज्य का नाम	एककों की संख्या	अनुमोदित क्षमता (मी० टन मिलियन में)
1.	हिमाचल प्रदेश	2	2.00
2.	हरियाणा	1	0.066
3.	जम्मू और कश्मीर	6	0.211
4.	पंजाब	1	0.500
5.	राजस्थान	15	5.714
6.	उत्तर प्रदेश	7	0.180
		32	8.671

सरकार उत्तरी क्षेत्र में प्रभावग्रस्त क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नयी क्षमताओं के सृजन की ओर एक उदार नीति अपना रही है।

औषधों पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन

[अनुवाद]

4331. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग ने केन्द्रीय सरकार का औषध के मूल्यों पर नियंत्रण समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। किन्तु औषध कीमतों को पूर्णत: विनियन्त्रित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

फारबिसगंज-गलगलिया (सिलीगुड़ी) रेल लाइन

[हिन्दी]

4332. श्री तसलीमउद्दिन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में फारबिसगंज गलगलिया (सिलीगुड़ी) से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस रेल लाइन का निर्माण कराना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फार्नान्डीज) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओंगोल के निकट मद्रास डाकगाड़ी के डिब्बों का पटरी से उतर जाना

[अनुवाद]

4333. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में ओंगोल के निकट अम्मनब्रोलु और उप्पुगुंडूरु स्टेशनों के बीच दिनांक 9 अगस्त, 1990 को हावड़ा से मद्रास जा रही डाकगाड़ी के नौ डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए अथवा मारे गए;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे और इसके कारण हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जब 9-8-90 को 3.43 बजे 6004 मद्रास-हावड़ा मेल अम्मनब्रोलु और उप्पुगुंडूर के बीच चल रही थी तब इसका इंजन तथा पहले 9 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति घायल हो गए थे।

(ग) और (घ) दुर्घटना की रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रयोग न किए गए रिजर्व टिकटों के बारे में धनराशि वापस करने संबंधी नियम

4334. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रयोग न किए गए रिजर्व टिकटों के लिए धनराशि वापस करने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन उदार नियमों को सब आरक्षण कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लगाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नाण्डीज) : (क) जी हां। संशोधित नियम 1-9-90 से लागू किए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ये नियम सभी आरक्षण कार्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि रद्दकरण प्रभार से संबंधित नियम आरक्षण केन्द्रों पर दर्शाए जाएं।

विवरण

नये नियमों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ-साथ पुराने नियम इस प्रकार हैं—

2. **आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण प्रभार**

पुराना	नया
2.1. यदि आरक्षित टिकटों को :	2.1. यदि आरक्षित टिकटों को :
(क) गाड़ी छूटने के वास्तविक समय से दो से अधिक दिन पहले (यात्रा के दिन को छोड़कर) रद्द कराया जाता है तो वातानुकूल पहले दर्जे के लिए 15 रुपये, पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान/वातानुकूल कुर्सीयान के लिए 10 रुपये और दूसरे दर्जे के लिए 5 रुपये की समान दर पर रद्दकरण प्रभार लिया जायेगा।	(क) गाड़ी छूटने के वास्तविक समय से एक अधिक दिन पहले (यात्रा के दिन को छोड़कर रद्द कराया जाता है तो वातानुकूल पहले दर्जे के लिए 30 रुपए, वातानुकूल शयनयान और पहले दर्जे के लिए 20 रुपए, वातानुकूल कुर्सीयान के लिए 15 रुपये तथा दूसरे दर्जे के लिए 10 रुपये की समान दर पर रद्दकरण प्रभार लिया जायेगा।
(ख) यदि गाड़ी छूटने के वास्तविक समय से दो दिन पहले और—(1) 3 घंटे के भीतर जब टिकट 500 कि० मी० तक के स्टेशन के लिए है, और (2) 20 घंटे के भीतर जब टिकट 500 कि० मी० से अधिक दूरी के स्टेशन के लिए है—	(ख) गाड़ी छूटने के वास्तविक समय से एक दिन पहले और छह घंटे तक के लिए 25 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार लिया जायेगा किन्तु यह ऊपर (क) में उल्लिखित न्यूनतम समान दर से कम नहीं होगा।

पुराना	नया
तो ऐसे टिकट पर 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार लिया जायेगा, जो वातानुकूल पहले दर्जे की टिकट के लिए कम से कम 60 रुपये, पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान/वातानुकूल कुर्सीयान के लिए कम से कम 30 रुपये और दूसरे दर्जे के लिए कम से कम 15 रुपये होंगे।	(ग) गाड़ी छूटने के वास्तविक समय से पहले छह घंटे के अन्दर और गाड़ी छूटने के वास्तविक समय के पश्चात् तीन घंटे तक के लिए 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार लिया जायेगा, किंतु यह ऊपर (क) में उल्लिखित न्यूनतम समान दर से कम नहीं होगा।
2.2. आरक्षित टिकटों के लिए किराये की वापसी करते समय आरक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।	2.2. आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण प्रभार का परिकलन करने के लिए किराये में आरक्षण शुल्क भी शामिल किया जायेगा।

3. आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि न होने पर रद्दकरण प्रभार

पुराना	नया
यदि कोई टिकट जिस पर आरक्षण किया गया है, मार्गवर्ती स्टेशन से आगे का आरक्षण न मिलने पर जिसके लिए सात दिन पहले समुचित समय देते हुए अनुरोध किया गया था लेकिन जिस गाड़ी में आरक्षण किया गया है उस गाड़ी के छूटने के नियत समय से 48 घंटे पहले तक आरक्षण की पुष्टि नहीं हो पायी हो, उस गाड़ी के जिसमें आरक्षण किया गया है, छूटने के नियत समय से 12 घंटे पहले रद्द करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है तो रद्दकरण प्रभार वसूल नहीं किये जायेंगे और आरक्षण शुल्क वापस कर दिया दिया जाएगा।	3.1. जब— (क) आरंभिक यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि हो गई है किंतु आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि नहीं हुई है तब यदि टिकट उस स्टेशन पर जिससे यात्रा आरंभ होती है, एक दिन पहले (यात्रा आरम्भ करने के दिन को छोड़कर) रद्द कर दिया जाता है। (ख) आरम्भिक यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि नहीं हुई है किंतु आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि हो गई है तब यदि टिकट इस स्टेशन पर जहां से यात्रा आरंभ होती है, एक दिन पहले (यात्रा आरम्भ करने के दिन को छोड़-कर) रद्द कर दिया जाता है तो कोई रद्दकरण प्रभार संदेय नहीं होगा और किराये के अलावा आरक्षण शुल्क भी प्रतिदेय होगा। 3.2. यदि ऊपर विहित समय-सीमा के भीतर टिकट रद्द नहीं किया जाता है तो रद्द-करण प्रभार नियम के अनुसार संदेय होगा, किंतु यह यात्रा टिकट के केवल उस भाग पर ही संदेय होगा जिस पर पुष्ट आरक्षण किया गया है।

4. आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर किराए की वापसी

पुराना	नया
4.1. इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकट पर किराए की वापसी तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होतीं—	4.1. इन नियमों में उपबंधित के सिवाय ऐसे टिकट पर कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिस पर आंशिक रूप से यात्रा की गई है। 4.2. जहां कोई यात्री मार्ग में ही यात्रा समाप्त कर देता है, वहां स्टेशन मास्टर, टिकट

पुराना	नया
(क) टिकट 300 कि० मी० से अधिक की यात्रा के लिए हो, (ख) जिस स्टेशन पर यात्रा भंग की गई हो वहां टिकट को इसके लिए प्राधिकृत रेल कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित किया गया हो और उसमें जिस रेलगाड़ी से यात्री पहुंचा है, उसका संख्यांक और रेलगाड़ी के पहुंचने का समय और दिन दिखाया गया हो, और (ग) आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकट उस स्टेशन पर जहां यात्रा भंग की गयी है, उस गाड़ी के जिससे उसने यात्रा की है, पहुंचने के चौबीस घंटे के भीतर सौंप दिया जाये । 4.2. यदि ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तो यात्रा किये गये भाग के किराये को काटकर यात्रा न किये गये भाग का किराया जो 100 कि० मी० के किराये से कम न हो, और वापस की जाने वाली इस शेष रकम पर पुनः अनारक्षित टिकटों के मामले में 10 प्रतिशत और आरक्षित टिकटों के मामले में 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार लेकर वापस कर दिया जायेगा ।	अभ्यर्पित करने के बदले में टिकट धारक को टिकट निक्षेप रसीद जारी करेगा और टिकट धारक, टिकट जारी करने वाले रेल के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (प्रतिदाय) को मूल रूप में टिकट निक्षेप रसीद संलग्न करते हुए किराए के प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा ।

5. गाड़ियों का मार्ग में अस्त-व्यस्त हो जाना

पुराना	नया
5.1. यदि दुर्घटना, टूट-फूट, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रेल यात्रा अस्त-व्यस्त हो जाये तो किराये की वापसी निम्न प्रकार की जायेगी —	5.1. जब दुर्घटना, टूट-फूट और बाढ़ जैसी अकल्पित परिस्थितियों के कारण, रेल यात्रा मार्ग में ही अस्त-व्यस्त हो जाए तब बुक की गई संपूर्ण यात्रा के किराये और आरक्षण शुल्क का प्रतिदाय यात्रा किए गए भाग के लिए कोई कटौती किए बिना और रद्दकरण प्रभार के उद्ग्रहण के बिना यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन किया जाएगा—
(क) यदि रेल प्रशासन यानांतरण की अथवा मार्ग परिवर्तन की अथवा अन्य कोई व्यवस्था करके यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक यथोचित समय के भीतर पहुंचाने में असमर्थ	(क) जब रेलवे यानांतरण या मार्ग परिवर्तन की या अन्यथा कोई व्यवस्था करके यात्री को उसके गंतव्य स्टेशन तक युक्तियुक्त समय के भीतर पहुंचाने में असमर्थ हो, या

पुराना	नया
हो और यात्रा इसी कारण मार्ग में समाप्त की गयी हो, या यदि यात्री रेल दुर्घटना में घायल हुआ हो और अपनी यात्रा जारी रखने की स्थिति में न हो, या मृत यात्रियों के मामले में उनके निकट संबंधियों को, बुक की गयी सम्पूर्ण यात्रा का किराया यात्रा किये गए भाग और रद्दकरण प्रभारों के लिए कोई भी कटौती किये बिना यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर वापस कर दिया जाएगा,	
(ख) यदि रेल प्रशासन यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक किसी परिवर्तित मार्ग से होकर या यानांतरण की अथवा अन्य कोई व्यवस्था करके ले जाने के लिए तत्पर हो और यात्री ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो यात्रा न किये गए भाग का किराया उसे यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर रद्दकरण प्रभार लिये बिना वापस कर दिया जायेगा।	(ख) जब यात्री रेल दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त हुआ हो और/या दुर्घटना में घायल हुआ हो और अपनी यात्रा जारी न रख सकता हो, या
	(ग) रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु या क्षति की दशा में उसके निकट संबंधियों को यात्रा समाप्त करनी पड़ी हो।
	5.2. जब रेल प्रशासन यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक किसी परिवर्तित मार्ग या यानांतरण की अथवा अन्य कोई व्यवस्था करके ले जाने के लिए तत्पर हो और यात्री ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो यात्रा न किए गए भाग का किराया उसे यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर रद्दकरण प्रभार लिए बिना वापस कर दिया जाएगा।
	5.3. जहां बन्द, आन्दोलन या रेल रोको के कारण रेल यात्रा मार्ग में ही अस्त-व्यस्त हो जाए, वहां केवल यात्रा न किए गए भाग के किराए का रद्दकरण प्रभार का उद्ग्रहण किये बिना प्रतिदाय किया जाएगा।

पुराना	नया

6. टिकट जारी करने वाले स्टेशन से भिन्न स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्रतिदाय

कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।	6.1. इन नियमों के अधीन उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर, जहां से यात्रा आरम्भ होती है, दूसरे स्टेशन द्वारा जारी अप्रयुक्त टिकट (आरक्षित, रद्दकरण पर आरक्षण या प्रतीक्षा सूचीबद्ध) का प्रतिदाय कर सकेगा यदि प्रतिदाय प्रदान करने वाले स्टेशन पर संगणक द्वारा या आरक्षण चार्ट के निर्देशन द्वारा या टिकट जारी करने वाले स्टेशन प्राप्त संदेशों द्वारा टिकट की मौलिकता प्रमाणित हो जाती है।
	6.2. जहां उपर्युक्त नियम के अधीन टिकट की मौलिकता प्रमाणित न हो पाये, वहां टिकट जमा रसीद टिकट धारक को जारी की जाएगी जो प्रतिदाय के लिए टिकट जारी करने वाले रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (प्रतिदाय) को आवेदन कर सकेगा।

खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी उड़ानें

4335. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम् के बीच कितनी सीधी उड़ानें हैं;

(ख) क्या खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम् के बीच और अधिक सीधी उड़ानें शुरू करने की कोई मांग हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस समय एयर इण्डिया सप्ताह में 19 उड़ानें त्रिवेन्द्रम् और दुबई, आबू-धाबी, शारजाह, रस-अल-खायमाह और बहरान के बीच परिचालित करती है।

(ख) और (ग) व्यस्तम काल के दौरान कुछ अवधि के अलावा (जिसके दौरान आर्थिक रूप से सक्षम अतिरिक्त उड़ान नहीं भरी जा सकती है), खाड़ी देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच अतिरिक्त उड़ानों की कोई मांग नहीं है।

मद्रास स्थित तेल शोधक कारखाने का विस्तार

4336. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब विस्तार किए जाने की सम्भावना है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड अपने प्रत्यायोपित अधिकारों के अन्तर्गत रिफाइनरी II की आसवन इकाई में कुछ संतोलन उपस्कर को जोड़कर क्रूड प्र.पुट की क्षमता को 5.6 मि० टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6.5 मि० टन प्रतिवर्ष करने की फिलहाल योजना लागू कर रही है। 19 करोड़ रुपए की लागत पर इस योजना के वर्ष 1992 की प्रथम तिमाही के भीतर पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जापान द्वारा वित्तीय सहायता

4337. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या रेल मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जापान से 100 करोड़ रुपये मूल्य की येन-सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में शर्तों का क्या ब्यौरा है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जापान सरकार अपनी ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए चुनी गई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। इस समय ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फन्ड एजेन्सी द्वारा भारतीय रेलों की निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है :—

(i) ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फन्ड एजेंसी ने श्याम बाजार स्टेशन से एस्पलेनेड स्टेशन तक कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना (चरण-II) के निर्माण के लिए 23-02-1983 को 4.8 जापानी येन (लगभग 20 करोड़ रुपए) का ऋण दिया था। इस ऋण पर प्रति वर्ष 2.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार का अनुबन्ध किया गया था। इस ऋण की अदायगी 20 वर्षों में की जानी है।

(ii) ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फन्ड एजेंसी ने चल स्टाक कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना (I), जिसके अन्तर्गत जमालपुर और पेरम्बूर कारखाने आते है, के लिए 27-03-1990 को 1.256 मिलियन जापानी येन (लगभग 14.2 करोड़ रुपये) का ऋण दिया था। इस पर प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार का अनुबन्ध किया गया है। इस ऋण की अदायगी 20 वर्षों में की जानी है।

कित्तूर एक्सप्रेस का नाम कित्तूर रानी चेन्नमा के नाम पर रखना

4338. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इस समय "कित्तूर एक्सप्रेस" रेलगाड़ी उस "कित्तूर" नामक स्थान से होकर जाती है जहां पर कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी; और

(ख) क्या सरकार का विचार कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में "कित्तूर एक्सप्रेस" का नाम "कित्तूर रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस" रखने के लिए कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी नहीं ।

तलचेर मंडल में रेल सेवायें

4339. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तलचेर मंडल में रेल सेवाओं में रेलगाड़ियों की संख्या तथा यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था दोनों ही दृष्टि से कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) तालचेर मण्डल नहीं है, बल्कि यह खोरधा रोड मण्डल में स्टेशन है । तालचेर के लिए गाड़ी सेवाओं तथा यात्री सुविधाओं में कोई गिरावट नहीं आई है ।

कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर मनोरंजन केन्द्र

4340. **श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिए मनोरंजन केन्द्रों की व्यवस्था कर रखी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पर मनोरंजन केन्द्र कब तक स्थापित करने अथवा खोलने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रेलें महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर, जहां आवश्यक पाया जाता है, संस्थानों/क्लबों के रूप में मनोरंजन केन्द्रों की व्यवस्था करती है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

(ख) चूंकि कोल्हापुर में रेलवे संस्थान की स्थापना करना परियोजना की व्यावहारिकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा इसलिए इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

आटोमोबाइल के फालतू पुर्जों का मूल्य

4341. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आटोमोबाइल के फालतू पुर्जे बहुत मंहगे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या आटोमोबाइल फालतू पुर्जों के निर्माताओं को इस आशय के अनुदेश जारी किए जाएंगे कि वे स्वयं पुर्जों पर खुदरा मूल्य अंकित करें ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) आटोमोबाइल फालतू पुर्जों की लागत मुख्य रूप से कच्चे माल, जो फालतू पुर्जों की लागत का पर्याप्त भाग होता है, की लागत पर निर्भर करता है। कच्चे माल की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि से इसका प्रभाव फालतू पुर्जों की लागत पर भी पड़ता है।

(ख) फालतू पुर्जों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने मोटर-गाड़ी सहायक सामान उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

(ग) सरकार ने हाल ही में माप-तौल (पैकेज्ड वस्तु), नियम के मानकों में संशोधन किया है जिससे हिस्से-पुर्जे बनाने वालों के लिए 30 नवम्बर, 1990 के बाद से पैकेजों पर सभी स्थानीयकरों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

औषधों पर सीमा शुल्क में कटौती/छूट

4342. **श्री के० मानवेन्द्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन बल्क औषधों, औषध इन्टरमीडिएटों और तैयार दवाइयों पर सीमा शुल्क में या तो कटौती की गई है अथवा छूट दी गई है;

(ख) प्रत्येक औषध पर पहले कितना शुल्क था और अब कितना शुल्क है; और

(ग) जिन औषधों के मामलों में उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिला है, उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) जो भी जानकारी उपलब्ध होगी एकत्र की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आठवीं योजना में उद्योगों की स्थापना

4343. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तत्सम्बन्धी स्थिति क्या थी; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सामान्यतः बुनियादी स्वरूप की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश हैं, जिनके स्थापना-स्थल तकनीकी आर्थिक विचारों पर तय किए जाते हैं। इसके अधीन, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है। सातवीं योजना अवधि अर्थात, 1985-90 के पिछड़े क्षेत्रों को निम्नलिखित आशय पत्र (एल० ओ० आई०) तथा औद्योगिक लाइसेंस (आई० एल०) जारी किए गए :

	एल० ओ० आई० (आशय पत्र)	आई० एल० (औद्योगिक लाइसेंस)
1985	774	427
1986	621	278
1987	536	192
1988	551	153
1989	553	175
1990 (मई तक)	204	67

आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और, इसलिए बताना सम्भव नहीं है कि किन प्रस्तावों को अन्तिम रूप से इस योजना में शामिल किया जाएगा।

गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की रुचि को बढ़ावा देना

4344. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों और ग्रामीण दोनों में महिलाओं की रुचि को बढ़ावा देने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कोई महिला सहकारी समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सहकारी समितियों को मिल रहे प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। के० वी० आई० सी० अधीन कुछ सहकारी संस्थाएं हैं जिनका प्रबन्ध ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।

(ख) के० वी० आई० सी० के विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें, क्रम संख्या 9 पर दी गयी संस्था को छोड़कर सम्बन्धित राज्य के० वी० आई० बोर्ड धन देते हैं :—

सहकारी संस्था का नाम	कार्यक्रम/योजना
1. वोमैन्ज इंडिया ट्रस्ट, पनवेल	फल और सब्जी उत्पाद
2. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत, पापड़, जिसकी देश भर में कई शाखाएं हैं।	पापड़ और मसाले बनाना
3. इंस्टिट्यूट वीमैन सोप मैनु० आई० सी० एस० लि०, तेलपोलु (आंध्र प्रदेश)	अखाद्य तेल और साबुन
4. केरल सोप इन्डस्ट्रीज कॉपरेशन, कालीकट	अखाद्य तेल और साबुन

1	2
5. उमा महेश्वरी सोप मैंयुफैक्चरिंग आई० सी० एस० लिमिटेड गुंटूर आंध्र प्रदेश	गैर खाद्य तेल और साबुन
6. मनापद महिला श्रमिक ताडपत्र उद्योग समिति लिमिटेड तमिलनाडु	ताडपत्र फैन्सी वस्तुएं
7. इरमानसंघु महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति बेल्लूर	—जारी—
8. चन्दाकंचेरी ब्लाक महिला हाथ से निर्मित कागज सहकारी समिति	हाथ से निर्मित कागज
9. सुन्दर वन खाद और ग्रामीण उद्योग 24 परगना पश्चिम बंगाल (खाद ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा सीधे चलाई जा रही है।)	खादी

(ग) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक और वित्तीय सहायता, उचित सेवा सुविधायें जैसे कच्चा माल, प्रशिक्षण और तकनीकी तन्त्र में सहायता प्रदान करता है। स्वीकृत पैटर्न के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, खादी ऋण ब्याज मुक्त होते हैं जबकि ग्रामीण उद्योग पर चार प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज होता है जो सहायता से प्राप्त किया जाता है, खादी और ग्रामीण आयोग के ब्याज छूट के अन्तर्गत लागू करने वाली एजेंसियां खाद और ग्रामीण उद्योग ऋण दोनों पर चार प्रतिशत ब्याज का भार उठाती है। सहायता के पैटर्न में अनुदान भी शामिल है यदि समिति शत-प्रतिशत महिलाओं की है।

कुड्डालोर पत्तन से कंटेनर सेवा

4345. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार कुड्डालोर पत्तन से मद्रास पत्तन और देश के अन्य पत्तनों के बीच कंटेनर सेवायें प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। इस समय रेलों पर निम्नलिखित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कार्य कर रहे हैं :—

बंगलूर
कोयम्बतूर
गुंटूर
गुनपर्ती

नई दिल्ली

लुधियाना

अमीनगांव (गुवाहाटी)

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मारुति वाहनों की बिक्री के लिए एजेन्ट

4346. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मारुति वाहनों की बिक्री के लिए 31 दिसम्बर, 1989 तक तथा 1 जनवरी, 1990 से अब तक मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा, नगर-वार/राज्यवार कितने एजेन्ट नियुक्त किए गये तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक एजेन्सी द्वारा कितने वाहनों की बिक्री की गई;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बिक्री एजेन्ट हैं जो पूरे देश में मारुति वाहनों की बिक्री कर रहे हैं और इस प्रकार अन्य राज्यों को बिक्री कर तथा अन्य करों से वंचित कर रहे हैं; और

(ग) क्या मारुति वाहनों के अन्तर्राज्जीय हस्तांतरण पर, वाहन की खरीद की तारीख से कम-से-कम दो वर्ष तक प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक नियुक्त अभिकर्त्ताओं की राज्य-वार एवं नगर-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

1 जनवरी, 1990 से मारुति उद्योग लिमिटेड ने किसी भी अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं की है।

मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रत्येक अभिकर्त्ता को प्रारम्भ से 31 दिसम्बर, 1989 तक एवं 1 जनवरी, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक के लिए डिस्पैच किए गए वाहनों की संख्या संलग्न विवरण-2 में दर्शाई गई है।

(ख) दिल्ली के डीलर केवल दिल्ली में ही कारें बेचते हैं।

(ग) जी नहीं।

विवरण-1

क्र० सं०	राज्य	नगर	डीलरों की संख्या
1.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	दिल्ली	4
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1
		कानपुर	1
		इलाहाबाद	1
		मेरठ	1
		बरेली	1
		गाजियाबाद	1

1	2	3	4
3.	राजस्थान	जयपुर	1
		कोटा	1
		उदयपुर	1
4.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चण्डीगढ़	1
5.	हरियाणा	फरीदाबाद	1
		अम्बाला	1
6.	जे० एण्ड के०	श्रीनगर	1
		जम्मू	1
7.	पंजाब	अमृतसर	1
		लुधियाना	1
		पटियाला	1
8.	एम० पी०	ग्वालियर	1
		रायपुर	1
		भोपाल	1
		जबलपुर	1
		इन्दौर	1
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1
10.	प० बंगाल	कलकत्ता	2
		सिलीगुड़ी	1
		दुर्गापुर	1
11.	बिहार	रांची	1
		धनबाद	1
		पटना	1
		जमशेदपुर	1
12.	असम	गुवाहाटी	1
13.	नागालैंड	दीमापुर	1
14.	कर्नाटक	बंगलोर	1
		मंगलोर	1
		मैसूर	1
15.	तमिलनाडु	मद्रास	1
		त्रिची	1

1	2	3	4
16.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1
		विजयवाड़ा	1
17.	केरल	कालीकट	1
		त्रिवेन्द्रम	1
		कोचीन	1
18.	महाराष्ट्र	बम्बई	4
		पूना	1
		नागपुर	1
		औरंगाबाद	1
		नासिक	1
19.	गुजरात	अहमदाबाद	1
		बड़ोदरा	1
20.	गोआ	गोआ	1
	कुल		62

विवरण-2

डीलरों को डिस्पैच किए गए वाहनों का विवरण

डीलर का नाम एवं प्रचालन के नगर	प्रारम्भ से 31-12-1989 तक का डिस्पैच	1-1-90 से 31-7-90 तक का डिस्पैच
कार्गो मोटर्स (अहमदाबाद, राजकोट)	12019	1731
माडवी मोटर्स (बंगलौर, मंगलौर)	13582	1206
सोलर आटोमोबाइल्स (मंगलौर, बंगलौर)	2686	1104
फेयरडील मारवाड, भोपाल	5108	441
रोल्टा मोटर्स, भुवनेश्वर	2310	285
इनपाक मोटर्स, बम्बई	12586	722
रेशम मोटर्स, बम्बई	14082	996
वितेश्री ट्रेडिंग, बम्बई	18268	1591
साई सर्विसिज, बम्बई	5430	1456
मयोलो टैक्नो, कलकत्ता	13291	1050
वाल्मान डिस्ट्रीब्यूटर्स, कलकत्ता	4898	1026

1	2	3
पाही आटोमोबाइल्स, चंडीगढ़	20961	3151
मोडर्न आटोमोबाइल्स, (अम्बाला, शिमला, चंडीगढ़)	8481	2678
कम्पीटेंन्ट मोटर्स, नई दिल्ली	21477	—
गंगा आटोमोबाइल्स, नई दिल्ली	27492	3258
अगमाल ट्रेडर्स, नई दिल्ली	29805	3432
सिकन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली	15587	1798
विकास मोटर्स, नई दिल्ली	22565	3651
कम्पीटेंन्ट आटोमोबाइल्स, नई दिल्ली	11435	3758
क्लासिक मोटर्स, नई दिल्ली	6634	2345
साया आटोमोबाइल्स, दिल्ली	2962	2331
मारुति सेल्स एण्ड सर्विस, दिल्ली	8354	2604
बिमल आटो, गुवाहाटी	6700	993
महालक्ष्मी मोटर्स, हैदराबाद	8887	1061
मित्रा एजेन्सीज, (विजयवाड़ा, विजाग, हैदराबाद)	3883	1065
आल्फा आटोमोबाइल्स, जयपुर	7515	964
अन्सारी मोटर्स, श्रीनगर	3003	231
आनन्द मोटर्स, लखनऊ	6513	581
कानपुर ट्रैक्टर्स, (कानपुर, लखनऊ, झांसी)	2581	1019
ए०बी०टी० लिमिटेड, (मद्रास, मदुरै, कोयम्बटूर)	12866	1201
यूनियन मोटर्स, (त्रिची, मद्रास, मदुरै)	5323	1378
मिथिला मोटर्स, पटना	6193	634
पापुलर व्हीकल्स, त्रिवेन्द्रम	4422	449
सिवानी मोटर्स, (अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना)	7941	1965
साई सर्विसेज, (पूना, कोल्हापुर)	7568	990
आटोमोटिव मै० (नागपुर, औरंगाबाद, थाणे)	1407	524
रामा आटोमोबाइल्स, औरंगाबाद	1852	84
किरण मोटर्स, (बड़ोदरा, सूरत)	6308	1098
माडोवी मोटर्स, मैसूर	1389	208
पापुलर व्हीकल्स, कोचीन	3977	748
अमितदीप मोटर्स, (इलाहाबाद)	4143	589
राधिका आटोमोबाइल्स, ग्वालियर	3954	842

1	2	3
पारिख इंजी०, जमशेदपुर	1659	257
प्रोग्रेसिव मोटर्स, दीमापुर	930	332
कश्मीर मोटर कारपोरेशन, जम्मू	2513	540
चोगुले मइण्डस्ट्रीज, गोआ	2718	479
सेवा आटोमोटिव, नासिक	1479	405
बीके मोटर, सिलीगुड़ी	924	500
मशीनो टैक्नो, दुर्गापुर	568	44
इन्डस मोटर्स, कालीकट	1141	281
प्यारे लाल एण्ड सन्स, (मेरठ देहरादून, मुरादाबाद)	4214	1231
नवनीत मोटर्स, (उदयपुर, जोधपुर)	1500	378
मारुति आटोमोबाइल्स, रायपुर	1615	465
आशीष इन्वेस्टमैंट्स, राची	723	172
जोहल टैक्टर्स, धनबाद	771	215
फेयरडील मारवाड़, इन्दौर	1947	495
जबलपुर ट्रैक्टर्स, जबलपुर	1727	369
कविशा मोटर्स, (बरेली, आगरा)	2442	426
विपुल मोटर्स, फरीदाबाद	4318	1283
रोहन मोटर्स गाजियाबाद	1985	901
भटिया एण्ड कम्पनी, कोटा	1065	263
सैनी मोटर्स, लुधियाना	4910	1427
हीरा आटोमोबाइल्स, पटियाला	17	286
मारुति उद्योग लिमिटेड के स्टाकयार्ड द्वारा बिक्री	9800	—

मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगियां

[हिन्दी]

4347. प्रो० महादेव शिवनकार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस और हावड़ा-मुम्बई एक्सप्रेस (दक्षिण पूर्व रेलवे) में इस समय प्रथम श्रेणी की एक बोगी लगाई जाती हैं लेकिन पहले ऐसी चार बोगियां लगाई जाती थीं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या इस बारे में कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) यात्रियों के लिए और अधिक स्थान की व्यवस्था करने तथा पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के गतायु हो जाने के कारण पहले दर्जे के तीन तथा पहले एवं दूसरे दर्जे के एक मिश्रित सवारी डिब्बों में से पहले दर्जे के दो सवारी डिब्बों के बदले में दूसरे दर्जे के शयनयान लगाए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) नीति के तौर पर गाड़ियों में धीरे-धीरे पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के स्थान पर वातानुकूल शयनयान लगाए जाते हैं। यह आगामी वर्षों में ऐसे सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राजगढ़, मध्य प्रदेश में गैस की प्राप्ति

4348. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिले में राजगढ़ में प्राकृतिक गैस के भण्डार पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षमता में वृद्धि

4349. **श्री राजवीर सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के अनुसार अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एकक निर्यात लाभ अर्जित करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) "लघु उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति उपाय और औद्योगिक अनुमोदनों हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन" संबंधी दस्तावेज में दिये गये नीतिगत उपाय 31-5-1990 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये जिनका अभी कार्यान्वयन किया जाना है। फिलहाल, नीति के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संयुक्त स्टाक तीन पहिया स्कूटर निर्माता कम्पनियों के लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

4350. **श्री बापूराव परांजपे** :

श्री सुधाम बलवंत राव देशमुख : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में उन संयुक्त स्टाक कम्पनियों के नाम क्या हैं जो तीन पहिया आटो रिक्शा का निर्माण करती हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गत पांच वर्षों के दौरान लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में जो कम्पनियां तीन पहिया स्कूटरों का निर्माण करती है उनके नाम तथा जिन वर्षों के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई हैं, या जिनको गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों में वित्तीय निष्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादन लागत सहित विभिन्न निवेशों की लागत, बिक्री तथा लाभ की सीमा जैसी सूचना अन्तर्विष्ट हैं।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष
1.	बजाज आटो लिमिटेड	1985-86 और 1988-89
2.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड	1988-89

लघु औषध एककों पर मूल्य नियन्त्रण लगाना

4351. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र के औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश; 1987 को लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा गठित स्थायी समिति डी पी सी ओ, 1987 से संबंधित ऐसे सभी पहलुओं की जांच कर रही है जिन पर विभिन्न ग्रुपों से सुझाव, अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए हैं और यह चालू औषध नीति की पुनरीक्षा का एक भाग भी है।

रेलवे में शिकायत कक्ष

4352. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने सभी जोनल रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित कार्यालयों में "शिकायत कक्ष" में चालू वर्ष के दौरान अब तक जोन-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अब तक जोन-वार कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है;

(ग) आम तौर पर किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि ये शिकायतें रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने के बारे में हैं और यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) 1-1-90 से 31-7-90 तक रेलवे वार प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आम तौर पर आरक्षण और बुकिंग, है गाड़ियों के समय पालन में गिरावट, आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश, कर्मचारियों के अशोभनीय व्यवहार, सवारी डिब्बों में बिजली उपस्करों के ठीक से काम न करने, खान-पान और बेंडिंग सेवाओं, आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) इन शिकायतों से कार्य संचालन के संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने तथा वहां सुधार करने में सहायता मिल रही है।

विवरण

भाग (क) और (ख)

क्षेत्रीय रेलवे	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जिन शिकायतों पर कार्यवाही की गई, उनकी संख्या
मध्य	2441	2417
पूर्व	1027	1027
उत्तर	3585	3571
पूर्वोत्तर	1284	1276
पूर्वोत्तर सीमा	289	279
दक्षिण	1062	1052
दक्षिण मध्य	981	980
दक्षिण पूर्व	2092	1912
पश्चिम	1824	1815
जोड़	14585	14329

रेलवे का कार्यकरण

4353. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान सीटों का आरक्षण कराने वाले ऐसे रेल यात्रियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सीटें देने से इन्कार कर दिया गया और उन सीटों को दूसरे यात्रियों के नाम पर आरक्षित कर दिया;

(ख) कंडक्टर कितनी बार आवंटित कम्पार्टमेंट से अनुपस्थित पाए गए तथा रेलगाड़ी चलने पर कंपार्टमेंट में देर से पहुंचे;

(ग) दोषी कंडक्टरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्या उपाय किए गए हैं ताकि वे अपने कर्तव्य का समुचित ढंग से पालन करें; और

(घ) क्या रेलवे के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या इसकी समीक्षा करने का विचार है, ताकि रेल यात्रा सुविधाजनक, सुरक्षित और आनन्ददायक हो ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) ड्यूटी के प्रति लापरवाह तथा चूकों के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। पर्यवेक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाती हैं।

(घ) रेलों के कार्य संचालन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा उस पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा यात्री सुविधाओं में यथा सम्भव सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानान्तरण

4354. **श्री राम चन्द्र डोम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में मार्किटिंग डिविजन के क्षेत्रीय कार्यालय को किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानान्तरण पर कितनी लागत आएगी और स्थानान्तरण के बाद परिवहन आदि पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नारियल जटा उद्योगों को रियायत

4355. **श्री कै० मुरलीधरन** ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य में नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद उद्योगों को रियायत देने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

(ग) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग में अतिरिक्त सुधारों के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने छूट योजना को 8वीं पंच-वर्षीय योजना में भी जारी रखने का सुझाव दिया है, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा रहा था। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है और इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के प्रश्न के सन्दर्भ में कॅयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसे सलाहकार, (बी० एस० आई०), योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक समिति को सौंप दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता वाले कुछ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये प्रस्ताव भी उपर्युक्त समिति को सौंप दिए गए हैं।

रोहतास में भारी उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

4356. श्री छेदी पासवान : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले में कोई भारी उद्योग स्थापित किया गया है;

(ख) क्या इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस जिले के उद्यमियों को कुल कितनी धन-राशि सी० एम० राज सहायता के रूप में दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) किसी विशेष जिले के औद्योगिकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। फिर भी, 1987 से 1990 तक (जून तक) की अवधि के दौरान रोहतास जिले में उद्योग लगाने के लिए दो आशय पत्र-वर्ष 1987 में एक और 1989 में एक, जारी किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए बम्बई हाई के प्राकृतिक गैस

[अनुवाद]

4357. श्री विद्याधर गोखले :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से उक्त राज्य में विभिन्न उद्योगों के लिए बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस सप्लाई किए जाने जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के लिए महाराष्ट्र सरकार से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्धता के आधार पर राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को करीब 18 एमएमएससीएमडी गैस की मात्रा आपूर्ति के लिए वचन दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की सप्लाई की मांग

उपभोक्ता	मात्रा (मिलियन घन मीटर प्रतिदिन में)
1. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ट्राम्बे	1.80
2. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, थाल	3.00
3. हैवी वाटर प्रोजेक्ट, थाल	0.15
4. दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०, तलोजा	0.60
5. भारत इलैक्टानिक्स कारपोरेशन, तलोजा	0.03
6. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी, ट्राम्बे	1.50
7. महाराष्ट्र स्टेट इलैक्टिसिटी बोर्ड, उरान	4.50
8. हिन्दुस्तान कापर लि०	0.01
9. महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलेक्स, नागथाणे	0.60
10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	0.05
11. सी2/सी3 प्रोजेक्ट (ओएनजीसी)	1.15
12. एलपीजी (ओएनजीसी)	1.80
13. बाम्बे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन	1.50
14. हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स	0.15
15. प्रासिम	0.75
16. मेटाडिस्ट	0.01
17. कल्यानी स्टील	0.75
18. निप्पन डेनरो	1.00
कुल	18.55

"इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" में संस्थागत बिक्री

4358. श्री बसुदेव आचार्य :

डा० असीम बाला :

श्री अनादि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" की कुल बिक्री कितनी थी और पिछले वर्ष से इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान संस्थागत, बल्क और अन्य व्यापार की बिक्री में कितनी कमी आई;

(ग) कंपनी द्वारा 1989-90 के दौरान 31 एजेंट नियुक्त किए जाने के पश्चात् संस्थानगत बिक्री में 1989-90 में 1988-89 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान एजेंटों को कितना कमीशन अदा किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान आई डी पी एल की कुल बिक्री और पिछले वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बिक्री (लाख रु० में)	प्रतिशत वृद्धि
1988	1685·4	—
1989-90	17710 (अस्थायी)	5.1 प्रतिशत

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1987-88	1988-89	1989-90
प्रपुंज	5446	6241	6863
सूत्र योग			
ट्रेड	4034	5161*	5348*
संस्थान	3500	4614	4843
अन्य	691	838	656
कुल बिक्री	13671	16854	17710

*इसमें से कुछ अपरिहार्य रूप से संस्थानों को अन्तरित किया जाता है ।

(ग) 1889-90 और 1988-89 में आईडीपीएस में संस्थागत बिक्री की प्रतिशतता में वृद्धि।

वर्ष	संस्थागत बिक्री (रु० लाखों में)	प्रतिशत वृद्धि
1988-89	4614	31.8
1989-90	4843	5.0

विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाई गई निविदाओं की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं के कारण एजेन्टों की संख्या और क्रयादेशों की मात्रा के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(घ) 1989-90 के दौरान संस्थागत एजेन्टों को दिया गया कुल कमीशन 88.36 लाख रुपए है। देय कमीशन और अभी जिसका भुगतान किया जाना है वह 7.53 लाख रुपए है। कुल कमीशन 95.89 लाख रुपए है। इन आंकड़ों की लेखा परीक्षा की जा रही है और इसलिए अस्थायी है।

विशाखापट्टनम विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधा

4359. श्री के० राम मोहन राव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम् विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) रात्रि अवतरण सुविधाएं 1992 तक प्रदान किए जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

अवनीश्वरम में नया स्टेशन भवन

4360. श्री कोडीक्कुन्नील सुरेश : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन-शेनकोटाय मीटर गेज लाइन के अवनीश्वरम रेलवे स्टेशन पर एक नये स्टेशन भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) अवनीश्वरम में किसी नये स्टेशन भवन के निर्माण को कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, अवनीश्वरम में 3.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्टेशन की मौजूदा इमारत में सुधार, वर्तमान टाइलों की छत का आर० सी० सी० से बदलाव से संबंधित कार्य और आधुनिक बुकिंग कार्यालय पार्सल कार्यालय तथा अतिरिक्त प्रतीक्षालय क्षेत्र की व्यवस्था के काम पहले ही प्रगति पर है।

परभनी (महाराष्ट्र) में हवाई पट्टी

[हिन्दी]

4361. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में परभनी में एक हवाई पट्टी के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में न तो राज्य सरकार के प्राधिकारियों से और न किसी एयरलाइंस से अनुरोध प्राप्त हुआ है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण परभनी में हवाई पट्टी के निर्माण की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भी कोई योजना नहीं है।

मध्य प्रदेश में ड्रग फार्मूलेशन्स एककों की स्थापना

[अनुवाद]

4362. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रग-फार्मूलेशन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अभ्यावेदन

4363. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (युवा) कांग्रेस द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबन्ध मंडल को कोई अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस अभ्यावेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन प्रतिवेदनों के ब्योरे और उन पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

1-6-86 से अब तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (युवा) कांग्रेस से प्राप्त पत्रों की सूची—

क्र०सं०	पत्र संख्या	दिनांक	विषय	कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आई० ए० ए० के० (वाई)/सी (1)/89	14-6-89	भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय पर यूनियन के बहुमत का निर्धारण	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के० वाई० सी० ने सुझाव दिया कि मौजूदा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (मुख्यालय) यूनियन (मान्यता प्राप्त) को अमान्यता प्राप्त घोषित कर दिया जाए और यूनियन के बहुमत को निर्धारित करने के लिए गुप्त मतदान किया जाए। मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ इस मामले पर बातचीत की गई थी। गुप्त मतदान केवल तभी हो सकता है जब सभी संबंधित पार्टियों की राय प्राप्त हो जाए। चूंकि मान्यता प्राप्त यूनियन ने अपनी राय नहीं दी, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।	दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ई० यू० न्यायालय में गए हैं और मामला विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
2.	आई॰ए॰ए॰आई॰ के॰ (वाई)/सी/एस के/6/90	19-6-89	अन्तरिम सहायता के बारे में।	मान्यता प्राप्त यूनियन अर्थात् आई॰ ए॰ ए॰ आई॰ डब्ल्यू॰ यू॰ के साथ इस मामले पर अप्रैल, 90 में पहले ही एक समझौता हो गया है। समझौते के अनुसार कर्मचारियों को पहले से ही अन्तरिम सहायता का भुगतान कर दिया गया है।	मामले का समाधान कर लिया गया है।
3.	आई॰ए॰ए॰ आई॰के॰ (वाई)/सी7 (11)/89	10-7-89	आई॰ ए॰ ए॰ आई॰ के॰ मुख्यालयों में यूनियन के बहुमत का निर्धारण	वही स्थिति जो ऊपर मद 1 के अन्तर्गत दी गई है।	वही स्थिति जो ऊपर मद 1 अंतर्गत स्पष्ट की गई है।
4.	आई॰ए॰ए॰आई॰के॰ (वाई)/सी/7 (XII)/89	29-7-89	वायुसेना बैरकों में कर्मचारियों के लिए चिकित्सा दावों की पुनः प्रतिपूर्ति के भुगतान में एक समय अनियमितता के बारे में।	वायुसेना बैरकों में भुगतान पहले से ही किया जा रहा है। केवल एक मामले में स्टाफ कार ड्राईवर को नकदी ले जा रहा था वह आबंटित दिन को वायुसेना बैरकों में नहीं पहुंच सका था।	मामले का समाधान कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6
5.	आई•ए•ए•आई•के• (वाई/सी/8/VII)/89	31-8-89	30-8-89 को विरोधी पार्टियों द्वारा घोषित एक दिन की हड़ताल के दौरान भोजन और ठहरने की की व्यवस्था संदूषित भोजन के बारे में शिकायत।	पेट की गड़बड़ी के कुछ मामले थे। मुख्यालय में डाक्टरों को बुलवाया गया था। प्रभावित कर्मचारियों का तुरन्त इलाज करवाया गया था। हमारे दो अधिकारियों ने भी सभी तलों का दौरा किया और कर्मचारियों को सूचित किया कि वे चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मामले का निपटान कर लिया गया है।	मामले का समाधान कर लिया गया है।
6.	आई•ए•ए•आई•के• (वाई/सी/8/VII)/89	30-8-89	बहुमत निर्धारित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालयों पर गुप्त मतदान	उपर्युक्त मद 1 के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।	उपयुक्त मद 1 के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।
7.	आई•ए•ए•आई•के• (वाई)/सी/आई/आर/9-90	4-9-89	संघीकृत कर्मचारियों को प्रति महीने 500 रुपए की अन्तरिम सहायता की मंजूरी।	मान्यता प्राप्त यूनियन अर्थात् आई•ए•ए•आई० डब्ल्यू. यू. के साथ इस मामले पर अप्रैल, 90 में पहले ही एक समझौता हो गया है। समझौते के अनुसार कर्मचारियों को पहले से ही अन्तरिम सहायता का भुगतान कर दिया गया है।	मामले का समाधान कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6
8.	आई॰ए॰ए॰आई॰के॰ (वाई/सी/X(1)/89	5-10-89	वर्ष 1989-90 के लिए एक मुश्त राशि का भुगतान	आई॰ के॰ वाई॰ सी॰ ने मांग की कि कलकत्ता यूनिट के संबंध में लिए गए निर्णय को अन्य यूनिटों के मामलों में भी लागू किया जाए। कलकत्ता हवाई अड्डे में कर्मचारियों को एक मुश्त राशि के प्रति 2500/- रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। बाद में इसे सभी अन्य यूनिटों पर लागू कर दिया गया था।	मामले का समाधान कर लिया गया है।
9.	आई॰ए॰ए॰आई॰के॰ (वाई)/सी/12(11)/89	7-12-89	अन्तरिम सहायता की मंजूरी।	उपर्युक्त मद 7 के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।	उपर्युक्त मद 7 के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।
10.	आई॰ए॰ए.आई.के. (वाई)/सी/90-91	16/24-4-90	संशोधित संवर्ग के कर्मचारियों को 1-9-89 से देय वेतन संशोधन।	मान्यता प्राप्त यूनियनों ने अनुरोध किया गया है कि वे शीघ्र वेतन संशोधन के लिए अपना मांग पत्र प्रस्तुत करें। उनके मांग पत्र के प्राप्त होने के बाद बातचीत शुरू की जाएगी।	कार्यवाही तभी शुरू की जाएगी। जब मान्यता प्राप्त यूनियन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।

1	2	3	4	5	6
11.	आई०ए०ए०आई०के० (वाई/सी/5/)(1)/90 अध्यक्ष, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संबोधित।	21-5-90	यूनियन का बहुमत निर्धारण हेतु गुप्त मत।	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (युवा) कांग्रेस को स्थिति का पहले से ही पता है। अतः आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।	उपर्युक्त मद 1 के अन्तर्गत स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।
12.	आई०ए०ए०आई०के० (वाई)/सी/एसके/2/06/90 सचिव, आई०ए०ए०आई०डब्ल्यू यू० को संबोधित और अध्यक्ष आई०ए० ए० आई० को प्रति पृष्ठांकित	4-6-90	संबोधित कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की और एक मुश्त राशि देना।	प्रबन्धक वर्ग साथ मान्यता प्राप्त यूनियन के समझौते के कर्मचारियों को पहले ही भुगतान कर दिया गया है।	मामले का समाधान कर लिया गया है।
13.	आई०ए०ए०आई० के० (वाई/सी/एसके/1/06/90 अध्यक्ष आई०ए०ए० आई को संबोधित	4-5-90	अध्यक्ष के साथ भेंट के लिए अनुरोध।		
14.	आई०ए० ए० आई०के० (वाई/सी/7/(III)/90 अध्यक्ष आई०ए०ए०आई० को संबोधित।	7-7-90	यूनियन को मान्यता और समय-सीमा पदोन्नति, ऐसे कुछ संवर्गों में जहां गतिरोध आदि है, को पुनः एक करने जैसे अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए भेंट हेतु अनुरोध।	उन्होंने 19-7-90 को अध्यक्ष के साथ भेंट की।	मामले का समाधान कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6
15.	आई०ए०ए०आई०के० (वाई)/सी० एस० के 6/90 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को सम्बोधित और आई० ए०ए०आई० तथा अन्य को प्रति प्रेषित।	29-6-90	आई० ए०ए० आई० वर्कर्स यूनियन और मुख्यालय कर्मचारी यूनियन को अमान्य करना। बहुमत निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डों और मुख्यालयों पर गुप्त मतदान करवाना। कर्मचारियों का 1-9-89 से वेतन संशोधन।	मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा है।	उपर्युक्त मद संख्या 1 के अन्तर्गत उल्लिखित।
16.	आई०ए०ए०आई०के० (वाई)/सी/एसके/8/90 श्री रामसिंह, फराश का प्रतिवेदन सहित संलग्न।	20-8-90	जूते के बिल का प्रतिपूर्ति के बारे में।	मामले की जांच की जा रही है।	

कलकत्ता से बेलूरघाट के लिए वायुदूत सेवा

4364. श्री पलास बर्मन : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से बेलूरघाट के लिए वायुदूत सेवा पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

(ग) वायुदूत के पास विमान क्षमता की कमी और धावनपथ के सेवा योग्य न होने के कारण निकट भविष्य में बलूरघाट के लिए विमान सेवा पुन: आरम्भ नहीं की जा सकती है ।

दक्षिण भारत को जाने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

4365. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीनों के दौरान (1) केरल एक्सप्रेस, (2) आइलैंड एक्सप्रेस, (3) परसराम एक्सप्रेस, (4) वेनाद एक्सप्रेस, (5) वांचीनाड एक्सप्रेस, (6) त्रिवेन्द्रम-मद्रास एक्सप्रेस में औसतन कितने व्यक्तियों को जाने तथा वापस आने के लिए आरक्षण नहीं मिल सका; और

(ख) सरकार ने यात्रियों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जनवरी 90 से जून 90 तक की अवधि के दौरान केरल एक्सप्रेस, आईलैंड एक्सप्रेस और तिरुवनन्तपुरम-मद्रास मेल गाड़ियों की प्रतीक्षा सूची में रह जाने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार है—

गाड़ी संख्या	पहला दर्जा	वातानुकूल शयनयान	दूसरा दर्जा
2626 केरल एक्सप्रेस (तिरुवनन्तपुरम भाग में)	16	16	96
2626 केरल एक्सप्रेस (मंगलोर भाग में)	2	2	18
2625 केरल एक्सप्रेस (तिरुवनन्तपुरम में)	17	16	153
2625 ए/2625 मंगला केरल एक्सप्रेस (मंगलोर में)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	60
6525 नागरकोइल-बंगलूर आईलैंड एक्सप्रेस	11	9	61
2625 ए/6525 मंगलोर-बंगलूर आईलैंड एक्सप्रेस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25

1	2	3	4
6526 बेंगलूर-नागरकोइल आईलैंड एक्सप्रेस	6	4	57
6526/2626 ए बेंगलूर-मंगलोर आइलैंड एक्सप्रेस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	4
6319 मद्रास-तिरुवनन्तपुरम	23	19	28
6320 तिरुवनन्तपुरम-मद्रास मेल	14	11	82

परशुराम एक्सप्रेस, वेनाद एक्सप्रेस और वांचीनाड एक्सप्रेस गाड़ियों में केवल वातानुकूल कुर्सीयान में अग्रिम आरक्षण किया जाता है और उपर्युक्त अवधि के दौरान इन गाड़ियों की प्रतीक्षा सूची में कोई यात्री नहीं रहा था।

(ख) नई दिल्ली के रास्ते जम्मू तवी और मंगलोर के बीच मई, 1990 से एक साप्ताहिक गाड़ी चलायी गयी है। प्रति वर्ष गर्मी के मौसम के दौरान केरल से/तक विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी करने के लिए यथासंभव अतिरिक्त सवारी डिब्बे भी लगाये जाते हैं।

जरबापुरा-बांसपानी रैल लाइन

4366. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा से पारादीप बन्दरगाह के जरिये कोरिया, चीन और जापान को लोह-अयस्क के निर्यात हेतु जरबापुरा-बांसपानी रेल लाइन का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम और उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रैल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) लोह अयस्क के निर्यात हेतु पारादीप बन्दरगाह का विकास करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सम्पूर्ण प्रस्ताव में पारादीप बन्दरगाह का विकास, उड़ीसा में बैतारी-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण तथा खानों की परिवृद्धि शामिल है।

रेल लाइन का निर्माण प्रस्ताव का एक भाग है और खनिज एवं धातु व्यापार निगम या जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्माण के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने के प्रबन्ध कर दिए जाने के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है।

इन्दौर में पेट्रोल के भंडारण के लिए सुरक्षा उपाय

[हिन्दी]

4367. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर के उन स्थलों में जहां इन्दौर शहर से पेट्रोल भंडारण केन्द्रों को स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव है, सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) पेट्रोलियम अधिनियम/नियम तथा तेल उद्योग सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावित डिपो और रेलवे-साइडिंग के स्थान पर आवश्यक सुरक्षा के उपायों की योजना बनाई गई है। इनमें संबंधित प्राधिकारियों से ले-आउट प्लान की स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति, पर्याप्त जल-भंडारण और हाईड्रेन्ट लाइन, तदनुरूपी अग्नि-शमन सुविधाएं, प्रदूषण नियन्त्रण उपाय, नवीनतम संचार सुविधाएं, डिपो के परिसर में ग्रीन-बेल्ट, चार-दिवारियां और पहुंच-सड़क आदि शामिल हैं।

केरल एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए सुविधाएं

[अनुवाद]

4368. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेल गाड़ियों, विशेषकर दूसरे दर्जे के डिब्बों में सुविधाएं बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, केरल एक्सप्रेस में क्या-क्या सुविधाएं कराई गई हैं;

(ग) क्या इस गाड़ी के दूसरे दर्जे के शिकायत की है कि इस गाड़ी में पेयजल भी उपलब्ध नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी में पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) दूसरे दर्जे सहित सभी सवारी डिब्बों में यात्री सुविधा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी मानक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में पीने का पानी जेरी केनों के जरिये उपलब्ध कराया जाता है जिन्हें मार्ग में फिर से भरा जाता है। अनारक्षित सवारी डिब्बों में पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए प्लेट फार्मों पर, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, नलों की संख्या में वृद्धि की गई है और गर्मियों के मौसम के दौरान गाड़ियों में पानी की सप्लाई करने के लिए चलते फिरते पानी वाले तैनात किए जाते हैं।

पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक खपत

[हिन्दी]

4369. श्री के० डी० सुलतानपुरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक खपत कितनी है; और

(ख) सरकार का पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कितनी कमी करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के संबंध में आंकड़े वर्षवार रखे जाते हैं दिन वार नहीं ।

वर्ष 1989-90 के दौरान पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत निम्न प्रकार है—

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	पेट्रोल की खपत	अन्य उत्पादों की खपत	सभी उत्पादों की खपत
1989-90	3484	50341	53825

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि 21 जून, 1990 को घोषित उपायों से जुलाई, 1990 से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान करीब 1.8 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है ।

पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और शोधन

[अनुवाद]

4370. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम की खोज करने, तेल शोधन करने और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने वाली विभिन्न कंपनियों के साथ कोई समझौता ज्ञापन किया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यों पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई और यह उनकी वार्षिक आय का कितने प्रतिशत थी; और

(घ) अमरीका, यूनाईटिड किंगडम और सोवियत संघ में किए जा रहे अनुसंधान और विकास के प्रयासों की तुलना में ये प्रयास कम हैं या अधिक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड द्वारा बुकिंग राशि का वापस किया जाना

4371. चौधरी राम प्रकाश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बंगलौर अनेक लोगों को, उनके द्वारा "मोनटाना" कार के लिए 10,000 रुपये की जमा की गई बुकिंग राशि वापस नहीं कर रहा है हालांकि ऐसी राशि वापस करने के लिए उसने सार्वजनिक विज्ञापन जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जिन मामलों में मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स ऐसी बुकिंग राशि को वापस करने के लिए राजी भी हो जाता है, उनमें भी यह जान बूझकर "बंगलौर में भुगतान के लिए देय" चैक जारी करता है और जब ये चैक भुगतान के लिए बंगलौर भेजे जाते हैं तो निर्दोष जमाकर्ताओं को तंग करने के लिए उनके भुगतान में विलम्ब किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाना चाहती है कि मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बंगलौर "मोनटाना" कार के लिए जमा की गई बुकिंग राशि को अपने पास रोककर न रखे और इस कार के लिए अपनी बुकिंग रद्द वालों को वह राशि तुरन्त लौटा दें; और

(घ) मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड के पास 10,000 रु० की बुकिंग राशि के एक वर्ष से अधिक समय तक रहने की स्थिति में उस पर कंपनी द्वारा दिये जाने वाले ब्याज के बारे में सरकार की हिदायतें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार को यह बताया गया है कि बुकिंग रद्द कराने पर अग्रिम राशि लौटाने के बारे में कुछ मामलों में मैसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड द्वारा देर की जा रही है। ऐसी शिकायतें उपचारात्मक कार्यवाही के लिए विनिर्माताओं को भेज दी जाती हैं।

कम्पनी ने सूचित किया है कि जून, 1990 तक उन्हें धनराशि लौटाने के केवल 2900 अनुरोध मिले थे। इसमें से उन्होंने 1338 आवेदकों को तो पहले ही चेक भेज दिये हैं और लगभग 1000 अनुरोध अभी धनराशि लौटाने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। शेष मामलों पर सभी कागजात मिल जाने पर कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।

कम्पनी ने यह भी बताया है कि उनका मूल कार्यालय बंगलौर में है और रिफंड के आदेश तदनुसार जारी किये जाते हैं। एक बार चेक जारी हो जाने के बाद कम्पनी भुगतान में देर नहीं कर सकती क्योंकि भुगतान के लिए ये चेक ग्राहकों द्वारा सीधे बेंकों में ही पेश किये जाते हैं।

(घ) बुकिंग के लिए अग्रिम राशि स्वीकार करना कम्पनी और ग्राहकों के बीच एक संविदात्मक बाध्यता समझी जाती है। किन्तु ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से आटोमोबील निर्माताओं द्वारा बुकिंग हेतु अग्रिम राशि स्वीकार करने व उसके उपयोग के बारे में संशोधित दिशा निर्देश दिये हैं।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स रांची द्वारा भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

4372. **श्री शिबू सोरेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स, रांची द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) उक्त भूमि के लिए किस दर से मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) मुआवजे के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ङ) कोकिंग कोल लिमिटेड ने कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा अभी तक लगभग 36704 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

(ख) इस संबंध में भू-स्वामियों को देय मुआवजे की दर में एक स्थान से दूसरे स्थान के मामले में भिन्नता रही है, जोकि उक्त क्षेत्र की समय-समय पर बिक्री के क्रियाकलापों के दौरान भूमि की कीमत पर निर्भर करती है तथा जिसके आधार पर वर्तमान में मुआवजे की राशि का मूल्यांकन किया जाता है । सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० औसतन लगभग 45,000 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे की अदायगी कर रहा है । इसके अलावा, अतिरिक्त अदायगी (जैसे सांत्वना अदायगी, कीमतों में हुई वृद्धि तथा ब्याज के लिए मुआवजा) भी भूमि अधिग्रहण नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है ।

(ग) और (घ) इस समय मुआवजे के 14 मामले लम्बित पड़े हैं । उक्त मामले के लगभग एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि के दौरान निपटारा हो जाने की संभावना है ।

(ङ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने 3875 भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है ।

बिहार में सिवान में रसोई गैस का सिलिंडर भरने का संयंत्र

4373. श्री जनार्दन तिवारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान बिहार में विशेष रूप से सिवान जिले में रसोई गैस का सिलिंडर भरने का नया संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जबकि आठवीं योजना के दौरान, सीवान जिले में एक नया बाटलिंग संयत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि बिहार के किशनगंज में बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

राजस्थान में पेट्रोल पम्प

4374. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जिनके लिए अभी तक कोई पेट्रोल पम्प मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर की दूरी पर और राज्य मार्गमार्ग पर प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर और 20 हजार की जनसंख्या वाली प्रत्येक नगरपालिका में एक पेट्रोल पम्प खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) इक्कीस तहसीलों में डीजल/पेट्रोल का कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना, तेल कम्पनियों द्वारा किए गए नियमित सर्वेक्षण के आधार पर और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मात्रा/दूरी के मानदंडों के अनुसार की जाती है।

गैर-सरकारी कम्पनियों के लिए सरकारी लेखापरीक्षक

[अनुवाद]

4375. **श्री डी० अमात** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काले धन के मूल स्रोत को समाप्त करने के लिए, गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों का सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा कराए जाने के बारे में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया के कनिष्क विमान की दुर्घटना की जांच

4376. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रायल कनेडियन माउन्टेड पुलिस ने वर्ष 1985 में दुर्घटनाग्रस्त हुए कनिष्क एयर इंडिया बोइंग 747 के मामले की जांच पुनः कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) कनिष्क दुर्घटना से संबंधित गठित जांच अदालत ने जांच पूरी कर ली थी। रायल कैनेडियन माउंटिड पुलिस कनाडा में आपराधिक अभियोजन के उपयोग के लिए अलग से अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित कर रही है।

रेलवे में ठेका प्रणाली समाप्त करना

[हिन्दी]

4377. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में स्थायी निर्माण कार्य के लिए नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त करने की बजाए उक्त कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्थायी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए ठेका प्रणाली को समाप्त करने और नैमितिक श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) नियमित किस्म के रेलपथ के अनुरक्षण के कार्य ठेके पर नहीं दिये जाते हैं। इस कार्य के लिए स्वीकृत किये गये स्थायी श्रमिकों द्वारा

मौसमी किस्म का जो कार्य छोड़ दिया जाता है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए या तो नैमित्तिक श्रमिकों को तैनात किया जाता है या ठेके पर दिया जाता है, जो भी उपयुक्त और/अथवा किफायती हो।

लदान/उतराई, तोल, पार्सलों आदि की सम्हलाई, कोयले, राख की सम्हलाई, सिडर चुनने और भाप रेल इंजन शेडों, आदि में गर्त की सफाई के कार्य परम्परागत रूप से ठेकेदारों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन के आधार पर इस कार्य में काफी भिन्नता होती है।

जहां कहीं नैमित्तिक श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं, उनकी बारी आने पर तथा स्क्रीनिंग की विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके नियमित पदों पर समाहन के बारे में विचार किया जाता है।

ठेका प्रणाली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल के लिए वितरक

[अनुवाद]

4378. श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पेट्रोल और डीजल के वितरकों का चयन करने के लिए पूर्वी अंचल का मुख्यालय कहां स्थित है;

(ख) वितरकों का चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) पेट्रोल और डीजल के लिए वितरकों को कितने प्रतिशत लाभ दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) उड़ीसा राज्य, तेल चयन बोर्ड (पूर्व) जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, के कार्य क्षेत्र में शामिल है।

(ख) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति के लिए तेल कंपनियां प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित करती हैं। निर्धारित मानदण्ड के अधीन पात्र व्यक्तियों से ऐसे विज्ञापनों के उत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर संबंधित तेल चयन बोर्ड द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसके उपरान्त, तेल चयन बोर्डों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संबंधित तेल कम्पनी द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति की जाती है।

(ग) पेट्रोल और एच० एस० डी० डीलरों को कमीशन स्लैब के आधार पर होता है और वह निम्नलिखित है :—

(रुपए/कि०ली०)

स्लैब	पेट्रोल	हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०)
0 -- 360 कि० लि०	250	135
361— 600 कि० लि०	179	92
601 – 1080 कि० लि०	160	72
अधिक — 1080 कि० लि०	138	66

जो डीलर चेक/मांग-ड्राफ्ट एकत्रीकरण प्रभार के रूप में कुछ नहीं देते हैं उन डीलरों से, उपर्युक्त कमीशन की दर में से बिक्री होने या न होने पर ध्यान दिए बिना पेट्रोल पर 18 रुपए प्रति कि०लि० और डीजल पर 8 रुपए प्रति कि० लि० की दर से एक समान राशि काट ली जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं रद्द करना

4379. श्री बाबूभाई मेघजी शाह :

श्री हरीश रावत :

प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस 320 की उड़ानें बन्द किए जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं कम कर दी हैं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाओं में कमी करने के कारण कुछ वायु मार्गों पर 50 प्रतिशत से भी अधिक विमान सेवाएं कम हुई हैं;

(ग) इन विमान सेवाओं के रद्द किये जाने के कारण इंडियन एयरलाइन्स को कितना घाटा हुआ;

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं को कम करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स को यह अनुदेश जारी करने का है कि वह इंडियन एयरलाइन्स उड़ानों के सभी क्षेत्रों और वायु मार्गों में समान रूप से आई० ए० सी० विमान की नियमित निर्धारित सेवा पुन: प्रारम्भ करे ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ धारणाओं के आधार पर ए-320 बेड़े के परिचालन न करने के कारण रोकड़ अधिशेष में 31-7-1990 तक की अवधि के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है।

(घ) यातायात मांग, जहां तक संभव हो विमान सम्पर्क रख-रखाव की आवश्यकता, विमान की उपलब्धता और परिचालनात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाइन्स की सेवाए कम की गई हैं/वापस ली गई हैं।

(ङ) विमान क्षमता की वर्तमान कठिनाई को देखते हुए वापस ली गई सेवाओं को फिर से शुरू करना संभव नहीं है।

न्यूजप्रिंट यूनिट

4380. श्री आर० एन० राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ और (अखबारी कागज एकक) न्यूजप्रिंट यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) अखबारी कागज की 3 लाख मी० टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त 5.96 लाख मी० टन की क्षमता औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्रों के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

इराक द्वारा ठेका रद्द करना

[हिन्दी]

4381. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक की सरकार द्वारा रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विस के साथ हुए ठेके को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों को सुनिश्चित किया है जिनके कारण रेल इंडिया टेक्नीकल सर्विस को विदेशों में आशा के अनुरूप ठेके नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में जांच करना कब प्रारम्भ करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) इराकी रिपब्लिक रेलवे एस्टाब्लिशमेंट ने बगदाद-अल-एबैम-अकाशात रेल लाइन (बी० ए० ए० आर०) परियोजना के परिचालन और अनुरक्षण के लिए राइट्स के साथ हुए समझौते को समाप्त करने के कोई कारण नहीं बताये हैं।

(ख) और (ग) विदेशों में राइट्स की गतिविधियां अक्षुण्य रूप से जारी हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशों में कुल मिलाकर नौ नए ठेके प्राप्त किए गए थे। यह एक सतत प्रक्रिया है। राइट्स के कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल में मिलावट

4238. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल पम्पों की कितनी बार जांच की गई और कितने पेट्रोल पम्पों से नमूने लिए गए; और

(ख) पेट्रोल में मिलावट के लिए दोषी पाये जाने पर कितने लाइसेंस रद्द किए गए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जुलाई, 1989 से जून, 1990 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के 3443 निरीक्षण किए गए और 184 नमूने लिए गए।

(ख) डीजल की मिलावट करने वाले एक खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप को समाप्त किया गया।

मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में रसोई गैस एजेंसियां

4383. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलाने की लकड़ी के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लिए वितरकों की कब और किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) खासकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन में शीर्ष वरीयता देने के लिए तेल चयन बोर्ड से आग्रह किया गया है। तथापि, तेल चयन बोर्डों द्वारा योग्य उम्मीदवारों के चयन के पूर्व किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्दिष्ट करना कठिन है कि इन डिस्ट्रीब्यूटरों को कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है।

शंकरपल्ली रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटना

[अनुवाद]

4384. श्री के० ओब्का राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे में शंकरपल्ली रेलवे स्टेशन के निकट एक भयंकर दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच आयोग के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दक्षिण मध्य क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई। बहरहाल, रिपोर्ट में किसी कर्मचारी विशेष की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है।

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर स्टालों का आबंटन

4385. श्री राज मंगल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ न होने देने के लिए नई दिल्ली, दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाल तथा ट्रालियां प्रदान/मंजूर करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध लागू होने के बाद, नई दिल्ली स्टेशन पर अनेक स्टालों की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनके आबंटन में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्टालों आदि की संख्या में वृद्धि करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) जी हां। कुछ स्टाल इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

(ग) ये यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किये गये थे।

एजवाल हवाई अड्डा

4386. डा० सी० सिलवैरा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एजवाल में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की सुविधा के लिए एक और हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना का कुछ सर्वेक्षण कार्य और अन्य तकनीकी कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) क्या इस हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं है।

बनारस एक्सप्रेस रेलगाड़ी का मथुरापुर रेलवे स्टेशन पर रुकना

[हिन्दी]

4387. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बनारस एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बिहार में मथुरापुर रेलवे स्टेशन पर रुकने की सुविधा उपलब्ध कराना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे पर बनारस एक्सप्रेस नाम की कोई गाड़ी नहीं है। बहरहाल, मथुरापुर में किसी मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुरादाबाद में नेपा मिल परियोजना के लिए भूमि

4388. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल बलीगंज (मुरादाबाद) परियोजना की वर्ष 1989 के दौरान दो बार नींव रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों अवसरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस परियोजना के लिए मिल द्वारा अब तक कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है और इसके लिए मुआवजे के रूप में कितना भुगतान किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) शिलान्यास समारोह पहले 1 सितम्बर, 1989 को होना था किन्तु भारी वर्षा और खराब मौसम के कारण माननीय प्रधान मन्त्री जी की यात्रा अंतिम क्षणों में स्थगित कर दी गई थी। तथापि, तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 सितम्बर, 1989 को शिलान्यास किया। दोनों अवसरों पर की गई व्यवस्था में 24.62 लाख रुपये की कुल राशि व्यय की गई थी।

(ग) इस परियोजना के लिए अभी तक 800 एकड़ अपेक्षित भूमि की तुलना में कुल 570.225 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजे के भुगतान के रूप में वितरण के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को 1.7 करोड़ रुपये की अनंतिम राशि दी गई है।

होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा चलाए जा रहे होटलों में घाटा

4389. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा चलाए जा रहे होटल घाटे पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रीनगर में स्थित होटल के बारे में स्थिति क्या है; और

(ग) इसे और अधिक लाभप्रद उद्यम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सेंटोर लेक व्यू होटल, श्रीनगर का वित्तीय कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा है।—

1987-89	1988-89	1980-90 (करोड़ रुपए में)
(2.58)	(2.93)	(3.65)
हानि	हानि	हानि

(ग) विख्यात होटल श्रृंखला द्वारा समता भागीदारी, ब्याज भुगतान पर ऋण स्थगन आदि जैसे वैकल्पिकों की जांच की जा रही है।

जेनेवा में रेलवे अनुसंधान समझौता

[अनुवाद]

4390. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1989 को जेनेवा में रेलवे अनुसंधान समझौते की पुनरीक्षा हेतु रेलवे अनुसंधान सम्बन्धी वार्ता दल को कोई प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रस्ताव के प्रति विभिन्न विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि की खरीद

4391. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से बाजार दर पर 23.78 करोड़ रुपये मूल्य भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन की स्वीकृति के बिना यह भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त है;

(ग) किस प्रकार की भूमि खरीदी गई है और यह भूमि किस कार्य के लिये उपयोग में लाई गई है अथवा लाई जा रही है;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को ये भवन और भूमि दिल्ली प्राधिकरण को वापस करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय-संस्थान — दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच भूमि तथा भवन को वापस करने के सौदे में कितनी धनराशि व्यय खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा इटली को पनडुब्बी केबल ठेका देना

4392. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा इटली की एक फर्म को 3 करोड़ रुपये का पनडुब्बी केबल ठेका दिए जाने की कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस इटली की फर्म को शुरू में यह ठेका किस प्रकार दिया गया था और इस सौदे के लिए अन्य किन-किन कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव दिए गए थे;

(घ) क्या इस सौदे में की गई विभिन्न अनियमितताओं के लिए कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ङ) इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन में प्रकाशित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के विज्ञापन के प्रति प्राप्त दरों के आधार पर उक्त संविदा दी गई थी। मैसर्स पिरेली, इटलीफर्मसर्स फुरुकावा जापान और मैसर्स एन०के०एस० फिलिप्स हालैंड से पेशकश प्राप्त हुए थे। कोई जांच नहीं की गई।

यात्री रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

4393 **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन पर यात्री रेल गाड़ियां चलाना आरम्भ करने में विलंब के आशय की समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियां चलाना आरम्भ न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) 20-4-90 को "दैनिक ट्रिब्यून" चंडीगढ़ में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ऊना-दिल्ली गाड़ी 30-4-90 से चलाई जाएगी । मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे द्वारा 7-5-90 को इसका खण्डन कर दिया गया था ।

(ख) से (घ) नांगल-तलवाड़ा के बीच एक गाड़ी चलाने का रेलों पर कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोल धन-बिजली परियोजना में राजस्थान का हिस्सा

4394. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का हिमाचल प्रदेश के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में कोल पन बिजली की योजना स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव है जिसकी स्थापना नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम द्वारा की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को इस सहयोग से अलग रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राजस्थान को इस परियोजना से 63 प्रतिशत बिजली प्राप्त होगी; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कोल बांध परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने तथा परियोजना को 1990-91 तक पूरा किए जाने के बारे में एक समझौते पर 30 जून, 1984 को हस्ताक्षर किए गए थे । तदनुसार 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में परियोजना के लिए निधियों संबंधी प्रावधान की सूचना देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने बारम्बार राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है। परियोजना का कार्य आरंभ किए जाने के लिए 6-6-1987 को हुई बैठक में राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की सरकारों के विद्युत सचिवों द्वारा इस मामले पर पुन: विचार-विमर्श किया गया था । लेकिन हिमाचल प्रदेश, सरकार की ओर से बारंबार अनुस्मारक भेजे के बावजूद राजस्थान सरकार 7वीं एवं 8वीं योजनावधि के दौरान परियोजना हेतु निधियों संबंधी प्रावधान के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं दे पायी है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता से नाथ पा झाकरी विद्युत निगम के जरिए परियोजना को क्रियान्वित किया जाए । केन्द्रीय सरकार के नीति निर्णय के अनुसार इस प्रकार की परियोजनाओं में केवल वही राज्य भागीदार हो सकता है जिस राज्य में यह स्थित है । इसलिए इस परियोजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की भागीदारी की सम्भाव्यता नहीं है। राजस्थान सरकार को इसके हिस्से की विद्युत केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार प्राप्त होगी ।

एयर इण्डिया का बाके परीबास" से ऋण लेने का समझौता

[अनुवाद]

4395. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री आत्माराम पोद्दुके : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा दो ए-310 विमान खरीदने हेतु "बाके परीबास" नामक फ्रांसीसी बैंक से ऋण लेने के लिए किया गया समझौता खटाई में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा वित्तीय ऋण देने में असमर्थता जताने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक के साथ कोई और नई बातचीत की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो एयर इंडिया इस वर्ष अक्तूबर में अपना पहला और वर्ष के अन्त तक अपना दूसरा ए-310 विमान कैसे खरीदेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) मैसर्स "बाके परीबास" को एअर इंडिया द्वारा लिये जाने वाले दो ए-310-300 विमानों की प्राप्ति के लिए इसकी वित्त व्यवस्था करने के लिए एक जापानी लिवरेज्ड लीज ढांचे की व्यवस्था करनी थी। तथापि, हाल की खाड़ी की स्थिति और स्टाक मार्केट में आई गतिविधियों के कारण एक उपयुक्त जापानी निवेशक का पता लगाने में व्यवधान आ गया।

इन दो विमानों की प्राप्ति के लिए यू० के०, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी की निर्यात क्रेडिट एजेंसियों के माध्यम से एक अंतरिम पट्टा तैयार करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। दोनों विमान पहुंच चुके हैं।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के श्रमिकों को अन्तरिम राहत का भुगतान

4397. **श्री हाराधन राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, बी०पी०ई० सर्कुलर नं० 2(30)/87-बी०पी०ई० (डब्ल्यू० सी०), दिनांक 8-9-1987 के अनुसार, मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी एण्ड सेरामिक वर्क्स, जबलपुर के श्रमिकों को अन्तरिम राहत का भुगतान करने के लिए एक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) फाटरी मजदूर पंचायत (जबलपुर) और अन्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 4 दिसम्बर, 1989 को मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) को, इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर, रिफ्रेक्टरी एण्ड सेरामिक एकक जबलपुर के श्रमिकों को, बी० पी० ई० के दिनांक 8 सितम्बर, 1987 के का० ज्ञा० सं० 2(30)/87-बी०पी०ई० (डब्ल्यू० सी०) के अनुसार अन्तरिम राहत का भुगतान करने के निदेश दिए। बी० एस० सी० एल० को यह आदेश 15 मार्च, 90 को दिया गया था। तथापि आदेश प्राप्त होने से पहले, बी० एस० सी० एल० ने 4 दिसम्बर, 1989 को दिए गए आदेश के विरुद्ध खण्ड-पीठ, कलकत्ता उच्च न्यायालय में 16 फरवरी, 1990 को एक अपील दायर कर दी। तत्पश्चात् बी० एस० सी० एल० ने 16 मई, 1990 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक स्थगन याचिका दायर की है जिसमें विचारण न्यायालय के दिनांक 4 दिसम्बर, 1989 के आदेश की क्रिया को रोकने की

प्रार्थना की गई है। अपील और रोक याचिका दोनों की अभी तक पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है। इस प्रकार मामला अभी न्यायाधीन है।

पेट्रो-रसायन के उत्पादन के लिए कार्यक्रम

4398. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में पेट्रो-रसायन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है,

(ख) इन कार्यक्रमों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) मांग पूर्ति अनुमानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पेट्रो रसायनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताएं जिनके अन्तर्गत अनेक उत्पाद और एकक आते हैं, स्वीकृत की गई हैं और वे स्थापित की जा रही हैं। यह सतत प्रक्रिया है।

ऐसी परियोजनाओं के पनपने की अवधि सामान्यतया 3 से 5 वर्ष की होती है।

गोवा में एक स्पेन्डिक्स उद्योग की स्थापना हेतु लाइसेंस

4399. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गोवा में डूपन के साथ एक स्पेन्डिक्स उद्योग स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु मे० थापर डू पोंट स्पेंडेक्स लि० ने गोवा राज्य में लगभग 87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 800 टीपीए क्षमता की एक स्पेन्डिक्स यार्न परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

खोई से कागज

[हिन्दी]

4400. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल के बजाय कोयले से चलाई जाने वाली मशीनों से खोई से कागज बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : इस समय अधिकांश लुगदी तथा कागज कारखाने, लुगदी और कागज बनाने में विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु अपेक्षित वाष्प सृजन करने के लिए कोयला का उपयोग कर रहे हैं।

कोटिपल्ली-काकीनडा रेल लाइन

[अनुवाद]

4401. श्रीमती के० कमुना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में कोटिपल्ली और काकीनडा के बीच रेल लाइन बिछाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ग) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

60 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिए रियायतें

4402. श्रीमती के० कमुना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी यात्रिओं के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 25 प्रतिशत रियायत दी गई है;

(ख) क्या सरकार का इस योजना में संशोधन करने और 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को यह सुविधा प्रदान करने तथा उनके लिए सभी श्रेणियों के रेल किराए में पचास प्रतिशत रियायत देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां। 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा के लिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न तंगियों के कारण मोजूदा रियायत के दायरे को बढ़ाया नहीं जा रहा है।

रायगडा-मथिलीगुडा रेल लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे)

4403. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे में रायगडा-मथिलीगुडा रेल लाइन बिछाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस परियोजना हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है तथा 1990-91 के दौरान 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कोयले की चोरी

4404. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोयला खानों में तथा उनसे बाहर भी कोयले की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की चोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वैगनों, स्टाकयार्डों, डिपो, आदि से कोयले की चोरी के कुछ प्रयास बदमाश व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाते हैं। कोयले की चोरी के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) और (ग) कोयले की चोरी की इस समस्या से निपटने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के समन्वय के साथ निम्नलिखित निरोधक कदम उठाए गए हैं :—

(1) उक्त क्षेत्र में निरन्तर निगरानी तथा कोयला कंपनियों के सुरक्षा-बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा चलती-फिरती गश्त में तेजी लाया जाना।

(2) पुलिस तथा जिला प्राधिकारियों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखा जाना।

(3) सामरिक स्थलों पर निरीक्षण चौकियों की स्थापना।

(4) कोलियरियों की खान-मुहानों की कोयला डिपों की परिसर दीवारों द्वारा घेराबंदी।

(5) रेलवे स्टाकयार्ड को खान मुहानों से कोयला/कोक के अन्तर्गत परिवहन का विभागीकृत किया जाना। रेलवे वैगनों की कोयले की चोरी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल से भी सहायता प्राप्त की जाती है।

(6) सड़कों द्वारा संचलन किए जाने के लिए सैट-लाइट स्टाकयार्डों का स्टाक ताकि कोयला क्षेत्रों में निजी वाहनों के प्रवेश को रोका जा सके।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4405. **श्री हर्षवर्धन :**

श्री राजवीर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 तक जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूरे देश में प्रत्येक गांव में बिजली की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार, अविद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सभी अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण आठवीं योजना के अन्त तक किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते निधियां और अन्य आवश्यक निवेश उपलब्ध हों।

विवरण

अविद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-3-1990 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	21*
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	1903
3.	असम	21995	1011
4.	बिहार	67546	21351
5.	गोआ	380	9*
6.	गुजरात	18114	222*
7.	हरियाणा	6745	—
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	46*
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	360
10.	कर्नाटक	27028	545*
11.	केरल	1219	—
12.	मध्य प्रदेश	71352	11325
13.	महाराष्ट्र	39354	248*
14.	मणिपुर	2035	778
15.	मेघालय	4902	2 32
16.	मिजोरम	721	[illegible]9
17.	नागालैंड	1112	[illegible]3
18.	उड़ीसा	46553	1[illegible]
19.	पंजाब	12342	—

1	2	3	4
20.	राजस्थान	34968	8790
21.	सिक्किम	440	77
22.	तमिलनाडु	15831	18
23.	त्रिपुरा 856 (4727, 1971 की जनगणना के अनुसार)		2099
24.	उत्तर प्रदेश	112566	32208
25.	प० बंगाल	38024	11632
	जोड़ (राज्य)	578009	112174
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	1123	3*
	जोड़ (अखिल भारत)	579132	112177

*शेष गांवों का विद्युतीकरण व्यवहार्य नहीं है।

मारुति वाहनों में विदेशी पुर्जे

4406. श्री वी० एम० रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न किस्म के मारुति वाहनों में कितने प्रतिशत विदेशी पुर्जे लगे है;

(ख) इन सभी पुर्जों का निर्माण देश में ही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 31 जुलाई, 1990 को विभिन्न प्रकार के मारुति वाहनों में विदेशी पुर्जों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

कार	7.93%
ओमनी	10.72%
जिप्सी	33.67%

(ख) और (ग) मारुति वाहनों में 100% स्थानीय अन्तर्वस्तु प्राप्त करना, लागत की दृष्टि से व्यवहार्य या लाभकारी नहीं होगा। मारुति उद्योग लिमिटेड ने कार के लिए लगभग 95% स्वदेशीकरण प्राप्त करने की योजना बनाई है।

त्रिची-नगोल रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करना

4407. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिची-नगोल, बरास्ता तंजावूर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परि-

वर्तित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स में ड्राफ्टमैनों के वेतन और अन्य लाभ

[हिन्दी]

4408. श्री एस० सी० वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स में कार्यरत ड्राफ्टमैनों ने अपनी सेवा शर्तों के बारे में कई ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स के प्रबंधन द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ड्राफ्टमैनों की मुख्य मांग उनके अधिष्ठापन स्तर के उन्नयन की है । यह मुद्दा "भेल" स्थित शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच द्वारा निर्मित पदोन्नति नीति की उप समिति के विचाराधीन है ।

भोपाल में रसोई गैस की कमी

[अनुवाद]

4409. श्री एस० सी० वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भोपाल में लोगों को रसोई गैस की कम सप्लाई की स्थिति का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो;

(ग) क्या रसोई गैस की सप्लाई बहुत दूर के स्थानों से की जाती है जिसके फलस्वरूप रसोई गैस की ढुलाई में परिहार्य और फिजूल समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का रसोई गैस को उसके सिलेंडर भरने के स्थान से फुटकर एजेंसियों तक पहुंचने के आड़े-तिरछे मार्गों पर डीजल की फिजूल खपत रोकने की दृष्टि से सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) परिवहन समस्याओं के अतिरिक्त, बल्कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में अड़चनों की वजह से भोपाल में हाल में एल० पी० जी० रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी रूप से कमी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

(ग) से (ङ) विभिन्न आपूर्ति स्रोतों पर एल० पी० जी० की उपलब्धता और भाड़े के अर्थशास्त्र के आधार पर, जहां तक सम्भव होता है सभी बाजारों को बाटलिंग संयंत्रों के साथ जोड़ा जाता है।

पकौड़ रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल

[हिन्दी]

4410. श्री साइमन मरांडी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे में पकौड़ रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पकौड़ रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पैदल पुल पहले ही मौजूद है।

राजरप्पा परियोजना से उपकरणों की चोरी

4411. श्री साइमन मरांडी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में राजरप्पा परियोजना के खनन (यांत्रिकी) विभाग से लम्बे समय से लाखों रुपए के उपकरण चुराए जाते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई चोरियों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान राजरप्पा परियोजना से सामग्रियों की चोरी के 14 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। तत्संबंधी विवरण संलग्न है। इनमें से अधिकांश मामले पुलिस की जांच के अधीन हैं। ऐसे मामले, जिनमें अधिकारी/कर्मचारी अंतर्ग्रस्त हैं, उन मामलों में विभागीय जांच से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान राजरप्पा में हुई चोरी का विवरण

दिनांक/स्थान	अन्तर्ग्रस्त सामग्री	सामग्री की लागत	संक्षिप्त ब्यौरा	इस संबंध में की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
29-9-87	सीमेंट की 100 बोरियां	रु॰ 8500/-	सिविल ठेकेदार द्वार सीमेंट का लदा हुआ ट्रक अनाधिकृत रूप में बाहर ले जाया जा रहा था।	इस संदंध में एक मामला स्थानीय पुलिस के साथ दर्ज किया गया था और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई दिनांक 30-9-87 का भारतीय दण्ड संहिता 411 तथा 7 ई॰ सी॰ अधिनियम के अंतर्गत रामगढ़ पी॰ एस॰ मामला नम्बर 261/87।

1988-89

वर्ष 1988-89 के दौरान राजरप्पा में हुई चोरी का विवरण

स्थान	दिनांक	अन्तर्ग्रस्त सामग्री	सामग्री की लागत	संक्षिप्त ब्यौरा	इस संबंध में की गई कार्रवाई
राजरप्पा	3-6-88	40 लीटर डीजल	150 रु॰	डीजल की उठाईगीरी करते हुए एक कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा गया।	मामला पुलिस म दर्ज किया गया। मामला सं॰ 164/88 दि॰ 4-6-88 विभागीय जांच के बाद उक्त कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।

1	2	3	4	5	6
राजरप्पा	28/29-7-88	75 आम्र्ड केबल	5000 रु०	क्वैरी से केबल की चोरी की गई। पूरी केबल प्राप्त हो गई।	मामला दर्ज किया गया, सं० 240/88 दि० 29-7-88 भा० द० सं० की धारा 379/411 के अन्तर्गत। 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, आरोप-पत्र जारी किया गया।
राजरप्पा	22/23-8-88	25 प्लेट 12 वो० बैटरी	2000 रु०	चोरी हुई बैटरी प्राप्त कर ली गई। पुलिस द्वारा दो बाहरी व्यक्तियों को पकड़ा गया।	पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया, दोनों अभियुक्तों को धारा 379/411 के अन्तर्गत दि० 23-7-88 के मामला सं० 279/88 के अन्तर्गत पुन: आरोप-पत्र दिया गया।
राजरप्पा	16-12-88	पी० वी० सी० केबल 225	6000 रु०	क्वैरी से केबल की चोरी हुई। सामग्री पुन: प्राप्त कर ली गई।	धारा 79 के अन्तर्गत दि० 17-12-88 को पुलिस में मामला दर्ज किया गया, सं० 405/88
राजरप्पा	7-1-89	पुरानी केबल 100	150 रु०	8 व्यक्तियों पर दोषारोपण किया गया।	धारा 379 के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज किया गया, मामला सं० 07/89।

1989-90

वर्ष 1989-90 के दौरान राजरप्पा में हुई चोरी का विवरण

स्थान	दिनांक	अन्तर्ग्रस्त सामग्री	सामग्री की लागत	संक्षिप्त ब्योरा	इस संबंध की गई कारंवाई
1	2	3	4	5	6
1. राजरप्पा नई वर्कशाप	19/20-8-89	आर्म्ड टेबल 50	3000 रु०	केबल काटते हुए दो अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा गया, सामग्री प्राप्त की गई।	अभियुक्तों को पुलिस को सौंपा गया प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई। मामला सं० 201/89 दि० 20-8-89 पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला कोर्ट के विचाराधीन।
2. दामोदर नदी इंटेक वेल राज-रप्पा	11-9-89	आर्म्ड केबल 50	2000 रु०	इंटेक वेल से केबल की चोरी की गई	प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई, मामला सं० 226/89 दि० 11-9-89, मामला जांचाधीन।
3. वही	13-11-89	सी० आई० पाइप लाइन	2000 रु०	एक दोषी व्यक्ति पकड़ा गया। पाइप प्राप्त की गई।	5 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई। मामला सं० 277/89 भा० द० सं० की धारा 379, धारा 411 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
4. चितापुर घासी टोला	14-11-89	सी० आई० पाइप लाइन	4000 रु०	पुलिस द्वारा जांच के दौरान घासीटोला	प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई मामला सं० 278/89 भा० दं० सं० की धारा 414

1	2	3	4	5	6
				चिनापुर के एक ग्रामीण के घर से आवरन चैनल तथा पाइप लाइन प्राप्त की गई।	के अन्तर्गत सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
5. जोराघाट केबल क्षेत्र	24-11-89	आर्म्ड केबल 100	5000 रु०	अज्ञात दोषी व्यक्तियों ने केबल की उठाईगिरी की और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर आक्रमण किया।	स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई। मामला सं० 311/89 दि० 25-12-89 भा० दं० सं० की धारा 341, 323, 379 के अन्तर्गत, मामला जांचाधीन।
6. ई० एंड एम वर्कशाप राजरप्पा	25-1-90	आर्म्ड केबल 75	15000 रु०	पुलिस की सहायता से सुरक्षा कार्मिकों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। चोरी हुआ केबल प्राप्त किया गया।	प्र० सू० रि० दायर की गई, मामला सं० 90 दिनांक 25-1-90, भा० दं० सं० की धारा 379, 411 के अन्तर्गत, दोषी व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया, मामला जांचाधीन।
7. पुरानी वर्कशाप राजरप्पा	12/13-3-90	3 नं० की 25 प्लेट बैटरी	6000 रु०	पुलिस को मामले की सूचना दी गई।	प्र० सू० रि० दायर की गई, मामला सं० 72/90 भा० दं० सं० की धारा 379 के अन्तर्गत, मामला जांचाधीन।
8. जोराघाट शावेल उत्खनन से	22-3-90	कापर केबल 80	2000 रु०	उत्खनन स्थल पर स्थित शावेल से चोरी की गई।	पुलिस को मामले की सूचना दी गई मामला जांचाधीन। भा० दं० सं० की धारा 379 के अन्तर्गं।

लालमाटिया कोयला खानों में गैर-सरकारी ढुलाई प्रणाली

4412. श्री साइमन मरांडी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमहल परियोजना के अन्तर्गत लालमाटिया कोयला खानों में गैर-सरकारी ढुलाई प्रणाली को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कोयला खानों में गैर-सरकारी ढुलाई प्रणाली को पुन: प्रारम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० (को० इ० लि०) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में राजमहल परियोजना में निजी तौर पर लदान किए जाने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। विभागीय उपकरणों की खराबी की समस्या को दूर करने के लिए एक अन्तरिम उपाय के रूप में राजमहल परियोजना में निजी तौर पर लदान की व्यवस्था अपनाई गई थी।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा मोराबादी में एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का निर्माण

[अनुवाद]

4413. श्री साइमन मरांडी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मोराबादी, रांची के एस्ट्रो टर्फ वाले स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेवारी ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर होने पर अनुमानित व्यय का मदवार ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) बिहार सरकार के अनुरोध पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने सद्भावना के रूप में मुराबादी में एक जमा कार्य के आधार पर एक एस्ट्रो-टर्फ हाकी मैदान के निर्माण-कार्य में सहायता देने पर सहमति दे दी है। यह कार्य बिहार सरकार द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को प्रस्तुत टर्फ मैन्युफैक्चर्स के विनिर्दिष्टकरण के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। टर्फ की प्रतीक्षा की जा रही है। एस्ट्रो-टर्फ को डालने के कार्य को दो महीने की अवधि के अन्दर पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। इस संबंध में भूमि के सिविल निर्माण-कार्य में लगभग 30 लाख रु० की लागत आएगी। बिहार सरकार को कुछ अन्य मदों पर जैसे आसपास के क्षेत्र के ढांचे के लिए अतिरिक्त व्यय करना होगा। जिसके लिए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा निविदाओं को आमंत्रित किया जाना है।

औषधों के लिए पैकिंग सामग्री

4414. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मूलेशनों मूल्य के निर्धारिम करते समय किन-किन पैकिंग सामग्री मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) इन पैकिंग सामग्री मानदण्डों को पहले कब से संशोधित किया गया था;

(ग) क्या औषध उद्योग ने इन मानदण्डों के अपनी मर्जी से संशोधन करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है; और

(घ) इन मानदण्डों का पैकिंग सामग्री तथा औषध की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) पैकिंग सामग्री मानदण्ड आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिनमें विभिन्न पैकों के लिए अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इन लागतों की अनुमति अधिकतम सीमा अथवा वास्तविक, जो भी कम हो, के आधार पर दी जाती है। अतः उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ख) ये मानदंड मार्च, 1990 में संशोधित किए गए थे।

(ग) और (घ) इन मानदण्डों को संशोधित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कागज के कपों का बदला जाना

4415. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को चाय की सप्लाई के लिए कागज के कपों के स्थान पर मिट्टी के "कुल्लड़" का उपयोग करने के परिणामस्वरूप रेलवे को अनुमानतः कितनी धनराशि की बचत हुई है;

(ख) क्या रेलवे का विचार अब इस योजना को छोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से जहां तक व्यावहारिक हो स्टेशनों पर चाय/काफी परोसने के लिए कुल्हड़ों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। जहां तक रेलवे की बचत का सम्बन्ध है इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अनुच्छेद 7(2) को लागू करना

4416. श्री बसंत साठे : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1979 की धारा 7(2) फार्मूलेशन में प्रयोग की

जाने वाली आयातित बल्क औषधों पर ही लागू था अथवा देश में खरीदी गई बल्क औषधियों पर भी लागू था; और

(ख) क्या सोरबिटोल आई०पी० गिलिसरोल आई०पी०, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आईपी, और मैगनिशियम सिलिकेट आई० पी० को बल्क औषधि माना जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 का पैरा 7(2) अपने ही उत्पादन और आयात या स्वदेशी स्रोतों से प्रपुंज औषधों की खरीद पर लागू था।

(ख) प्रपुंज औषध को डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 2(अ) में परिभाषित किया गया था।

महाराष्ट्र में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4417. श्री हरि शंकर महाले : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण संविस्तार किया गया और उन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाएगा और इस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नासिक रोड और मनमाड स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई है अथवा करने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) 4327.81 लाख रुपए की लागत पर 101 स्टेशनों का।

(ख) जी, हां, 2024.21 लाख रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नासिक रोड और मनमाड स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की वर्तमान मात्रा के आधार पर मानदंडों के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तरह के स्टेशनों पर आधुनिकीकरण तभी किया जाता है जब यातायात की मात्रा में वृद्धि होती है जो धन की उपलब्धता तथा अन्य स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकता पर निर्भर करता है।

महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प

[अनुवाद]

4418. श्री हरि शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में कितने और किन-किन स्थानों पर नए पेट्रोल पम्प खोले जा रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने नासिक जिले में स्थापित किए जाएंगे और इनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (जी एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) महाराष्ट्र में डीजल/पेट्रोल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संलग्न विवरण में दिए गए स्थानों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (डीजल/पेट्रोल) को खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) नासिक जिले के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार से हैं।

स्थान	श्रेणी	स्थिति
1. विलोहोली	अ० जा०	आशय पत्र निर्गत
2. नासिक रोड	बे० स्नातक/खुला	तेल चयन बोर्ड के पास
3. त्रियम्बाकेश्वर	अ० ज० जा०	तेल चयन बोर्ड के पास

विवरण

क्रम संख्या	स्थान	जिला
1.	चिरनेर	रायगढ़
2.	लत	कोल्हापुर
3.	दहीसर	थाने
4.	खोपोली/खालपुर बाई-पास	रायगढ़
5.	पूसागांव	सतारा
6.	जम्बत	पुणे
7.	नम्दनी	कोल्हापुर
8.	संख	सांगली
9.	भंडुर (ई)	थाने
10.	औसा	लतूर
11.	अम्बरनाथ	थाने
12.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
13.	खोपोली	रायगढ़
14.	उदगिर बीदर रोड़	लतूर
15.	चंदेली	पुणे

क्रम संख्या	स्थान	जिला
16.	पौंड मुल्सी रोड़	पुणे
17.	औंद संगवी पेरगाव	पुणे
18.	विल्लोहोली	नासिक
19.	बेंसिन टाउन	थाने
20.	वेलहूर बम्बई राष्ट्रीय राज मार्ग 8 पर	थाने
21.	चाकुर	लतूर
22.	विलयवाड़ी सिंगड रोड़	पुणे
23.	घरोटी	थाने
24.	गबीफता	कोल्हापुर
25.	अम्बदी	थाने
26.	धराबी	बम्बई
27.	हुलंका	रायगढ़
28.	कलम्बोली ट्रक टर्मिनल	रायगढ़
29.	संगमेश्वर	रतनागीरी
30	कमानगर	बम्बई
31.	घटकोपर	बम्बई
32.	कलम्बोली बाई-पास	रायगढ़
33.	देवगढ़	सिंधुदुर्ग
34.	उल्हासनगर	थाने
35.	औरद शाहजहानी	लतूर
36.	वशी (नोडे)	थाने
37.	जसय उरन पनवेल	थाने
38.	नासिक रोड़	नासिक
39.	कलम्ब	उस्मानाबाद
40.	नागपुर अमरावती रोड़	नागपुर
41.	त्रयम्बकेश्वर	नासिक

क्रम संख्या	स्थान	जिला
42.	गगन बोडा	कोल्हापुर
43.	ओदौरी	पुणे
44.	तुरोरी फट्टा मिन्नी बाई पास	उस्मानाबाद
45.	अमरावती	अमरावती
46.	सहर	बम्बई
47.	बरसोवा	बम्बई
48.	गढ़चीरोली	गढ़चीरोली
49.	चालिसगांव	जलगांव
50.	कटोली	कोल्हापुर
51.	लिंगउर	कोल्हापुर
52.	बनबावाडे	कोल्हापुर
53.	बघर-किनी	कोल्हापुर
54.	राजगुरूनगर	पुणे
55.	मोरगांव	पुणे
56.	पनवेल	रायगढ़
57.	मोहूद	रायगढ़
58.	लोटेपरसुराम	रत्नागिरी
59.	अरग	संगली
60.	ओरैस बूद्रक	सिंधुदुर्ग
61.	तरला राष्ट्रीय राजमार्ग-17	सिंधुदुर्ग
62.	मलसिरस	सोलापुर
63.	तकली	सोलापुर
64.	कमन	थाने
65.	चू-चन्द्रा	थाने
66.	बरवाओ राष्ट्रीय राजमार्ग-3	थाने

क्रम संख्या	स्थान	जिला
67.	थाने	थाने
68.	विठलवाड़ी	थाने
69.	वालीव	थाने
70.	शिवकाली	थाने
71.	कुदे	थाने
72.	तलोजा	थाने
73.	कोल्हापुर बाई-पास	कोल्हापुर
74.	उरण	रायगढ़
75.	बम्बई	बम्बई
76.	मंडनगढ़	रतनागिरी
77.	खालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-4	रायगढ़
78.	परली	रायगढ़
79.	रावर	जलगांव
80.	हलोली	थाने

महाराष्ट्र में नासिक जिले में रसोई गैस एजेंसियां

[हिन्दी]

4419. श्री हरि शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में रसोई गैस की एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक एजेंसी ने कुल कितने-कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं; और

(ख) इन एजेंसियों में कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं तथा इन सभी आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक दे दिये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्रतीक्षा सूची वाले सभी व्यक्तियों को कब तक गैस के कनेक्शन दे दिए जाएंगे, इस बारे में कहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह वितरकों के पास उपलब्ध मात्रा, उत्पाद उपलब्धता, नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा कार्यारंभ किए जाने पर निर्भर है।

विवरण

वितरक के नाम	स्थान	1-7-1990 तक जारी कनेक्शनों की संख्या	1-7-1990 को प्रतीक्षा सू[illegible]
मैसर्स डिओलाली का, स्टोर	डिओलाली	331[illegible]	3735

1	2	3	4
मैसर्स नासिक गैस	घोटी	3432	3900
मैसर्स आधव गैस	हसनगांव	4132	3323
मैसर्स मोलेगांव गैस	मालेगांव	6172	3334
मैसर्स अम्बीका गैस	नन्दगांव	2275	3000
मैसर्स सप्ता सरंग गैस	ओजर	3914	2541
मैसर्स मोतीवाले गैस	रावल गांव	1127	850
मैसर्स सतना गैस	सतना	3819	3484
मैसर्स शाह ट्रेडर्स	सिन्नार	3816	1744
मैसर्स सीए डी० पटनी	यवला	3378	2135
मैसर्स मनमद गैस	मनमद	4544	1982
मैसर्स नासिक गैस	नासिक	5431	3670
मैसर्स आकाशवीर	नासिक	3437	4050
मैसर्स कपील गैस	नासिक	5798	4700
मैसर्स स्वामी सामर्थ	नासिक	3807	4000
मैसर्स भगवतीगैस	—वही—	3468	1300
मैसर्स जय गैस	—वही—	2616	815
मैसर्स मीगो सर्विसिस	ओजर	5263	4220
मैसर्स प्रेसीडेन्ट सर्विस इंस्टिट्यूट	—वही—	1800	138
मैसर्स बाफना वितरक	पिम्हालगांव	1277	1784
मैसर्स बी० एम० तिवारी	सिन्नार	2554	1556

इसके अतिरिक्त नासिक जिले के देवलाली में आर्मी सप्लाई कोर द्वारा एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाई जा रही है जिसके ग्राहकों की संख्या 365 है और लगभग 1200 प्रतीक्षा सूची पर है।

महाराष्ट्र में बेनामी एल० पी० जी० एजेंसियां

[अनुवाद]

4420. श्री हरि शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बेनामी एल० पी० जी० एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में तेल कंपनियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) अभी तक महाराष्ट्र में बेनामी एल० पी० जी० एजेंसी का कोई मामला साबित नहीं हुआ है। परन्तु, यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है और यदि बेनामी क्रिया-कलाप प्रभावित हो जाता है तो उचित कानूनी तथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में बिजली की कटौती

4421. श्री मदन लाल खुराना :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में नियमित आधार पर और कुछ क्षेत्रों में 10 से 14 घंटों तक लगातार बिजली की कटौती होती है;

(ख) यदि हां, तो अन्त: सत्र की अवधि के दौरान क्षेत्रवार हुई बिजली की कटौती का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) दिल्ली के लोगों विशेषकर ओखला, वजीरपुर, लोनी रोड आदि औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों को तथा दिल्ली राजधानी नगर के लगातार हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए बिजली की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। पिछले तीन महीने के दौरान आवासीय क्षेत्रों में वस्तुत: कोई "लोड शडिंग" नहीं हुई। केवल औद्योगिक क्षेत्रों में व्यस्ततमकालीन लोड प्रतिबन्ध लागू करने के लिए और कभी-कभी निम्न आवर्तिता ओवरलोडिंग के कारण लाइनों के अवरमवंदी जैसी प्रणालीगत कठिनाइयों के कारण लोड शेडिंग करनी पड़ी थी। फिर भी, कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति लम्बे समय तक प्रभावित रही जिसके कारण एच० टी सप्लाई ट्रांसफार्मर मे गड़बड़ी, कण्डक्टरों का टूटना, केबिलों की गड़बड़ी, प्रणाली की ओवर लोडिंग आदि रहे हैं। डेसू के नेटवर्क की सीमा मद्देनजर रखते हुए, विद्युत आपूर्ति के इस प्रकार के व्यवधान परिहार्य हैं खासकर गर्मी के मौसम में अधिक भार के कारण।

(ग) जून एवं जुलाई, 1990 के दौरान प्रति हजार उपभोक्ताओं पर गड़बड़ी की शिकायत की संख्या निम्नवत् थी :—

माह	हजार उपभोक्ताओं पर शिकायतों की संख्या
जून	1.32
जुलाई	1.52

(घ) औद्योगिक क्षेत्रों सहित दिल्ली में बिजली की अबाधित आपूर्ति, सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में व्यापक निवारक अनुरक्षण, गड़बड़ी ठीक करने सम्बन्धी कार्मिक जत्थों की शीघ्र तैनाती एवं विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर संचारण एवं वितरण प्रणाली में मजबूती लाना और उसमें वृद्धि करना, वोल्टेज प्रोफाइल के रख-रखाव के लिए शंट कैपेस्टिरों की प्रतिष्ठापना शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में, 2 × 67·5 मे० वा० की राजघाट ताप विद्युत प्रतिस्थापन यूनिटें चालू कर दी गई हैं और डेसू के विद्यमान गैस टर्बाइनों पर 2 × 34.07 मेगावाट की अपशिष्ट उष्मा रिकवरी यूनिटों तथा बवाना मे 800 मे० वा० का गैस आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। राजधानी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति एवं विद्युत प्रणाली के समुचित कार्यकरण का प्रबोधन करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है।

प्राथमिकता वाउचरों की चोरी

[हिन्दी]

4422. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ रखे गए प्राथमिकता वाउचरों की गत तीन वर्षों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यालय से हजारों की संख्या में चोरी की जा रही है और ये चुराए गए वाउचर दिल्ली तथा अन्य राज्यों में एल० पी० जी० डीलरों द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों को जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष ऐसे कितने वाउचर जारी किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध ज्ञापन

[अनुवाद]

4423. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रोफेसनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसमें लगाये गये आरोपों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) दिल्ली पेशेवर फोटोग्राफर एसोसिएशन से अन्य बातों के साथ-साथ एच०पी०एफ० उत्पादों की गुणवत्ता, प्रकाश संवेदी सामग्रियों में इसके एकाधिकार, विदेशी प्रौद्योगिकी उच्च लागत, मूल्य वृद्धि आदि तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को हटाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन आरोपों की जांच की गई है एवं ये तथ्यों पर आधारित नहीं पाये गये हैं। मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स अपने एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से श्वेत श्याम कोटि की फोटो ग्रैफिक मांगों को अनवरत पूरा करता आ रहा है। एच० पी० एफ० के अलावा एक अन्य एकक भी प्रकाश संवेदी सामग्रियों का समेकित उत्पादन कर रहा है। दो अन्य एककों को भी आशय पत्र जारी किए गए हैं। एक्स-रे फिल्मों, ग्रैफिक आर्ट फिल्मों तथा सिने कलर पाजिटिव फिल्मों आदि की मांग को पूरा करने हेतु एच० पी० एफ० आयातित जम्बो रोलों से संपरिवर्तन का कार्य करता है। आयातित जम्बो रोलों से संपरिवर्तन हेतु अनेक उपक्रमों को सी० ओ० बी० लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। एच० पी० एफ० उत्पादों की गुणवत्ता मोटे तौर पर संतोषप्रद है एवं इसके पास गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला कार्यक्रम है। जब कभी विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है।

जहां तक मूल्य संशोधन का संबंध है, यह मुख्यत: औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा सुनिश्चित फार्मूले द्वारा निर्देशित होता है।

मैसर्स कालगेट पामोलिव इण्डिया लिमिटेड द्वारा टूथ पेस्ट का उत्पादन

4425. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकृत/लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक मात्रा में टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) स्थगन आदेश तत्काल रद्द करने तथा सभी बड़े उत्पादक एककों पर लाइसेंस के अनुसार उत्पादन करने की शर्तें लागू करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाली अन्य बड़ी बहुराष्ट्रिक कंपनियों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) ब्योरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) स्थगन-आदेश में संशोधित/शीघ्र स्वीकृति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया गया था आवेदन की सुनवाई 2-11-1989 को हुई। उच्च न्यायालय ने याचिका दायर करने वाले को आवेदन पर उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस जारी करने का निदेश दिया और सुनवाई के लिए 16-2-90 की तारीख निश्चित की गई। 16-2-90 को उक्त आवेदन न्यायालय 9-7-90 के लिए में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ और न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले को अन्तिम सुनवाई के लिए सूची में रखा जाए। अब यह मामला उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ में अन्तिम सुनवाई के लिए सूची में रखा गया है। अत: मामला न्यायाधीन है।

यदि पर्याप्त रूप से क्षमता का अधिष्ठापन लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक किया जाता है तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कारंवाई की जाती है जिन्होंने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(ग) लाइसेंस संबंधी शर्तों के उल्लंघन में लाइसेंस की सामान्य एवं विशेष शर्तों का पालन न करना शामिल है। जब इस प्रकार के उल्लंघन के विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं तो संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग उनकी जांच करते हैं तथा उपयुक्त कारंवाई करते हैं। इस संबंध में केन्द्र द्वारा सूचना नहीं रखी जाती।

भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले की हेराफेरी

4426. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1990 के "दि न्यू रिपब्लिक" धनबाद में "डी० सी० हिमान्ड्स सी० बी० आई० प्रोब इन बी० सी० सी० एल० कोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) करोड़ों रुपए मूल्य के कोयले की हेराफेरी का ब्यौरा क्या है जिसमें भारत कोकिंग कोल लि० के महाप्रबंधक (सेल्स) को शामिल बताया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कोयले की एक उदारीकृत बिक्री की योजना को अनुमोदित किया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रायोजन के एक बार में विनिर्दिष्ट कोलियरियों से 500 टन तक कोयले की खरीद कर सकता है। इस संबंध में यह आरोप प्राप्त हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों ने इस योजना के अन्तर्गत झूठे अथवा बेनामी नामों से और/अथवा लापता व्यक्तियों के नाम से पैसा जमा करके कोयले की खरीद करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं। आयकर प्राधिकारियों ने कुछ ऐसी संदेहास्पद जमा राशियों को जब्त करने की कारंवाई की है। धनबाद जिला उपायुक्त को भी कुछ अनियमितताओं के पाए जाने की सूचना मिली है जिसमें मैसर्स प्रगतिशील श्रमिक सहयोग समिति की कोयले की बिक्री किए जाने के संबंध में हुई अनियमितताएं शामिल हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले विशेष में कानूनी कारंवाई शुरू कर दी है।

सिंगरौली कोयला खदानों में पम्प खलासियों की छंटनी

[हिन्दी]

4427. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की सिंगरौली कोयला खदानों में समेकित जल वितरण प्रणाली में कार्यरत आदिवासी और हरिजन जातियों के अनेक पम्प खलासियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं। नार्दर्न

कोलफील्ड्स लि० की एकीकृत जल आपूर्ति प्रणाली में कार्यरत किसी भी पम्प खलासी को नौकरी से हटाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोम्बे डाईंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा विस्तार

[अनुवाद]

4428. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोम्बे डाईंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने अपने डी० एम० टी० संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी ने सरकार को यह भी सूचित किया है कि उसका अपने विस्तार कार्य हेतु एक अमरीका कम्पनी की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) जी, हां। मेसर्स बाम्बे डाईंग और मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० का उसकी डी० एम० टी० संयंत्र का प्रतिवर्ष 60,000 टन से प्रतिवर्ष 100,000 टन तक विस्तार न्यूनतम आर्थिक आकार योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। कम्पनी ने विस्तार के लिए मेसर्स हिन्टश इंक० यू० एस० ए० के साथ विदेशी सहयोग हेतु आवेदन दिया है। ऐसे आवेदनों पर निर्णय प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर लिए जाते हैं।

"भेल" (बी० एच० ई० एल०) में श्रमिकों की भर्ती

4429. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भर्ती पर रोक लगाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकार का सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों को उपयुक्त रूप से आवश्यक आदेश जारी कर किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या को हल करने का विचार है;

(ग) क्या "भेल" (बी० एच० ई० एल०) के रानीपेट जैसे कुछ उत्पादन एककों में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या को नहीं भरा गया है, ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) बी० एच० ई० एल०, रानीपेट में जिन्होंने पहले ही शिशिक्षुता पूरी कर ली है और उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है; और

(ङ) इन्हें कब तक रोजगार दिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्ष 1985 में सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पदों को सृजित किए जाने/भरे जाने पर लगे प्रतिबंध में छूट दी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) "भेल" रानीपेट में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या को भर दिया गया है ।

(घ) और (ङ) शिक्षुओं को शिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है परन्तु "भेल" उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है । इन शिक्षुओं को उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर रोजगार दिया जाता है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है ।

उद्योगों का आधुनिकीकरण

4430. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण हेतु प्रयास करने के लिए एक तन्त्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या "पूंजीगत सामान" पर इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा जून, 1990 के दौरान नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) आधुनिकीकरण एक निरन्तर कार्यकलाप है और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम उद्यम स्तर पर आरंभ किए जाते हैं, जो स्रोतों के उपलब्ध होने पर निर्भर करते हैं । प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग मंत्रालय 1976 से एक तकनीकी विकास निधि योजना चलाता रहा है । इस योजना की देख-रेख एक विशेष समिति करती है जो मिश्रित आयात पैकेजों, जिनमें पूंजीगत माल, तकनीकी जानकारी, तकनीकी सहायता, तकनीकी ड्राइंग व डिजाइन और परामर्शीय सेवाएं आदि आती हैं, की अनुमति देने के लिए एक सिंगल विन्डो क्लीयरेंस एजेंसी के रूप में कार्य करती है । वित्तीय संस्थाएं भी अगस्त, 1987 से चुनिंदा पूंजीगत माल उद्योगों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए एक वित्तीय सहायता योजना चला रही है । इस योजना के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली रियायती वित्तीय सहायता के अलावा, सरकार ने भी पूंजीगत माल के आयात पर रियायती सीमा शुल्क लगाकर राजकोषीय प्रोत्साहन दिए हैं ।

(ख) और (ग) इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा 18-19 जून, 1990 को नई दिल्ली में पूंजीगत माल के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य पूंजीगत माल उद्योग की कुल क्षमताओं व प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसकी स्थिति, इसके विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी रूपरेखा और पूंजीगत माल क्षेत्र की तुलना में प्रमुख उपयोगकर्ता क्षेत्रों से संबंधित विषय में चर्चा करना था ।

पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बन के लिए ड्रिलिंग

4431. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल और बंगाल के बेसिन में पृथक-पृथक रूप से हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या 600 मीटर से अधिक गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए हमारी प्रौद्योगिकी पर्याप्त उन्नत है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) बंगाल बेसिन, जिसमें पश्चिमी बंगाल शामिल है, में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग।

(2) नदिया जिले में करीमपुर के समीप, ईछापुर और बड़कुला।

(3) राणाघाट के पूर्व का क्षेत्र।

(4) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में।

(5) माल्दा-बालुरघाट-रामगंज, इस्लामपुर, करनदीघी और बेगंगा।

(ख) बंगाल बेसिन के लगभग समूचे क्षेत्र को कवर करते हुए, जिसमें तटवर्ती (पश्चिम बंगाल) और अपतटीय (बंगाल की खाड़ी) दोनों शामिल हैं, भू-भौतिक, एरोमैगनेटिक भू-कंपीय, गुरुत्व-चुम्बकीय और सतही भू-रसायनिक सर्वेक्षण किए गए हैं।

बंगाल बेसिन के तटवर्ती और अपतटीय दोनों भागों के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य हो गया है। अब तक तटवर्ती क्षेत्र में 32 कूपों [जिसमें भारत-स्टैन्वैक पेट्रोलियम परियोजना (आई० एस० पी० पी०) द्वारा वेधित 10 कूप शामिल हैं] और अपतटीय क्षेत्र में 7 कूपों (जिसमें कार्ल्स बर्न मैटमस द्वारा वेधित 2 कूप शामिल हैं) की ड्रिलिंग की गई है।

गहन समेकित अन्वेषण परियोजना (आई० आई० ई० पी०) के अधीन सोवियत सहयोग से बंगाल बेसिन के व्यापक भाग में भूकंपीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। आगे का अन्वेषण संबंधी ड्रिलिंग कार्य इन सर्वेक्षणों पर आधारित है।

अभी तक कोई वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन भंडार नहीं पाया गया है। फिर भी, इस क्षेत्र में अन्वेषी-कार्य अभी चल रहा है।

(ग) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 6000 मीटर से अधिक की गहराई के कूपों की ड्रिलिंग की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में बिजली का करंट लगने से मृत्यु

4432. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत 12 महीने के दौरान बिजली का करंट लगने से कितने व्यक्ति मारे गये और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) बिजली के खम्भों पर लगे प्राण घातक नंगे तारों को ढकने तथा बिजली के खम्भों तथा स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव की घटिया हालत को सुधारने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नांदेड़ और मुम्बई के बीच वायुदूत सेवा

4433. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई से नांदेड़ के बीच चलने वाली निर्धारित दैनिक वायुदूत सेवा में परिवर्तन करके वैकल्पिक दिन के लिए कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सेवा नासिक-मुम्बई अथवा अकोला-मुम्बई के बीच नई शटल सेवा को जोड़ती है; और

(घ) नांदेड़ और ओइगमूर के बीच वायुदूत की दैनिक सेवा कब प्रारम्भ होगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नांदेड़ के लिए परिचालन में आवृत्तियों को बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। वायुदूत लिमिटेड द्वारा अभी ओइगमूर को हवाई सेवा से नहीं जोड़ा गया है।

भोपाल के बैरागढ़ हवाई अड्डे पर हैंगरों के किराए में वृद्धि

[हिन्दी]

4434. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल के बैरागढ़ हवाई अड्डे पर हैंगर के किराये में तीव्र वृद्धि के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त वृद्धि कब से लागू की गई तथा कितनी वृद्धि की गई है; और

(घ) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार को आबंटित किये गये हैंगर आवास और बैरकों की लाइसेंस फीस में वृद्धि करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बनने के बाद, राज्य सरकार को 15-11-1986 से प्रति माह प्रति वर्ग फुट के लिए 2/- रुपए की दर से भुगतान करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने लाइसेंस शुल्क में कमी के लिए कहा और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 15-11-1986 से 14-6-1990 की अवधि के लिए प्रति माह प्रति वर्ग फुट के लिए 0.55 रुपए की दर से वसूलने की पेशकश की यदि हैंगर/बैरकों का रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया गया और प्रति माह प्रति वर्ग

फुट 1/- रुपए की दर पर यदि रख रखाव का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हो। मामले पर राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। तथापि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को 15-11-1986 से आगे तक कोई लाइसेंस शुल्क अदा नहीं किया है।

(घ) इन दरों को आरम्भ में 1977 में निश्चित किया गया था और इन्हें मार्केट दरों पर प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधित किया जाना होता है।

रायपुर से अन्य स्थानों के लिए सीधी विमान सेवा

4435. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश में रायपुर से भोपाल, दिल्ली, भुवनेश्वर, बम्बई, नागपुर, इलाहाबाद और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी विमान सेवा प्रारम्भ की जाये;

(ख) यदि हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी मांग की है कि सागर, उज्जैन, गुना, शिवपुरी शहरों को वायुदूत सेवा को जोड़ा जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। जून, 1990 में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों से रायपुर को कलकत्ता, भोपाल और दिल्ली से सीधे जोड़ने के बारे में मध्य प्रदेश शासन से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। विमान क्षमता की कठिनाई के कारण इंडियन एयरलाइन्स की फिलहाल कोई नई सेवा चलाने की योजना नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां. लेकिन वायुदूत लिमिटेड के पास विमान क्षमता की कमी के कारण वह नई सेवाएं शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

मृदा संरक्षण के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन को सहायता

[अनुवाद]

4436. **प्रो० यमुनाथ पाण्डेय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के मृदा संरक्षण प्रभाग का दामोदर वैली कारपोरेशन से डोनर के रूप में घनिष्ट सम्बन्ध रहा है;

(ख) क्या दामोदर वैली कारपोरेशन इस प्रयोजनार्थ अनुमति प्राप्त करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि मंत्रालय के मृदा एवं जल संरक्षण प्रभाग द्वारा निम्नलिखित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए दामोदर घाटी निगम को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :—

(1) दामोदर-बाराकड़ में नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (योजना)।

(2) दामोदर घाटी निगम, हजारीबाग में मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र को सशक्त बनाने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम (योजना)।

(3) दामोदर घाटी निगम, हजारीबाग में मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम (योजनेतर)।

उपरोक्त स्कीमों के संबंध में दामोदर घाटी निगम प्रतिवर्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और कृषि मंत्रालय इनको तकनीकी अनुमोदन प्रदान करता है।

टिहरी बांध परियोजना

[हिन्दी]

4437. श्री अरविन्द नेताम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख नदी घाटी परियोजना के पुनर्मूल्यांकन के लिए नियुक्त मुब्ला समिति ने टिहरी बांध को भूकम्प के सम्भावित खतरे के संबंध में किन-किन बातों का उल्लेख किया है;

(ख) क्या पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और इस विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति के एक सदस्य ने भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला, नेवेदा विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो० जे० एन० ब्रोने का एक पत्र अपनी टिप्पणी सहित भेजा है जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों को गलत प्रयोग किये जाने का उल्लेख किया गया है और साथ ही अनुरोध किया है कि इन तथ्यों को देखते हुए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा नदी घाटी एवं जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए श्री डा० डी० आर० मुम्बला की अध्यक्षता में गठित पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने टिहरी बांध परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय कार्य योजनाओं की जांच की थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया था कि टिहरी बांध का कार्यस्थल अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जहां रिचटर स्केल पर परिणाम 8 के बराबर भूकम्प आसन्न समझा गया है।

(ख) बांध के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के फलस्वरूप बांध की संरचनाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा व्यक्त आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए टिहरी बांध परियोजना के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं से सम्बन्धित मामलों की जांच करने और इस बात की जांच करने की क्या सम्बन्धित क्षेत्र की भूकम्पीयता के कारण उत्पन्न होने वाले सभी संभावित खतरों को ध्यान में रखा गया है और परियोजना की आयोजना में सभी प्रकार के पूर्वोपाय किये गये हैं, के लिये विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति में निम्नलिखित शामिल थे :—

(1) महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण — अध्यक्ष

(2)	निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान	सदस्य
(3)	सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान) केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
(4)	विभागाध्यक्ष, भूकंप इंजीनियरी रुड़की विश्वविद्यालय	सदस्य
(5)	डा० वी० के० गौड़	सदस्य
	सचिव, महासागर विकास विभाग	

विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति ने भयंकर भूकम्प परिदृश्य के पूर्वानुमान के सन्दर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष व्यक्त किये थे —यथा प्रस्तावित एवं अभिकल्पित टिहरी बांध सुरक्षित होगा, भूकंपीयता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी खतरों को ध्यान में रखा गया है और टिहरी बांध परियोजना की आयोजना में इस संबंध में उपाय किये गये हैं, जलाशय की उपस्थिति से भूकंप की घटना के परिमाण में वृद्धि होने की संभावना नहीं है और इसीलिए जलाशय से उत्पन्न होने वाली भूकंपीयता पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रोफेसर जे० एन० ब्रून द्वारा अभिव्यक्त विचारों को सरकार ने पुनरुज्जीवित विशेषज्ञ समिति को भेजा था। विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति ने विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने और प्रोफेसर ब्रून द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद यह मत व्यक्त किया है कि पूर्व के निष्कर्षों और सिफारिशों में किसी प्रकार के परिशोधन की आवश्यकता नहीं है। चूंकि विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति के एक सदस्य बहुमत के निष्कर्षों से सहमत नहीं थे अतः एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भूकम्प-वैज्ञानिक की राय ली जायेगी।

समुद्री ऊर्जा का विदोहन

4438. श्री संजय लाल :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1990 के "हिन्दु" में "ओशन एनर्जी एक्सप्लायटेशन ऑन एनविल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 100-100 मेगावाट की क्षमता वाली छः समुद्रीय ताप ऊर्जा विदोहन परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना पर कुछ कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और ये परियोजनाएं कब तक चालू हो जाएंगी तथा बिजली उत्पादन पर कितनी लागत आयेगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) 6 × 100 मेगावाट क्षमता की एक समुद्री ताप ऊर्जा रूपान्तरण परियोजना की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जांच करने पर इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

इलाहाबाद में आरक्षण लिपिकों के विरुद्ध कदाचार के आरोप

4439. **श्री बालेश्वर यादव :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेलवे जंक्शन, उत्तरी रेलवे के आरक्षण कार्यालय में कार्यरत कुछ आरक्षण लिपिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सतर्कता विभाग द्वारा इस मामले की जांच करने के बाद आरोप सही पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को किस प्रकार दंडित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अगस्त 90 के महीनों में जाली टिकटों की बिक्री और ऐसे टिकटों पर आरक्षण करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है । इसकी जांच की जा रही है ।

राजस्थान में वायु और सौर ऊर्जा का उपयोग

[अनुवाद]

4440. **श्री नाथू सिंह :**

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु ऊर्जा परियोजनाएं और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए कोई मापदण्ड है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जोधपुर के निकट मथनिया में 30 मे०वा० की सौर तापीय विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने के लिए

एक प्रस्ताव राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए पवन-ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं। राज्य में पवन सर्वेक्षण परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तकनीकी व्यवहार्यता और आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए बजट-आबंटनों पर निर्भर होंगे।

(ग) से (च) बैटरी चार्जरों और पृथक पवन विद्युत एककों जैसी लघु पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 12 लाख धन स्वीकृत किया गया है। अन्य सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष निधि आबंटित नहीं की गई है। प्रोत्साहनात्मक उद्देश्यों, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

दिल्ली और रांची के बीच रेलगाड़ियां

4441. श्री कड़िया मुंडा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और रांची के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाने और मून एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का भी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगियों के कारण दिल्ली और रांची के बीच नई गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेलों पर मून एक्सप्रेस नाम की, कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। बहरहाल, मुरी एक्सप्रेस नामक एक गाड़ी है और फिलहाल इसकी रफ्तार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन

4442. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरम हवा टरबाइनों की सहायता से सौर ऊर्जा उत्पादन की संभाव्यता स्थिति क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में ऊर्जा के प्रदूषण रहित वैकल्पिक स्रोतों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की व्यावहारिक तथा संभावित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है अथवा उपलब्ध होगी?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग को सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की ऐसी प्रविधियों के वैज्ञानिक प्रस्तावों की जानकारी है। तथापि, फिलहाल ये प्रविधियां वैचारिक अवस्था में हैं।

(ख) प्रदूषण से मुक्त विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए इस समय सौर तापीय, सौर प्रकाश-वोल्टीय, पवन, लघु जल-विद्युत और सामुद्रिक ऊर्जाओं पर आधारित प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। आर्थिक दृष्टि से इन्हें और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए देश में और विदेश में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

मुरादाबाद डिवीजन में नियुक्तियों में बरती गई तथाकथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

4443. हाजी ओ० एम० खां : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी रेलवे मुरादाबाद डिवीजन में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों के लिये नियुक्तियों में बरती गई तथाकथित अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (घ) 31 जुलाई, 1990 को समाप्त पिछले दो वर्षों की सूचना उत्तर रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक अल्कोहल से मोटर स्प्रिट का उत्पादन

[अनुवाद]

4444. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल की खपत में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा को व्यय होने से बचाने के लिए औद्योगिक अल्कोहल से मोटर स्प्रिट का उत्पादन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एल० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति

[हिन्दी]

4445. श्री हीरा भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-89 के दौरान रेल विभाग के कितने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ख) वर्ष 1987-89 के दौरान रेल विभाग के कितने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया तथा उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे;

(ग) वर्ष 1987-89 के दौरान रेल विभाग के कितने अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों

में पदोन्नत किया गया तथा उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेल विभाग के कुल कितने अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया अथवा सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवा निवृत्त कर दिया गया तथा उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिलासपुर-जबलपुर बड़ी रेल लाइन का बिछाया जाना

4446. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर-मूंगेली-मंडला-जबलपुर सेक्शन पर कौन-कौन से बड़े गांव तथा शहर स्थित हैं;

(ख) इस रेल लाइन को बिछाने पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी का जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बख्तियारपुर-राजगिरि सेक्शन पर तुंगी के निकट "हाल्ट स्टेशन"

4447. **श्री आर० एस० प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बख्तियारपुर-राजगिरि लाइन पर तुगी गांव के निकट एक "हाल्ट स्टेशन" बनाने के मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस "हाल्ट स्टेशन" की व्यवस्था कब तक कर ली जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाल्ट औचित्यपूर्ण नहीं है।

औषध मूल्यों में संशोधन

[अनुवाद]

4448. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित औषधों हेतु बी० आई० सी० पी० की सिफारिशों पर मूल्य वृद्धि सूत्र तैयार करने हेतु 1987 में नियुक्त की गई मूल्य संवीक्षा समिति का वर्तमान दर्जा क्या है;

(ख) औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में स्वत: संशोधन करने हेतु वर्तमान मूल्य वृद्धि सूत्र क्या है; और

(ग) इस सूत्र की औपचारिक घोषणा जारी किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सूत्र की औपचारिक रूप से घोषणा कब तक की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतों में स्वत: संशोधन करने के लिए कोई मूल्य वृद्धि फार्मूला नहीं है ।

बिहार में बरोनी में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना

4449. **श्री महेन्द्र बैठा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मिश्रित उत्पाद के रूप में बेन्जेन, पैरा-क्सीलीन और आर्थोक्सीलीन से बरोनी में एक पेट्रोरसायन कम्पलैक्स स्थापित करने हेतु वर्ष 1985 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भेजा था, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 से इस मामले को लम्बित रखने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) मेसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ने बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में बरोनी नामक स्थान पर एक एटोमेटिक काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए सितम्बर, 1984 में आशय-पत्र के लिए आवेदन दिया था ।

यह आवेदन सरकार द्वारा सितम्बर, 1986 में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि इस परियोजना के लिए अपेक्षित फीडस्टाक की व्यवस्था नहीं की गई है ।

उद्योगों को बिजली कनेक्शन

[हिन्दी]

4450. **श्री कालका दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उद्योगों को विनियमित करने के पश्चात उन्हें बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं;

(ख) क्या दिल्ली के संशोधित मास्टर प्लान में आनन्द पर्वत को लघु औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ग) क्या आनन्द पर्वत में उद्योगों के मालिकों ने दिल्ली प्रशासन से बिजली कनेक्शन देने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्हें ये कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली प्रशासन का उन्हें ये कनेक्शन देने का विचार है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जालना-खामगांव रेल लाइन

4451. **श्री पुंडलिक हरी दानवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित जालना-खामगांव रेल लाइन का तकनीकी और यातायात सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आगे कोई और कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार में लिप्त राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारी

[अनुवाद]

4452. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को वर्ष 1988 में एक फर्म द्वारा निगम को "इन्सुलेटरों" की सप्लाई का ठेका प्राप्त करने हेतु अधिकारियों को घूस देने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की प्रबन्ध व्यवस्था की जानकारी में 1988 में यह मामला आया था कि कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना हेतु 400 के० वी० बस पोस्ट इन्सुलेटर सप्लाई करने के लिए मैसर्स मॉड्न इन्सुलेटर्स लि० आबू रोड को ठेका दिया गया था जिसने उक्त ठेके के लिए अपने बिक्री प्रवर्तक के रूप में मैसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की सेवाएं प्राप्त की थीं।। जांच पड़ताल किए जाने के पश्चात् इस बात का पता चला कि मैसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ठेके के विभाग के एक अधिकारी के निकट संबंधी की है। मैसर्स माड्न इन्सुलेटर्स लि० को ठेके दिलाए जाने के कारण मेसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 2,36,026/- रु० का भुगतान किया गया तथा इसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के दो अधिकारियों की सहभागिता की आशंका है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दण्ड प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निर्णय लिया गया है और तीन वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स माड्न इन्सुलेटर्स के साथ व्यापार किया जाना समाप्त कर दिया गया है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण

4453. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में जिन अनधिकृत कालोनियों का विद्युतीकरण किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युतीकरण की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नांगलोई जिले में करण विहार, प्रताप विहार, प्रेम नगर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनका कब तक विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (ग) (घ) से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वायुदूत द्वारा विमान किराए पर लेना

4454. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइन्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से वायुदूत द्वारा देश मे उड़ान हेतु किराये पर लिए गये विमान घाटे में चल रहे हैं जैसाकि "सन्डे मेल", 3 जून, 1990 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इनका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जायेगा और यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में अब तक किये गये भुगतान तथा स्थानीय मुद्रा में अर्जित की गई आय का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि देश में विमान सेवा चलाने के लिये और अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया जाये और यदि हां, तो इसके लिए वर्ष 1990-91 के बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार की यह नीति है कि विमान सेवाओं का परिचालन मुख्य रूप से आन्तरिक संसाधनों और बजटीय सहायता से ही किया जाये। वर्ष 1990-91 में नागर विमानन सेक्टर के लिये 5.74 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

महाराष्ट्र के उपनगरों के दैनिक यात्रियों के अभ्यावेदन

4445. **प्रो० राम गणेश कापसे** :

श्री राम नाईक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे को महाराष्ट्र के उपनगरों के दैनिक यात्रियों से पिछले छः महीनों के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक्-पृथक् ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वाहनों का निर्माण

4456. श्री मदन लाल खुराना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण नीति के अन्तर्गत निर्माताओं को यात्री कार से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी प्रकार के वाहनों के उत्पादन करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो मानकीकरण में सुधार करने, ईंधन खपत, प्रदूषण और सड़क-क्षति और घटिया किस्म के वाहनों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार वित्तीय राहतें एवं प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर ईंधन बचाने वाले वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देती रही है । मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली में धुएं के नियन्त्रण के लिए पर्याप्त मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं । वाहन निर्माताओं के लिए यह भी अनिवार्य बनाया जा रहा है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों वाले कुछ सुरक्षित हिस्से-पुर्जों का इस्तेमाल करें ।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक आय और व्यय

4457. बाबा सुच्चा सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब विद्युत बोर्ड का कुल वार्षिक आय और व्यय का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड को वर्ष प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घाटे से बचने हेतु बोर्ड पर वित्तीय नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की कुल वार्षिक प्राप्ति एवं व्यय का ब्योरा इस प्रकार है—

वर्ष	प्राप्ति	व्यय
		(करोड़ रु० में)
1986-87	592.60	595.30
1987-88	728.00	736.50
1988-89	816.10	864.80

(ख) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को हुई हानियों के ये कारण हैं—कृषि संबंधी टैरिफ कम होना; कृषि संबंधी बिक्री का अनुपात अधिक होना; गैर-कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ, विद्युत सप्लाई की औसत लागत से कम होना और सरकारी ऋणों की ब्याज दर अधिक होना आदि ।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित स्वायत्त निकाय है। उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अपने प्रचालन एवं कार्यकरण में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। पंजाब राज्य "बिजली बोर्ड सहित" बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को कहा गया है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड सहित राज्य बिजली बोर्डों के संभाव्य उपक्रमों के रूप में कार्यकरण में सहयोग देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं— कानूनों में संशोधन करके विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाना और बोर्डों द्वारा अपनी अचल परिसम्पत्तियों पर 3% अधिशेष प्राप्त किया जाना अनिवार्य करना, विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार स्कीम लागू करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम लागू करना आदि। राज्य सरकारों से बोर्डों के पूंजीगत ढांचे की पुनरीक्षा करने और ब्याज संबंधी भार को कम करने हेतु इक्विटी भागीदारी संबंधी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया है।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर राज्य सरकार ने वर्ष 1989-90 के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की दर में कमी की है।

पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना

4458. **श्री कमल चौधरी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार के सहयोग से पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है और उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) 1987 से 1990 (30-6-1990) तक के वर्षों के दौरान पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए 394 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र (विभिन्न राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त 67 आवेदन पत्रों सहित) प्राप्त हुए थे। इनमें से 134 आवेदन पत्रों (राज्य सरकारी क्षेत्र उद्यमों के 33 आवेदन पत्रों सहित) का अनुमोदन कर दिया गया है तथा आशय पत्र मंजूर किए गए हैं। शेष 260 आवेदन पत्रों (राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 34 आवेदन पत्रों सहित) में से 162 आवेदन (राज्य सरकारी क्षेत्र उद्यम से प्राप्त 24 आवेदनों सहित) को नामजूर कर दिया गया है या अन्यथा निपटा दिया गया है तथा 98 आवेदन (राज्य सरकारी क्षेत्र उद्यम से प्राप्त 10 आवेदनों सहित) प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) चूंकि सामान्यतया एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है, अत: जिन उद्योगों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आशय पत्र जारी किए गए हैं वे कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे तथा पूरी हुई परियोजनाओं द्वारा प्रदान किए गए रोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में नहीं रखी जाती।

विदेशी प्रौद्योगिकी

4459. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिक वातावरण के सृजन के लिए वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक मे, प्रधान मन्त्री ने यह इच्छा व्यक्त की है कि विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में देश को उदार होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प तथा समय-समय पर की गई उसकी व्याख्या के अनुसार भारत सरकार की विद्यमान औद्योगिक नीति के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत सरकार ने अभी हाल ही में कुछ निर्णय लिए हैं। जिन्हें एक दस्तावेज के रूप में 31 मई, 1990 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है। इस दस्तावेज का शीर्षक है, 'लघु उद्योगों तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के संवर्द्धन हेतु नीतिगत उपाय और औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में परिवर्तन'।

लघु उद्योग क्षेत्र में ग्रामीण और देश के पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादनशील रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर मुख्य बल दिया गया है जबकि औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया मे किए गए परिवर्तनों का मूल उद्देश्य अनावश्यक अफसरशाही के नियन्त्रण और उससे उत्पन्न विलम्ब तथा भ्रष्टाचार को कम करना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद मे दिए गए भाषण के दौरान प्रधान मन्त्री ने कई बातों पर अपने विचार प्रकट किये थे और उनमें इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया था कि हमें टैक्नालाजी के प्रति देश के रवैये पर विचार करना आवश्यक है। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि यह धारणा गलत है, ये टैक्नालाजी का उपयोग केवल उद्योगों में ही हो सकता है और इसकी एक मात्र भूमिका विकसित देशों में लोगों को बेरोजगार करना होता है, गलत है। प्रधान मन्त्री ने आगे कहा कि टैक्नालाजी हम में से सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्ति का जीवन बदल सकती है और इसका उपयोग बहुत अमीर तथा गरीब लोग भी कर सकते हैं और जैसे यह रोजगार के लाखों अवसर खत्म कर देती है वैसे ही यह रोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न भी कर सकती है। इसी सन्दर्भ में प्रधान मन्त्री ने इस बात पर बल दिया कि हमें टैक्नालाजी को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए जिसका दूसरा अर्थ यह है कि हमें नये विचारों पर निष्पक्ष रूप से सोचने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने इस बात पर भी बल दिया है कि हमें ऐसी टैक्नालाजी की आवश्यकता है जो न केवल हमारे ग्रामीण लोगों की घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयुक्त हों वरन उसके द्वारा हमारे उत्पाद विश्व भर के बाजारों मे प्रतियोगिता कर सकें।

टिहरी बांध परियोजना।

4460. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोडियल समिति की रिपोर्ट को ध्यान मे रखते हुए टिहरी बांध पर निर्माण कार्य जारी रखने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ख) टिहरी बांध स्थल के आस-पास के क्षेत्र की भूकम्पीय प्रभाव संबंधी स्थिति के बारे में क्या समाचार है?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) श्री डी० आर० टोंडियाल, महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय ने, भयंकर भूकम्पीय सम्भावनाओं की परिकल्पना करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि टिहरी परियोजना की आयोजना में भूकम्पीयता से उत्पन्न होने वाले सभी स्तरों का ध्यान रखा गया है और उस सम्बन्ध में सावधानी बरती गई है और जलाशय की विद्यमानता के कारण जलाशयजनित भूकम्प पर और अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। डोंडियाल समिति के निष्कर्षों को मद्देनजर रखते हुए, टिहरी बांध पर कार्य जारी रखने के सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

नमक के मूल्य में वृद्धि

4461. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नमक के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने उनके मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किये हैं कि खुले और पैकेट बन्द नमक के मूल्यों में कमी की जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मंत्री ने खुले और पैकेट बन्द नमक के मूल्य में कमी लाने और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए नमक निर्माण के क्षेत्र को बढ़ाकर नमक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों पर अमल करने के लिए नमक के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है—

(1) खुले तथा पैकेट बन्द नमक के मूल्यों का रोज प्रबोधन किया जाता है।

(2) पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाक बनाने और नमक की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को नमक का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया जाता है।

(3) रेलवे प्राथमिकता के आधार पर मांग का पूरा करती है।

(4) उत्पादन केन्द्रों में नमक निर्माताओं के साथ और उपभोक्ता केन्द्रों के व्यापारियों के साथ भी विशेष बैठकें आयोजित की गयी। उत्पादकों और व्यापारियों को कारखाना-बाह्य मूल्य और खुदरा मूल्य में कमी करने के लिए कहा गया है।

(5) उत्पादकों को उनके क्षेत्र को पूरा उपयोग करने की सलाह दी गयी है ताकि उत्पादन मे वृद्धि हो सके।

(6) राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में नमक उठाने के लिए नामजद व्यक्तियों को आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

क्लोरमफेनिकोल की अनुपलब्धता

4462. **श्री बसन्त साठे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायफाइड चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या क्लोरमफनिकोल फार्मूलेशन औषध की, जिसका टायफाइड चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, सप्लाई कम हुई और

(ग) इस औषध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) क्लोरमफेनिकोल।

(ख) और (ग) हाल ही में केवल तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा राज्यों में इसकी कम आपूर्ति होने की रिपोर्ट मिली थी। इन राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर क्लोरम्फेनिकोल की आपूर्ति करने के लिए निर्माताओं को तत्काल तार भेजे गए थे।

जामने-ओरछा पन-विद्युत बांध के निर्माण के बारे में सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4463. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में जामने-ओरछा पन-विद्युत बांध के निर्माण के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस वर्ष किया गया था;

(ग) क्या इस बांध के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रयोजनार्थ अभी तक बैठक न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बेतवा तथा जामनी नदी पर ओरछा बहुउद्देशीय परियोजना (2×15 मे० वा० + 2×30 मे० वा०) के बारे में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय जल आयोग में सितम्बर, 1978 में प्राप्त हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सरकारों के बीच अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना निहित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर ध्यान देने के पश्चात् परियोजना रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनः प्रस्तुत किये जाने के लिए जुलाई, 1985 में उन्हें लौटा दी गई थी।

आई० डी० पी० एल० के साथ समझौता ज्ञापन

[अनुवाद]

4463क. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰डी॰पी॰एल॰ के प्रबन्धकों और मजदूर संघों के बीच आई॰डी॰पी॰एल॰ के कामगारों के वेतन संशोधन के बारे में किसी समझौता-ज्ञापन पर सहमति हुई है और इसे अभी लागू किया जाना है, और

(ख) यदि हां, तो वेतन संशोधन के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन राज्य मन्त्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) जी, हां।

(ख) यह सरकार के विचाराधीन है।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में अनेक सप्ताह से सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न को उठा रहा हूं। मैंने आपको पक्के तौर पर बताया है कि उन्होंने सभा को गुमराह करने के लिए जान-बूझकर इस विशेषाधिकार का हनन किया है। यह सभा की भावना भी है। यदि आप इसे या तो विशेषाधिकार समिति को सौंप दें अथवा इस पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

एक छोटा सा दूसरा मामला है। कल मैंने उत्पाद और सीमा शुल्क का प्रश्न उठाया था। उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आगे आए और या तो सभा की एक समिति का, जिसका हमने सुझाव दिया है, गठन करे अथवा इस सभा को सन्तुष्ट करें कि वे इसमे किस प्रकार निपटेंगे।

श्री पलाई के॰ एम॰ मैथ्यू (इडुक्की) : रबड़ के मूल्य में भारी गिरावट के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है उसे बड़ा विस्फोटक माना जा रहा है। पिछली साल रबड़ का मूल्य 27 रुपये प्रति किलो था जो अब 18 रुपए प्रति किलो है। यह उत्पादन और अन्य आदानों की लागत के बराबर भी नहीं है। एक किलोग्राम तैयार रबड़ उत्पाद से 40 रुपये से लेकर 200 रुपए तक मिलते हैं। यदि यह स्थिति लगातार बनी रहेगी तो इससे दो लाख किसान और दो लाख ही कृषि मजदूर पूरी तरह बर्बाद हो जायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें अविलंब हस्तक्षेप किया जाए।

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम) : मूल्यों में यह गिरावट राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबड़ जारी करने के कारण आयी है। सभा में इस बात पर सहमति हुई है कि यदि बाजार में मूल्यों में असमान्य वृद्धि होती है तो इन्हें नियंत्रित करने के लिए ही राज्य व्यापार निगम आयातित प्राकृतिक रबड़ जारी करेगी। परन्तु यह पिछले मौसम के 26 रुपए से घटकर इस मौसम में 18 रुपये हो गयी है। सरकार की गलत आयात नीति और राज्य व्यापार निगम के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ऐसा हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर कार्यवाही की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य व्यापार निगम केवल बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए ही आयातित रबड़ जारी करे जिससे कि इसका हमारे बाजार पर प्रभाव न पड़े। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

12.05 म० प०

रेलवे बोर्ड के एक सदस्य द्वारा एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का, रेलवे मंत्रालय का और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का एक गम्भीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सामान्य रूप से इस देश में कभी कोई बलात्कार का किस्सा हुआ हो तो उस किस्से के बारे में यहां पर आवाज उठाना और अत्याचार की बात करना, ऐसे विषय को लेकर मैं यह विषय यहां पर प्रस्तुत नहीं कर रही हूं। इस सदन को इस बात की पूरी जानकारी है। कि···*··· नाम के लिए रेलवे बोर्ड के एक चरित्रहीन सदस्य जिन्होंने 18 तारीख को एम० बी० बी० एस० फाईनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गलत ढंग का व्यवहार करके, उसके कमरे में जाकर छेड़खानी करते हुए उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। उस लड़की ने सावधानी बरती और उनके चेहरे पर गरम पानी फेंककर जला दिया और बाहर निकलकर चिल्लाने लगी तो वहां के कालेज की लड़कियों और डाक्टरों ने मिलकर उसको पकड़ लिया। 24 घंटे···*···पुलिस के लाक-अप में बन्द थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई सामान्य रास्ते चलता आदमी, अनपढ़, गंवार इस प्रकार की हरकत करे तो हम समझ सकते हैं लेकिन रेलवे बोर्ड के एक सदस्य के नाते, जो जनरल मैनेजर से भी ऊपर के स्थान पर स्थित है, ऐसा व्यक्ति वहां पर जाकर एक लड़की के साथ इस प्रकार का घिनौना व्यवहार करे, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि 25 अगस्त को वह लड़की और उसके माता-पिता रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री टिप्सन को मिले थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो सेवा में न रखा जाए लेकिन उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्य बोल रही हैं, आप बैठ जाएं।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : मैं बताना चाहती हूं कि ऐसा घिनौना काम करने वाले व्यक्ति आज भी सेवा में हों, यह बहुत ही दुःख की बात है। 1968-69 में इसी व्यक्ति ने झांसी में वर्कशाप में करते हुए एक महिला डाक्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसी व्यक्ति की एक चिट्ठी एक प्रेम पत्र मेरे हाथ में है जिसका पहला वाक्य आप सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या पढ़ना जरूरी है?

[अनुवाद]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : "आप यह विश्वास नहीं करेंगी कि मैं यह पत्र सांसदों

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और विधायकों की बैठक के बीच में बैठकर लिख रहा हूं। इससे बेहतर इस समय का उपयोग नहीं किया जा सकता था।"

[हिन्दी]

एक रेलवे बोर्ड का सदस्य एम० एल० ए०/एम० पी० के साथ मीटिंग में बैठकर यदि प्रेम पत्र लिख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति रेलवे बोर्ड का सदस्य कभी नहीं बन सकता है। यह एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। रेलवे बोर्ड में यदि ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं तो दुबारा नियुक्ति करते समय उच्च स्तर के पदाधिकारियों के बारे में यदि विषय का ख्याल नहीं रखा गया तो यह ठीक नहीं होगा। अभी-अभी भारत सरकार ने महिला आयोग कमिशन की बात करते हुए बिल पारित किया है। जिस लड़की के साथ यह अत्याचार हुआ है वह लड़की और उसके माता-पिता आज प्रधानमंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से मिलने के लिए इस पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं मेरी आपसे और श्री फर्नांडीज साहब से प्रार्थना है कि वे उस व्यक्ति को तुरन्त सेवा से निलंबित करके बाहर निकाल दें तभी उसको न्याय मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूं। ऐसे व्यक्ति भारत सरकार में काम करने के योग्य नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। दूसरी घिनौनी बात यह है कि वह लड़की उन रेलवे कर्मचारी की बेटी है जिसके पिता ने*** को कहा कि आप गार्डियन के नाते उसकी रक्षा कीजिए और लेडीज होस्टल में जहां वह रहती थी, वहां गार्डियन के नाते उन्होंने जाकर इस प्रकार का घिनौना काम किया तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जार्ज साहब से यह नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि उसको सेवा से निलम्बित किया गया है वह हमें आश्वासन दें और महिला समाज को पूरा न्याय दें व भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में सहयोग दें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी चर्चा शुरू की थी उस दिन******** का मामला समाचार पत्र में छपा था। मैंने उस दिन इसका उल्लेख किया था। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि उस व्यक्ति को अब तक केवल निलंबित किया गया है। (व्यवधान)

मुझे विश्वास है कि श्री जार्ज फर्नाण्डीज महिलाओं के प्रति न्याय करेंगे और इस प्रकार के व्यक्तियों को पूरी तरह कुचल देंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम सब श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता की बात सहमत हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें उस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है जो उच्च सरकारी पद पर कार्यरत है। हम सब मांग करते हैं कि उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जानी चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही मांग है। मंत्री जी बैठे हुए हैं। ऐसे बड़े अधिकारी की सर्विस इसी वक्त टर्मिनल होनी चाहिए और उसे जेल में डाला

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाना चाहिए ···(व्यवधान)··· मंत्री महोदय अभी खड़े होकर इसका जवाब दें। वह जब तक इसका जवाब नहीं देंगे हम तब तक नहीं बैठेंगे। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, आप रेल मंत्री जी से कहें कि वह इस पर बयान दें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मंत्री महोदय कुछ कहें। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उन्हें जवाब देना चाहिए। (व्यवधान) इस मामले से समूची सभा चिंतित है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, जब इस घटना की रिपोर्ट हमारे पास आई, तत्काल इस अफसर को छुट्टी पर भेजने का काम हुआ था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि मंत्री जी बोलें, अब वह बोल रहे हैं तो आप उन्हें सुनिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस अफसर का फिर काम पर हाजिर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसको किस तरीके से निकालना है या उसे निकल जाना है यही एक बात है जिस पर फैसला होना आवश्यक है। मामला अदालत में गया है। जहां तक इसको फिर से रेल मंत्रालय में लिये जाने का प्रश्न है, वह प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इतना ही इस वक्त कह सकता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, इसके बाद फिर आप कहेंगी कि मुझे बोलने का समय दिया जाए फिर मंत्री जी बोलेंगे—

(व्यवधान)

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष जी,···*··· के बड़े भाई···*··· यू० पी० रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। वह रिटायर हो चुके हैं। लड़की के मां-बाप को चिन्ता है कि वह अपने पर्सनल इनफ्लूयेंस का उपयोग करते हुए भारत सरकार के सेक्रेट्री वगैरह से मिल कर कहीं इस केस को दबाने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मंत्री जी ने जो कहना था वह कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मैं इस बात की स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि उनको जो छुट्टी पर भेज दिया गया है क्या इस बीच में उसको वेतन और भत्ते आदि दिए जायेंगे या नहीं? यह एक साजिश है। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मामला अदालत में चल रहा है। वह छुट्टी पर रहेंगे तो घर पर बैठ कर आम जनता से पैसा प्राप्त करेंगे और वेतन आदि प्राप्त करेंगे। यह देश के सम्मान का प्रश्न है। सारे सदन के सम्मान का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं इस बात से सहमत हूं कि उसको रेलवे में किसी भी प्रकार से वापस नहीं लिया जाएगा लेकिन माननीय मंत्री जी यह भी स्पष्ट करें कि जितने दिनों तक वह छुट्टी पर रहेगा उसको वेतन व भत्ते मिलेंगे या नहीं ? अगर मिलते हैं तो यह शर्मनाक होगा। इसका आप स्पष्टीकरण दिलाइए, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। श्री सोज

(व्यवधान)

———

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे चिंतित हूं कि दो दिन पूर्व श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक वायुसेना कर्मी की हत्या कर दी थी मुझे इस बात की भी चिंता है कि हम सभी हत्याओं से दुखी है। मुझे बड़ा दुख है परन्तु मैं केन्द्रीय सरकार से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या सुरक्षा बलों को जो वहां निर्दोषों की रक्षा करने के लिए हैं, बदले की कार्यवाही करनी चाहिए **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : (दक्षिण दिल्ली) : यह सब क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय। ...**(व्यवधान)**...इस माननीय सदस्य को, वहां पर बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मारे गये, उनकी चिन्ता नहीं है...**(व्यवधान)**...

प्रो० सैफुद्दीन सोज : खुराना साहब ने हाउस का ठेका ले रखा है ?

श्री कालका दास (करोलबाग) : यह सिक्योरिटी फोर्सेज के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह रोज यही मामला उठाते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : जब सिक्योरिटी फोर्स के लोग मरे तो इन्होंने निन्दा की क्या ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। जो इन्नोसेण्ट लोग मर रहे हैं, उनके बारे में कह रहे है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आप बैठ जायें। आपको दूसरों को बोलने देना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या बी० जे० पी० ने दूसरों को नहीं बोलने देने का ठेका ले रखा है ?

श्री कालका दास : यह सिम्पल नहीं है, बड़ा गम्भीर है, ऐसा करके ये आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सुरक्षा बलों ने 20 घर जला दिए हैं। क्या वहां सुरक्षा बल बदला लेने

के लिए है ? उन्होंने खानयार में यूनिवर्सिटी लेक्चरर श्री आबेद अहमद समेत, जिन्होंने अपना परिचय पत्र भी दिखाया था, पांच लोगों की हत्या कर दी। जब वह अपने स्कूटर पर आ रहे थे तब उनकी हत्या की गई थी ···(व्यवधान)··· यह इन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में इस बात का ब्यौरा दिया गया है कि निर्दोष लोगों की किस प्रकार हत्या की जा रही है··· (व्यवधान)··· क्या उनके नेता मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? श्री खुराना ने मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं उसके लिए उन्हें विशेषाधिकार समिति का सामना करना पड़ेगा···(व्यवधान)···महोदय, मेरा सीधा-सा प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम पारित कर दिया गया है। अशांत क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत सेना और अन्य बलों के नीचे के रैंकों के अधिकारियों को अनेक शक्तियां दी गई हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दमनकारी उपायों के द्वारा कश्मीर को नष्ट कर दिया है जिसे अब राज्य सभा में भी पारित कर दिया वह अब राज्य सभा का सदस्य है। उन्होंने मांग की है कि कश्मीर में इन क्रूर कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्हें इस प्रकार से लागू करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।···(व्यवधान)···उन्होंने कश्मीर को नष्ट कर दिया है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इससे पहले विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने इस विधेयक की एक प्रतिलिपि फाड़ी थी। अब मैं इसे सभा के बीचों-बीच फेंक रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जायें। आप यह बात कई बार कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक आपको वापस कर रहा हूं। यह विधेयक कश्मीर की जनता को स्वीकार नहीं है। महोदय, हम इसे स्वीकार नहीं करते। दमनकारी उपायों के द्वारा कश्मीर में शांति बहाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, वे मुझे बोलने नहीं देते हैं। भाजपा वहां एक शिष्टमंडल क्यों नहीं भेजती है ? उनसे कहा जाय कि हमें धमकायें नहीं···(व्यवधान)···विरोध में नेशनल कांफ्रेंस वाक आउट कर रही है। (व्यवधान)

12.18 म० प०

(तत्पश्चात् प्रो० सैफुद्दीन सोज और श्री मोहम्मद अली सभा-भवन से बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक।

———

12.19 म० प०

असम में "उल्फा" आतंकवादियों के अत्याचार के बारे में

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, हमारी आदरणीय सदस्या जयवन्ती बहन ने जिस बात को इस सदन के सामने रखा है, उससे भी खतरनाक परिस्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अंग्रेजी सल्तनत के समय में भी जो जुल्म नहीं होते थे, उससे भी खतरनाक जुल्म पिछले एक महीने से हमारी बहू बेटियों पर, हमारे छोटे-छोटे व्यापारियों पर असम में हो रहे हैं। गुजरात के छोटे-मोटे व्यापारी, राजस्थान के छोटे-मोटे व्यापारी, महाराष्ट्र के छोटे-मोटे व्यापारियों को उल्फा के त्रासवासियों ने पिछले 48 घंटे से बंधन में रखा है और उनसे 48 घंटे में 7 करोड़ रुपया बन्दूक की नोंक पर वसूल किया है। अभी भी कुछ व्यापारियों को 5 तारीख की मुद्दत में उग्रवादियों को पैसा देना है। केवल 5 तारीख की मुद्दत है। उत्तरिया लखमीपुर गांव में एक छोटे से व्यापारी के घर पर यह लोग पहुंच गये।

उससे कहा—तुम पांच लाख रुपया लाओ। उसने कहा छोटा-सा धन्धा है, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं पांच लाख रुपए कहां से लाऊं। उसको मारा गया। फिर उससे पूछा—तुम्हारी कितनी बेटियां हैं ? उस व्यापारी ने कहा—मेरी पांच बेटियां हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद त्रासवासियों ने कहा—पुलिस बुलानी है तो बुलाओ, मिनिस्टर को कहना है तो कहो और फिर पूछा कि एक बेटी की शादी में कितना खर्च होगा ? उसने कहा—एक बेटी की शादी में करीबन एक लाख रुपया होता है फिर उन्होंने कहा—अच्छा, तो कल हम सुबह सात बजे पांच लड़कों को लेकर बारात लेकर आयेंगे और तुम्हारी पांच बेटियों के साथ शादी उन पांच लड़कों से करवायेंगे। कल सुबह सात बजे आयेंगे और पांच लाख रुपए तैयार रखना वह आदमी बच्चों को लेकर भाग गया और अभी तक उसका पता नहीं है, यह घटना एक मात्र नहीं है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, पानीटोका जोरहट में यह रोज होता है डिब्रूगढ़ के पास मकम में एक खुशीराम मित्तल नाम के एक आदमी को गोली से मार दिया गया पैसा मांगा था लाख रुपया मांगा उसने नहीं दिया था। उसे गोली मारी थी। वह बच गया। दूसरे दिन डिब्रूगढ़ के हास्पिटल में जनरल वार्ड में जाकर, लोगों के सामने उसके बिस्तर पर जाकर उस पर गोलियां चलाई और उसको मौत के घाट उतार दिया···(व्यवधान)···अब तो वे बेटियां मांगने लगे हैं। मैं आपको और कितने किस्से सुनाऊं। इंडिया टू-डे में यह बात आई। ···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से विनती करना चाहता हूं, उनके मां-बाप रोते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। 31 तारीख को जब वे मेरे अहमदाबाद के निवास स्थान पर आए ····(व्यवधान)··· उन्होंने मुझे यह सारी घटनायें सुनाई। मैंने दिल्ली में श्री सुबोध कान्त सहाय जी को किया कि कुछ करिए, लोग मरते जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं करती है। उन्होंने कहा—मुख्यमंत्री से यहां पर हैं, मैं बात करूंगा। मैंने दिल्ली में असम भवन में मुख्य मंत्री से बात की। मुख्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा, पांच मिनट बात सुनी, फिर कहा "अच्छा पाठक जी, गृह मंत्री जी मेरे कमरे में बैठे हैं, बात करो।" ये गृह मंत्री उल्फा से मिले हुए हैं, वे क्या सुनेंगे। जब मैंने पूरी घटना बताई ···(व्यवधान)···

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : असम के गृह मंत्री।

श्री हरिन पाठक : असम के गृह मंत्री, यहां के नहीं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे को मंत्री कहा, मेरी तरफ देखकर। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, उन्होंने टेलोफोन पर मुझसे कहा :

"मैं टेलीफोन पर आपकी शिकायत नहीं सुनूंगा। अपने लोगों से कहिए कि उन्ह असम में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा संदेश भेजना चाहिए। उन्हें डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी में मुझसे सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। उन्हें वहां शिकायत दर्ज करानी चाहिए।"

[हिन्दी]

और उन्होंने फोन रख दिया।

सर, एक एस० पी० ने एक उग्रवादी को पकड़ा, सरकार ने उसे छोड़ दिया। छूटने पर उसने एस० पी० को मार दिया। मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं। इन चालीस सालों की आजादी के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, निर्दोषों को मरने दें ? मैं सदन से और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसका हल निकाला जाए हजारों लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पैसे से बढ़ कर अब वे उनकी बहू-बेटियों को मांगते हैं और यह सब होता रहता है। न केन्द्रीय सरकार कुछ करती है और न राज्य की सरकार करती है। मेरी सरकार से मांग है कि वह इसमें इन्टरवीन करे, एक कमेटी असम जाए, लोगों से मिले, लखीमपुर भेजी जाए और सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उन बहू-बेटियों को बचाए। उन गरीब छोटे-छोटे व्यापारियों को बचाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, सैफुद्दीन चौधरी जी भी इसी बात को कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, असम की स्थिति बहुत गम्भीर है। असम में 'उल्फा' द्वारा पैदा की गई दहशत के कारण तबाही मची हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार वहां काम नहीं कर रही है और उनके नियम वहां लागू नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 'उल्फा' ही सरकार चला रही है। इस स्थिति में मैं यह जानना चाहूंगा कि असम में शांति स्थापित करने हेतु और 'उल्फा' की गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार की क्या योजना है। यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। प्रत्येक दिन लोग मारे जा रहे हैं। वे धन ऐंठ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में, मैं यह जानना चाहता हूं। कि इस सभा में हमने कोई चर्चा क्यों नहीं की। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि उल्फा की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु और असम को बचाने के लिए वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह मुद्दा इस सभा में कई बार उठाया गया था। हाल ही में वर्तमान सरकार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने भी असम का दौरा किया। उनके पास ताजा जानकारी है। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता हूं। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि वे असम की स्थिति के बारे में जानते हैं।

महोदय, दो महीने पहले 'उल्फा' द्वारा एक समानान्तर सरकार चलाई जा रही थी लेकिन अब सिर्फ वही सरकार चला रहे हैं और वहां असम सरकार अस्तित्व में नहीं है। यह वास्तविक स्थिति है। चाय उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल आकर मुझसे मिला था। मैंने उन्हें गृह राज्य मंत्री के पास भेजा। असम सरकार द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की है। अब डिब्रूगढ़ और ढाका से टेलीफोन आ रहे हैं। कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय को यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि ढाका के एक होटल में अमुक तारीख को आपको इतने पैसों का भुगतान करना चाहिए। इसलिए उन्हें पैसा देना होगा। इनमें से कुछ इसका भुगतान कर रहे हैं। 'उल्फा' उग्रवादियों द्वारा ढाका होटल में भारतीय मुद्रा स्वीकार की जा रही है और जब मैंने गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया तो माननीय गृह मंत्री महोदय ने इससे इन्कार नहीं किया। इसके अतिरिक्त कल भी मैंने यह मुद्दा उठाया था। वर्तमान मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने भी एक सेमिनार में यह बात कही थी कि पंजाब, कश्मीर और मद्रास के उग्रवादियों के साथ 'उल्फा' ने संबंध स्थापित कर लिया है।

हमने यह सलाह दी थी कि एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए जिसका आयोजन प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जाना चाहिए और देश को यह मालूम पड़ना चाहिए कि वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको सभा के विचार माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखने चाहिए। समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असम गण परिषद और सरकार का एक सहयोगी दल है। इसे पक्षपात के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आपको असम को अलग नहीं होने देना चाहिए। ऐसा इस कारण है कि असम सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर बसा हुआ है जो कि अनेक देशों से घिरा हुआ है और इसलिए आपको इस स्थिति को जारी नहीं रहने देना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर आपको हम लोगों की ओर से बोलना है। आपको पहल करनी है। आप चुप नहीं रह सकते हैं।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, असम की स्थिति के बारे में तथा जिस प्रकार 'उल्फा' वहां काम कर रही है, उस पर हम सब भी बहुत चिंतित हैं। श्री सन्तोष मोहन देव ने भी 'उल्फा' की कार्यप्रणाली के बारे में कहा है। अन्य राज्यों के साथ भी उनके सम्पर्क हैं।

आतंकवाद एक बहुत ही खतरनाक चीज है। यह हमारे देश में फैल रही है। हमें बहुत ही सावधान रहना होगा और आरम्भ में ही इसे समाप्त करने की कोशिश करनी होगी।

उन्होंने यह भी कहा है कि तमिलनाडु के लोगों के साथ भी, विशेषकर 'लिट्टे' के साथ 'उल्फा' के सम्पर्क हैं। इस बारे में हमने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है। इसलिए इस बारे में हम भी बहुत चिंतित हैं। यह आतंकवाद देश भर में नहीं फैलना चाहिए। पंजाब, कश्मीर और असम के अतिरिक्त अब यह तमिलनाडु में भी फैल रहा है। यदि ऐसा होता है तो हम भी सभा का अधिकांश समय तमिलनाडु की इस स्थिति पर चर्चा करने में लेंगे जैसे कि वे पंजाब, कश्मीर और असम के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

इसलिए मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सन्दर्भ में वे आवश्यक कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे व्यापारी जो दिल्ली के हैं, उनका बराबर वहां से सम्बन्ध है और वहां का जो वैश्य और जैन समाज है, उनकी बराबर मांग आती रही है कि उनको वहां पर तंग और परेशान किया जा रहा है। अगर वे वहां से छोड़ कर वापस आना भी चाहते हैं तो अपने मकान नहीं बेच सकते हैं और अपना पैसा वहां से नहीं ला सकते हैं। अगर कोई वहां से आता है तो उसे पीछे से चेंज करते हैं। अभी एक केस फाइल हुआ था जिसका मैंने होम मिनिस्टर साहब को जिक्र भी किया था और लिखकर भी भेजा था कि उसको वे दिल्ली तक लाएं, लेकिन दो महीने तक उसको तंग किया, बन्द रखा और टार्चर किया। उससे 40 लाख रुपए की मांग की। आज जो व्यापारी यहां से वहां पर कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए गये हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ देख रही है। होम मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव सोसायटी में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम बहुत सख्त कदम उठायेंगे और अब ये चीज नहीं होने देंगे। मुझे बहुत दुख है कि सरकार इसी तरह आंखों पर पट्टी बांध कर लोगों को तकलीफ में रहने देगी, तंग होने देगी। क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं ? क्या इस देश में किसी को किसी स्टेट में जाकर व्यापार करने का हक नहीं है, रहने का हक नहीं है और अगर सरकार इसको रोक नहीं सकती तो मुझे दुःख है कि प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वे अपने लोगों को संरक्षण नहीं दे सकते।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) अध्यक्ष जी, अहमदाबाद से निर्वाचित श्री हरिन पाठक जी ने जो मामला उठाया है, उस विषय में परसों मैं भी अहमदाबाद गया था, तो वहां के व्यापारी मुझे मिले थे और विस्तार से ये सारी घटनाएं उन्होंने मेरे सामने वर्णित कीं।

अध्यक्ष जी, इस सदन में पहले भी यह मामला उठा है और उग्रवाद के बारे में जब भी कोई सवाल उठता है तो सारा सदन चिंता प्रकट करता है, चाहे पंजाब की परिस्थिति हो, चाहे कश्मीर की परिस्थिति हो, चाहे तमिलनाडु की परिस्थिति हो, चाहे आसाम की परिस्थिति हो, लेकिन एक मौलिक अन्तर है। कश्मीर, पंजाब में और असम की परिस्थिति में जो अन्तर है, जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं। कश्मीर में और पंजाब में कम से कम शासन की ओर से उग्रवाद का सामना करने की कोशिश हो रही है। हम चाहे उसको रोक न पाए हों अब तक, लेकिन लगातार, सतत हमारी सिक्यूरिटी फोर्सेस, वहां का प्रशासन कोशिश करता रहा है कि वहां पर उग्रवाद को दबाए। मुझे इस बात का बहुत सख्त अफसोस है कि आसाम में तो प्रयत्न भी नहीं है, एक प्रकार से।

[अनुवाद]

सरकार ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है।

[हिन्दी]

और उल्फा ही वहां पर मानो शासन चला रही हो। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि हमने पूर्व काल में कई प्रकार के कानून पास किए हैं, इस प्रकार की सिचुएशन को डील करने के लिए, एक अन-लाफुल एक्टीविटीज ऐक्ट बनाया है, जिसके अधीन अगर कोई संगठन इस प्रकार से देश से अलग होने की कोशिश करेगा, आन्दोलन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उल्फा जो है वह केवल मांग नहीं कर रहा है कि हमको यह मिलना चाहिए, हमारी यह कठिनाई दूर होनी चाहिए,

उसका लिबरेशन का घोषित प्रोग्राम है और लिबरेशन की घोषणा करने वाले संगठन को हम मान्यता दिए रहें और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे और एक तरह से हैल्पलैसनेस की स्थिति साल भर से बनी रहे, यह न तो शासन के लिए शोभनीय है और न इस सदन के लिए शोभनीय है। इसलिए मैं संसद के इस भवन में मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कि 'उल्फा' को एक अवैध संगठन घोषित किया जाए। इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए और असम सरकार द्वारा तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए और समस्त उचित निष्कर्षों का पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

यह मैं मांग करता चाहता हूं। हम लोग इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते, जब लोग मुझसे आकर कहते हैं कि हम वहां पर व्यापार करते हैं, कोई राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, हम कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोल ही नहीं सकते। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में जवाबदारी केन्द्रीय सरकार की है, केवल आसाम सरकार को जवाबदारी कहकर हम इस मामले में टाल नहीं सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : असम की स्थिति बहुत ही गंभीर है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने उल्फा की तरफ से जो कुछ कार्यक्रम असम में चल रहा है, उसके प्रति सदन का ध्यान खींचा है, चाहे विरोधी दल के सदस्य हों, या सत्तारूढ़ दल के सदस्य होंदोनों तरफ से सवाल उठाया गया है और आसाम में भी हम लोगों ने कई चीजें देखी हैं। इस सदन के एक वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा साहब ने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस सिलसिले में आपको भी कोई रवैया अपनाना चाहिए। हम लोग आप पर जिम्मेवारी नहीं डालना चाहते, जो जिम्मेदारी हम लोगों की है, वह जिम्मेवारी स्पीकर साहब नहीं उठा सकते, लेकिन प्रो० रंगा साहब की भावना के साथ पूरी तरह सहमति व्यक्त करते हुए मैं सरकार की तरफ से बताना चाहता हूं प्रधानमन्त्री जी वहां पर उपस्थित नहीं हैं गृह मंत्री जी भी उपस्थित नहीं हैं लेकिन इस सदन की जो भावना है, इसको मैं उनके सामने रखूंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि हमने हिन्दुस्तान के संविधान की कसम खाकर अपना काम शुरू किया है, इसलिए जो कुछ कार्यवाही करनी होगी वह संविधान को न तोड़ते हुए, उसके मुताबिक कार्यवाही करनी होगी। इतना ही मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

——— — —

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, विभिन्न राजनैतिक दलों के चौबीस संसद सदस्यों केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष

को हटाने की मांग की गई थी। यह मांग की गई थी कि अध्यक्ष द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और गबन के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक जांच बैठानी चाहिए जिस भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की प्रायः सभी सहायक कम्पनियों में भारी घाटा हुआ है।

मुझे मंत्री जी से एक उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि इन मामलों की वजह से अध्यक्ष को हटाना आवश्यक नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस सज्जन के अधीन सभी सहायक कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। और लाभप्रद कम्पनियां भी घाटे में चल रही हैं। उद्योग और श्रमिक कब तक इन सब चीजों को सहन कर सकते हैं ? (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की किश्त करीब दो महीने से ड्यू हो गई है। लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने महंगाई भत्ते की किश्त की देनदारी की घोषणा नहीं की है। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है हर चीज महंगी होती जा रही है और प्राइस इन्डेक्स ऊपर की ओर जा रहा है और सरकार महंगाई भत्ते की किश्त देने में देरी कर रही है और जिस रेशों में देनी चाहिए चाहिए वह नहीं दे रही है, इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी बहुत जल्दी महंगाई भत्ते की घोषणा इस सदन में करें। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई गम्भीर वारदात ई॰ पी॰ आर॰ एल॰ एफ॰ के नेता श्री पद्मनाभ तथा अन्य 16 की पाशविक और नृशंस हत्या के बारे में इस माननीय सदन में, बार-बार प्रश्न उठ चुका है। वास्तव में तमिलनाडु के कई संसद सदस्य और अन्य माननीय सदस्य इस मुद्दे को उठा चुके हैं। और उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों जिनमें लिट्टे के लोग शामिल हैं, पर नियम 193 के अधीन बहस की मांग की है।

वास्तव में उस गंभीर वारदात के बारे में सरकार को अपने आप वक्तव्य दे देना चाहिए था। अभी तक, सरकार ने अपना मुंह नहीं खोला है। मैंने इस जैसी गैर जिम्मेदार सरकार कभी नहीं देखी। हमारे मछुआरों का अपहरण किया जा रहा है। तमिलनाडु में लिट्टे के लोगों द्वारा हमारे कस्टम अधिकारियों का अपहरण किया जा रहा है। किन्तु भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण कोई वक्तव्य नहीं दिया जा रहा।

मैं कई घटनाएं बता सकता हूं। अभी हाल ही में, तंजावूर के निकट वेदारायम में ड्रग तस्करी की घटना हुई और लिट्टे के तस्करों को 60 पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया। जब उन्हें घेर लिया गया। तो उन्होंने Ak-47 राइफलें तान लीं और उन्होंने पुलिस को धमकी दी और तमिलनाडु पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पाए. और उन्होंने घेरा हटा लिया और लिट्टे के लोग बच निकले। तमिलनाडु में ये कैसे हास्यास्पद काम हो रहे हैं और कैसी खतरनाक गतिविधियां हो रही हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज को उनकी सरल टिप्पणी के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि लिट्टे के लोगों का सम्पर्क असम में उल्फा से है, पंजाब के आतंकवादियों से है। यह

एक खुला सच है। जबकि यह सरकार आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही।

लिट्टे ···* के दत्तक पुत्र हैं इसलिए द्रविण मुनेत्र कड़गम की मूक सहमति से, तथा उनके आश्रय में (व्यवधान) तमिलनाडु में ये घटनाएं हो रही हैं। (व्यवधान) यह तमिलनाडु में एक वास्तविक खतरा खड़ा कर रहा है। इसलिए यह एक खतरनाक गतिविधि है जो तमिलनाडु में चल रही है।

शांतिप्रिय लोग आतंकवादियों की गतिविधियों से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए, मैं माननीय ग्रह मंत्री या विदेश मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस सदन में नियम 193 के अन्तर्गत बहस की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुख्य मंत्री का नाम लिया है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : 19 जून को एक नृशंस हत्या हुई। इस संबंध में सरकार ने क्या किया है। जब तक वे यह आश्वासन नहीं देते कि नियम 193 के अन्तर्गत बहस की अनुमति दी जाएगी। तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने स्थान पर जाने का आदेश दे रहा हूं। आप यहां खड़े नहीं हो सकते। यह उपयुक्त स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पहले भी आपसे यही बात दोहराई थी। कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। एक सदस्य को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर अब से में आपको आगे से अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : गंजम के तटीय जिले में एक गंभीर स्थिति सुलग रही है उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश इनके राज्यों में पलरिवेमुंडी, गुनुपुर, तेम्काली और नोपाड़ा क्षेत्रों के लोग आधारभूत परिवहन सुविधा के अभाव में बुरी तरह प्रभावित हैं। उन्होंने अभी हाल ही में नोपाड़ा-गुनुपुर-छोटी लाइन सेक्शन पर सभी ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ गहरा असंतोष व्यक्त किया है।

यह एक सुखद सयोग है कि हमारे अस्थिर माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री अभी इस सम्मानीय सदन में उपस्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन के मुख्य कार्यकारी निरीक्षक ने 3 अगस्त, 1990 को एक सूचना जारी की थी "अत्यन्त कम यात्री संख्या के कारण, रेलवे ने नोपाड़ा और गुनुपुर के बीच रेल सेवा रद्द करने का निर्णय लिया है।"

नियमित यात्री, जिनसे मैं पिछले ही हफ्ते अपने निर्वाचन क्षेत्र में मिला था, मुख्यत: यातायात के इसी साधन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि 'अत्यन्त कम यात्री संख्या' का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस क्षेत्र में चलने वाली एकमात्र ट्रेन है। इसके अतिरिक्त, स्थिति की इस दशा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे कर्मचारियों ने कम पैसे लेकर लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी, साथ ही उन्हें टिकट खरीदने

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

से रोका। इसलिए, रेलवे लाभ से वंचित रह गया। 'किन्तु अत्यन्त कम यात्री संख्या' के कारण नहीं अपितु इसके खुद के स्टाफ के भ्रष्टाचार के कारण।

मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे यह देखें कि रेलवे स्टाफ की तथाकथित करतूतों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुराने-भाप इंजनों की जगह अधिक कुशल डीजल इंजन लगाए जाएं। और इसके साथ ही भूल ट्रेन सेवा बहाल की जाए। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और रायगढ़ से जोड़ने पर सक्रिय विचार किया जाए, ताकि गरीब आदिवासियों, हरिजनों और इस अविकसित और पूर्णतः उपेक्षित क्षेत्र के अन्य नागरिकों को मूलभूत यात्रा-एवं-परिवहन सुविधा दी जा सके।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, देश के करोड़ों लोग श्रीराम, श्रीकृष्ण और शिवजी को भगवान मानते हैं। मेरा अनुरोध है कि रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि के अवसरों पर राष्ट्रीय अवकाश न होने से करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है। अब उसे कोई पाक कहता है, कोई तो पैगम्बर कहता है। हम तो उसे पैगम्बर कहते हैं। मेरा निवेदन और आग्रह है कि तीनों अवसरों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को समझते हैं कि यह जनतंत्र में स्वाभाविक है कि देश की 85 प्रतिशत जनता की भावनाओं का आदर हो। ऐसा करने से सरकार को प्रबल जन-समर्थन मिलेगा ही, साथ ही देश को सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की सम्पुष्टि होगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्रधान मंत्री इसकी घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० यदुनाथ पाण्डेय।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रांची शहर में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री आडवाणी जी,

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि 1982 में जब श्री वेंकटरामन जी कुछ समय के लिए गृह मंत्री थे, तब रामनवमी का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठा था और एक बैठक भी हुई थी जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी भी उस समय उपस्थित थीं। बाद में उस विषय पर सवाल-जवाब हुए। उस सवाल के सदर्भ में मेरे पास श्री वेंकटरमन द्वारा दिया गया उत्तर मौजूद है जिसमें कहा गया कि पालिसी के तौर पर सरकार ने तय किया है कि केवल 16 मात्र छुट्टियां केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखी जायेंगी। पालिसी के अनुसार इनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां होंगी गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस और महात्मा गांधी जन्म दिवस। 11 छुट्टियां अन्य अनिवार्य होंगी जिनमें ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, बुद्ध जयन्ती गुरु नानक जन्म दिवस, क्रिसमिस डे और महावीर जयन्ती एवं ईद-उल-फितर। मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज को ध्यान में रखते हुए क्वोट कर रहा हूं कि महाशिवरात्रि, होलिका दहन, रक्षा बन्धन, रामनवमी और बैसाखी जैसे जो त्योहार हैं, उन्हें दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकारी कार्यालयों में रखी जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। अब जबकि यह पालिसी के तौर पर कहा गया है, इसे हमने मान लिया। लेकिन अभी मेरे साथी श्री खुराना जी ने जो बात उठाई है, उससे यही लगता है कि पालिसी में परिवर्तन हुआ है और पालिसी में अगर परिवर्तन हुआ है तो हम

उस पालिसी को समझना चाहेंगे। वह क्या है ? क्योंकि मैं समझता हूं कि रामनवमी को छुट्टी होनी चाहिये। यह बहुत वर्षों तक होती रही है। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी दिल्ली/नई दिल्ली में थी लेकिन महाराष्ट्र में नहीं थी। यदि पालिसी बदलनी है तो मैं सुझाव दूंगा और चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में छुट्टी की संख्या कम की जाए। जिस प्रकार दुनिया के अन्य देशों में होता है वहां हर वर्ग के लिए छुट्टी नहीं होती है। लेकिन यहां अमुक छुट्टी होनी चाहिए, वह होनी चाहिये और फिर मैं समझता हूं कि मेरे साथी खुराना जी भी यह नहीं चाहते कि कोई बड़ा महाप्रसंग है जिस पर बड़े ऊंचे ढंग से एलान हो। मैं समझता हूं कि एक साधारण सा नोटिफिकेशन भी हो जाये तो काफी है। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर हालीडे के बारे में कोई निर्णय करने हैं तो करना चाहिये, अनायास नहीं करना चाहिए। यदि कोई पालिसी में परिवर्तन हुआ है तो उसकी जानकारी इस सदन को दी जाये।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : इन तीन दिनों की छुट्टियों की बात हो रही है, देश की करोड़ों जनता की भावनाओं का सवाल है। देश की मेजारिटी का सवाल है और देश की संस्कृति का सवाल है। यदि छुट्टी के लिए पालिसी में कोई परिवर्तन हुआ है तो···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, पाठक जी आप भी बैठ जायें, प्रा॰ दवाणी जी इस पर कह चुके हैं। श्री पाण्डेय जी।

(व्यवधान)

प्रो॰ यदुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रांची में 1960 से दक्षिण पूर्वी रेलवे का एक सिटी बुकिंग आफिस था जिसे एक सितम्बर से बन्द कर दिया गया है। इस सिटी बुकिंग आफिस में 7 रेल कर्मचारी कार्यरत थे। उनको 25-30 वर्ष होने जा रहे हैं। वे प्रतिदिन 20 हजार का रेल विभाग को लाभ देते थे। सिटी बुकिंग आफिस बन्द होने से इन सातों कर्मचारियों की स्थिति काफी खराब हो गई है। उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। हम चाहते है कि रेल मंत्री उन सातों कर्मचारियों को कहीं न कहीं एडजस्ट कर दें। अभी रांची में एक और बुकिंग आफिस खुला है, हम चाहते हैं कि इन अनुभव प्राप्त कर्मचारियों को वहां पर एडजस्ट कर दें ताकि वे दर-दर की ठोकरें न खाते फिरें।

[अनुवाद]

डा॰ बिप्लब दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दोहरी नागरिकता के विषय को उठा रहा हूं। अधिकतर भारतीयों के लिए, जो विदेशों में रह रहे हैं; भारतीय नागरिकता एक मूल्यवान बात है। हालांकि दूरी और समय की वजह से वे अलग हैं तथापि लगभग सभी ये महसूस करते हैं कि वे भारतीय हैं वे यहां भारतीय समुदाय के साथ निकट का सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्ध बनाए हुए हैं। हम कुवैत संकट के दौरान भी देख चुके हैं कि ऐसे भारतीय, जिनके पास विभिन्न पासपोर्ट है, उन्हें शेष विश्व द्वारा भारतीय ही माना जाता है। केवल इतना ही नहीं, जहां तक आदिवासी भारतीयों का सम्बन्ध है, वह भारतीय खजाने में 3,000 से 5 000 करोड़ रुपये की विपुल धनराशि का योगदान करते है। अब; अधिकतर भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं— मैं उप-महाद्वीप में रहने वाले भारतीयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यूरोप में तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में बाहर वाले भारतीयों के बारे में बात कर रहा हूं—उन्हें भी कुछ प्रकार के दबावों को झेलना पड़ता है। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुत से भारतीयों पर जिन देशों

में वे रह रहे हैं उन देशों की नागरिकता को अपनाने पर दबाव डाला जा रहा है। यह उनके लिए दुख का मामला है क्योंकि वे अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें इस बात की बहुत ही चिन्ता है कि यह देश प्रेम जो उन्हें अपने मूल देश के साथ जोड़ता है, उसे अन्य देशों में जहां वे रहते हैं उनकी सरकारों के दबाव की वजह से अब समाप्त किया जा रहा है। जब वे भारत में आते हैं। तो वे यह भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें विदेशी माना जाए। पाकिस्तान, बांगलादेश और 70 अन्य देशों की तरह जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता की पेशकश करते हैं, वही अधिकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी दिए जाने चाहिए। मैं विदेश मंत्रालय में इस विषय की जांच करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस मंत्रालय में इस विषय के बारे में अभी वादा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं उन्हें इस विषय के इसके सभी व्यवहार्य पहलुओं की जांच करने का अनुरोध करता हूं कि वह इसके बाद ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दोहरी नागरिकता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। (व्यवधान)

डा० लम्बि दुरै (करूर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि क्या हम आज मण्डल आयोग रिपोर्ट के संबंध में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आमतौर पर हम इसका कार्य सूची में उल्लेख करते हैं। लेकिन कभी-कभी हम इस पर चर्चा शुरू नहीं कर पाते … (व्यवधान) … महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के मन्त्री मंडल आयोग रिपोर्ट के संबंध में अलग-अलग वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 7 और 27 अगस्त को इस सभा में स्वतः वक्तव्य दिया था … (व्यवधान) … उनका उद्देश्य है कि उन्हें नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें अब सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

डा० लम्बि दुरै : लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री … (व्यवधान) …

अध्यक्ष महोदय : जब हम मंडल आयोग रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे तो आप इन बातों पर बहुत अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं।

डा० लम्बि दुरै : मुझे मालूम नहीं कि क्या हम इस चर्चा को आज 4 म० प० पर शुरू करेंगे … (व्यवधान) …

— — — —

12.45 म० प०

अधिक वसूल की गई उत्पाद/सीमा शुल्क की राशि की वापसी के बारे में

श्री एम० के० अकबर (किशनगंज) : महोदय, मैं उत्पाद शुल्क के विषय का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इस विषय पर उल्लेख के दौरान और वित्त मंत्री के उत्तर के दौरान, मेरे विचार में, हम इस सम्पूर्ण विषय के बहुत ही नाजुक और संगीन तथ्य को नजर अन्दाज कर रहे हैं जोकि उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है। आप जानते हैं कि यह वाद-विवाद "अनुचित संवर्धन" की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के कारणों के विरुद्ध न्यायालय के निर्णय के साथ ही शुरू हुआ है। उसके बाद, इस सरकार ने 20 मार्च, 1990 को मनमाने ढंग से इसे जारी रखा मनमाने ढंग से यह निर्णय किया था कि इसका बचाव

जारी रखा जाएगा जो प्रश्न हमने स्वयं अपने आपसे पूछने हैं वे ये हैं। यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया था? इस तथ्य के बावजूद कि इसमें करोड़ों रुपये की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, इसे मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लाया गया? यह सरकार बार-बार कहती रही है कि हमें वित्तीय समस्या है और हमें और धन की आवश्यकता है क्योंकि घाटा अधिक है। यह निर्णय किसने लिया? इसे मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लाया गया? वे कौन-सी कम्पनियां हैं जिन्हें गत पांच महीनों के दौरान फायदा हुआ है। उन्हें कितना फायदा हुआ है? हम यह ब्यौरा जानना चाहेंगे। इस विषय पर हम जो संयुक्त संसदीय समिति के बारे में कह रहे हैं उनका कारण यही है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह सरकार और प्रो० मधु दण्डवते केवल आज यह कहकर कि उन्होंने उस परिपत्र अथवा उस आदेश को वापस ले लिया है, उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यह उस अपराध को उचित नहीं ठहराता जो किया गया था, जो कि गत पांच महीनों से किया जा रहा है। संयुक्त संसदीय समिति के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम उत्तरदायित्व के इस मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। जनता की यह धनराशि करोड़ों-करोड़ों रुपए में बंटती है। जनता दल के एक नेता ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था और कहा था कि इसमें 10000 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त हैं। यह छोटी धनराशि नहीं है। इस सरकार के एक बहुत बड़े समर्थक, श्री मधु लिमये, जिनका हम सभी बहुत ही तहेदिल से आदर करते हैं, इस विषय को उठाते रहे हैं। उन्होंने सरकार को इसके बारे में लिखा। इस सरकार ने मधु जी के उस पत्र का कई सप्ताह तक उत्तर ही नहीं दिया। मधु जी आज एक पत्र लिख रहे हैं क्योंकि वह उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है और वह समझते हैं, और वह ठीक भी है, कि यह सरकार इस कर चोरी को छुपा रही है, यह सरकार उन लोगों को बचा रही है जिन्होंने यह निर्णय लिया है। और यह निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया गया था। मंत्रिमंडल को नजर अन्दाज लिया गया था। हम संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराना चाहते हैं जो यह पता लगाएगी कि दोषी कौन है।

श्री वसंत साठे (वर्धा): मुझे प्रसन्नता है कि श्री मधु दण्डवते यहां पर उपस्थित हैं। सभा में एक प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दिए गए परिपत्र पर कार्यवाही न करने के लिए कुछ अनुदेश जारी किये थे। अब जनता दल के एक बहुत ही वरिष्ठ और महत्वपूर्ण सदस्य ने "सण्डे" पत्रिका में दिए गए साक्षात्कार में यह वक्तव्य दिया है जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया उनसे एक प्रश्न पूछा गया था "क्या आप इस विषय को संसद में उठाने जा रहे हैं? और उसका उत्तर था :

> "किस लिए? आप लोग हमेशा यह कहते रहे हैं कि मैं सरकार को परेशान कर रहा हूं। मेरे पास एक महीने से अधिक समय से ये तथ्य मौजूद थे। मुझे दण्डवते के उत्तर की प्रतीक्षा करने दीजिये। लेकिन मुझे इस निर्णय से हैरानी हुई है। आप कहते रहें, हमारी तिजोरियां खाली हैं, हमारी स्थिति गंभीर है और तब उद्योगपति 10,000 करोड़ अर्जित करते हैं। मैं इस तर्क को नहीं समझ सकता।"

मैं श्री मधु दण्डवते से जो पूछना चाहता हूं वह यह है इससे वापस की जाने वाली कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है, मार्च से लेकर आज तक उद्योगपतियों को कितनी धनराशि वापस की गई है ताकि देश को यह पता लगना चाहिए और कितनी धनराशि अभी वापस की जानी बाकी है?

माननीय मंत्री ने उस दिन कहा था कि वह इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यह धनराशि वापस उपभोक्ताओं को जानी चाहिए। अब यह किस रूप में उपभोक्ताओं के पास वापस जाएगी? क्या

कोई विधि स्थापित की जा रही है ? क्या यह धनराशि उस उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराई जा रही है ? इन सभी के बारे में हम माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इस मामले को कल भी एक नहीं बल्कि दो अथवा तीन वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उठाया गया था । और हमने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के लिए कहा था । आपको याद होगा कि जब बोफोर्स का मामला आया था, वह 60 करोड़ रुपए के आरोप का प्रश्न था । और जब यह बताया गया है कि वह 10,000 करोड़ रुपए है । मैंने कल भी इस सभा में कहा था कि यह निर्णय सरकार में उच्चतम स्तर मेरा मतलब है प्रधान मंत्री की जानकारी में लिया गया था । और यहां हम यही आरोप लगा रहे हैं···(व्यवधान)···

1.00 म० प०

यह निर्णय प्रधान मंत्री को सूचित करके लिया गया था जो मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं । अतः हमने संयुक्त संसदीय समिति भी मांग की परन्तु सरकार ने इसके सम्बन्ध में कुछ कहने का भी कष्ट नहीं किया । महोदय, आप इस सभा के अभिरक्षक हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । हम प्रो० मधु दण्डवते के इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं । हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की पूरी जांच करे । उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह यहां इस प्रकार का उत्तर देकर बच निकलेंगे । महोदय, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसकी जांच हो और इस देश को मालूम होना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं । वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । हम सभी यह मांग करते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : महोदय, मैं आदरणीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं । मैं सच्चे मन से और बिना किसी धोखे से स्पष्टीकरण देता हूं । पहले मैं पूरे मुद्दे को स्पष्ट करूंगा और आपको इससे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । मैंने यह इस सभा के कुछ ऐसे आदरणीय सदस्यों को दिखा दिया जो 1986 से पहले महीने तक के बकाया के संबंध में पूछना चाहते थे । वह आंकड़े मैं आपको दूंगा···(व्यवधान)··· जब वह इस बात पर जोर दे रहे है कि मुझे श्री माठवाणी की ओर नहीं परन्तु उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, तो मुझे एक अत्यन्त रोचक अनुभव याद आता है जिसके संबंध में सभा भी जानना चाहेगी । जब डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष में बैठे और वह निवारक नजरबन्दी के विरुद्ध बोल रहे थे, तो सत्तारूढ़ पक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, "श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं । आपको यथार्थ का सामना करना चाहिए ।" उन्होंने कहा, "मैं कैसे सच्चाई का सामना कर सकता हूं ? मैं आपका सामना कर रहा हूं ।" उन्होंने यह कहा था ।

महोदय, पहले मैं आंकड़े देता हूं । जहां तक वापस करने का संबंध है, मैं आपको वर्षवार आंकड़े देता हूं । वर्ष 1986-87 के लिए 171.03 करोड़ रुपये, 1987-88 के लिए 233.32 करोड़ रुपये, 1988-89 के लिए 2780.45 करोड़ रुपये, 1989-90 के लिए 333.09 करोड़ रुपये, अप्रैल, 1990 लिए 39.32 करोड़ रुपये, मई के लिए 26.98 करोड़ रुपये और जून के लिए 22.13 करोड़ रुपये । इतनी राशि लौटा दी गई । इन आंकड़ों में न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में दी गई राशि भी सम्मिलित है ।

महोदय, मैं श्री माठे का अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि उन्होंने कुछ तीखे प्रश्न उठाए हैं । पहला मुद्दा अनुचित समृद्धि का है । अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत यह रही है जब उत्पादकों अथवा आयातक हो कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाता है, तो कुछ उत्पादक और आयातक वह विशेष भार उप-

भोक्ताओं पर डाल देते हैं। इसके पश्चात् यदि सरकार इकट्ठी की गई अतिरिक्त राशि उन्हें लौटा देती है, तो इस स्थिति में उन्होंने पहले ही वह राशि अर्थात उपभोक्ता से वसूल की है, परन्तु दूसरी ओर उन्हें यह सरकार से वापस मिल गई। ऐसी स्थिति में विधि शब्दावली में इसे "अनुचित समृद्धि का सिद्धांत" नाम उचित ही दिया गया है। मैं पूरी तरह इससे सहमत हूं।

अब मैं दूसरी प्रक्रिया के संबंध में कहता हूं कि यदि इस प्रकार की अनुचित समृद्धि है तो आयातकों और उत्पादकों के लिए कौन क्या समाधान है। यह मामला न्यायालय में भी चला गया। उन्होंने कुछ निर्णय भी उद्धत किए हैं। किन्तु सम्भवत: मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं उनके पास विभिन्न उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों को पढ़ने का समय नहीं था अकबर जी अपना सिर मत हिलाइए, मेरी बात सुनिये। निश्चय ही आपने इस मामले की ओर ध्यान दिए बिना प्रतिक्रियास्वरूप सिर हिलाया होगा। किन्तु मेरे पास कुछ निर्णय हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णय दिए हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय की पूरी पीठ ने जो निर्णय दिया है उसमें कहा गया है कि अनुचित समृद्धि के सिद्धान्त का औचित्य है। किन्तु साथ-ही-साथ मुम्बई उच्च न्यायालय की पूरी पीठ ने स्वयं कहा है कि उन्होंने आगे इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया है कि क्या अनुचित समृद्धि का सिद्धांत दीवानी न्यायालयों अथवा राशि वापस करने के विभागेतर प्रक्रिया के मामलों पर लागू होता है। अत: उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि उन्होंने सामान्य सिद्धांत बताया है, किन्तु यदि किसी विशेष मामले में भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया तो इस विशेष मामले में राशि वापस करने का अर्थ अनुचित समृद्धि होगा या नहीं, मैं इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा और आवश्यक निर्णय प्राप्त करना पड़ेगा। यह कानूनी पहलू है।

अब हम अगले भाग पर आते हैं कि 28 मार्च को परिपत्र कैसे जारी किया गया था। इन सभी सामान्य मामले के संबंध में प्रमाणित प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार सचिव (राजस्व) अथवा मंत्री तक को सूचित नहीं किया जाता है। उत्पाद और सीमा शुल्क में पूरे बोर्ड को अधिकार है। उनकी बैठक हुई। उन्होंने टेलेक्स भेजा। इसके पश्चात् 28 मार्च का प्रपत्र आया और इसमें उन्होंने कहा कि स्थिति यह है। यह राशि सामान्य प्रक्रिया द्वारा वापस की जा सकती है···(व्यवधान)···

श्री बसंत साठे : प्रपत्र किसने भेजा था ?

1.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते : यह उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से भेजा गया था।

श्री बसंत साठे : यह प्रपत्र किसने भेजा ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो उसी विभाग विशेष की ओर से जाता है। मैं उसी पर आ रहा हूं यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मंत्री क्या, राजस्व सचिव को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। प्रपत्र सामान्य तौर पर भेजा गया था···(व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए··· (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मधुजी यह तो बहुत बड़ी राशि है।

प्रो० मधु दण्डवते : बड़ी राशि नहीं है। मैंने बताया है कितनी है। आप इसको जोड़ दीजिए ···(व्यवधान)। मुझे पूरी बात कहने दीजिए···(व्यवधान)। जहां तक मेरा संबंध है, यदि चर्चा होगी

भी, यदि सभा को ऐसा लगे कि हम सभा को गुमराह कर रहे हैं और यदि सभा ऐसा समझे कि कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण होना चाहिए और यदि मैं एक कदम आगे बढ़कर यह कहूं कि यदि प्रो० रंगा की अध्यक्षता में एक व्यक्ति आयोग बनाया जाए तो मैं पूरा मामला उनके सामने रखने को तैयार हूं, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई निन्दनीय समझौता अथवा कोई गलत हिसाब अथवा अनाचार है, यदि परोक्ष रूप से भी वित्त मंत्री का इसमें कोई हाथ है, तो न केवल मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा बल्कि मैं इस देश के सार्वजनिक जीवन से भी सन्यास ले लूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि···(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर इससे सम्बद्ध हैं (व्यवधान)।

श्री संतोष मोहन देव : हमने कभी आपके नाम का उल्लेख नहीं किया···(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : उन्होंने "उच्चतम प्राधिकरण" कहा। हम इस बात की जांच करना चाहते हैं कि यह निर्णय किसका था···(व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : हो सकता है आप ऐसा नहीं कह रहे हों, किंतु मैं स्वत: पेशकश करता हूं, हालांकि आप इसकी मांग भी नहीं करते रहे कि···(व्यवधान)।

श्री एम० जे० अकबर : हम यह कह रहे हैं कि आप प्रधान मन्त्री के निर्णय से पीड़ित हैं··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। प्रधान मंत्री का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं इसे चुनौती देता हूं···(व्यवधान)।

श्री संतोष मोहन देव : जब राजीव गांधी ने बोफोर्स के संबंध में वक्तव्य दिया, तब प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था, "हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति बनायी जाए।" (व्यवधान) जब राजीव गांधी ने बोफोर्स के संबंध में एक वक्तव्य दिया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप चाहते थे कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। (व्यवधान) अब हम चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप क्यों नहीं सुनते हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यदि वित्त मंत्री किसी को बचाना चाहते हैं तो यह उनकी ईमानदारी नहीं है। यह काम उन्हें संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना चाहिए। जब राजीव गांधी ने बोफोर्स के संबंध में वक्तव्य दिया था तब मुझे याद है कि मधु दण्डवते जी ने खड़े होकर कहा था, "राजीव गांधी, आपका वक्तव्य पर्याप्त नहीं है। संसद सर्वोपरि है, और हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए।" आज यह हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। मैं अपना भाषण बन्द नहीं करूंगा। मैंने ऐसा निश्चय किया है। जब आप लोग बोलते हैं, मैं बराबर आपकी बातें सुनता हूं। (व्यवधान) साठे जी मुझे शालीनता से सुनिये। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए।

श्री बसंत साठे : आप संसदीय समिति के लिए सहमत हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक मेरी बात है, मुझे संसदीय समिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। (व्यवधान) यदि यह सभा की इच्छा है तो जहां तक मेरा सवाल है — मैंने कभी भी किसी समिति पर आपत्ति नहीं की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वह संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जोइण्ट पार्लियामेंटेरी कमेटी के लिए वह एग्री कर गए हैं तो उसके बाद अब आगे बात करने की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत गलत बात है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं इसे मान नहीं रहा हूं (व्यवधान)। मैं इसे नहीं मानूंगा। मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इजाजत दे रहा हूं, कृपया आप बैठ जायें। मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इजाजत दे रहा हूं। मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : महोदय, वित्त मंत्री दो बातों पर सहमत हुए हैं। पहले तो वह इसकी जांच करने के इच्छुक हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों के हितों का ध्यान है। मैं शंकरानन्द जी के व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहूंगा और इसका फैसला मुझे करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको निर्णय नहीं देना है। मुझे निर्णय लेने दीजिए। आप मेरी बात में बाधा क्यों डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं शंकरानन्द जी को सुनूंगा और अन्य सदस्यों को भी, यदि वे संक्षिप्त रूप से कुछ कहना चाहें, मैं अवसर दूंगा।

श्री वी० शंकरानन्द : महोदय, वित्त मंत्री ने कहा था कि वह संसदीय समिति के इच्छुक हैं। अब उन्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह सब स्वयं समिति के सम्मुख कहने दीजिए न कि यहां पर क्योंकि इस विषय पर उनके वक्तव्य पर समिति में गौर किया जाएगा। उनके इस वक्तव्य सहित और अन्य उन वक्तव्यों पर, जो उन्होंने इस सभा में दिए हैं संसदीय समिति में गौर किया जाएगा और उन्हें संसदीय समिति के समक्ष पेश होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वह नियम उद्धृत कीजिए जिसके अन्तर्गत मैं उन्हें बोलने से रोक सकूं।

श्री वी० शंकरानन्द : महोदय, यह तो उपयुक्तता का प्रश्न है। उन्होंने स्वयं इस मामले के बारे में इस सभा में वक्तव्य देना पसंद किया था। अब वह संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए सहमत हो गये हैं। इसलिए उन्हें समिति के समक्ष वक्तव्य देने दीजिए और यह समिति का कार्य है कि वह मेरे मित्रों द्वारा उठाये गये मामलों सहित सारे वक्तव्य के बारे में जांच करे। वह अब यहां कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत मैं यह कहूं कि वह यहां वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मुझे फिर यह दोहराना पड़ रहा है कि वह संसदीय समिति के लिए सहमत हो गये हैं। उन्होंने स्वयं इस विषय पर वक्तव्य देना पसन्द किया है। उन्हें समिति के समक्ष वक्तव्य देने दीजिए। समिति के द्वारा उनके सम्पूर्ण वक्तव्य पर गौर करने से पहले हम उनके वक्तव्य के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अब हमारे सुनने के लिए क्या बचा है ? हम उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि वह वक्तव्य भी देते हैं तो वह समिति के समक्ष जाएगा। (व्यवधान) महोदय मधु जी न केवल वित्त मंत्री के रूप में बोल रहे हैं, बल्कि वह सरकार की तरफ से भी बोल रहे हैं। वह संसदीय समिति के लिए सहमत हुए हैं और उन्हें और वक्तव्य देने दीजिए तथा समिति उसकी जांच करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी के रूप में किस नियम के तहत मैं उन्हें रोक सकता हूं ?

श्री बी० शंकरानन्द : उन्हें रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिए।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या आप नियम जानना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आपको नियमों की पूरी जानकारी है। मैं आपको नियम सिखाना नहीं चाहता हूं। आप भी जानते हैं। कि आपने उन्हें वक्तव्य देने की इजाजत दी है। अन्यथा वह वक्तव्य नहीं दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत ?

श्री बी० शंकरानन्द : मंत्री केवल आपकी अनुमति से वक्तव्य दे सकते हैं। मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं। मंत्री केवल आपकी अनुमति से वक्तव्य देते हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे श्री वसंत साठे द्वारा उठाये गये मुद्दे को स्पष्ट करने की इजाजत दी गई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि किस नियमों का उल्लंघन हुआ है।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : एक नियम है। हम चाहते हैं कि समिति गठित की जाए, क्योंकि सरकार इस पर सहमत है। इस मामले पर संयुक्त समिति को गौर करने दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अन्य सदस्य भी संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : किस प्रक्रिया का आप अनुसरण कर रहे हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : मुद्दा क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा हो तो सदन में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह बोलेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हम शुल्कों की वापसी के अन्यायपूर्ण संवर्धन के पहलू की जांच कर रहे हैं। इसके संपूर्ण पहलू की व्यापक जांच की भी मांग की गई है। माननीय मंत्री ने वर्ष 1986-1990 तक की अवधि को इस प्रकार की वापसी राशि का आंकड़ा बताया है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। साथ ही मैं कुछ आवश्यक जानकारी भी दे रहा हूं। वे आंकड़े जो उन्होंने बताये हैं वह प्रतिवर्ष 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये के बीच के हैं। चालू वर्ष से यह आंकड़ा 70 से 80 करोड़ रुपये के लगभग है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए मुम्बई उच्च न्यायालय की संपूर्ण पीठ ने अन्यायपूर्ण संवर्धन के इस पहलू पर अपनी व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे मामले के गुण-दोष की जांच होगी।

श्री जसवन्त सिंह : मैं मामले के गुण-दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि इस संपूर्ण मामले पर समिति ने पहले ही ध्यान दिया है, प्राक्कलन समिति संसद की संयुक्त समिति है, प्राक्कलन समिति में इस सभा के सभी वर्गों के सदस्य शामिल होते हैं और प्राक्कलन समिति इस पहलू की संक्षेप में जांच कर रही है।

जबकि प्राक्कलन समिति और हम लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो दूसरी संसदीय समिति को नियुक्त करने का कोई कारण मुझे नहीं दीखता है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत माननीय वित्त मंत्री को इस मामले पर वक्तव्य देने से रोका जा सकता है जिसे उन्होंने उठाया था। यह वक्तव्य उन मामलों के संबंध में दिया जा रहा था जिसे श्री साठे ने 'द संडे' पत्रिका में प्रकाशित तथ्य के आधार पर उठाया था। उसे उन्होंने यहां उद्धृत किया है और एक संयुक्त समिति की मांग की है। जबकि माननीय वित्त मंत्री उस वक्तव्य का उत्तर दे रहे थे—यह बात और है कि वे उनके वक्तव्य से सहमत न हों—परन्तु, आप जबकि पीठासीन हैं, किस नियम के तहत उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने से रोक सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं। यह पहली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें किसने रोका है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री बी० शंकरानन्द के प्रति पूरे सम्मान के साथ जोकि अब एक निष्क्रिय आयोग के निष्क्रिय सभापति हैं—उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि यहां पर वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। यह प्रस्तावित आयोग के समक्ष ही दिया जाना चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने यह नहीं कहा वह यह वक्तव्य नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह कहा है। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। मैंने जो कुछ भी सुना है, उसे मैं भूला नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने यह कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ भी उन्होंने कहा है यदि वह उसे भूल गये हैं, तो मुझे याद है उन्होंने जो कहा है चूंकि मेरी स्मरण शक्ति उनसे अच्छी है।

श्री बी० शंकरानन्द : वह इतने गुस्से में क्यों हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है। मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दें। शंकरानन्द जी मैंने आपकी बातों में कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है। लेकिन, आप हमेशा टोकते रहते है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह उचित है कि जबकि वित्त मंत्री ने अपना वक्तव्य पूरा भी नहीं किया है। उस वक्तव्य को बिना सुने इस बात पर सहमत होने के लिए कहा जा रहा है तथा मांग की जा रही है कि उन्हें यह वक्तव्य आयोग के समक्ष देना चाहिए। क्या यह संभव है ? यह मांग किस आधार पर की जा रही है मैं कुछ माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं जो कि बहुत चिंतित हैं चूंकि वे हमेशा श्री राजीव गांधी और बोफोर्स का मुद्दा घसीटते रहते हैं वे केवल इसका सहारा लेने का प्रयास करते हैं। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और यदि इस पर विस्तृत चर्चा हो, तो मैं पुन: उन बातों को सामने रखूंगा जो पिछले वर्ष घटित हुई।

श्री बी० शंकरानन्द : जबकि एक समिति गठित की गई है, तो उन्हें उसमें भाग लेना चाहिए। उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने कुछ निदेश पद की मांग की थी। आपने उसे अस्वीकार कर दिया और इसलिए हमने अलग रहने का निर्णय लिया। सच्ची बात कहें। यह संपूर्ण सत्य नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके लिए इतना ही काफी है कि हमने उसमें भाग नहीं लिया। हमने भाग नहीं लिया ताकि कुछ अधिक जानकारी मिल सके। क्या हम उसके समानांतर कार्रवाई कर रहे हैं। उस आयोग का गठन विदेश में उस देश के केन्द्रीय आडिट ब्यूरो के आडिट रिपोर्टर द्वारा अपनी सरकार को सौंपी गई जानकारी के आधार पर किया गया था और उसके आधार पर कुछ वक्तव्य जो इस सभा में दिये गये थे, सही नहीं थे। लेकिन यहां क्या हुआ है ? एक 'संडे' पत्रिका को उद्धृत किया गया है और माननीय मंत्री के वक्तव्य में पहले ही बताया गया है कि यह रकम दस हजार करोड़ रुपये के करीब नहीं है। दस हजार करोड़ रुपये की बात आपकी कोरी कल्पना है। यदि इस मामले में प्रथम दृष्टि में कोई तथ्य हो तो मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस शोर-शराबे से पहले वित्त मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है अथवा क्या आप वक्तव्य देना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपको बाद में समय दूंगा। यदि आपको कुछ कहना है, तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट पर कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्यों ने कहा है इसलिए हम अपना प्वाइंट जरूर रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। अब, श्री संतोष मोहन देव बोलें। क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मैं अपने सहयोगी, जो कि प्राक्कलन समिति के सभापति हैं और जिन्होंने कि अभी अभी वक्तव्य दिया है, के साथ मैं किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। लेकिन, संसदीय प्रक्रिया के प्रति पूरी विनम्रता और सम्मान व्यक्त करते हुए मेरा मानना यह है कि राजस्व से सम्बन्धित यह मामला और ऐसे ही अन्य विषय लोक लेखा समिति के अन्तर्गत हैं और यह प्राक्कलन समिति के अन्तर्गत नहीं आते। इस मामले पर चर्चा करना उनके लिये उचित नहीं है। वे इस मुद्दे को छिपाना चाहते हैं। उन्हें लोक लेखा समिति को नहीं रोकना चाहिये···(व्यवधान) मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि हमने लोक लेखा समिति में एक मत से स्वीकार किया था कि सरकारी जांच और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के अलावा लोक लेखा समिति भी इस मामले की जांच करेगी। जो पूर्वोदाहरण श्री जसवंत सिंह ने उद्धृत किया है, वह न्याय संगत नहीं है। ऐसे भी पूर्वोदाहरण हैं जब सरकारी जांच का कार्य एवं लोक लेखा समिति द्वारा जांच साथ-साथ चली है। यही मुझे कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से यह मांग की गई कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंटरी कमेटी गठित की जाए माननीय मन्त्री जी ने हमारी इस डिमाण्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार जब ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी गठित करने की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक बार सिद्धांत को मान लेने के बाद गवर्नमेंट के लिए यह उचित नहीं है। रूल-269 के अन्दर ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी किसी भी डाक्युमेंट को···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या मैं यह समझूं कि आप उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने की अनुमति नहीं दे रहे ? आप कैसी प्रक्रिया अपना रहे हैं ? उन्हें अपना वक्तव्य पूर्ण करने दें। फिर, वे यह मामला उठा सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, मुझे उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुनना है। इस प्रकार लांछन लगाना आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री जी, आप कृपया अपने सदस्यों को बैठने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं नियम को भी उद्धृत कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : इस सभा में यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मैं नियम 269 उद्धृत कर रहा हूं। आप चिन्तित क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह सही तरीका नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न भी सुनूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय । कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैं अपने प्वाइंट आर्डर के जरिए किसी मित्र को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांग इस मुद्दे पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी की मार्फत से…(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के तहत मन्त्री महोदय को रोकना चाहते है ? आप मुझे यह नियम बताइए।

श्री हरीश रावत : मैं यही कहने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती : (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सिद्धांत और समर्थन दिया और एक बार सिद्धांत और समर्थन देने के बाद रूल 269 के तहत कोई भी ऐसा डाक्युमेंट कमेटी के एविडेंस में आ सकता है, कोई ऐसा डाक्युमेंट जिसको कमेटी एक्जामिन कर सकती है उसको बिना कमेटी की राय में या बिना सोचे हुए कस कोई इन्क्वायरी प्रभावित हो सकती है इसलिए मन्त्री जी के लिए भी यह उचित नहीं होगा कि वह आगे कोई स्टेटमेंट दें, जब तक अध्यक्ष महोदय कमेटी के गठन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लेते। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि रूल 269 के अन्तर्गत जिस कमेटी के गठन की बात है उसके एविडेंस को टेम्पर करने का, प्रभावित करने का माननीय वित्त मन्त्री जी को कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि अनेक सदस्य व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दे पर नाराज हैं। इस बारे में मैं आपकी सहायता से ही फैसला कर सकता हूं और मैं समझता हूं कि अगर आप चुप भी रहते तो मैं इसका फैसला कर देता। अब जहां तक श्री शंकरानन्द का व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस सम्बन्ध में भेद दिखलाया है। उन्होंने कहा है कि वह ऐसा कर सकते हैं लेकिन, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं : "अगर वह चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।" इस प्रकार मेरे विचार से वह भी सहमत है कि माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है, वह काफी तर्क संगत है और वह सही है। व्यवस्था संबंधी बाकि सब प्रश्न सही नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तोपदार जी, आप कृपया चुप रहिए।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मुझे उम्मीद है कि आप संयुक्त संसदीय समिति को वापस नहीं लेंगे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस बारे में सभा को स्वीकार करना है। (व्यवधान) मैं बीस वर्षों से संसद में हूं। मुझे फंसाने का प्रयास मत कीजिए। (व्यवधान)

इसीलिए, मैं आपको कह रहा हूं, श्री शंकरानन्द को नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य अथवा स्पष्टीकरण पूरा ही करने वाला था। मैं केवल दो बातें और कहूंगा। यह देखने के बाद कि वास्तव में यह परिपत्र सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया था, जब मुझे यह बताया गया कि उन्होंने कुछ पत्रों का उल्लेख किया है, तो जहां तक मुझे लिखे गए पत्र और मेरे साथी का सम्बन्ध है, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि गत शुक्रवार को इसी सभा में एक प्रश्न संख्या 233 किया गया था और वरिष्ठता में ।। वां था और उत्पाद शुल्क पर भी एक प्रश्न था और मेरे साथी श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने वास्तव में एक अनुपूरक प्रश्न किया था, तब मैंने यह सारी स्थिति स्पष्ट की थी।

अब मैं उपभोक्ता कोष के मुद्दे के बारे में कहूंगा, इसे श्री साठे ने उचित ही उठाया है। प्रश्न यह है कि यह अनुचित वृद्धि कैसे की जा सकती है? उसका यह मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा आयातक और व्यापारी हूं जिसने अतिरिक्त शुल्क का भार पहले ही उपभोक्ताओं पर डाल दिया है और फिर सरकार से इसकी वापसी की मांग कर रहा है और यदि सरकार इस अनुचित वृद्धि को और बढ़ाना नहीं चाहती, तो सरकार के सम्मुख एक ही उपाय है कि एक प्रकार का कल्याण कोष अथवा उपभोक्ता कोष बनाया जाए और इसमें सारी राशि की अदायगी की जा सकती है और इसे उपभोक्ता के किसी कल्याण कार्य के उपयोग में लाया जा सकता है। मेरा यह मत है। इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा था, 24 तारीख शुक्रवार को मैंने इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया था, मैं इसमें अन्तिम भाग जोड़ना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि परिपत्र जारी किया गया, लेकिन, मैं समझता

हूं कि यदि एक उपभोक्ता कोष स्थापित किया जाना है और इस उद्देश्य के लिए अगर कानून में आवश्यक परिवर्तन किए जाने हैं और उपभोक्ताओं का उचित मार्ग दर्शन करना है, तो यह बेहतर होगा कि हम पहले 28 मार्च के इस परिपत्र पर कार्यवाही स्थगित कर दें और दूसरे, हम आवश्यक कानून में परिवर्तन करने की संभावनाओं का पता लगाएं ताकि उपभोक्ता कोष गठित किया जा सके। मैं केवल वहीं पहुंगा जो मैंने गत शुक्रवार को इस सभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था :

"फिलहाल हम राजस्व विभाग के 20 मार्च, 1990 के परिपत्र पर कार्यवाही स्थगित कर रहे हैं जिसमें उन विनिर्माताओं और आयातकों के शुल्क वापसी के दावों को मंजूरी दी गई है, जिन्होंने इस शुल्क का भार अपने उपभोक्ताओं पर डाल दिया था।"

मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। मैंने वक्तव्य और स्पष्टीकरण जारी किए हैं। ये सब बातें हैं क्योंकि हम प्रशासनिक व्यावहार्यता के तहत यह चाहते हैं कि कुछ कानूनी परिवर्तन हों जिससे उपभोक्ता कोष गठित करने की संभावना उत्पन्न होगी।

मैं, जांच के प्रश्न पर यह स्पष्ट करता हूं कि एक निजी हैसियत से मैं यह चुनौती देता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि कुछ गड़बड़ी है···(व्यवधान)···मेरी बात सुनिए··· (व्यवधान)

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यदि आपको कोई संदेह है, तो मैं इस मामले पर विचार करूंगा। यदि आप ऐसा समझते हैं और प्रो० रंगा जैसे वरिष्ठ सदस्य भी जांच के लिए कह रहे हैं, तो जहां तक मेरा संबंध है, मैंने दो बार कहा है कि समिति के सम्मुख मेरे उपस्थित न होने की बात ही नहीं है, अन्ततः इस सभा को ही निर्णय लेना है।

अगर यह सदन चाहे तो इसकी जांच करवाई जा सकती है और मैं समिति के समक्ष प्रस्तुत हूंगा और इस समिति से बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहले ही प्राक्कलन समिति ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है तथा यह पहले ही इसके पास है। इसलिए, मैं कोई जांच बिठाने का प्रस्ताव नहीं कर रहा। परन्तु अगर आप अथवा सदन जांच करवाने का निर्णय लें तो मैं इसमें सहायता करूंगा तथा जो भी सामग्री मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा।

वर्ष 1986 से किस प्रकार इस राशि को वापस किया गया, इस सम्बन्ध में आंकड़े देने के पश्चात, इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि क्या हमने कोई गुप्त सौदा किया है। इस मुद्दे पर हम बिल्कुल निर्दोष है तथा इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। बार-बार मैंने इसे स्पष्ट किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं श्री मल्होत्रा तथा श्री अकबर को अपने विचार व्यक्त करने का समय दूंगा। अब मैं श्री मल्होत्रा को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, हाऊस में इस विषय पर इतनी गर्मी हो गयी है। काफी दिनों से यह सवाल चल रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल पर आऊं कि कांग्रेस पार्टी जिन दिनों में सत्ता में रही है। 1986 से लेकर 1989 तक इन्होंने एक हजार करोड़ वापिस किया अनजस्टीफाईट ऐनरिचमेंट के लिए

इस सरकार ने अब तक 80 करोड़ रुपया वापिस किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि छाज बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 636 छेद हैं। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मल्होत्रा जी की अनुमति से मैं एक पैरा पढ़ रहा हूं। जो स्पष्टीकरण हमने प्रेस को जारी किया है तथा जो पूरे का पूरा प्रकाशित हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण पैरा गायब है। मैं केवल उसे ही पढ़ूंगा,

> "सरकार इस विचार का समर्थन करती है कि उत्पादकों तथा आयातकों को राशि की वापसी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह इसका भार पहले ही उपभोगताओं पर डाल चुके हैं तथा इससे उन्हें अवैध लाभ मिलेगा। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क द्वारा 28-3-89 को जारी परिपत्र का कार्यान्वयन रोक दिया गया है तथा सारे मामले की गहन छान-बीन की जा रही है ताकि अधिक वसूली गई राशि को जन कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च करने की वैधानिक तथा प्रशासनिक संभावनाओं का पता लगाया जा सके। दिनांक 24-8-90 को मैंने इसकी घोषणा लोकसभा में की थी।"

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि वह जो कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ दिया, इसलिए 80 करोड़ देना भी जस्टीफाई नहीं होता है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आप्रेशन तो स्टे कर दिया परन्तु यह क्यों नहीं घोषणा करते कि इसको आगे नहीं दिया जायेगा। क्या आप उन 80 करोड़ रुपये को भी वापस लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यह रुपया उनका नहीं है, यह कन्ज्यूमर्स का रुपया है। कन्ज्यूमर्स से उन्होंने पहले रुपया वसूल करने के बाद, उसे निर्माताओं को वापस कर दिया। यह रुपया कन्ज्यूमर्स से वसूल किया गया। जो 80 करोड़ रुपया तीन महीने में दिया गया, यदि वह आगे भी कहीं चलता रहता तो शायद 300 करोड़ तक पहुंच जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उस 80 करोड़ रुपये को वापस लेंगे। दूसरे, जैसा अभी इन्होंने कहा कि हमने पे कर दिया है, आप इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर देते कि सर्कुलर को स्टे करने का सवाल ही नहीं है, रुपया दिया ही नहीं जायेगा।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह रुपया किन अधिकारियों ने दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही होनी चाहिये। जब हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया था। और जजमेंट में कहा गया है कि रुपये का कन्ज्यूमर्स फण्ड बनाया जाये, इसलिये जिन्होंने 80 करोड़ रुपया देने की गलती की है, उस मामले में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : क्योंकि मैंने इस मुद्दे को उठाया है, इसलिए मुझे इस पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मेरे विचार में कुछ वर्गों ने मूल मुद्दे को बदलने की चेष्टा की है, विशेषतया लम्बी अवधि की राशियों तथा वापिस की गई राशियों के आंकड़ों को पढ़ कर। जो राशि पहले वापस की गई है, उसके निर्णय के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद वापस की गई राशि पर चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : इससे पहले क्यों नहीं ?

श्री एम० जे० अकबर : मैं इस प्रकार तर्क नहीं कर सकता । (व्यवधान) न्यायालय के निर्णय के पश्चात् स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । मुम्बई उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ द्वारा विनिर्णय दिए जाने के पश्चात् सरकार के लिए उसको मानना तथा उसके अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था । यह निर्णय शीत काल में लिया गया था जबकि यह सरकार सत्ता में आ चुकी थी । यह विनिर्णय ऐसा था जिसे काफी ख्याति मिली । इसे प्रत्येक ने पढ़ा । प्रत्येक इसके निर्णय से वाकिफ था । मार्च महीने में, मुम्बई उच्च न्यायालय के इन विनिर्णय के पश्चात्, इस सरकार ने एक नया आदेश जारी किया जो कि इस विनिर्णय के विपरीत था··· (व्यवधान)

महोदय, सरकारी अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य किया । वे जानते थे कि वह अवैध आदेश जारी कर रहे हैं । उन्हें संरक्षण इस बात से मिला कि उन्हें इस निर्णय के पीछे समर्थन प्राप्त है, जो कि मन्त्रि मण्डल के पास नहीं भेजा गया तथा जिसका अनुमोदन सारे मंत्रिमण्डल ने नहीं किया । उन्हें देश के उच्चतम प्राधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था । (व्यवधान)

दिनांक 24 अगस्त, को अचानक वित्त मन्त्री की नींद खुली और उन्हें पता चला कि कुछ गलती हो गई है । इसीलिए उनका निर्णय (व्यवधान) । पिछले शीत काल से सरकार के प्रत्येक सदस्य को यह पता था कि इसकी और अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्होंने इसे जानबूझ कर जारी रखा । कुछ जेबों भरने के लिए जानबूझ कर इस विनिर्णय का उल्लंघन किया यही मैं कहना चाहता हूँ । इसीलिए हम राज्य सभा तथा लोक सभा द्वारा संयुक्त जांच की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं— और यह नहीं चाहते कि वे प्राक्कलन समिति की चेतावनी के साथ बच निकलें । (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : (प्राक्कलन) समिति मात्र चेतावनी नहीं है । (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह प्राक्कलन समिति पर आक्षेप है ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । प्राक्कलन समिति की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अभी एक हवाला दिया गया है और अभी यह भी कहा गया कि प्राक्कलन समिति एक चेतावनी मात्र है । महोदय, मैं इस टिप्पणी पर आपत्ति उठाना चाहता हूं इस सम्बन्ध में मैं पृष्ठ 112 पर दिए गए नियम का हवाला देना चाहूंगा । (व्यवधान)

प्राक्कलन समिति का कार्य चेतावनी मात्र नही है । यह संसदीय कार्य-प्रणाली को सुचारु बनाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पृष्ठ 112 पर आप किस नियम का हवाला दे रहे है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : साठे जी, कृपया बीच में मत बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : श्री जसवन्त सिंह, आप अधिक शिक्षित है ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे विपक्ष से शिक्षा के प्रमाण पत्र नहीं लेने हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : साठे जी, कृपया बाधा मत डालिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैंने एक गलती कर दी है। यह पृष्ठ 112 नहीं बल्कि 121 है। मेरे आदरणीय सहयोगी जो कि एक समिति के सभापति भी हैं उन्होंने जो पहले संदर्भ दिया है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। प्राक्कलन समिति ने केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय इस मामले के प्रकाश में आने से पहले ही ले लिया था। महोदय, मैं पृष्ठ 121 पर नियम 310 (ख) का हवाला दे रहा हूं।

इसके अनुसार

"समिति का कार्य प्रशासन में कार्य कुशलता तथा मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना होगा।"

अब यह आपत्ति उठाई गई है कि प्राक्कलन समिति इस मामले से, विशेषकर अवैध लाभ के मामले से वाकिफ है तथा इस मामले से बचने के लिए यह रास्ता ढूंढा गया है मैं इस टिप्पणी पर आपत्ति करता हूं क्योंकि प्राक्कलन समिति संसद के पास कोई यन्त्र नहीं बल्कि यह संसद का ही छोटा रूप है। आप प्राक्कलन समिति पर लांछन लगा सकते हैं, आप मुझे इस समिति के सभापति पद से हटा सकते हैं जैसे कि आपने मुझे इस पद पर बिठाया है।

समिति के विशेषाधिकार फिलहाल मेरे अधीन हैं और उन्हें केवल मेरे और आपके माध्यम से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि प्राक्कलन समिति को अपने नियमों के अन्तर्गत, इस मामले का पता है, और हमने भी इस अनुचित वृद्धि के पहलू की विशेष रूप से जांच की है, तो किसी एक सदस्य का यह कहना विशेषाधिकार नहीं है, कि प्राक्कलन समिति को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। प्राक्कलन समिति के पास निश्चित रूप से यह शक्ति है और वह इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है और मैं मामले के इस पहलू पर एतराज करता हूं। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इसमें कुछ गलत फहमी हुई है। श्री जसवन्त सिंह ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। वे नीति एवं कार्यविधि के बारे में कह रहे हैं। परन्तु हम वित्तीय अनियमितताओं के बारे में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि श्री जसवन्त सिंह ने इसे विशेष रूप से एक व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाना चाहते थे। यह तो एक जटिल मामला है। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि प्रक्रिया में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति अथवा प्राक्कलन समिति अथवा दूसरी समितियों की कार्यवाही सारांश का हवाला तब तक न देने की बात है, जब तक कि पूरा रिकार्ड सदन के पटल पर नहीं रख दिया जाता। फिर भी, मैं इस पर कोई अन्तिम विनिर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं अभी इसे उस पर छोड़ रहा हूं। श्री अकबर।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आप मुझे बोलने के लिए नहीं बुला रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उनके बोलने में व्यवधान डाल रहे थे।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : यदि मुझे गलत समझा गया है, तो मुझे खेद है। मैंने प्राक्कलन समिति पर कोई आक्षेप नहीं लगाये थे। यह बात बिल्कुल भी नहीं है···(व्यवधान) परन्तु मैं जो बात कह रहा था और मैंने जो 'सावधान' शब्द का प्रयोग किया था, वह किसी अन्य बात के सम्बन्ध में था, हम केवल अनुचित वृद्धि के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। हम एक राजनैतिक निर्णय के बारे में कह रहे हैं। यही मुख्य बात है और इसी कारण एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराने की जरूरत है। हम भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। हम के ··**···बारे में बात कर रहे हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आरोप नहीं। इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : आप संयुक्त संसदीय जांच कराने के लिए किये गये अपने वायदे से से बचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि केवल यही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम सच्चाई की तह तक पहुंच सकते हैं। घोटाले की सच्चाई जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। यह पूरी तरह अपर्याप्त है। ···(व्यवधान) आप इस प्रकार से छुटकारा नहीं पा सकते। मैं वित्त मंत्री के क्रोध को समझ सकता हूं।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात के महत्व को कम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या आपने उस कथन को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कर दिया गया है। आप अपनी बात पर आएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाना है, तो आपको इसकी सूचना देनी होगी।

श्री वसंत साठे : जब उन्होंने श्री राजीव गांधी पर आरोप लगाया था, तब क्या उन्होंने नोटिस दिया था? मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगा रहा हूं प्रधान मंत्री दोषी हैं···(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री एम० जे० अकबर : यह वी० पी० सिंह घोटाला है···(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : यदि वह इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, तो मैं अपने सदस्यों को नियन्त्रित नहीं कर सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जसवन्त सिंह के व्यवस्था के प्रश्न को सुन रहा हूँ।

श्री जसवंत सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 352 (पांच) से सम्बन्धित है जिसमें बताया गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य उच्च अधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर तब तक आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।"

जो कुछ कहा गया है उसका इसमें इसका आशय निहित है···(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यहां इसका सम्बन्ध इन व्यक्तियों से है जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं···(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : आप कोई आक्षेप नहीं लगा सकते। मैंने नियम 352 का केवल एक भाग ही पढ़ा है। (व्यवधान)

2.00 म० प०

आप कोई आक्षेप नहीं लगा सकते। मैंने नियम 352 का केवल एक ही भाग पढ़ा है। यदि आप पूरे नियम 352 को पढ़ें, तो इसमें बताया गया है : "यदि किसी उच्च अधिकार वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आक्षेप लगाना है, तो इसे मूल प्रस्ताव के रूप में लगाया जायेगा।" (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : नियम में 'उच्च प्राधिकारी' की क्या परिभाषा दी गई है? आप नियम क्यों नहीं पढ़ते?

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश उसके अन्तर्गत आते हैं। मंत्री उसके अन्तर्गत नहीं आते। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : प्रधान मंत्री के विरुद्ध लगाया गया आक्षेप किसी तथ्य पर आधारित होना चाहिए। आप उस स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते जिसे पहले ही दिया गया है। एक पूर्ण स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें एक मौका दे रहा हूं। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है, तो मुझे उसे अवसर देना चाहिए। अब, सम्भवत: मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया होता परन्तु, आप इस बारे में झगड़ा क्यों करते हैं ? हां, मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम वक्त में और बहुत विनम्रता के साथ दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो अभी जो बहस चल रही है उसके संदर्भ में है और दूसरा हाउस की फंक्शनिंग के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्वाइंट आफ आर्डर की आड़ लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं उससे बहुत कठिनाई होती है और समय भी बहुत खराब होता है—(व्यवधान) खास तौर से जो मेम्बरान शांति से बैठते हैं उनको आप मौका दें। वैसे आपका जजमेंट सर-माथे पर, आप ही हमारे सेवियर हैं। बाकी मैम्बरों को इससे जो कठिनाई होती है उसको आप देखें। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, इसके बारे में कुछ सवाल पूछे गये और उसका मंत्री महोदय ने जवाब दिया। कोई मोशन कमेटी के लिये नहीं है और मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरा हाउस यह मानता है कि इसमें कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप उनसे पूछ भी सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मैं श्री शंकरानन्द के समान समझदार और बुद्धिमान हूं, अन्यथा इसकी जांच करने के लिए मुझे भी संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता। परन्तु मेरा निवेदन यह है···(व्यवधान)

महोदय, सदन के सामने जो मुद्दा है वह धन वापसी के बारे में है···(व्यवधान)···नियन्त्रक एव महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष दो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, एक प्रत्यक्ष करों के बारे में···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं उस मुद्दे पर बोल रहा हूं, जिस पर चर्चा की जा रही है।

एक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों और दूसरा अप्रत्यक्ष करों के बारे में होता है। प्रत्यक्ष करों के बारे में, प्रति वर्ष कर प्रत्यर्पण संबंधी प्रावधान का एक पैरा होता है और अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी ऐसे ही प्रावधान का एक पैरा होता है। कर प्रत्यर्पण से संबंधित किसी वर्ष के एकत्रित पैराओं का लोक लेखा समिति अपने इच्छा से चयन कर लेती है। मुझे बहुत हैरानी है कि श्री अकबर को यह विचार कौंधने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता पड़ी कि जब अप्रत्यक्ष करों की वापिसी होती है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सब पर विस्तार में क्यों जा रहे हो ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जब प्रत्यक्ष कर वापिस किये जाते हैं, तब वे उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिनसे प्रत्यक्ष कर एकत्र किये गये हों। किसी अप्रत्यक्ष कर के लिए जिस व्यक्ति ने इसका भुगतान किया है उसे वापस करना असंभव होता है। यह सुझाव असंगत है कि ऐसा किया जा सकता है। मेरा मुद्दा यह है कि इस असंगति के बावजूद, पूर्व सरकारों की शासनावधि के दौरान ऐसा होता रहा है। आप नहीं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी यह कह चुके हैं और फिर संसदीय मामलों से संबंधित मंत्री जी का आग्रह है कि सदन पर नियन्त्रण रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब, महोदय, बोर्ड इस प्रकार के कर प्रत्यर्पण की अनुमति देता है, जो प्रत्येक दृष्टि से असंगत है और विशेष रूप से तब, जबकि किसी भी उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय न दिया हो।

महोदय, हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने सीमा तथा उत्पाद शुल्क के सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा कर प्रत्यर्पण को निलम्बित रखने के आदेश दिये हैं। इस कारण, यह सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इसके साथ-साथ यह तथ्य है कि सी० बी० ई० सी० लगातार अपनी कार्यवाही किए जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें रोका जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन लोक लेखा समिति के सभापति श्री सन्तोष मोहन देव…

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के सभापति पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप मुझे यह टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आप किस आश्चर्यजनक ढंग से सदन पर नियन्त्रण रखते हैं इसी तरीके से मैं लोक लेखा समिति के सभापति की सराहना कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप सराहना कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सही है कि ऐसे पैरा नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होते हैं और कई अवसरों पर लोक लेखा समिति इन पर कार्यवाही करती है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, जैसा कि मैंने आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे पर सुझाव दिया है, कि इस पर लोक लेखा समिति द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। विपक्ष के एक नेता, जो लोक लेखा समिति के सभापति हैं, यहां मौजूद हैं और इसलिए मैं यह ठीक समझता हूं कि इस विशेष मुद्दे पर लोक लेखा समिति द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं, जी नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके साथ-साथ, मैं महसूस करता हूं कि लोक लेखा समिति द्वारा किसी निर्णय के बिना भी, कैबिनेट को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी आलोचनाओं के बावजूद यह पहली बार नहीं हुआ कि सदन में ऐसे मुद्दे उठाये जा रहे—कैबिनेट को स्वतन्त्र रूप से जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ऐसे जिम्मेदार लोग कौन हैं जिन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है और भविष्य में ऐसे कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कापसे।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। मुझे स्पष्टीकरण देने का कोई मौका नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कापसे को बोलने लिए आमन्त्रित किया है। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उनकी इस भावना को समझने में असमर्थ हूं जो दूसरे प्रश्न की ओर से प्रस्तुत की गई है कि जैसे ही संयुक्त संसदीय समिति के लिए प्रस्ताव किया गया, उन्होंने सोचा कि संयुक्त संसदीय समिति गठित हो चुकी है। (व्यवधान) उनकी कार्यवाही द्वारा वे हम सबको यह जतलाने का प्रयास कर रहे कि इनसे नौ महीनों के दौरान विपक्ष में बैठने से उनमें कोई विवेक नहीं रह गया है। (व्यवधान)

श्री० एम० जे० अकबर : महोदय, मुझे कतिपय बातें स्पष्ट करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, दीजिए। तब में निर्णय दूंगा। आप इसे लिखित रूप में दीजिए। जब यह लिखित रूप में देंगे। तब में इस बारे में फैसला करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कापसे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर आप नहीं, अब श्री कापसे बोलेंगे।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : मैं वित्त मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, ये लोग हाउस को डिसटरब कर रहे हैं। 4 बार बोल चुके हैं जैसे इन्हीं का ही हाउस हो। (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं पूछना चाहता था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, यह ठीक नहीं है। मैं आपको अनुमति दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यह उचित नहीं है श्री कापसे आप बोलिए यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं कहना चाहता हूं कि पूरे पीठ के निर्णय के बाद···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, अब आप झगड़ रहे हैं। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूं, जी हां, श्री कापसे।

(व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे : उपभोक्ताओं के हित में, वित्त मंत्री बोर्ड के आदेश को पहले ही

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थगित कर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, बम्बई उच्च न्यायालय की पूरी पीठ के निर्णय के बाद, बोर्ड ने राशि लौटाने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया था और 80 करोड़ रुपये की राशि वापिस की गई। वह परिपत्र 22 मार्च से 24 अगस्त तक की अवधि के दौरान क्यों नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें न्यायालय से स्पष्टीकरण लेना होगा। वे केवल इतना कहते हैं कि इस मामले में एक विशेष दृष्टिकोण से प्रासंगिकता है। लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यह उनकी कठिनाई है।

प्रो० राम गणेश कापसे : यह प्रचार जो अगस्त के महीने में दिया गया इसे 22 मार्च के बाद क्यों नहीं दिया जा सका? यह मेरा प्रश्न है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब यह बात हमारे ध्यान में लाई गई, कि ऐसा परिपत्र जारी किया गया है, तो मैंने इसकी जानकारी ली। (व्यवधान)

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 3.10 म० प० पर पुन: समवेत होगी।

2.13 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

———

3.14 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 3.14 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजीत सिंह पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1963, कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[हिन्दी]

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 545 (अ), जो 9 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 21 तथा 22 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग या सेवा से संबंधित किसी प्रस्थापना पर लागू नहीं होंगे।

(दो) का० आ० 625 (अ), जो 8 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 तथा 22 के उपबंध विद्युत उत्पादन करने वाले किसी उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1377/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 302, जो 19 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा मैसर्स तमिलनाडु आर्टिजन्स बेनिफिट फंड लिमिटेड, कोयम्बटूर को एक "निधि" घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1378/90]

(3) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अंतर्गत व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह (संशोधन) नियम, 1990, जो 12 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 287 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1379/90]

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : श्री आरिफ मोहम्मद खान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1380/90]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विदेशी इक्विटी धारक औषधि कम्पनियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के 13 मार्च, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनमन बेहेरा) : मैं एम० ए० बुस्पाद स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दबाव रहित स्टोव (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1990 जो 8 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 699(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1381/90]

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें) संशोधन विनियम, 1988 जो 9 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17(11)/87-विनियम में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1382/90]

(3) (एक) विदेशी इक्विटी धारक औषधि कंपनियों के बारे में श्री खेमचंद भाई सोमाभाई चावडा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के 13 मार्च, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1383/90]

रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण तथा किरायों की वापसी) नियम, 1960

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से मैं रेल अधिनियम, 1989 धारा 199 के अन्तर्गत रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण तथा किरायों की वापसी) नियम, 1990, जो 18 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 646(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1384/90]

— — - —

3.15 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : मैं पर्यटन मंत्रालय-भारत पर्यटनविकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी समिति (आठवीं लोकसभा) के छियालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— —— —

3.15½ म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— —— —

3.16 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

सत्तर मारुति वाहनों के परिवहन के दौरान गुम हो जाने का समाचार

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"कारखाने से प्रदर्शन-कक्ष तक परेषण के दौरान सत्तर मारुति वाहनों के गुम हो जाने के समाचार से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप अपनी मारुति को सभा में भी चला सकते हैं।

(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली में डीलर "सी" फार्म देकर वाहन खरीदते हैं। फैक्टरी से निकलने के बाद वाहन डीलर की सम्पत्ति हो जाते हैं। तथापि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा परिवहन जोखिम उठाया जाता है और प्रतिकार लगाए गए शुल्क के आधार पर, पारवहन के दौरान क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत/बदली की लागत का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली जाती है। तथापि, जिप्सी का एक बड़ा भाग सीधे खरीददार ग्राहक के नाम पर होता है, और ऐसे मामलों में पारवहन जोखिम ग्राहकों द्वारा बीमा से पूरा किया जाता है, जब वाहन पारवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और यह सुनिश्चित हो जाता है कि बिक्री के लिए ऐसे वाहनों की संतोषजनक रूप से मरम्मत नहीं की जा सकती, उन्हें फैक्टरी को वापस कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में, मारुति उद्योग लिमिटेड पारवहन क्षति को पूरा करने के लिए एकत्रित किए गए शुल्क से इन वाहनों की लागत को बट्टे खाते में डाल देता है, तथा डीलर द्वारा वापस किए गए वाहनों के बदले में उन्हें नए वाहनों की सप्लाई की जाती है।

जहां सम्भव होता है, वाहनों की मरम्मत करके उन्हें कम्पनी की गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन मामलों में मरम्मत सम्भव नहीं होती वहां वाहनों को खोल लिया जाता है और इंजन सहित अच्छे पुर्जों का पुन: प्रयोग किया जाता है।

वर्ष 1988-90 के दौरान यह पाया गया कि 1986-88 की अवधि में लौटाए गए वाहनों तथा पुन: प्रयोग किये गये पुर्जों से सम्बन्धित प्रलेखन को अद्यतन नहीं रखा गया था। तदनुसार इस कार्य को पूरा करने काम किया गया। यह पाया गया कि 70 वाहनों के रिकार्ड को पूरा किया जाना था, चूंकि ये वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए थे और इनकी मरम्मत नहीं हो सकती थी, जिस कारण उन्हें खोलकर उनके पुर्जे पुन: प्रयोग में लाए गए थे। इन 70 वाहनों में से 53 मूल वाहनों के इंजनों को सही पाया गया था और उन्हें नए वाहनों में पुन: प्रयोग किया गया और इन वाहनों को विभिन्न डीलरों को पुन: भेज दिया गया था। शेष 17 मूल वाहनों को पुन: प्रयोग में नहीं लाया गया और उन्हें विघटित कर दिया गया था।

यह पाया गया कि 1986-88 के दौरान जब 70 वाहन मूल रूप से उत्पादित किये गए थे और बदले गए वाहनों को डीलरों को भेज दिया गया था, क्षतिग्रस्त और विघटित वाहनों पर उत्पादन शुल्क नहीं चुकाया गया था। एक गलत धारणा के अन्तर्गत यह समझा गया कि जो वाहन उपभोक्ताओं को नहीं बेचे गये थे उन पर उत्पादन शुल्क नहीं चुकाया जाना था। इस स्थिति को सुधारने के लिए हस्तलिखित गेट-पास बनाए गए और उत्पादित सभी वाहनों पर बिना इस तथ्य पर ध्यान दिए कि बाद में व्यवहार में लाए गए, बेचे गये या खोल दिए गए, कानून के अनुसार उत्पादन शुल्क जमा किया गया। उत्पादन शुल्क का भुगतान करने के उद्देश्य से केवल इन्हीं विद्यमान 70 वाहनों के लिए ही गेट-पास बनाए गए थे और इसलिए इन वाहनों के मारुति शोरूमों को भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं था। क्योंकि ये वाहन बहुत पहले ही विघटित किये जा चुके थे। यह भी उल्लेखनीय है कि जब फैक्टरी को वापिस लाए गए क्षतिग्रस्त वाहनों के बदले डीलरों को नए वाहन भेजे गये थे, तो मूल बीजक के विवरण का कम्प्यूटर रिकार्डों में संग्रह नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि कम्प्यूटर रिकार्डों में कुछ वाहन क्यों नहीं आते।

यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि कम्पनी द्वारा पारवहन क्षति के लिए एकत्र किए गए शुल्क में से, सभी देनदारियां पूरी करने के बावजूद, हर वर्ष धनराशि की बचत होती थी। अत: इन 70 वाहनों के बट्टे खाते में डाल देने के बावजूद भी कम्पनी को कोई घाटा नहीं हुआ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग से 70 गाड़ियां गायब होने का मामला जब से प्रकाश में आया है तब से यह लगातार जटिल और गम्भीर होता जा रहा है। मुझे हैरानी इस बात की है कि पूरी जांच करके और इस सारे मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जाती उसके बजाए इसको मारुटी कवर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि कम्पनी के चेयरमैन और अधिकारियों ने जो डिफेंस दिया था जो कि निहायत बेहूदा और बचकाना था, मंत्री महोदय ने भी केवल उसको यहां पर पढ़ने की कोशिश है। जो उन्होंने बयान पढ़ा है मैं उसकी केवल ये पंक्तियां रखना चाहता हूं :

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

[अनुवाद]

"इन नाम मात्र के 70 वाहनों के लिए गेट पास केवल उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए बनाए गए थे। इसलिए इन वाहनों को मारुति शोरूमों में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन्हें बहुत पहले ही खोल दिया गया था।"

[हिन्दी]

यानि गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां डिसमेंटल हो चुकी हैं तो गेट पास उन्होंने तैयार किया और उसमें यह लिखा कि 70 गाड़ियां निकाली गई और शो-रूम में जा रही हैं। अगर गाड़ियां एक्जीसट नहीं करती थीं तो यह जाली दस्तावेज किसने तैयार किया। क्या यह क्राइम नहीं है एक जाली दस्तावेज तैयार करना। जो गाड़ियां एक्जीसट नहीं करतीं उसका दस्तावेज तैयार करना और तैयार करके उसमें यह लिखना कि हम शो-रूम में भेज रहे हैं और 70 गाड़ियां निकल रही हैं, यह अपने आप में क्राइम है और फाल्स डाक्युमेंट रेज करना और उसका जो जस्टिफिकेशन दिया है वह और भी आश्चर्यजनक है। दस्तावेज में कहा गया है कि यह गाड़ियां वहां से निकाली गई, डैमेज हो गई और डैमेज होने के बाद वापस आ गई। आने के बाद उन्हें अचानक पता लगा कि इस पर एक्साइज नहीं दी थी और एक्साइज नहीं दी थी इसलिए हमने ईमानदारी से सोचा कि एक्साइज दे दें। इसलिए हमने यह फाल्स और फरेबी दस्तावेज तैयार किया। यह क्या ईमानदारी का तकाजा नहीं था कि आप पता लगाते कि एक्साइज नहीं दी तो एक्साइज विभाग के पास जाते और उनसे कहते कि हमने एक्साइज नहीं दी, आप एक्साइज ले लीजिए। यह डाक्युमेंट बनाकर शो-रूम भेजने का और 70 गाड़ियां निकल रही है इसकी क्या जरूरत थी।

70 गाड़ियां उस दिन निकलेंगी, दस्तावेज तैयार किया और इनको पता नहीं लगा और यह एक्साइज नहीं देना चाहते थे, जबकि एक्साइज दो महीने के बाद दी, जून में एक्साइज दी है तो 31 मार्च को गाड़ियां निकालने की क्या जरूरत थी। जो गेट पास है, यह कम्पनी का नहीं है, यह एक्साइज का है और एक्साइज के गेट पास में शर्त है कि जिस समय गाड़ी निकलेगी पहले एक्साइज पे करना पड़ेगा। गाड़ियों के निकलने से पहले एक्साइज पे करना यह इसमें ऊपर है।

[अनुवाद]

"निसंदेह शुल्क का भुगतान करने पर ही फैक्टरी अथवा वेअर हाउस के वाहन निकालने के लिए गेट पास बनाए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिना ड्यूटी कैसे गाड़ियों को निकाला गया। यह सबसे बड़ा क्राइम है और इसमें जेल की सजा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 70 गाड़ियां निकली थी तब बिना एक्साइज पे करके कैसे निकाली गई। कोई सामान किसी फैक्टरी से निकले तो उसमें एक्साइज पे करना लाजिमी है। जब ये गाड़ियां निकलीं तो एक्साइज पे क्यों नहीं किया। क्या इनको अन्दाजा था कि 70 गाड़ियां निकलेंगी और रास्ते में डैमेज होकर वापस आ जायेंगी और इसलिए इन्होंने इसके ऊपर एक्साइज पे नहीं की। जिस आदमी ने एक्साइज पे नहीं की 70 गाड़ियों के निकलने से पहले उसने इसके अन्दर घोटाला किया, क्राइम किया या नहीं, यह बतायें। अगर 70 गाड़ियां बिना एक्साइज पे किये निकल गई और उसके

बाद डैमेज होकर वापस आ गई और आपको ध्याव आया कि एक्साइज पे नहीं की आज आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि डैमेज गाड़ियों पर जो डीलर को नहीं दी, उस पर हमारा अन्दाजा था कि एक्साइज पे नहीं करनी चाहिए। बाद में पता लगा कि इस पर भी एक्साइज देनी है। कुल आज तक कितनी गाड़ियां डैमेज होकर वापस आई, मेरे पास दो साल की रिपोर्ट है। उन दो सालों में 212 गाड़ियां वापस आई, 70 में आपने ड्यूटी पे कर दी बाकी 142 का क्या किया ? वह गाड़ियां कहां गई, उनकी एक्साइज पे की है या नहीं ? अगर 70 गाड़ियां बिना एक्साइज पे किये हुए निकल सकती हैं तो हजारों गाड़ियां क्यों नहीं निकल सकतीं। दूसरी हजारों गाड़ियां भी नहीं निकली होंगी जिन पर इन्होंने एक्साईज नहीं पे की और वह एक्साज का रुपया बचाकर कौन लोग खा गये, उसकी जांच करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना कैजुअल सवाल-जवाब नहीं है कि मंत्री महोदय कहें कि हमने ईमानदारी से उनको एक्साईज पे करना था, इसलिए कर दिया। ये कहते हैं कि जो 70 गाड़ियां वापिस आयीं, उसका कम्प्यूटर ने रिकार्ड नहीं रखा, इसलिए हमें उनका पता नहीं लगा। यदि कम्प्यूटर ने रिकार्ड नहीं रखा तो उसके पुर्जे कहां चले गये ? पुर्जे कहां डिसमेंटल किये गये, किन गाड़ियों में लगाये गये या उन पुर्जों को कौन लोग बीच में खा गये ? उसके बारे में क्या जानकारी है ? इसके साथ एक अजीब बात हुई कि इन 70 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां लैफ्ट हैंड ड्राईव गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां तो एक्सपोर्ट होती हैं, इन पर कैसे एक्साईज पे कर दिया गया। यह भी सही है कि ये लैफ्ट हैंड ड्राईव गाड़ियां हिन्दुस्तान में नहीं चलती हैं तो किस प्रकार से इन पर दो-दो बार एक्साईज पे कर दी गयी ? यह सब कवर-अप किस बात के लिए किया जा रहा है ? यह बात 1988-89 के दिनों की है जब कांग्रेस पार्टी का राज था परन्तु उसको कवर-अप यह गवर्नमेंट क्यों कर रही है, यह समझ में नहीं आता है। मारुति के अन्दर जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं और जिस तरीके से यह सब किया जा रहा है, इसमें सब तरह के लोग क्यों आ जाते हैं, यह मुझे पता नहीं लग रहा है। एक बात और है कि एक्साईज पे करने के 24 घण्टे के अन्दर गाड़ी बाहर निकलनी चाहिए। ये कहते हैं कि 70 की 70 गाड़ियां नान-एग्जिस्टेंस में थीं। थीं नहीं, ये फाल्स डाकूमेंट खड़ा कर दिया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मारुति में अब नहीं इससे पहले भी बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। अभी मारुति-1000 की बुकिंग की गयी जिसके अन्दर ढाई लाख गाड़ियां बुक की गई लेकिन इसमें 25000 बनेंगी, बाकी सवा दो लाख गाड़ियों के पैसे वापिस किये जा रहे हैं। बीच में अमेरिकन बैंक खड़ा हो गया है और उसको ही ज्यादा फायदा हुआ है। साथ ही दूसरे बैंक वालों को भी फायदा हुआ है। मारुति वालों को भी हुआ है। पांच हजार रुपया उनसे लेकर 25 हजार रुपया बैंक दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े घोटाले हैं। मारुति की एजेंसियां देने में घोटाला किया गया है। यह तो केवल एक घोटाला सामने आया है जिसका इतना बड़ा कवर अप हो रहा है तो बाकी में क्या हो रहा होगा, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। आखिर क्यों पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्ज और उसके अन्दर इस तरह से घोटाले हों और उसको कवर-अप करने की कोशिश की जाये। बेसिक क्वश्चन यह है कि फाल्स डाकूमेंट कैसे रेज किया गया और केस तैयार किया गया ? मिनिस्टर साहब ने यह नहीं कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, उसका क्या कर रहे हैं ? अगर यह धोखा देकर, फरेब करके या प्रपंच करके एक्साईज ड्यूटी को पे करने का मामला था तो उसके लिए इतना लम्बा चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी ? सीधा-सादा यह कह दिया जाता कि इसमें एक्साईज डियूटी पे नहीं की गयी और अगर गंभीरता से इसकी तह में जायें तो सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करें या कोई

दूसरी इन्डेपेन्डेन्ट इन्क्वायरी करें तो वहां से जो भेद खुलेगा, वह स्ट्राटलिंग होगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस मारुति उद्योग लिमिटेड और उसके मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और इस समय यह बहुत ही लीडिंग आर्गनाईजेशन है। यदि उस लीडिंग आर्गनाईजेशन के विषय में कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आती हैं जिससे उसके मैनेजमेंट के ऊपर शंका प्रकट होती हो, उनकी कार्य-विधि पर शंका प्रकट होती हो, उनकी ईमानदारी शंका के दायरे में आती हो तो मैं समझता हूं कि इस मामले में मंत्री जी के लिए यह ठीक होता यदि अपनी स्टेटमेंट में इस बात का उल्लेख करते कि हम कोई उच्च-स्तरीय जांच करवा रहे हैं बजाय इसके उन्होंने इस मामले को इस साधारण मामले का रूप देकर टालने की कोशिश की है। उस टालने के स्टेटमेंट के कारण हमें और ज्यादा संदेह हो रहा है कि आखिर यह सब टालमटोल किसके लिए किया जा रहा है ? सवाल बात का नहीं कि माननीय मल्होत्रा जी ने इसे पिछली सरकार में गड़बड़ होना बताया है। यदि यह पिछली सरकार की नहीं तो उसकी पिछली सरकार की भी हो तो यह पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है और आज की सरकार है, उसका दायित्व है, संसद सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि हम उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बताया कि किस तरीके से कुछ गाड़ियों के विषय में बताया जिनमें 70 गाड़ियों का मामला प्रकाश में आया। और न जाने कितनी गाड़ियां ऐसी थीं जिन्हें बिना एक्साइज पे किये हुए, बाहर जाने दिया गया, जो नियमानुसार पे की जानी चाहिए थी। कैसे उन्हें गेट से बाहर जाने दिया गया ? गेट पास के बिना तो कोई गाड़ी बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद मैनेजमेंट का कहना यह है कि अण्डर ए रौंग नोशन, यदि कोई डैमेज्ड गाड़ी आती है तो हमें उस पर एक्साइज पे नहीं करनी है, इस कमी को उन्होंने डिटैक्ट किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब बिना एक्साइज ड्यूटी पे किये हुए कोई गाड़ी गेट से बाहर निकल ही नहीं सकती, जब तक कि एक्साइज पे करके गेट पास न बनवा लिया गया हो, तो कैसे इतनी गाड़ियां गेट के बाहर चली गयीं इसके अतिरिक्त जब वे गाड़ियां वापस लौटकर कम्पनी में आयीं तो निश्चित रूप से एक्साइज पेड गाड़ियों के रूप में लौटकर आयी होंगी, उसके बाद जो मैनेजमेंट में अचानक एक रौंग नोशन डेवलप हो गया, वह कहां से डेवलप हो गया। यह कम्पनी मारुति गाड़ियां मैन्यूफैक्चर करने का काम 1983 से करती आ रही है। अचानक आपको तीन साल बिजिनेस करने के बाद, तीन साल ट्रेड में रहने के बाद, मारुति के मैनेजमेंट को यह ज्ञात होता है कि उनकी कहीं पर कुछ गलती है, हम कोई डाक्यूमेंट बनाना भूल गये, या उनको लगा कि शायद इस डाक्यूमेंट को बनाने की जरूरत ही नहीं है, जैसा उन्होंने माननीय मंत्री जी के माध्यम से सदन में कहलवाया है। इससे यह संदेह होता है कि जब उनमें यह रौंग नोशन डेवलप हो गया, उससे पहले न जाने कितनी गाड़ियां ऐसी थीं, जो बिना एक्साइज पे किये हुए गेट से बाहर निकल गई होंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अब आखिर इसकी जांच कौन करेगा। इसकी जांच कौन करेगा कि आखिर इस तरीके का फाल्स डाक्यूमेंट क्यों बनाया गया। जब वे गाड़ियां बाहर निकली ही नहीं तो उनके लिये एक्साइज डाक्यूमेंटस को टैम्पर करने की जरूरत ही क्या पड़ गयी थी। इसके बजाये सीधे-सीधे, जैसा अभी मल्होत्रा जी ने कहा, वे लिखकर दे देते कि हम एक पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी ने जो कुछ कहा है उसे मत दोहराइये।

श्री हरीश रावत : मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं। मैं उसमें कुछ बातें जोड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

इसके बजाये वे सीधे-सीधे एक्साइज डिपार्टमैंट से कहते कि हमसे गलती हो गयी है, जो गलती अब हमारी पकड़ में आयी है, आप कृपया हमें बताइये कि इसमें अब हमें किस तरह की कार्यवाही करनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने ऐसा करने की बजाये डाक्यूमैंट के साथ छेड़-खानी करना पसन्द किया। इतना ही नहीं, इस कम्पनी ने सारी एक्सरसाइज के बाद, जब उनके दिमाग में आ गया, गेट पास बना लिया, सब-कुछ कर लिया, उसके दो महीने बाद, एक्चुअल एक्साइज ड्यूटी पे की, यदि उनके ध्यान में आ गया था तो तत्काल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने पे क्यों नहीं की ? मैं समझता हूं कि मारुति कम्पनी ने अपने यहां एक स्टैन्डर्ड प्रैक्टिस बना रखी है कि कुछ पैसा पहले से रिजर्व में रखते हैं और वह पैसा इसलिए अलग रखा जाता है कि इतनी गाड़ियां हम मैन्युफैक्चर करेंगे, इतनी गाड़ियां गेट से बाहर निकलकर जायेंगी, उनके लिए पहले से व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन इस मामले में कम्पनी ने दो महीने बाद एक्चुअल एक्साइज ड्यूटी पे की। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अब इन्होंने जो भी डाक्यूमैंटस बनाये हैं, उनके आधार पर आज उसकी सत्यता संदेह के दायरे में है। इसके साथ माननीय मंत्री जी के माध्यम से उन्होंने सदन में जो स्टेटमैंट दिलवाया है, उसके विषय में भी हमें संदेह है। मैं समझता हूं कि यह सीधे-सीधे ऐसा मामला है जिसकी उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए, जिस मामले में गहराई से जांच की जानी चाहिए। मैं यहां अपने साथी की इस मांग के साथ अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूं कि इस मामले को सी० बी० आई० के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, सी० बी० आई० पूरे मामले की जांच करे ताकि हमें सही स्थिति की जानकारी हो।

[अनुवाद]

श्री एम० पी० चन्द्र शेखर मूर्ति (कनकपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सतर मारुति वाहनों के कथित रूप से खो जाने के सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा। मुझे माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य पर आश्चर्य होता है और वक्तव्य के कुछ अंश तो बिल्कुल हास्यास्पद है। कारखाने सतर वाहनों को जाने दिया गया था। इनके गेट पास जारी किए गए थे। इनके उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था और परिवहन में यह क्षतिग्रस्त हो गयीं। क्या पुलिस अधिकारियों को तथा उत्पाद शुल्क विभाग को इसकी सूचना दी गयी थी। माननीय मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण इस सभा को देने में पूर्णत: असफल रहे हैं कि यह क्षति किस प्रकार हुई थी और कब इसकी सूचना दी गयी थी। यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। साथ ही इस उपक्रम के अध्यक्ष ने भी दो वक्तव्य दिए हैं। लेकिन वे भी इन वाहनों के क्षति ग्रस्त होने का औचित्य नहीं बता पाये। इसके विपरीत, 8 अगस्त को उन्होंने एक नवीन प्रमाण दिया था कि जारी किए गए गेट पास असली थे और ये सभी वाहन क्षति ग्रस्त हो गए थे तथा उन्हें उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ा था। इससे लोगों के मन में गम्भीर संशय उत्पन्न होता है। इससे भी अधिक राष्ट्र और यहां के लोग सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के प्रति विश्वास खो रहे हैं। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है जिसे माननीय मंत्री महोदय को ध्यान में रखना है।

मैं कुछ विशेष प्रश्न करना चाहता हूं। प्रथम तो जब कम्पनी ने कहा कि इन वाहनों के बेचिस

[श्री एम० पी० चन्द्र शेखर मूर्ति]

जो थे ही नहीं तो किस प्रकार अचानक वे आ गये । दूसरे वे इंजन जो दूसरी गाड़ियों में लगाकर भेज दिए गए थे, किस प्रकार अचानक फिर आ गये और उन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया था । एक बार पुन: मुझे इसमें संदेह है कि पुर्जे अलग-अलग कर भेजे गए थे 'लेफ्ट हैन्ड ड्राइव' वाहन अचानक कैसे ठीक हो गए और इन्हें मालवा सेल्स एण्ड सर्विस सेंटर को भेज दिया गया । इसके अतिरिक्त जब कम्पनी वाहनों की बिक्री करती है, तो कुछ माल हस्तांतरण चालान तैयार किए जाते हैं । लेकिन, ऐसा नहीं किया गया है अत: कोई भी आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि यह सब वरिष्ठ अधिकारियों की मौन सहमति से किया गया था । अब वे इस घटना को छिपाने की ओर इस बात को शान्त करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन कराने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए तैयार हैं । यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है । कार्यवाही अधिकारियों ने एक वक्तव्य तैयार किया है । वे चाहे जो भी कहें, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं । विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अब हलचल पैदा हो रही है । यदि इन बातों को होने दिया जाएगा, तो निकट भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सिर्फ इस प्रकार की गतिविधियां ही होती रहेंगी । इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना होगा । इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं और अपने अन्य मित्रों के साथ यह मांग करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा इस विभाग द्वारा नये सिरे से एक उच्च स्तरीय जांच करायी जाए ।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो 70 गाड़ियां टूट गईं इनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह मारुति उद्योग सभी उद्योगों में कमजोर है । जड़ तो खाली है, जो फल थे, वे 70 फल भी गायब कर दिए हैं । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो 70 गाड़ियां गईं—ये किन डीलरों को गईं, किन ट्रेलरों में गईं और क्या गेट-पास इनका बनाया गया और ये कहां क्षतिग्रस्त हुईं; फिर वापस कब आईं; किस तारीख को आईं; किन ट्रेलरों के द्वारा आईं; ये सारी सारी डिटेल बताई जाएं ।

ये गाड़ियां बिना एक्साइज-ड्यूटी के बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी गईं; चलो ठीक है, लेकिन ये गाड़ियां फैक्ट्री में आईं और इनके नम्बर बदलकर, दूसरे नम्बर इनके ऊपर डालकर, इनको बाहर क्यों भेजा गया, इसका क्या कारण है ? इन सारी बातों से साबित होता है । गेट पास के बारे में मल्होत्रा जी ने बताया है । इससे यह साबित होता है कि 32390 से 32397 तक गेट पास जाली बने हैं जबकि पिछले 7-8 साल से कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम है, उनमें कोई हैंड रिटन की बात नहीं आती है । उनको सिर्फ गेट पास के बारे में बताना था । जो चालान भरना था वह नहीं भरा गया । इसलिए जो गाड़ियां गायब हुई हैं, उनमें जिन आफिसर्स ने भ्रष्टाचार किया है उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ जांच करवाई जाए । यह भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार है । उनको सख्त सजा दी जाए, मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं । वास्तव में सभी मुख्य बातों को पूर्व के वक्ताओं ने व्यक्त कर दिया है और मैं सिर्फ उन बातों की चर्चा करूंगा जोकि नहीं कही गयी हैं । मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा ।

सर्वप्रथम तो मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय मंत्री महोदय क्यों इस विषय को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना 1983 से 1986 के मध्य हुई थी और तब से भी यह मुद्दा उठाया गया था, तो अलग-अलग प्रकार के वक्तव्य और स्पष्टीकरण दिए गए थे और यदि दिए गए उन सभी स्पष्टीकरण और जानकारी को एक साथ मिला कर देखा जाए, तो आप उनमें विरोधाभास पाएंगे। जैसाकि मेरे मित्र श्री मल्होत्रा जी ने कहा है कि मूल रूप से करीब 5 वाहन 'लेफ्ट हैण्ड ड्राइव' वाले थे और वे निर्यात के उद्देश्य से रखे गए थे। ऊंची छत वाले नौ वाहन जिनका निर्माण तीन वर्ष पूर्व ही बन्द हो चुका था, क्यों उन्हें क्षतिग्रस्त वाहनों में शामिल किया गया ?

अब मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। इन 70 वाहनों में से 11 स्टैन्डर्ड गाड़ियां, 15 वातानुकूलित गाड़ियां 5 'लेफ्ट हैण्ड ड्राईव कारें' 13 समतल छत वाले वैन, 9 ऊंची छत के वैन, 6 'सोफ्ट टाप जिप्सी' और एक 'हार्ड टॉप जिप्सी' थे। मैं यह नहीं समझ पाया कि उस अवधि में, उस प्रकार के वाहन, जिनका निर्माण बन्द हो चुका था, किस प्रकार इन 70 वाहनों में शामिल किए गए। वास्तव में प्रबन्ध के उच्च अधिकारी इस समस्त कार्य प्रणाली से अवगत थे और वे इस कार्य मे भागीदार थे तथा इसके बावजूद जब भी इस प्रकार की छान-बीन हुई, उन्होंने गलत जानकारी दी थी दुर्भाग्यवश स्टाक का मिलान करते समय यह पाया गया था कि न केवल 70 वाहन बल्कि 200 से अधिक वाहन गायब थे और फिर इसके पश्चात् स्पष्टीकरण आदि दिए गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है, वास्तव में ये वाहन बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान किये ही हैदराबाद भेज दिये गये थे और विभिन्न लोगों को इन्हें बेच दिया गया था। जब यह मुद्दा संसद मे उठाया गया और विभिन्न समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया तो इन्होंने उन लोगों से जिन्हें ये वाहन बेच दिए गए थे, इन्हें पुन: प्राप्त करने की कोशिश की। यह सम्पूर्ण मुद्दा प्रबन्धक के उच्च अधिकारियों की मौन सहमति से तैयार की गयी एक योजना है।

यह एक जनहीत का मामला है और इस सभा के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और इसलिए ही मैं यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इसमें व्यक्तिगत रुची लेनी चाहिए और उन्हें इस मुद्दे पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उन्हें चाहें केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा संसदीय समिति द्वारा इसकी छान-बीन करानी चाहिए। (व्यवधान) उन्हें इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इसके विस्तार में जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सरवर हुसैन (बुलन्दशहर) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। ये बार-बार ऐसी बातें क्यों करते हैं, मंत्री जी के ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं कि पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोरेश्वर सावे : महोदय, मैंने माननीय मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है, इसके विपरीत मैं उनसे सिर्फ इन मामले की गहराई में जाने और पूरी तरह की छानबीन करने का अनुरोध किया है।

श्री अजित सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में माननीय सदस्यों की रुचि देखकर वास्तव में मुझे खुशी हुई है। चाहें परिवहन शुल्क मे वृद्धि की बात हो अथवा गाड़ी के माडल में परिवर्तन अथवा गाड़ी के आबंटन या वितरण या डीलर शिप की बात हो, मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रति एक आकर्षण है। एम० एम० टी०, सी० एम० सी०

[श्री अजित सिंह]

आदि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के एकक भी हैं जो कि उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करते हैं। वे उच्च तकनीक वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एकक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मारुति में, विशेषकर गाड़ियों के आबंटन और डीलरशिप में उनकी रुचि देखने योग्य है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि मारुति उद्योग लिमिटेड उन सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में से है, जो कि प्रथम वर्ष से ही प्रत्येक वर्ष अपने लक्ष्य में सबसे आगे निकल गया है चाहे यह उत्पादन का लक्ष्य हो अथवा मुनाफे का लक्ष्य हो। प्रति व्यक्ति उत्पादकता के साथ भी यही बात है। इस व्यवस्था की कार्य प्रणाली मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि मल्होत्रा जी, श्री रावत तथा अन्य लोग यह समझ लेंगे कि किसी को भी ऐसा वाहन नहीं दिया जा सकता जो हो ही नहीं। आप ऐसे वाहनों के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते जो हो ही नहीं। मल्होत्रा जी ने डीलरशिप के बारे में कुछ प्रश्न उठाया है। मैं उनसे सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि इस पक्ष के सभी लोग जानते हैं कि, यदि मैं 'धोखेबाजी' शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, डीलरशिप आबंटित करने में बहुत धोखेबाजी की जाती थी और बोर्ड अथवा माननीय मंत्री के एक तरफ निर्णय हटाने के लिए हमने एक नयी प्रणाली बनायी है जिसके अन्तर्गत उन लोगों का चुनाव करने के पश्चात् जो कि डीलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एक बोली की लगायी जायेगी और मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जायेंगी और संचित धन से एक संस्था स्थापित जाएगी और उच्चतम निविदा देने वाले को डीलरशिप आबंटित की जाएगी। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान डीलरों को नयी डीलरशिप प्राप्त करने से वंचित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : पुरानों का भी कर दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : होटल भी बना लिया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : अब, लोकदल के लोगों की बारी है।

श्री अजित सिंह : हम इसमें विश्वास नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा एकत्र किए गए पैसों से एक संस्था स्थापित की जाएगी जिसके द्वारा इस व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे मारुति उद्योग लिमिटेड और इसकी सहयोगी कम्पनियों में रोजगार प्राप्त कर सकें। इस विशेष गलत फहमी, जैसा कि मैं इसे कहूंगा, के संदर्भ में मैं कार्य प्रणाली का उल्लेख करूंगा। जब गाड़ियों को बाहर भेजा जाता है, उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है। किसी भी क्षति अथवा अन्य बातों के लिए 1983 से 1986 तक बीमा कम्पनी देख रही थी। गाड़ियां उनके पास थीं और उन्हें वापस कारखाने में नहीं लाया गया। इसलिए 1983 से 1986 तक इन गाड़ियों के तथाकथित खोने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परिवहन नुकसानों की भरपाई 1986 से स्वयं मारुति उद्योग ने की है। इसलिए जब गाड़ियां वापस आई तो महीने के अन्त में उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था। महीने के अन्त में पत्र भेजे जाते हैं। यदि उस महीने के दौरान किसी गाड़ी को बदलना पड़े तो उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित पुराने पत्रों को लेकर और भेजी जाने वाले नयी गाड़ियों के नम्बरों से बदल दिया जाता है। इसलिए पुराने नम्बरों को नये नम्बरों द्वारा इस भ्रम में बदल दिया गया था कि इन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि ये गाड़ियां डीलरों के पास नहीं गयीं अथवा इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था।

हमारे रिकार्ड के अनुसार केवल 112 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं 212 नहीं। यदि अगले माह या एक माह और बाद ऐसा कुछ होता है तब नई कारों पर भी सीमा-शुल्क दिया गया था। जो 70 कारें माह के दौरान बदली गई उनके दस्तावेज नहीं भेजे गए।

अत: रिकार्ड में संख्या को बदल दिया गया।

श्री बनवारीलाल पुरोहित (नागपुर) : सीमा-शुल्क कानून के अन्तर्गत लिखे हुए पर लिखना या मिटाना वर्जित है।

श्री अजित सिंह : मैं स्वीकार करता हूं जब यह अधिकारियों की नजर में आया तो उन्होंने निर्णय लिया कि इन 70 वाहनों पर सीमा-शुल्क अदा किया जाये।

मैं आपको दुबारा याद दिला दूं कि प्रतिवर्ष दस्तावेजों/खातों की दो बार लेखा परीक्षा होती है—वाणिज्यिक लेखा परीक्षा—और सर्वाधिक लेखा परीक्षा और इनमें से किसी में भी कहीं भी कोई गलती या उल्लेख नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रबन्धकों को इन 70 वाहनों पता चला इन पर सीमा-शुल्क देने के उद्देश्य से उन्होंने गेट पास तैयार कर लिए। इसी कारण हम इन्हें काल्पनिक कहते हैं क्योंकि यह कारें वहां मौजूद ही नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि जैसे श्री मल्होत्रा या श्री रावत ने सुझाव दिया इसे जरा ज्यादा सही तरीके से भी किया जा सकता था। सीमा-शुल्क विभाग को इसकी सूचना दी जा सकती थी और बिना इस प्रक्रिया के सीमा शुल्क चुकाया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि यह गलत था लेकिन इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी।...(व्यवधान)...उन्होंने मारुति डीलरशिप के संबंध में और ठेके देने जैसे सभी गलत काम किए। लेकिन यह धन एक सरकारी विभाग द्वारा सीम-शुल्क विभाग को दिया गया। इसे छुपाने या न देने की मंशा का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस बात से सहमत हूं कि बेहतर प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्हें क्षति कैसे पहुंची।

श्री अजित सिंह : 1986-88 के दौरान 100 के लगभग कारें क्षतिग्रस्त हुई...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया शांति बनाए रखें।

श्री अजित सिंह : मैं श्री मल्होत्रा और अन्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम किसी गलत काम को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे चाहे यह गलती इस सरकार या विशेषकर पिछली सरकार द्वारा की गई हो।

अब हम 'लेफ्ट हैंड ड्राइव' मारुति पर आते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप डीलरशिप की इन्क्वायरी करवा दीजिए न।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : यह अलग प्रश्न है। (व्यवधान) लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहनों, जिन पर सीमा शुल्क नहीं दिया गया, के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि ऐसे वाहन केवल निर्यात के लिए हैं। जब वह फैक्टरी से बाहर निकलते हैं उन पर कोई सीमा-शुल्क नहीं दिया जाता। जब वह ...ग्रस्त होकर वापस आती है तब उन वाहनों पर सीमा-शुल्क देने का प्रश्न होता है जब उनका वास्तव में निर्यात

[श्री अजित सिंह]

होता है उसी स्थिति में सीमा-शुल्क नहीं दिया जाता। जब लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन निर्यात नहीं किए गए जब वह क्षतिग्रस्त होकर वापस आएं तो उस समय सीमा-शुल्क न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं फिर यह स्वीकार करता हूं कि यह गलत प्रक्रिया थी लेकिन कोई दुर्भावना नहीं थी हलांकि दस्तावेजों में समायोजन करना भी कानून न गलत था।

मैं फिर यही कहूंगा कि कोई दुर्भावना नहीं थी। जैसे ही इस गलती का पता चला प्रबंधकों ने यह कहा कि यह कानूनन गलत हुआ है।

प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा : वह कानूनन गलत था।

[हिन्दी]

"मालाफाइड हो न हो, ला को तोड़ा है···(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : मारुति उद्योग के स्तर पर जो कार्यवाही की जाती है वह की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि संसद सदस्यों को इस पर चिंतित होना चाहिए। मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि यह कानूनन गलत था। गलत प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए वह इस मामले में की जाएगी। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्र शेखर, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मुझे उत्तर मांगने का अधिकार है। मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं। मैंने कुछ विशिष्ट प्रश्न किये थे। माननीय मंत्री उनका उत्तर देने में असमर्थ रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले बैठ जाईए। मैं आपको बता दूं, यदि आपने नियमों को पढ़ा है और यदि आप इन सबको अच्छी तरह समझते हैं और यदि आप प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं तो बनाये गए नियम में यह कहा गया है कि:

"इस वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

श्री चन्द्र शेखर : मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप इसे क्यों उठा रहे हैं ? नियमों में यह कहा गया है :

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य सूची में मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जायेगा।"

श्री चन्द्र शेखर : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर कि लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहनों पर सीमा-शुल्क नहीं दिया गया ठीक नहीं है। आप फोटोस्टेट प्रति देखिए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको बता दूंगा आप बैठ जाईए।

श्री चन्द्र शेखर : सुपुर्दगी के समय स्टाक हस्तान्तरण चालान नहीं बनाया गया था। मुझे उत्तर मांगने का अधिकार है। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी यह चाहते है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा सदन में ही की जाए। यह आपके हित में है, यदि आप व्यर्थ में ही सदन का समय न लें तब आप महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकेंगे। पंजाब बजट महत्वपूर्ण ममला है, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप बार-बार उठेंगे तो यह उचित नहीं होगा। यदि आप ठोकर में ही इस तरह से सदन का समय लेंगे तो आप ही नुकसान उठायेंगे कोई और नहीं। सदन में माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही नहीं बोलते। वह आप हैं जो सदन में बोलते हैं। यदि आप सहयोग करेंगे तो यह आपके हित में होगा और कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद सदस्यों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। फिर माननीय मंत्री उत्तर देते हैं। फिर इसे जारी नहीं रखा जाता और इस पर चर्चा को लंबा नहीं खींचा जाता। यह वहीं समाप्त हो जाती है। अब आप नहीं बोलेंगे।

———

4.00 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वर्ष 1989-90 के लिए चीनी की 8.5 प्रतिशत वसूली वाले गन्ने के सांविधिक मूल्य में 25 रुपए प्रति टन की वृद्धि किए जाने की मांग

श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक) : महोदय, गन्ने की कटाई का काम अक्तूबर महीने से शुरू हो जाता है। मौसम शुरू होने से पहले भारत सरकार न्यूनतम सांविधिक मूल्य की घोषणा करती है। 23 रुपये प्रति टन की अग्रिम कीमत की घोषणा को किए हुए काफी समय बीत गया है।

वर्ष 1988-89 के लिए गन्ने को सांविधिक मूल्य 8.5 प्रतिशत की वसूली पर 195/- रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। वर्ष 1989-90 के लिए 25 रुपये प्रति टन की दर से कीमत बढ़ाते हुए तत्कालीन सरकार ने 220/- रुपये कीमत निर्धारित की थी।

अब वर्तमान सरकार ने 230/- प्रति टन की कीमत निर्धारित की है जो कि मात्र 10 रुपये की वृद्धि है।

न्यूनतम सांविधिक मूल्य में 10/- रुपये की वृद्धि न्यायोचित नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि 8.5 प्रतिशत की वसूली वाले गन्ने के दामों में सरकार को कम से कम 25/- रुपये प्रति टन से अधिक की वृद्धि करनी चाहिए।

(दो) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों में रिक्त स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर भरे जाने की मांग

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : संघ शासित प्रदेश अंडमान और

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निकोबार द्वीप समूह में बेरोजगारी की समस्या बड़ी है और मुख्य भूमि के संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित बेरोजगार काफी बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों में 1300 पद काफी लम्बे समय से खाली पड़े हैं। यह कहा गया है कि आरक्षण कोटे के कारण यह पद नहीं भरे जा सके हैं, क्योंकि इस श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह एक संघ शासित प्रदेश है जहां वर्गहीन समाज है और जाति, धर्म, भाषा के किसी भेद-भाव बिना लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं।

यह देश के हित में नहीं होगा कि यह पद जाति के आधार पर मुख्य भूमि से भरे जायें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान रोजगार व्यवस्था के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध उम्मीदवारों में से इन पदों को भरा जाना चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के बेरोजगार युवकों को अतिशीघ्र रोजगार रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां संघ शासित प्रदेश के प्रशासन, केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में पद खाली पड़े हैं।

(तीन) **महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों का गठन किए जाने की मांग**

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, विभिन्न समितियों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि विदर्भ, मराठवाड़ा तथ कोंकण के पिछड़े क्षेत्रों में पिछला काफी काम बकाया पड़ा हुआ है, जिस के खिलाफ इन क्षेत्रों के लोग एक लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं। राज्यों के पुनर्गठन के अवसर पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पिछड़े क्षेत्रों की जनता के प्रति कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार की आशंकाओं को दूर करने के वास्ते संविधान में संशोधन किया गया था तथा अनुच्छेद 371 (2) के द्वारा आश्वस्त किया गया था। वर्ष 1984 में महाराष्ट्र विधान सभा के दोनों सदन में विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड की संस्तुति करते हुए एक संकल्प अपनाया था।

दिनांक 15 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि विदर्भ, मराठवाड़ा तथा कोंकण के लिए विकास बोर्ड का गठन बहुत शीघ्र ही किया जाएगा। गृह मंत्री ने भी इन क्षेत्रों की जनता को आश्वासन दिया है कि इन बोर्डों का गठन चालू सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही कर दिया जाएगा। चूंकि इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इन क्षेत्रों की जनता काफी परेशान है।

मैं सरकार से गम्भीरतापूर्वक कहना चाहूंगा कि वह इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए तुरन्त विकास बोर्ड का गठन करे, क्योंकि इसमें बिलम्ब होने से लोगों को आघात पहुंचेगा तथा स्थिति और बिगड़ जाएगी।

(चार) **बिहार के खगरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग लगाए जाने की मांग**

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार प्रांत का खगरिया निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है। वहां कोई उद्योग नहीं है जिससे वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से खगरिया क्षेत्र में उद्योग लगाने का आग्रह करता हूं जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

(पांच) बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन संबंधी आवेदनों को स्वीकृत किए जाने की मांग

श्री राज मंगल मिश्र (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन-पत्र बिहार सरकार द्वारा जांच करने के उपरान्त वहां से अध्यक्ष, परामर्श दात्री समिति, बिहार द्वारा स्वीकृत होने के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि बिहार से स्वीकृत किए गए आवेदन पत्र, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अकसर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं जिससे वहां के स्वतन्त्रता सेनानियों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ता है। अतः निवेदन है कि इन आवेदन पत्रों पर तुरन्त स्वीकृति देकर स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन द्वारा सम्मानित किया जाए।

(छः) सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने बचत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग तीन दर्जन उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय किया है : जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा युवाओं को रोजगार देने के प्रयोजन से इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस निर्णय से उक्त उद्देश्य की अवहेलना के साथ-साथ इन निगमों तथा उपक्रमों में कार्यरत हजारों कर्मचारी तथा मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार की घोषित नीति यह है कि प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसे में इन मजदूरों के प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना इन एककों को बन्द करने का निर्णय लोकतांत्रिक मानदंड से असंगत ही कहा जाएगा।

अतएव केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे तथा राज्य सरकार को यह परामर्श दे कि वह इन संस्थाओं को हो रहे नुकसान के कारणों का विस्तार से पता लगाए बिना तथा इस स्थिति के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों की पहचान किए बिना ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में जल्दबाजी न करे।

(सात) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में जमरानी बांध का निर्माण पुनः शुरू कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की तरफ से स्वीकृत नैनीताल जिले के अन्तर्गत जमरानी बांध का निर्माण स्वीकृत हुआ था, किन्तु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि करोड़ों रुपया व्यय होने के पश्चात उसका निर्माण रोक दिया गया है। मैं सदन का एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जमरानी बांध का रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू कराया

जावे, जिससे आस-पास के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके एवं पेय जल की कठिनाई दूर हो सके एवं उस योजना में हुए करोड़ों रुपयों की हानि से बच सकें।

(आठ) भारतीय युद्ध बंदियों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा कराए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख (अमरावती) : वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपनी गिरफ्त में किए गए कुछ भारतीय युद्ध-बन्दी अभी भी पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं। कम-से-कम ऐसे पचास युद्ध-बन्दियों के रिश्तेदारों को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वे अभी भी जीवित हैं। ऐसा ही एक मामला भारतीय वायु सेना के लेफ्टिनेंट विजय वसंत टाम्बे, नं० 7662 का हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। चूंकि यह एक गम्भीर मामला है, अत: भारत सरकार को इस मामले के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के साथ तुरन्त बातचीत करनी चाहिए तथा सभी ऐसे भारतीय युद्ध-बंदियों को, जो पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं, तुरन्त ही रिहा करवाना चाहिए।

(नौ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपलब्ध कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : नगरीय क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेतहाशा जन वृद्धि के कारण ईंधन संकट बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस की वैकल्पिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। अब तक जितने बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं उनमें से मात्र एक प्रतिशत शायद काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य शासन और जनता दोनों का इन संयंत्रों पर करोड़ों रुपया व्यय होने के बाद भी कोई सफल परिणाम नहीं निकल सके। पर्यावरण के नाम पर गांव का पेड़ मालिक अपने स्वामित्व के पेड़ को भी ईंधन के लिए और अपनी जरूरतों के लिए नहीं काट सकता। प्रशासन का शोषणकारी हस्तक्षेप गांव के लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है। सौर ऊर्जा इतनी खर्चीली है कि गांव के लोग ऐसे प्लांटों को लगाने की स्थिति में कभी भी नहीं हो सकते।

वैकल्पिक ईंधन गैस की सुविधा मात्र शहरी लोगों तक को देने के लिए ही सीमित है, ऐसी शासन की व्यवस्था है। बड़े नगरों से उतरकर पिछली सरकार ने तहसील स्तर तक में प्राकृतिक गैस की व्यवस्था की है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र पर वर्तमान सरकार द्वारा पचास प्रतिशत बजट खर्च करने की घोषणा के बाद भी ग्रामीण लोगों को वैकल्पिक ईंधन की सुविधा देने की दिशा में और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ईंधन के संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

हमारी प्रार्थना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्राकृतिक ईंधन अर्थात ईंधन गैस देने के लिए घोषणा करें और ग्रामीण अन्चलों में भी ईंधन गैस डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए जावें और इस दिशा को तरफ बढ़ाने के लिए तत्काल सरकार ऐसे निर्देश जारी करे कि नगरी क्षेत्रों में जहां-जहां ईंधन गैस के डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर नियुक्त हैं उनके कम से कम बीस किलोमीटर परिधि के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी ईंधन गैस सुविधा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसियों से सम्बद्ध किया जावे और उन्हें भी नियमित गैस उपभोक्ताओं की परिधि में लाया जावे।

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम···पर चर्चा करेंगे···

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : दिल्ली बिल का क्या हुआ। क्या किसी ज्योतिषी से समय फिक्स होगा, यह बार-बार धोखा दे रहे हैं। दिल्ली में काम नहीं हो रहे, बी० जे० पी० वालों ने अफसरों को डरा रखा है और काम नहीं होने देते। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली का बिल कब आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : पिछले सत्र में भी आखिरी दिन रखा गया था।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : कांग्रेस ने चालीस साल नहीं आने दिया यह भी नहीं आने देना चाहते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के प्रति अत्यन्त उत्सुक हैं।

डा० लक्ष्मि दुरै (कवर) : मेरी इसमें रुचि नहीं है।...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप सब लोग बैठ जायें। मेरे बोलने के बाद कोई शंका हो तो आप बोलें।

[अनुवाद]

कार्य सूचि में अब इस विधेयक का नाम है। परन्तु मद सं० 17 तथा 18 के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। हमने कह रखा था कि हम उन मसलों पर 4·00 बजे चर्चा शुरू करेंगे। इस समय सवा चार बज रहे हैं। अतः अब हम मद सं० 17 तथा 18 पर विचार करना शुरू करते है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सभा में यह विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा। मुझे संसदीय कार्य मन्त्री से ज्ञात हुआ है कि यदि आज इसे पुरःस्थापित नहीं किया जा सकेगा तो इसे कल पुरःस्थापित किया जाएगा।

विचार के लिए हमारे समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मसले हैं। हमें उनमें से यह चयन करना होगा कि इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार किया जाए अथवा किसी दूसरे महत्वपूर्ण मसले पर। आज, अब किसी विशेष विषय के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। इस विषय पर चर्चा कराने हेतु मैं आपका सहयोग चाहूंगा तथा निश्चित रूप से कल इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : प्रधानमन्त्री जो यहां पर उपस्थित हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने आश्वासन दिया था कि काम के अधिकतर सम्बन्धी विधेयक को इसी सत्र में पुरःस्थापित तथा पारित किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगा कि वह अपने आश्वासन को पूरा करेंगे अथवा नहीं। (व्यवधान) मैं यह स्पष्ट करना करना चाहूंगा कि अब तक यहां पर काम के अधिकतर सम्बन्धी

विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जाता, हम किसी और चर्चा को चलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, आप बैठ जायें। मैं खड़ा हूं। देखिए आपको जो कहना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, वह सब आप इन विषयों पर होने वाली चर्चा के दौरान भी कह सकते हैं। कृपया इस चरण में आप एक मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर चर्चा न करें। आपको काम के अधिकार संबंधी विधेयक के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा तथा आप सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या सरकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विचार कर रही है अथवा नहीं। यह सब ठीक है।

परन्तु इस समय कृपया एक मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर चर्चा न करें। अन्यथा, हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : प्रधानमन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। उन्हें कहने दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इंस्ट्रक्ट करें कि जब तक दिल्ली संबंधी बिल पास नहीं होगा, यह सदन चलेगा। आप इतना तो कर सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। यह हाऊस की परम्परा है कि आप यह तय करेंगे कि कल जब तक यह दिल्ली स्टेटहुड का बिल पास होगा, यह हाउस चलता रहेगा, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि लास्ट टाइम भी यही हुआ और यह तरह से खिंचता रहेगा, फिर लास्ट में यह कह दिया जायेगा कि टाईम नहीं रहा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए मन्त्री जी को आमन्त्रित किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : अभी-अभी आपने बताया है कि मामलों को टाला नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्य महोदय : मैंने कहा कि कृपया चर्चा को अन्य मुद्दे की ओर न मोड़ें।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : चार बज चुके हैं । (व्यवधान) हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ? (व्यवधान) हम मंडल आयोग पर चर्चा करेंगे । हमें किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए । यदि हम किसी अन्य मसले पर चर्चा कर देंगे, तो उससे इस चर्चा में बाधा पड़ेगी । (व्यवधान) किसी अन्य मामले को उठाकर हम इस चर्चा से भटक रहे हैं । (व्यवधान) मंडल आयोग की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है । हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक मिनट निवेदन है । आप मेरी बात सुन लें । ऐसी जानकारी सबको है कि कल मण्डल कमीशन पर 5 घण्टे की बहस हुई है और सबसे विचार-विमर्श हुआ है । इसमें कोई दो राय नहीं कि सदन का इस पार्लियामेंट का अपना स्थान है जो और कोई नहीं ले सकता है परन्तु यदि आप चाहें इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि मण्डल कमीशन पर बातचीत तो हो ही चुकी है । इसलिए मेरा यही आग्रह है कि दिल्ली संबंधी बिल ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी इच्छा ही इच्छा से नहीं चलूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि कल इस प्रस्ताव को पास करवाया जाए चाहे सारी रात बैठना पड़े । इस बिल पर पूरा विचार किया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल कमीशन के बारे में सबसे तय करने के बाद यह बहस रखी गयी है । जहां तक दिल्ली के बिल का संबंध है, आज तो यह एजेण्डा में था लेकिन इस मण्डल कमीशन के मामले पर बहस होनी है और यह समय के साथ बद्ध है, लिहाजा दिल्ली वाला कल होगा और हमारा इसमें कमिटमेंट है तथा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । हम मद सं० 17 तथा 18 पर चर्चा शुरू कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री हरीश रावत को बहस आरम्भ करने के लिए आमन्त्रित करता हूं । श्री हरीश रावत ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, अब वे कार्य सूचि में सम्मिलित मद के बारे में बात कर रहे हैं न कि किसी अन्य विषय के बारे में ।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, चार बजे के बाद भी उन्हें कार्य सूची के बारे में कोई चिन्ता नहीं है वे एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो देश का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं । इससे भी अधिक अपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है । यह सब क्या है । (व्यवधान)

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मण्डल आयोग की चर्चा के अन्तर्गत में काम के अधिकार से सम्बन्धित मुद्दों का उत्तर दूंगा। परन्तु यदि आप काम के अधिकार पर तुरन्त चर्चा कराना चाहते है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि विधेयक प्रस्तुत किया जाए।···(व्यवधान)···

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : जी, हां। मैं इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित चर्चा लगातार कई दिनों से एजेंडा में आ रही है परन्तु उस पर अभी तक बहस अधूरी पड़ी है। इसका भी कोई ठिकाना नहीं कि कब यह चर्चा आकर पूरी होगी जबकि देश में महिलाओं पर, हरिजनों पर, आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही हैं और दूसरी तरफ हम इतने महत्वपूर्ण विषय को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली वालों को इसकी ज्यादा चिन्ता है कि दिल्ली को पहले राज्य को दर्जा मिलना चाहिए, बाकी काम छोड़ दिए जायें। दूसरी तरफ इन लोगों पर और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसकी इन्हें कोई चिन्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उस अधूरी बहस को पहले टेक-अप करके पूरा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ठीक है, हो गया। अब आप बैठिए। यह आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : व्हाट सर, पहले रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, सरकार किसी भी नाजुक मुद्दे पर चर्चा नहीं करा रही है। ये देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। देश में बिना किसी कारण के अव्यवस्था फैल जाएगी। हम चाहते हैं कि इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया जाए इस विधेयक कहां है?···(व्यवधान)··

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सचेतकों से अनुरोध करूं कि वे सदस्यों को नियन्त्रित करें जो इस तरह से बिना किसी उद्देश्य से बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : सर, आप महिलाओं पर जो बहस होनी है, उसके बारे में तो कुछ बताइए। आज भी यह एजेंडा के 19वें नम्बर पर है और कई दिनों से ऐसी ही एजेंडा में आने के बावजूद अभी तक अधूरी है। आप उस अधूरी चर्चा को कब पूरा करायेंगे, इसके बारे में भी कुछ बताइए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं उसी पर बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिस्कशन होने के बाद, अगर आप लोग यहां हाउस में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो उस चर्चा को भी आज ही ले लिया जाएगा।

———

4.20 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

* मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

और

* सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत मद संख्या 17 और 18 अर्थात् मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय विषय पर चर्चा करेगी। श्री हरीश रावत चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, इसके बाद हम उस बहस को भी पूरा कर लेंगे।

श्री हरीश रावत : सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, समतावादी समाज की रचना का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए, आर्थिक स्रोतों से, सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों से और सरकारी नौकरियों में, हम हर समाज के हिस्से को इसमें भागीदार बनाना चाहते हैं. इसी सद्-उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका प्रावधान किया. उन्होंने इस बात की व्यवस्था की कि सदियों से जो वर्ग इस देश में बड़े कुचले रहे हैं, उन वर्गों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें एक संगठन का रूप दिया जा सके। चाहे संविधान सभा की वह नियत धारा 340 के जरिए या 40 और 42 धाराओं के जरिए परिलक्षित होती हो, अथवा धारा 15 (4) और 16 (4) के जरिए परिलक्षित होती हो, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सब संविधान सम्मत सीमा के अन्तर्गत जो भी व्यवस्था की गयी है, इन वर्गों के लिए जो भी प्रावधान किये गए हैं, उनका हृदय से समर्थन करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस अभिव्यक्ति को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम का हम स्वागत करना चाहते हैं। मान्यवर यह भी एक ऐतिहासिक यथार्थ है—जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इन व्यक्तियों का संविधान के अन्दर उल्लेख किया, इनको रखा, तो उसके लिए उन्होंने एक आम सहमति बनाने का यत्न किया। एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की कि प्रत्येक व्यक्ति उसको हृदय के साथ स्वीकार करे और वे अपने प्रयत्न में सफल भी हुए और सफलता के पीछे एक नहीं, सैकड़ों मनुष्यों का योगदान रहा।

मान्यवर, 7 तारीख को माननीय प्रधान मन्त्री जी ने एक एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए हमारे

* एक साथ चर्चा की गई।

[श्री हरीश रावत]

समाज के एक वर्ग के जातीय आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण करने की घोषणा की। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर हर पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में, अपने विचारों को परिलक्षित करने की कोशिश की है। आप पिछले चुनाव में हमारे जो घोषणा पत्र थे, यदि उनको देखें, तो उन घोषणा पत्रों में भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल हो, हर किसी ने इस मुद्दे का उल्लेख किया है और यह संकल्प व्यक्त किया है कि पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन मान्यवर हमको इस बात की उम्मीद थी और हम यह समझते थे कि माननीय प्रधान मन्त्री जी के संज्ञान में यह बात होगी कि कम से कम इस विषय में, आरक्षण होना चाहिए, इस बिन्दु के सवाल पर जो राजनीतिक दलों में एक आम राय है, वह खंडित न होने पाए। बहुत अच्छा होता यदि माननीय प्रधान मन्त्री जी बजाय अचानक इस घोषणा को करने के एक आम राय के जरिए, सारे नेतृत्व वर्ग से परामर्श कर के, सभी दलों से परामर्श कर के, इसकी घोषणा करते।

मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय आडवाणी जी ने कहा—यह अल्पसंख्यक सरकार है और इतना मेजर इश्यू, आप कांग्रेस की बात छोड़िए, कांग्रेस से आप परामर्श नहीं करना चाहते थे, तो माननीय प्रधान मन्त्री जी हमें कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम आपने उनसे परामर्श कर लिया होता जिनके सपोर्ट पर, जिनके समर्थन पर आपकी अल्पसंख्यक सरकार, मायनारिटी सरकार टिकी हुई है और यदि आप उनसे भी परामर्श नहीं करना चाहते थे, तो कम से कम अपनी पार्टी से परामर्श कर लेते और यदि आप अपनी पार्टी से भी परामर्श करना जरूरी नहीं समझते थे, तो उन राज्यों से जिन राज्यों से जिन राज्यों को आप इस घोषणा को इम्पलीमेण्ट करने के लिए, भागीदार बनाना चाहते हैं, सहभागी बनाना चाहते हैं, आपने उनसे परामर्श कर लिया होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब इसलिए है कि एक व्यक्ति जो अपने को कांग्रेस के विरोध में बनी हुई आम राय का प्रतिनिधि मानकर, इस कंसेंसस के आधार पर प्रधान मन्त्री के पद आसीन है, जो व्यक्ति यह कहता हो कि मैं आम राय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, वही आदमी, अस्सी करोड़ लोगों की भावनाओं से सम्बन्ध रखने वाले, उनके हृदय को छूने वाले सवाल पर, प्रधान मंत्री महोदय, आपने 80 व्यक्तियों से भी परामर्श करना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आपके सामने थी जिसके कारण आपको यह घोषणा करनी पड़ी? यह अचानक की गई घोषणा से न केवल···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : एक सीरियस मुद्दे पर बहस हो रही है, वह जो कह रहे हैं कृपया आप उसे सुनें। रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। इधर से कोई बोलता है तो उधर से बोलने लगते हैं और उधर से कोई बोलता है तो इधर से बोलने लगते है। ऐसे नहीं होना चाहिए।

श्री हरीश रावत : मैं जिक्र कर रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी बाध्यता थी प्रधान मन्त्री जी के सम्मुख जिससे अचानक उनको 7 तारीख को देश के सम्मुख इस बात की घोषणा करनी पड़ी। क्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई और फैलती हुई महंगाई पर उनकी सरकार अंकुश लगाने से फेल हो रही थी। अत: उससे जनता का ध्यान बटाना चाहते थे, जो कश्मीर, पंजाब और असम में लगातार कोई नीतिगत दिवालियापन उनकी सरकार देश को दिखा रही थी, उसको छिपाने के लिए ऐसी घोषणा को अचानक किया या फिर उनकी पार्टी के अन्दर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हालात

पैदा हो गए थे कि अपने राजनीतिक विरोधियों को अपने नियन्त्रण में रखने के लिए उनको यह घोषणा करनी पड़ी···(व्यवधान)···मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं राम विलास पासवान जी के शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह बार-बार कहते हैं कि सवाल नीति का नहीं नीयत का है। माननीय राम विलास पासवान जी, आप मेरे मित्र हैं आप कृपया प्रधान मन्त्री जी से पूछ कर हमें बताएं कि क्या अचानक इस घोषणा को करने से पहले अपनी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया, अपने मन्त्रिमंडल के सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिया गया? सी० सी० पी० ए० में जो मतभेद उभर कर आये जिसकी खबर अखबारों में छपी उससे स्पष्ट होता है कि मन्त्रिमंडल में एका नहीं था, आखिर यह अचानक घोषणा करने के पीछे प्रधान मंत्री की नीयत क्या थी, क्या उनकी भावना थी, इसको साफ और स्पष्ट करना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं इसका तुरन्त खंडन करना चाहता हूं। कैबिनेट में जब यह मामला आया तो कैबिनेट ने एक स्वर से इस पर सहमति व्यक्त की थी।

श्री हरीश रावत : मान्यवर, माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अभी कहा कि कैबिनेट के अन्दर इसमें कोई दो राय नहीं थी। यदि ऐसा था तो हम इसका स्वागत करना चाहेंगे लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसको कहते फिर रहे हैं और जिन मन्त्रियों के नाम छपे थे कि उनको मतभेद था उन्होंने इसका खंडन नहीं किया जिससे हमें शंका हुई और यह पुष्टि हुई कि मंत्रिपरिषद में एका नहीं था।

मान्यवर, माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जातीय आधार पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इधर में देखता हूं कि लोहिया जी के पुराने शिष्य और सहयोगी माननीय प्रधान मन्त्री जी के साथ हैं और डाक्टर लोहिया बार-बार जाति विरोध की बात किया करते थे। माननीय प्रधान मन्त्री ने जाति शब्द तो ले लिया मगर तोड़ो की जगह 'जोड़ो' का संकल्प किया।

मनु ने हिन्दू समाज को चार भागों में बांटा। जो बंटवारा उन्होंने किया, उसका अभिशाप हम को भुगतना पड़ रहा है। आज उस अभिशाप के तहत सारा समाज एक प्रकार से खंडित सा लगता है। उसको ठीक करने के लिए, उस कमी को दुरस्त करने के लिए संविधान के अन्दर हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मुझे इस बात की खुशी है कि उस आरक्षण की व्यवस्था करने के पीछे कांग्रेस का संकल्प था, कांग्रेस के नेताओं का संकल्प था और हम आज भी···(व्यवधान)···आज भी कांग्रेस पार्टी दृढ़ता के साथ उस संकल्प के पीछे जुड़कर खड़ी है, हम डटकर उस संकल्प के पीछे खड़े हैं···(व्यवधान)···उसको सारे देश के संकल्प के रूप में परिलक्षित करने के लिए कांग्रेस के ही मनुष्यों ने रात दिन सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया। ···(व्यवधान)···इस घोषणा ने न केवल लोहिया के नारे को भुलाया बल्कि चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी भी यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। चौधरी चरण सिंह की राजनीति का मूल मन्त्र रहा, मूल संकल्प रहा, खेतिहर जातियों की एकता, गांवों में जो खेतिहर जातियां हैं, उन्हें एक करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर काम किया लेकिन मुझे आज अफसोस इस बात का है कि महज राजनैतिक उद्देश्य से की गई 7 तारीख की घोषणा ने न केवल देश को बल्कि खेतिहर जातियों को भी चौधरी चरण सिंह जी के संकल्प के प्रतीक को भावनात्मक रूप से अलग-अलग खड़ा कर दिया और आज उसका परिणाम है कि (व्यवधान)···यह हल्ला करके जो समाज का यथार्थ है, बाहर का यथार्थ है, उसको झुठला नहीं सकते। आज हमें अफसोस इस बात का है, हमें दुख इस बात का है कि आज गांव के अन्दर भी यह हो रहा है, शहरों में निहित स्वार्थ हो सकते हैं लेकिन गांवों के भाइयों ने हमेशा

[श्री हरीश रावत]

एक दूसरे को अपना भाई समझा है लेकिन अब वह भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, स्कूलों के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, कार्यालयों में काम करने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जिस समय राष्ट्र को सबसे ज्यादा भावनात्मक एकता की जरूरत थी, जब हमारे देश में चारों ओर संकट की घड़ी थी, जिस समय देश को भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में बांधना चाहिए था, देश को भावनात्मक रूप से खण्डित करने के लिए केवल मात्र राजनैतिक उद्देश्य से यदि कोई घोषणा की जाए तो मैं समझता हूं कि बावजूद इसके कि मैं हृदय से इस बात को चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए, जैसा संविधान ने चाहा है, उसके अनुसार होना चाहिए कि ठगी के रूप में नहीं होना चाहिए और वह इस रूप में नहीं होना चाहिए कि किसी को यह महसूस हो कि हमारे दिल को और भावना को चोट पहुंचाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आपको कितना टाइम चाहिए।

श्री हरीश रावत : मैंने तो अभी शुरू किया है। मैंने 4.25 पर शुरू किया है और अभी मुझे 10 मिनट हुए हैं और उसमें भी यह जितना हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसे काट दीजिए ···(**व्यवधान**)··· मैं 10-15 मिनट और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उधर देखिएगा तो उधर से रेस्पोंस आ जाएगा।

श्री हरीश रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हिंसा बाहर हो रही है और जो तोड़ फोड़ बाहर हो रही है, उसकी हम निन्दा करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, चाहे कोई भी तत्व हिंसा के पीछे हो, कोई भी क्यों न हो···(**व्यवधान**)··

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री हरीश रावत : हममें तो इतना साहस है कि हम हिंसा की निन्दा कर सकें। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी के प्रति पूरा आदर भाव रखते हुए बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उनकी मन्त्रिपरिषद् के सहयोग जो जातीय दुदुंभी बजाते हुए, लोगों को ललकारते हुए फिर रहे हैं कि, आओ, सड़कों पर निकलकर तो क्या उनको नियन्त्रित करने की उनमें क्षमता और उनमें हिम्मत है ? आज उनकी हिम्मत परीक्षा के दौर में है, क्योंकि उनके मन्त्रिपरिषद् के सहयोगी जिस तरह से उकसा रहे हैं, हिंसा के लिए लोगों को मुझे उनसे संदेह होता है कि व उकसाहट केवल उनकी राजनैतिक स्वार्थसिद्धि की भावना से लिपी पुती हुई है। वे पिछड़े वर्ग के वास्तव मे हितैषी नही है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिये ऐसा करते हैं ताकि दो वर्ग आपस में लड़ पड़ें और उनको लोग जाति हितों का मसीहा समझें, इसलिये इस तरीके के बयान दिये जा रहे हैं। इसकी भी निन्दा, भर्त्सना और मजम्मत की जानी चाहिए। मान्यवर, पिछले चुनाव में हम सब लोगों को इस एहसास का सामना करना पड़ा, राजीव जी ने दृढ़ता के साथ एक आदेश निकाला कि एस० एस० और एस० टी० के जितने बेक लोग हैं, जो पद भरे नहीं गये हैं उन पदों को भरा जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करोलबाग) **:** जितना धोखा राजीव जी ने एस० सी०, एस० टी० को दिया है उतना धोखा किसी ने नहीं दिया। (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : राजीव जी से जो संविधान में कहा गया था, जो हमारे राष्ट्र के मनुष्यों की भावना थी उसको क्रियान्वित करने का काम किया और उनकी सरकार ने दृढ़ता के साथ उस कार्य को किया, लेकिन चुनाव के बाद हमको क्या देखने को मिला कि उधर बैठे हुए कुछ लोग, उनकी पार्टी के

नेता बन गये, जो गांव में छुट भईया नेता थे, कांग्रेस को आरक्षण की पार्टी कहते हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने हमको आरक्षण की पार्टी कहा। मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस यदि हरिजनों के हितों की रक्षा के लिए, जनजातीय हितों की रक्षा के लिए हमको एक चुनाव नहीं, हमको कहीं भी हार का सामना करना पड़े तो हम उस हार को हृदय से स्वीकार करेंगे, लेकिन हरिजनों के हितों पर, जनजातीय हितों पर, पिछड़े हुए दलित, दबे-कुचले लोगों के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात सहन नहीं करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी एक बात जरा-सी समझ लीजिये और मैं विशेष तौर पर···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : हमें चुप नहीं कराया जा सकता। अन्यथा हम उस ओर के एक भी सदस्य को बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। देखिये मैं यह कहना चाहूंगा कि रावत साहब बहुत देर तक बोल चुके हैं शायद थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं महोदय, उन्हें चुप करा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं, आपको बीच में रोक-टोक नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

देखिए, मेरे पास कांग्रेस की तरफ से 15 लोगों की लिस्ट है, जनता दल के 18 लोगों की, बी० जे० पी० से 9 लोगों की और दूसरे 10-15 लोग बोलने वाले हैं। इसलिए मैं सारे सदस्यों से बिनती करूंगा कि वे जो प्वाइंट वाले उसको रिपीट न करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर कुमारमंगलम : महोदय, आप कृपया उन्हें व्यवधान डालने से रोकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आप मेरी बात में भी व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं यह चाहूंगा कि आपको अगर कोई बात करनी है तो आपके 18 लोगों में से, उनके 15 लोगों में से या उनके 10 लोगों में से उसका खण्डन कर सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब भी कोई एक सदस्य बोल रहे हों और दूसरे सदस्य बीच में उठ कर बिना चेयर की इजाजत के बात करने लगेंगे तो उनकी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी आप बहुत समय ले रहे हैं, आप इनीशिएटर हैं, मैं आपको नहीं चाहता, लेकिन आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह परंपरा रही है, 193 के मूवर को समय मिलता है, यह प्रैक्टिस रही है, मैं उतना ही समय लूंगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सार्थक बहस करें निरर्थक नहीं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे, उनकी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक दुरासंधि जानबूझकर समाज से की जा रही है, वह दुरासंधि क्या है, 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उस घोषणा के प्रति सारे देश में आक्रोश पैदा हुआ है, उस आक्रोश को आरक्षण के सामान्य प्रश्न के साथ जोड़ने की चेष्टा की जा रही है और इस चेष्टा को करने में उधर के पक्ष के, ट्रेजरी बेंचेज के बड़े सीनियर मंत्रिगढ़ भी शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, सारा देश इस दुरासंधि को समझता है । जब सारे देश ने हृदय के साथ एस०सी०एस०टी० के आरक्षण को हृदयंगम कर लिया है स्वीकार कर लिया है राष्ट्रीय आम सहमति नहीं बल्कि राष्ट्रीय धर्म और विश्वास मान लिया है तो उसमें आपको कोई हक नहीं बनता है, किसी को भी कोई हक नहीं बनता है कि वह उस आरक्षण के सवाल को माननीय प्रधानमंत्री जी की इस राजनीतिक घोषणा के साथ जोड़ें और हम इसकी अनुमति किसी को नहीं देना चाहेंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सवाल पर बातचीत की, आग लग गई है, आग लगने के बाद बातचीत का फायर-ब्रिगेड लेकर पीछे-पीछे घूम रहे हैं आग बुझाने के लिए । मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, इधर और उधर बैठने वालों से कहा जा रहा है कि इस सवाल पर हमारा समर्थन करिए, लेकिन मैं उनसे केवल इतना सवाल करना चाहता हूं कि इस सवाल पर जब उन्होंने यह घोषणा की, क्योंकि हम जानते है । हमको समय के विषय में मतभेद था, क्रियान्वयन के तौर-तरीकों पर मतभेद था, हमको इसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य पर नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चुप्पी साधी, इसलिए की राष्ट्र के व्यापक हित में हमने यह सोचा कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे माहौल खराब हो । कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे देश के वातावरण में, देश की भावनात्मक एकता को चोट पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात है, इतिहास देख लीजिए, सबसे पहले विरोध किसने किया इस घोषण का । आपके छात्र जनता के नेता ने, जो बिहार यूनिट के महामंत्री हैं पटना में, उन्होंने इसका विरोध किया । इसके विरोध में सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, वह मुख्यमत्री कोई हमारी पार्टी के नहीं हैं, अपने यहां जरा टटोल कर देखिए, किसने प्रधानमंत्री जी की घोषणा को चुनौती दी, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति भी उन्हीं की पार्टी के अन्दर मिलेगा । मान्यवर जिन संसद सदस्यों ने, जिन नेतागणों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा को अविवेकपूर्ण कार्यवाही बताया वह भी उन्हीं के दल के अन्दर मिलेंगे, किस संसद सदस्य ने इस कार्य को देश को बांटने वाला बताया, वह भी उन्हीं की पार्टी के अन्दर मिलेंगे । उससे बढ़कर मान्यवर किस संसद सदस्य ने इस्तीफा देने की धमकी दी और यदि उसको भी आप ढूंढेंगे, तो वह आप ही के दल के अन्दर मिलेगा, जनता दल के अन्दर मिलेगा, ढूंढिए, अगर नहीं मिल रहा हो तो खुराना जी ढूंढकर दे देंगे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को संक्षिप्त करें। अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं और इस चर्चा के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए हैं। आप पहले ही तीन मिनट बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत तात्विक प्रश्न है। अगर मैं अपने लाजीकल कन्क्लूजन तक अपने आर्गुमेंटस को नहीं ले जाऊंगा तो मुझे गलत समझा जा सकता है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इतने नाजुक मुद्दे पर ऐसा न करें, मुझे कम समय देकर कहीं इसे मेरी राजनीतिक भूल न समझ लिया जाए, इसलिए आप मुझे संरक्षण प्रदान करें। (व्यवधान)

माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता था, जिनको मैं आक्षेप के रूप में दोहराना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जरूर कहिए, लेकिन लंबे शब्दों में मत कहिए।

श्री हरीश रावत : आपके आग्रह को देखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने पुराने संबंधों को देखते हुए मैं उन आक्षेपों को नहीं दोहराना चाहता। मैं केवल उनकी जिद का जिक्र करना चाहूंगा। 27 प्रतिशत आरक्षण केवल उनकी जिद पर है।...(व्यवधान) वे कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे। 27 प्रतिशत का जो आरक्षण है उन सारी पिछड़ी जातियों में जिनका मंडल आयोग में उल्लेख किया गया है। उनको उनकी वास्तविक संख्या के रूप में मिल जायेगा। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मंडल आयोग की जो संस्तुतियां हैं उनको पढ़ना चाहूंगा :

[अनुवाद]

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुख्य लाभ और अन्य कल्याणकारी उपायों का लाभ अधिक उन्नत लोगों द्वारा हथिया लिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : निःसन्देह, यह बात सही है। परन्तु आप अगला वाक्य भी पढ़ें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : यह मैं नहीं कह रहा हूं। इसको मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश देते हुए कहा है। मैं उन जातियों का उल्लेख करना चाहूंगा जैसे विश्वकर्मा, बाढ़ई, नहारिया है और दर्जी, धोबी, लोहार तथा हमारे यहां गंधर्व जाति है। मुझे आशंका है कि पिछड़े लोगों के नाम पर जो आर्थिक रूप से सक्षम रूप से पिछड़े हैं और जो पिछड़ों के नाम पर जो शैक्षिक रूप से आगे बढ़े हुए हैं। आर्थिक आधार पर अपनी संस्तुति इस प्रकार की नहीं है कि किस वर्ग के अन्दर क्या प्रतिशत है। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। किस जाति के अन्दर किस तरीके से कौन अशिक्षित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा ऐसा मन्त्र है जिसमें वे अपनी जिद पर अड़कर के उन जातियों के लिए सुनिश्चित कर देंगे जिसमें उन जातियों को फायदा मिल जायेगा। यह संख्या इसलिए निश्चित होती है कि जिनमें

[श्री हरीश रावत]

पढ़े लिखे नहीं है। उनके लिए शैक्षणिक के आधार पर नहीं किया है बल्कि उनको शिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक वे कैसे फायदा लेंगे। वे गरीब पिछड़े हैं और कहां से फायदा उठा सकेंगे। यह सारे राष्ट्र की आशंका है कि केवल आर्थिक रूप से जो 27 प्रतिशत आरक्षण है, उसका फायदा लेंगे। जो हमारे विधान बनाने वाले थे उन्होंने संविधान के अन्दर सैक्शन-15 और 16(4) के अन्दर आर्थिक जातियों की बात नहीं कही है।

बैकवर्ड क्लास की बात की है ताकि दूसरे धर्म के अन्दर और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको फायदा मिल सके और वे कह सके कि हमारी सरकार ध्यान रखे। हमने आरक्षण देने की बात कही और अब प्रधान मंत्री जी ने कहा कि माइनोरिटीज के लिए कुछ करेंगे और आडवाणी जी ने भी विरोध किया था। इस विषय में वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के संसद सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के दो सिपाही आपके पास हैं जो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। श्री महेन्द्र सिंह पाल और श्री सी० एम० नेगी हैं। उनकी तरफ देख लीजिए। वे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नौकरी पर आधारित है। उन क्षेत्रों के लिए क्या सोचने जा रहे हैं। उनके पास उद्योग नहीं है और आर्थिक साधन हैं। आज गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अफसोस इस बात का है कि उनकी पार्टी जोड़ने में विश्वास नहीं करती। कभी धर्म, शहर, गांव, कृषि, उद्योग और भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। अब लेटेस्ट इन्वेन्शन किया है उससे लगता है कि देश को जाति के आधार पर बांट देना चाहते हैं। और छोड़िए हिन्दू समुदाय को ही नहीं, अल्पसंख्यों को भी जो इन्होंने कहा है कि एक मंडलवादी अल्पसंख्यक होंगे और एक गैर मण्डलवादी अल्पसंख्यक होंगे। राष्ट्रीय आक्रोश को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, बिना किसी विस्तृत ब्योरा दिये हुए कहा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। मैं और समय नहीं दे सकता। अब श्री दिनेश सिंह को बोलना है।

श्री हरीश रावत : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

में आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही तो हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की हालत उस सर्जन की तरह है जिन्होंने जातिवाद से ग्रस्त समाज को आपरेशन टेबल पर लिटाकर उसकी चीर-फाड़ शुरू कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारी साहित्यिक बातें अभी ही मत कहें, काफी समय हो गया है।

श्री हरीश रावत : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने भारतीय समाज को आपरेशन टेबल पर लिटाकर आपरेशन तो शुरू कर दिया और आपरेशन शुरू करने के बाद उनको याद आया कि मैं तो इस आपरेशन को करना जानता ही नहीं था इसलिए उन्होंने दूसरे सर्जनों की खोज शुरू कर दी और दूसरे दलों को बुला रहे है और केवल बुलाने तक ही सीमित होते तो बात समझ में आती, उन्होंने कमरे में अपने नर्सिंग असिसटेंट रखे हुए हैं श्री शरद यादव और राम विलास पासवान जी जो जातिवाद की छुरी लेकर खड़े हुए हैं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं।

एक तरफ सभी दलों की बैठक बुलाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पिछड़े लोगों को सड़कों पर आना चाहिए।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : अब दलों के नेताओं को बोलना है। निर्धारित दो घंटों में से आप 40 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब समाप्त करें।

श्री हरीश रावत : ये बयान किसकी मदद करेंगे। यह भड़काने वाले बयान समाज की देश की कोई मदद करने वाले नहीं हैं।

मैं अपनी बात खत्म करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस प्रश्न पर जो उन्होंने राष्ट्रीय आम सहमति को तोड़ने का प्रयास किया है, राष्ट्र की भावनात्मक एकता को तोड़ने का प्रयास किया है, उस पर वे सबके साथ मिलकर विचार करें। सभी दलों को विश्वास में लेकर इस नाजुक प्रश्न को सुलझायें। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस कार्यसमिति ने जो प्रस्ताव दिया है उसको आपको मानने के अतिरिक्त देश के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से और सदन से कि सदन यह अनुरोध करे कि कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव दिया है आज की स्थिति से देश को उभारने के लिए जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

(व्यवधान)

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने रावत जी को 40 मिनट दिए हैं, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब और सदस्य बोलेंगे तो क्या उनको भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा। (व्यवधान)

5.00 म० प०

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सभा में बोलने का अवसर देने पर मैं आपका अति आभारी हूं। वास्तव में यह चर्चा एक या दो महीने पूर्व या प्रधानमंत्री के इस सभा में 7 अगस्त को वक्तव्य देने से पूर्व की जानी चाहिए थी। वह समय इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपयुक्त होता। और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त खेद का विषय है कि जब इस सभा का सत्र जारी था तो प्रधानमंत्री महोदय ने इस प्रकार का कार्यकारी आदेश जारी करने से पूर्व इस पर चर्चा कर सभी पक्षों के विचार जानना उपयुक्त नहीं समझा। इस आदेश ने सारे देश में सामान्य जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

मेरे से पूर्व बोलने वाले साथियों ने बहुत-सारी बातें पहले ही कह दी हैं। सभा का समय बचाने के लिए उन्हें फिर से दोहराना उपयुक्त नहीं होगा। परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 7 अगस्त को क्या जल्दी थी, क्या आवश्यकता थी और क्या मुहूर्त था जब प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यकारी आदेश जारी करवाया।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं।

श्री दिनेश सिंह : यदि मेरे मित्र प्रो० मधु दण्डवते, इससे अच्छा स्पष्टीकरण दें तो मुझे स्वीकार्य होगा। समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार जिस दिन प्रधान मंत्री ने यहां वक्तव्य दिया, उसका उपप्रधान मंत्री को बर्खास्त करने से सम्बन्ध है। जब उपप्रधान मंत्री को बर्खास्त किया गया तो उन्होंने एक रैली का आयोजन आरम्भ कर दिया। 9 अगस्त को किसान रैली होनी थी। ऐसा लगता है कि गुप्तचर एजेंसियों ने प्रधान मंत्री को सूचित किया था कि यह किसान रैली ग्रामीण समुदाय की एकता का प्रदर्शन होगी और यह एक बहुत बड़ी रैली होगी और वास्तव में यह एक बड़ी रैली थी। उस रैली को पहले से ही विफल बनाने के लिए, और ग्रामीण लोगों की एकता को समाप्त करने के लिए सम्भवत: प्रधान मन्त्री ने इसे उपयुक्त समय समझा कि इस समय कोई ऐसी घोषणा की जाये जो रैली और उपप्रधान मंत्री की बर्खास्तगी से लोगों का ध्यान बंटा दें। ऐसी घोषणा जिसका उदाहरण देश विभाजन के विनाश को छोड़कर हमारे आज के राष्ट्रीय जीवन में नहीं मिलता है।

हमारे देश में अनेक सामाजिक सुधार हुए हैं। महान लोगों और सन्तों ने हमारे समाज में सुधार किए हैं। हमारे ध्यान में और शायद इस शताब्दी में हमारे समाज में सबसे बड़ा सुधार महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जब उन्होंने छुआछूत को समाप्त किया।

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : यह कहां हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : चूंकि श्री रामधन जी ने यह प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

कहां वायलेट हुआ है ?

[अनुवाद]

इससे मेरे ध्यान में एक व्यक्तिगत अनुभव आ रहा है। सामान्यत: मैं इस अनुभव को यहां सदन में नहीं सुनाना चाहता था परन्तु अब मैं इसे आपके समक्ष कहना चाहूंगा।

यह सन् 1932 या उससे पहले की बात है जब महात्मा गांधी हमारे यहां काला कांकर में आए थे। वहां मेरे पिताजी ने सामूहिक भोज का आयोजन किया था। समर्पित कांग्रेसी सदस्यों और कुछ आर्य समाज के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ सवर्ण जाति और तथाकथित पिछड़े वर्गों के भी कुछ लोग आए थे। अनुसूचित जातियों के अनेकानेक व्यक्ति भी आए थे। यह भोज दोपहर में हुआ था और सायंकाल तक मेरे पिता और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हमारे समुदाय से बहिष्कार कर दिया गया श्री रामधन जी, इस प्रकार छुआछूत को समाप्त किया गया था। यह आप और मैं नहीं थे बल्कि वह महान व्यक्ति था, जिसके द्वारा किए गए कार्यों का आज हम लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रामधन जी इस बात की कल्पना करें कि अपने स्थान का राजा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामधन : श्री के० के० तिवारी ने इस हाउस में क्या कहा है, और आप बैठे मुंह देख रहे थे। उस वक्त आपकी ईमानदारी कहां चली गई थी (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद विचार करें कि कहां हम एक महात्मा की चर्चा

कर रहे हैं और कहां ये के० के० तिवारी बीच में उतार लाये हैं। कोई तो उसकी समानता होनी चाहिये।

[अनुवाद]

मैं सदन को वह समय याद दिलाना चाहूंगा, जब महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरुद्ध अपना आंदोलन आरम्भ किया था। यह हमारे समाज के लिए कुछ अनोखी बात थी, संसार में और कहीं भी छुआछूत नहीं था। अत: उन्हें समाज से छुआछूत को हटाने में अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। परन्तु जब उन्होंने आंदोलन आरम्भ किया तो वह छुआछूत हटाने का केवल नारा मात्र नहीं था या यह कोई ऐसा भोज के लिए निमन्त्रण न था जिसमें आप मिलकर बैठकर खाते हैं। उन्होंने इसे निम्नतम स्तर से आरम्भ किया था। उन्होंने इसे शिक्षा से आरम्भ किया। उन्होंने इन लोगों को जीवन यापन आरम्भ करने की सुविधा दी, उन्हें आत्म निर्भर बनाया और उन्हें इस देश के समान नागरिक होने का अनुभव कराया। वे इतने गरीब थे और उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि उनके पास पूंजी नहीं थी तो गांधी जी ने उन्हें तकली की जानकारी दी। यहां तक कि साईकल की तार से भी आप एक तकली बनाकर आत्म निर्भर बन सकते थे। वह इस देश में आत्म निर्भरता का प्रतीक बन गई। इस तरीके से क्रांति बिना रक्त बहाए और बिना विग्रह के हुई। किन्तु प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने हमारे समाज में बड़ी दोफाड़ प्रारम्भ किया है। महात्मा की इस परम्परा का कांग्रेस ने पूर्वाह्न किया है, तत्पश्चात् जमींदारी का उन्मूलन, रियासतों का एकीकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति इत्यादि। उनके समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रांतियां थी और अब एक जमींदार प्रधानमंत्री बन कर बैठे है। इसी तरीके से ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए थे और इनसे विग्रह भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसने समाज को मिलाया है। इसने उन्हें इन परिवर्तनों की जरूरत को समझाया और उन्हें इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। यहां तक कि मंडल आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित यह आरक्षण, कांग्रेस के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गये संविधान के एक संशोधन से सम्भव हुआ है जिसके आधार हम आज सामाजिक, और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं" (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अब आप लोग तालियां क्यों नहीं बजाते हो।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि जाकर लड़ाई करो। आप तो मन्त्री होकर कहते हो। जरा कभी-कभी अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विनोद सिंह : महोदय, मेरे कुछ मित्र कहेंगे कि आपने मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्या किया। आपके पास यह दस वर्षों तक थी। हां, यह सही है, कि हमारे पास यह दस वर्षों तक थी···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : मामा कालेश्वर की रिपोर्ट के बारे में भी तो कुछ बताइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, मेरी मुश्किल यह है कि उस समय मेरे जो मित्र हमारे साथ थे, अब वे सभी हमारी हर बात में दोष ढूंढ रहे हैं कि हमने उस समय यह नहीं किया या वह नहीं किया।

प्रो० मधु दण्डवते : यह पूर्वापेक्षी प्रभाव सहित आत्मस्वीकृति है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, हमने इस संवेदनशील मुद्दे पर मतैक्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। गृह मंत्री ने तीन बार बैठकें की। मेरे ख्याल से हमने तीन बार इस सदन में इस पर चर्चा की, अन्य भी कई प्रयास किए गए। इस संबंध में, श्री राजीव गांधी ने जब वे प्रधान मंत्री थे, एक सकारात्मक प्रयास किया, वे पंचायती राज लाए। पंचायती राज के सामाजिक पक्ष की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पंचायती राज पर विचार करें। हर गांव में एक पंचायत सरपंच होगा। हर गांव में विभिन्न वर्ग होंगे। वह गांव का नेता माना जाएगा। अन्य वर्गों के लोग एक वर्ग के व्यक्ति को नेता मानेंगे—कहीं पर वह पिछड़े वर्ग का हो सकता है, कहीं वह अनुसूचित जाति का और उसे ग्राम समुदाय से नेतृत्व की पहचान व मान्यता प्राप्त होगी। इस प्रकार जाति प्रथा तोड़ी जा सकती है। इस प्रकार जनसंख्या के सभी वर्गों को समाज में मान्यता मिल सकती है, सघर्ष से नहीं मिल सकती।

मेरे मित्र ने कहा है कि इस पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की अपेक्षा—जो प्रधान मंत्री का क्षमता के अन्दर था—मैं उनकी क्षमता को कम नहीं आंकता—वे बहुत मीठा बोलते हैं और उनके पास अपनी बात मनवाने की कला भी है—उन्हें सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करना चाहिए था। किन्तु उनकी यह इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा आगे रहने की थी—जैसा मैंने कहा इसका एक कारण था। उस बात को रोकना, जो उनके साथी। भूतपूर्व उपप्रधान मन्त्री करने वाले थे···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या था वह ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं वही सब दोहराऊं। दूसरे महोदय, उनकी इच्छा देश का ध्यान इस सरकार की असफलताओं, मंहगाई के रोकने में उनकी अक्षमता, और कश्मीर, पंजाब, असम और तमिलनाडु के सम्बन्ध में एक समाधान, या कम-से-कम एक दिशा या समाधान के सम्बन्ध में एक नीति ढूंढने में अक्षमता से हटाना था। जैसा कि आपने अखबारों में देखा है, ये सभी चीजें···(व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, कौन से नियम, या कौन-सी धारा या किस परम्परा उल्लंघन किया गया है।

श्री ए० के० राय : महोदय, मैं किसी एक नियम का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है। महोदय, विषय संख्या 17 और 19 साथ-साथ लिए जाने हैं। इसका अर्थ हुआ कि दोनों के विषय में थोड़ा-सा ही अंतर है।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों एक जैसे हैं।

श्री ए० के० राय : महोदय, जरा रुकिए। श्री दिनेश सिंह इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें आशय गलत नहीं समझना चाहिए। अन्यथा, इसका अर्थ यह निकलेगा जैसे कि विपक्ष के दो सदस्यों को लगातार मंडल कमीशन पर ही बोलने के लिए बुलाया जा रहा है। वे वास्तव के वही सब

दोहरा रहे हैं जो पूर्व सदस्य ने हिंदी में कहा था। हम यह आशा नहीं करते कि वे उस भाषण का सीधा अनुवाद मेरे और सदन की कीमती समय नष्ट करें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या एक दल का सदस्य, अपने ही दल के सदस्य के हिंदी में दिए गए भाषण का अनुवाद कर सकता है। और सदन का समय नष्ट कर सकता है।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, अगर आप सभी समाचार पत्र देखें तो पाएंगे कि मूल्य वृद्धि, कश्मीर पंजाब और ऐसी सब मुख्य खबरें मुख्य पृष्ठों से गायब हो गई हैं। मुख्य पृष्ठ पर हम ये सब देखते हैं। कितनी बसें जलाई गई, कितने छात्र 'मारे गए'। कितने बंदों का आवाहन किया गया। 'कितनी रेलों को रोका गया' और इस देश के कई शहरों में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।" प्रधान मंत्री महोदय, आपकी उपलब्धि यह रही है। अगर आपकी यह इच्छा थी तो आप सफल हुए हैं। किन्तु मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपके दिमाग में ऐसा तुच्छ उद्देश्य हो सकता था कि आप इस तरीके से देश को बांटने की सोचें और वह भी सिर्फ एक मध्यावधि चुनाव जीतने के लिए जो आप सोच रहे थे कि इन सर्दियों में हो। (व्यवधान)

महोदय, मेरे पास समाचार पत्रों की कई कतरनें हैं जो यह दर्शाती हैं कि इस सदन में प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य दिए हैं उनमें रूप और विषय वस्तु के बारे में इस देश की जनता क्या अनुभव करती है। और मैं लम्बे लेख पढ़ने नहीं जा रहा। किन्तु आपकी अनुमति से, मैं कुछ शीर्षक पढ़ना चाहूंगा।

महोदय, 28 अगस्त का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' कहता है :

"जाति के आधार पर समाज का विभाजन।"

एक बहुत वरिष्ठ और बहुत आदरणीय पत्रकार श्री निखिल चक्रवर्ती का एक लेख है। उन्होंने कहा है :

"मंडल रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार आवश्यक।"

श्री एफ० एस० नरीमन की रिपोर्ट का शीर्षक है :

"भारतीय संघ का बिखराव। फ्रैंक एन्टनी के लेख का शीर्षक है : "वी० पी० सिंह : अराजकतावाद का स्थापक और धर्म-निरपेक्षता का उपहास" और इस देश के अत्यंत वरिष्ठ और आदरणीय पत्रकार, श्री गिरिलाल जैन' का लेख था जिसमे कहा गया है "वी० पी० दूसरे जिन्ना सिद्ध होंगे।" (व्यवधान)

सत्तारूढ़ दल इन लेखों के महत्व को कम करने का प्रयास करेगा क्योंकि ये उनके लिए असुविधाजनक हैं। किन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्ही समाचार पत्रों की बदौलत वे यहां आज एक अल्पमत सरकार के रूप में बैठे हुए शासन कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : और उन्होंने आपको भी वहां बिठाया है जहां आप आज बैठे हुए हैं।

श्री दिनेश सिंह : और मधु, इसीलिए हम अब आशा कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही पक्ष बदल लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पुन: समाचार पत्रों के द्वारा ?

श्री दिनेश सिंह : महोदय, पहले ही यह बताया जा चुका है कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर कैसे विभाजन के कगार पर पहुंच गया और इसे दोहराने में मैं सदन का और समय नहीं लूंगा। किन्तु महोदय, कि जब भी इस पर बात होती है हम बार-बार यही प्रश्न पूछते हैं : इतनी जल्दबाजी क्यों की गई ? 7 अगस्त को यह वक्तव्य क्यों दिया गया ? बिना किसी की सलाह में यह वक्तव्य क्यों दिया गया ? मेरे मित्र, माननीय सदस्य, श्री चटर्जी को इस पर संतोष हो सकता है कि उनसे विचार विमर्श नहीं। किया गया, विपक्ष में होने के कारण हम यह आशा नहीं रखते कि हमसे विचार विमर्श किया जाएगा महोदय, किन्तु आडवाणी जी को अपमान अनुभव करना चाहिए कि उनसे भी विचार विमर्श नहीं किया गया। (व्यवधान)

महोदय, यह सरकार क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ? और यह मैं सिर्फ मजाक में ही नहीं पूछ रहा, अपितु पूरी गंभीरता के साथ पूछ रहा हूं। इस प्रकार का काम करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं ? आपका उद्देश्य क्या है ? क्या एक सर्वसम्मति बना कर यह नहीं किया जा सकता था जिससे एक शांतिपूर्ण घोषणा करना संभव हो पाता ? अगर सरकार का यह तर्क है कि वे मंडल आयोग की सिफारिशों को इस प्रधान मंत्री द्वारा जारी, इस प्रशासनिक आदेश के द्वारा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह मंडल आयोग के साथ सरासर धोखा है, पिछड़े वर्ग के साथ और देश के साथ धोखा है। इस प्रशासनिक आदेश के द्वारा उन्होंने क्या किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : आपकी तो जमीन ही खिसक गई है, आप क्यों नहीं बोलेंगे।

श्री हरीश रावत : आप अपनी जमीन की चिन्ता करो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : महोदय, अगर मेरे माननीय मित्र के पास सुनने का धैर्य हो, तो शोर मचाना जरूरी नहीं होता। मैं इसे धोखाधड़ी क्यों कहता हूं ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ नौकरी में आरक्षण देने भर से यह जरूरी नहीं है कि किसी को नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिल जाए जब तक कि उसमें अपेक्षित योग्यता नहीं है। इन लोगों को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करवाने के लिए सरकार ने क्या किया है ? मैं सिर्फ आरक्षण की बात नहीं कर रहा। पिछड़े वर्गों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने वाली संस्थाओं को स्थापित करने से उन्हें कौन रोक रहा है जिससे कि पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। इस रूप में नौकरियों में आरक्षण से पिछड़ी जातियों में केवल कुछ ही शिक्षित और अधिक सम्पन्न व्यक्तियों को फायदा होगा। (व्यवधान)

जब प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य जो उन्होंने 7 अगस्त को दिया था, कि गलती को महसूस किया तो 27 अगस्त को उन्होंने एक नया वक्तव्य दे दिया। यह भी 7 के अंक से सम्बन्धित होता है। मैं नहीं जानता कि यह भी कोई ज्योतिष से संबंधित गणना है। बीस दिन के पश्चात उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने उस काम के लिए पूरी कृतज्ञता जाहिर की जो उनके दल ने पिछड़ी जाति वालों के लिए किया है। वह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं और फिर वह कहते हैं कि यदि अन्य महमत हो तो हम 5 और 10 प्रतिशत और अधिक आरक्षण के लिए सोच सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को लालच देने की कोशिश की है किन्तु वे उनकी बातों में नहीं

आए हैं। इस 5 से 10 प्रतिशत आरक्षण का क्या अर्थ है ? आरक्षण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने कुछ विशेष निर्देश दिए थे। यदि हम 50 प्रतिशत से आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होगा। मण्डल आयोग ने 52 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी किन्तु कम करके इसे 27 प्रतिशत तक कर दिया जिससे इसे 50 प्रतिशत के बीच में रखा जा सके जो उनके अनुसार अनुमति दिए जाने की सीमा के अन्दर था। यदि आप 50 प्रतिशत को पार करते हैं, तो आप, 52 प्रतिशत आरक्षण मांगने वालों को किस प्रकार रोक सकते हैं ? अब 22.5 में 52 प्रतिशत जुड़ गया है। फिर, प्रधान मन्त्री गरीबों के लिए 10 प्रतिशत पर विचार कर रहे हैं। मेरे विचार में वे मुसलमानों को 5 प्रतिशत और महिलाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करेंगे। इससे कुल 99.5 प्रतिशत हो जाता है और योग्यता के लिए केवल 0.5 प्रतिशत बचता है। क्या हम यही प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या यही उस सहमति की मंशा है जो अब विभिन्न दलों के नेताओं के बीच करायी जा रही है ? इसलिए, मैं कहता हूं कि सर्वदलीय बैठकों का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक प्रधान मंत्री इस आदेश को निरस्त करने को तैयार न हों और एक मतैक्य पर पहुंचने की न सोचें जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि किस प्रकार मण्डल आयोग की रिपोर्ट को अच्छी प्रकार से लागू किया जा सकता है और किस तरह से अन्य वर्गों को भी शामिल किया जा सकता है अभी हम यह नहीं जानते कि प्रधान मंत्री किन वर्गों के बारे में सोच रहे हैं। (व्यवधान)

हमारे सामने एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। जब तक हम प्रधान मन्त्री के विचार नहीं जानेंगे कि वे कौन से वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाना है, इन लोगों को वह कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात उनके मन में है किसी सार्थक वार्ता या सर्वसम्मति की कोई उम्मीद नहीं है। एक अन्य मुद्दा भी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यह शब्द 'वर्गों' को 'जातियों' में बदलने के प्रयास से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान में 'वर्गों' का उल्लेख है। स्वयं मंडल आयोग रिपोर्ट में भी 'वर्गों' का उल्लेख है। अब 'वर्गों' को भुलने का प्रयास किया गया है और केवल 'जातियों' की बात हो रही है। मैं उन खतरों को फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा जो हमारे समाज को जातियों में बांटने में अन्तर्निहित हैं। हमारे संविधान में जातियों को समाप्त करने की बात कही गई है। हम सब एक जाति रहित समाज के प्रति वचनबद्ध हैं। यदि जाति फिर एक निर्णायक कारक हो जाए तो क्या होगा ? आजकल जाति का तो जनगणना में भी उल्लेख नहीं किया जाता है। इसका उल्लेख 1931 में छोड़ दिया गया था। अब हम जनगणना करने वाले हैं और अब हम जनगणना विभाग को जातियों को शामिल करने के लिए क्यों नहीं कहते ? हमें कम-से-कम यह तो पता होना चाहिए कि कौन-कौन-सी जातियां हैं और कितनी हैं। हम केवल जातियों पर आधारित समाज का ही निर्माण करने जा रहे हैं तो कम-से-कम हमारे पास सही आंकड़े तो होने चाहिए और हमें यह भी मालूम हो कि अब हमें क्या करना है ? सर्वसम्मति से मंडल आयोग को लागू करने का केवल मात्र यही तरीका है कि हमें आरक्षण योजना में पिछड़ेपन के स्तर की वास्तविकता का पता लगाना होगा। बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनकी पहचान की गई है। समाज में अन्य कमजोर वर्ग हैं जिन्हें समान सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है इसलिए, उनके हित को भी शामिल किया जाना चाहिए और न कि पिछड़ी जातियों में केवल सम्पन्न और धनी व्यक्तियों के हितों को ही शामिल किया जाए।

फिर, देश में योग्यता और पिछड़ेपन और निर्धनता की प्रकृति को देखते हुए दी जाने वाली सुविधाओं में एक उचित संतुलन होना आवश्यक है। हम योग्यता को नकार नहीं कर सकते। जिन व्यक्तियों के पास योग्यता है यदि वे इस देश से बड़ी संख्या में पलायन कर जाते हैं तो क्या होगा ? इसलिए, योग्यता और पिछड़ेपन में एक संतुलन बिठाना आवश्यक है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

एक अन्य विषय से भी मैं चिन्तित हूं। आज भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। विश्व में भी भारी परिवर्तन हो रहे हैं। पूरे विश्व में परिरक्षित अर्थव्यवस्था और आरक्षण को त्यागा जा रहा है। हर ओर होड़ लगी है। निजी तौर पर पहल की जा रही है। उदारीकरण हो रहा है। भारत की स्थिति क्या होगी? मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि, जैसा मैंने पहले कहा है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। क्या इसके पीछे कोई हाथ है जो इस प्रकार के विचार पैदा करके हमें पीछे खींच रहा है जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में आगे बढ़कर अपनी अधिकार पूर्ण स्थिति न पा लें?

मैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू के एक पत्र, जो उन्होंने 27 जून, 1961 को मुख्य मन्त्रियों को भेजा था, में से एक छोटे से उद्धरण के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। जिसमें उन्होंने कहा था और मैं इसे उद्धृत करता हूं:

'एक पिछड़े समूह की केवल एक ही तरीके से मदद की जा सकती है कि उसे अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जाएं, इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है जो अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अन्य सब कुछ एक प्रकार से बैसाखियों की तरह है जो शरीर की शक्ति अथवा स्वास्थ्य में कोई मदद नहीं करती। हमने हाल ही में दो निर्णय लिए हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं; प्रथम, सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है, और दूसरे, होनहार छात्र और छात्राओं को बड़े पैमाने पर शिक्षा के हर स्तर पर छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। और यह केवल साहित्यिक शिक्षा पर ही लागू नहीं होती है अपितु तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रशिक्षण पर अधिक लागू होती है। मैं तीव्र बुद्धि के छात्र और छात्राओं पर अधिक जोर देता हूं क्योंकि वही हमारा स्तर बढ़ाएंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में क्षमता और योग्यता का बड़ा भण्डार है यदि हम इसे एक अवसर दें।"

श्री इब्राहीम सुलेमान सैट (मंजेरी) : आप अपना भाषण कब समाप्त करेंगे? आज या कल?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं सभा के माननीय सदस्यों की सलाह से कार्य करूंगा। यदि आप मुझे मेरा अपना विचार व्यक्त करने को कहते हैं, तो इसे आज समाप्त करना सम्भव नहीं होगा। हमें कल भी बैठना पड़ेगा। दो घण्टे का समय दिया गया है। शायद कुछ और समय दिया जाएगा और सचेतकों के परामर्श से हम समय निर्धारित करेंगे किन्तु चर्चा कल तक चलेगी।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण देव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जहां देश में हजारों वर्ष का रोग है, उसका इलाज भी तुरन्त नहीं हो सकता है। जिस विषय पर सदन में आप बहस कर रहे हैं, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय समाज का यह हजारों वर्ष का रोग है और कोढ़ में, खुजली हो गई है। यदि कोढ़ में खुजली हो जाए तो और भी दर्दनाक स्थिति होती है। भारतीय समाज में जहां जातिप्रथा एक कोढ़ है और अब कोढ़ में ऊपर से अधिक विषमता आ जाये तो कोढ़ में खुजली के समान है। आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह

जी, हरीश रावत जी जब बोल रहे थे और कांग्रेस के लोग बार-बार आरोप लगा रहे थे हमारे प्रधान मंत्री जी के ऊपर कि आरक्षण को लागू करके जातियता को बढ़ावा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भारतीय समाज की जातियता को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बढ़ावा दिया है। भारत में 4500 जातियों ने, जो जातियां बनी हुई हैं उसका निर्माण करने वाला कौन है ?

इस देश की ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था है। इस ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था ने मिलकर जातिवादी व्यवस्था के द्वारा प्रतिभाओं को कुण्ठित किया है। किसने बनाया है यह। आप जरा गौर से सोचो। जाति बनाने वाले कोई, जाति के आधार पर शोषण करने वाले कोई, जाति के आधार पर विषमता पैदा करने वाले कोई और जब हम जाति प्रथा को तोड़ने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब आप उल्टे जातीयता का आरोप लगाते हैं। हरीश रावत जी आप लोहिया की भी बात कर रहे थे, लोहिया ने कहा है कि जाति और योनि के कटघरे में समाज कैद है। जाति और योनि के कटघरे से जब तक समाज को मुक्त नहीं किया जाता तब तक भारत में समता समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आप समता समाज की बात करते हो—

उघरहिं अंत न होई निबाहू, कालनेमि जिमि रावण राहू।

कालनेमी सन्त बनकर हनुमान के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा था, रावण भी सन्त बनकर सीता का हरण करने गया था और राहू भी रूप बदल कर अमृत पान करने गया था और अपना शीश कटवाकर आज तक राहू और केतू के नाम से ग्रहों के रूप में प्रसिद्ध है, आपकी भी हालत वही होने वाली है। (व्यवधान) छद्मरूप रख कर लोगों को धोखा मत दीजिए। आप यह तो कहिए कि मण्डल कमीशन की सिफारिशें अधूरी हैं, आप कह रहे थे कि मण्डल कमीशन की सिफारिशें अधूरी हैं, आप कह रहे थे कि मंडल कमीशन की सिफारिशें अधूरी हैं, मैं भी मानता हूं कि मण्डल कमीशन की सिफारिशें पूरे तौर पर लागू नहीं की गई हैं, लेकिन अगर प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश का थोड़ा सा अंश लिया है, तो आप इसके लिए घबरा क्यों रहे हो। आप इस बात को कहते हो कि भारत के अन्दर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बौद्धिक इन सारे प्रकार की विषमताओं से जर्जर है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो और इन सभी विषमताओं पर कुठाराघात करो। अल्पमत की सरकार भले ही हो, लेकिन आप भी जानते हो कि जब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई थी, उस समय आपने भी बहुत प्रगतिशील कानून बनाए थे। भारत की संसद का यह इतिहास रहा है कि जब सरकार अल्पमत में रही है उसने हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए ज्यादा काम किया है। बहुमत के बल पर पागल हाथी की तरह मदमस्त होकर सरकार में बैठने वाले जो नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा गरीबों के खून को चूसने का काम किया है। इसलिए आपने देखा कि इससे पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी वामपंथियों के बल पर थोड़े दिनों तक सरकार में बैठी थीं, उस समय प्रिवीपर्स समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसीलिए आज अगर अल्पमत में सरकार है और वामपंथी दल का समर्थन है, इस कारण प्रगतिशील काम हम कर रहे हैं तो आपको इससे जलन क्यों है।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में परिवर्तन के दो रास्ते आपने बनाए थे। एक जलन का रास्ता और दूसरा चापलूसी का रास्ता है। आप हमेशा चाहते हो कि हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों में से या तो जलन वाला नेता पैदा हो या चापलूस नेता पैदा हो। जलन वाला नेता पैदा होगा तो हिन्दुस्तान में जलन की अग्नि को पैदा करेगा और समाज बंटवारे और झगड़े में बढ़ेगा, सवर्ण और अवर्ण तथा दूसरी जातियों में समाज को बांटेगा और उस जलन का लाभ आपको मिला करेगा, क्योंकि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति से जो जलन वाला नेता पैदा होता

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

है, उसको मारना आपके लिए आसान रहा है, इस तरकीब को आप जानते हो और दूसरी आपकी चाल रही है कि चापलूस नेता पैदा करें जो आपके तलवे में मक्खन लगाए, जी-हुजूरी करे, आपके सामने घुटने टेके और सर्कस के शेर की तरह नाचता रहे, ऐसे नेता को पैदा करने के लिए आप सोचते रहे हो। लेकिन जनता दल के माध्यम से जिस नए परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं, न हम इस देश में जलन वाले नेता को पसंद करेंगे, न चापलूस को पसंद करेंगे, हम अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे वर्गों में से प्रतिभाशाली, ज्ञानी, विद्वान लोगों को पैदा करना चाहते हैं, जिन पर समाज के सभी वर्गों का भरोसा हो। न केवल सामाजिक परिवर्तन, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में भी वह नेतृत्व कर सके और पूर्ण समाज को लेकर एक नए भारत का निर्माण कर सके। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देश में जब जब कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का समन्वय होता रहा है, तब तब यह देश लुटता रहा है, कमजोर हुआ है, निर्धनता में गया है, अपमानित हुआ है और जब जब कट्टरपंथी, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को गठजोड़ को तोड़ा गया है और उसके विरुद्ध क्रांति हुई है तो ऐसे समय में हिन्दुस्तान के स्वर्णिकाल का इतिहास लिखा गया है केवल पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं किया, राम किस वर्ग मे पैदा हुए थे ?

कृष्ण, गौतम बुद्ध महावीर, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कहां पैदा लिए थे। संसद में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि भगवान गौतमबुद्ध ने कहा था समान प्रसव समान जाति कि जब कट्टरपंथी ब्राह्मणवाद के खिलाफ उदारपंथी क्षत्रियों ने नेतृत्व किया तब भारत का स्वर्णिक युग आया है और भारत के इतिहास में वहां परिवर्तन आ रहा है। मेरी मान्यता रही है कि कांग्रेस कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का जोड़ था। जनता दल द्वारा उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए नई शक्ति का जन्म हो रहा है। आप हंस रहे और घबरा रहे हो। आगे की पंक्ति में श्री हरीश रावत, श्री वसन्त साठे और श्री दिनेश सिंह जी बैठे हैं। क्या अपने दल के अन्दर दूसरे साथियों की आत्मा में झांकते हो कि जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं उनकी आवाज आने दो तो पता लगेगा कि उनके मन में क्या चिंता है। अगली पंक्ति में बैठे हो···(व्यवधान)···कुमारमंगलम साहब जिसके शरीर में कांटे गड़ते हैं उसको ही पीड़ा का अहसास होता है। जिसको नहीं गड़ते उसको कुछ नहीं होता। लालकिले में प्रधान मंत्री जी ने दो शब्द कहे थे और वे शब्द गुरबत और गैरत थे। आपने उन शब्दों को लिया लेकिन हुक्मदेव नारायण यादव उसका अर्थ लगाते हैं। प्रश्न गुरबत का नहीं गैरत का है। इसमें चार श्रेणी के लोग हैं। एक वे हैं जिन्होंने गरीबों को देखा है लेकिन गैरत को नहीं देखा है। ऊंची जाति के लोगों ने गरीबी को देखा है सामाजिक अपमान को नहीं। दूसरे एक वे हैं जिन्होंने सामाजिक अपमान को देखा है लेकिन गरीबी को नहीं देखा है। उसमें हुक्मदेव नारायण यादव आपके सामने खड़ा है। तीन बार ग्राम पंचायत का प्रधान रहा, तीन बार विधान सभा का सदस्य और तीसरी बार संसद सदस्य हूं। मेरे पिताजी, आठ चाचा, और चार चचेरे भाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे और जेल में गए थे। मुझे याद है कि संपत्ति लूटी गई।

जब एम० एल० ए० बनकर दरभंगा मे जाता था तब मुझे थाली में खिलाया जाता था और उस थाली को कुत्ता रात भर चाटता था। जब अपनी कचहरी में जमींदार रहता था उस समय मेरे चाचा जी अपने दरबारों में खाट पर बैठे हुए थे। दादा जी को बुलाकर कहा गया कि आपके खानदान के लोगों में इतना सलाहियत नही है कि मेरे सामने खाट पर बैठे हुए हैं। क्या वे उसके सिर पर बैठे हुए थे यह सामाजिक अपमान है। गरीबी मेरे पास नही है बल्कि सामाजिक अपमान को भोगा है कुछ लोग

ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी और सामाजिक अपमान को नहीं देखा वे अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं। जिन्होंने गरीबी और सामाजिक अपमान को देखा है वे अनुसूचित जाति जन-जाति के हैं। उन्होंने उन दोनों चीजों को भोगा है। डा० लोहिया के शब्दों में यह है कि नीचे की जाति ऊपर आयेगी और ऊपर को नीचे जाएगी। आपके कलेजे में दर्द होगा तो आपको पता चलेगा। आप चाहते हैं कि सदा सुहागन रहो और बाकी विधवा का जीवन जिएं। सन् 77 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सात सौ उम्मीदवार सफल हुए थे। 227 गांव वाले और 475 शहर वाले थे। गांव वालों का परसन्टेज 32.33 था और शहर वाले 67.67 था। सन् 78 में सफल उम्मीदवार 723 भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे थे। उसमें शहर वाले 525 और गांव वाले 91 थे।

गांव का परसेंट है 27.18, शहर का है 72.82। मैं पूछना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत लोग गांव में बसने वाले हैं और आई० ए० एस० की सर्विस में बैठते हैं तो उनको 27 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलता है। शहर में बसने वाले 15 प्रतिशत लोग हैं और आई० ए० एस० की सेवा में 72 प्रतिशत स्थान लेते हैं, अब आप बताएं कि लुटेरे कौन हैं, किसने पाप किया है और अन्याय करने वाला कौन है। इस विषमता को किसने पैदा किया है, आपने पैदा किया है। हम भी गांव में रहने वाले हैं। 15 प्रतिशत लोग शहर में बसते थे आपने उनको 72 प्रतिशत आई० ए० एस० की कुर्सी पर बिठाया है, 85 प्रतिशत गांव में बसने वाले लोग हैं उनको 27 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व दिया। क्या यह गांव वालों का कलेजा चीरने वाली बात नहीं रही है।

आप बहुत सी बातें करते हो, शिक्षा के बारे में कहते हो। हरीश रावत जी, एक तरफ दिल्ली स्कूल बनाते हो जहां बड़े बाप का बेटा पढ़ता है जिस पर तीन हजार रुपये महीने का खर्च करते हो और दूसरी तरफ हम गांव के हैं हमारे बेटे हैं, बिना छप्पर के, कच्ची मिट्टी और टाट पर पढ़कर बैठते हैं, और आप प्रतियोगिता में दोनों को एक समान खड़ा करना चाहते हो। सही शिक्षा का दर्शन है "राजा का बेटा या भंगी की संतान-सबको शिक्षा एक समान।" है हिम्मत तो इस दर्शन को मानो। सभी निजी विद्यालयों पर आज से ताले लगा दो और गरीब का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी के साथ राजीव गांधी के बेटे को भी पढ़ाया जाए, अगर हिम्मत है तो करो इसको। हमारा तो यही दर्शन है। आप आर्थिक आधार की बात करते हो खेती, नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जमीन के मालिक आप रहोगे, हजार बीघा जमीन आपके पास होगा, कारखाने आपके पास होंगे, बस का परमिट आपके पास होगा, ट्रक का परमिट आपके पास होगा, एम० पी० और एम० एल० ए० आप बनोगे "बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना यह नहीं चल रहे है। कारखानों पर तुम्हारा कब्जा, नौकरियों पर तुम्हारा कब्जा, फैक्टिरियों पर तुम्हारा कब्जा और उसके बाद भी समाज में समता की बात करना चाहते हो और सरकारी नौकरियां लेकर परिवर्तन की बात करते हो। आप एक सूत्र को मानो "खेती, नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार।" जिसके पास कारखाने हों उसे सरकारी नौकरी मत दो, जिसके पास जमीन है उसे सरकारी नौकरी मत दो, रेखा खींच दो कि जिसके पास कुछ नहीं है सरकारी नौकरी का हकदार वही होगा, आरक्षण उसी को मिलेगा, है हिम्मत तो आगे बढ़ो। लेकिन केवल घड़ियाली आंसू न बहाओ।

आज जातिप्रथा तोड़ने की बात कर रहे थे। जाति प्रथा रोटी से नहीं टूटती है। समाज में आज रोटी के मामले में जातियां मिट चुकी है। हम सब सदन में बैठते हैं किसी से नहीं पूछते, एक जगह खाते हैं, एक जगह पानी पीते हैं और कहते हैं कि जातियां मिट गई, लेकिन अपनी बेटी के ब्याह के लिए अपनी-अपनी बिरादरी में जाएंगे। मैं जनता दल में हूं, लेकिन मुझे जनता दल में अपनी बेटी

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

ब्याहने के लिए बिरादरी का लड़का नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरी बिरादरी का कोई आदमी होगा तो उसके साथ हमारा रिश्ता बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि रोटी में जातीयता मिट चुकी है, लेकिन जाति का आधार रोटी नहीं बेटी है। सरकारी नौकरी के लिए अन्तरजातीय विवाह अनिवार्य हो। जो जाति तोड़ कर शादी रचायेगा सरकारी नौकरी वही पायेगा। है हिम्मत तो करो इसको लागू, वरना बातें करने से क्या हासिल होगा। आप केवल आरोप लगाना चाहते हो। इसको कमजोर सरकार कहना चाहते हो तो आप परिवर्तन करो, लेकिन आप यह करने वाले नहीं हो, आप समता समाज वाले नहीं हो, विशेषाधिकार वाले हो, समाज के अन्दर विशेषाधिकार को आपने अपना बनाकर रखा है और हमारी लड़ाई विशेषाधिकार के खिलाफ विशेष अवसर की है।

समाज में गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हू आप कह देते हो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के अन्दर जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण से मुक्त रखो। जगजीवन राम का नाम लेते हो, जगजीवन राम का बेटा हो, बुद्धप्रिय मौर्य का बेटा, रामधन का बेटा हो या राम विलास पासवान का बेटा हो जो अच्छे स्कूल में पढ़कर शिक्षा लेता है वह ऊपर उठ जाता है और आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति को चार या पांच प्रतिशत दे रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो चार प्रतिशत भी आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को दिया जा रहा है इसको भी अलग कर दें, जिससे गरीब कभी कम्पीट नहीं करेगा। उनको चार से जीरो पर लाकर रखना चाहते। ऊंची जाति में यही मानसिकता है, यही लोग देश को लूटना चाहते हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के सम्पन्न लोग हैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल मे पढ़ा लेते हैं और आरक्षण के नाम पर वह कुछ परसेंट ले लेता है तो आज उसको भी हटाना चाहते हो।

यह या तो धूर्तता है या क्रूरता है जो लोग कहते है कि यह नीति ठीक नहीं वे या तो धूर्त हैं या क्रूर हैं। उनके हृदय में मानव जाति के लिए प्रेम समाप्त हो चुका है और वे धूर्तता की बात करते हैं। श्री हरीश रावत जी कह रहे थे पिछड़ी जाति के अन्दर कुछ आगे बढ़ी हुई जातियां हैं, वे आगे बढ़ेंगे हां, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जब परिवर्तन की धारा उत्तर भारत में चल रही थी तब पिछड़ी जातियों के जमीन वाली जातियों ने उनका साथ दिया। उत्तर भारत में क्षत्रियों, पिछड़े वर्गों किसानों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उससे पूंजीपति व्यवस्था पर चोट पड़ रही है लेकिन वे चाहते हैं कि वह सामाजिक ध्रुवीकरण उत्तर भारत मे टूट जाये। गंगा-जमुना के मैदान में सामाजिक ध्रुवीकरण बना है और जिसके गर्भ से जनता दल की सरकार हुई है, उस सामाजिक ध्रुवीकरण की शक्ति को आगे बढ़ने दें। आप घबराएं मत।

अन्त में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहां पर संसद् सदस्य बैठे हुए हैं। आप जरा गहराई और गौर से सोचें। आपके घर में अगर बीमार आदमी है, डाक्टर कह रहा है कि घी, दूध, संतरा तथा विटामिन दो लेकिन जो ताकतवर भाई हैं, वे कह रहे हैं कि अपने हिस्से के मुताबिक खाओ, हमारे हिस्से में से क्यों खाएगा? वह भाई है या क्रूर है? आप विश्व दर्शन की बात कर रहे है। विश्व दर्शन क्या है? हमको कहते हो कि योग्य बनो तो कुर्सी लो। यह दर्शन वैसा ही है जैसे किसी से कहा जाए कि आप तैरना सीखो तब तालाब में, तब तैरने देंगे। तो वह तैरना सीखेगा कहां? क्या हम बोट क्लब पर या इण्डिया गेट पर तैरना सीखेंगे? साईकिल चलाना सीखो तो साईकिल का हैण्डल पकड़ो, कार चलाना सीखो तो उसका स्टेयरिंग पकड़ो। मेरे डा० लोहिया का यही

दर्शन था और वे कहते थे कि काबिल है या नाकाबिल, पहले उसको कुर्सी दो, कुर्सी पर बैठने से वह काबलियत सीख जाएगा। हम पहले तालाब में तैरेंगे, दो-चार फुट पानी में उतरेंगे, डूबेंगे, तब तैरना सीखेंगे। ऊंची जाति के लोगों में हजारों वर्षों से संस्कार हैं। मेरे अन्दर वे संस्कार नहीं है। डा० लोहिया का दर्शन—खेती, नौकरी और व्यापार, एक व्यक्ति एक रोजगार। सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार, पलटन इन चारों में हरिजन आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को 100 में से 50 स्थान दो। राजनीतिक दलों के नेतृत्व में दो, सरकारी नौकरी मे दो, पलटन में दो, व्यापार में दो।

यदि राष्ट्र को उदारता के रास्ते पर ले जाना है तो उदार बनिए और यदि उदार नहीं बनेंगे तो राम विलास पासवान, शरद यादव पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आह्वान किया है कि आप सड़क पर निकल कर चले आइए। हां, द्विजवादी, द्विज चरित्र में और पिछड़े चरित्र में यही तो फर्क है। जो अवगुण है, वही मेरे लिए गुण है और जो आपका गुण है वह आपका दुर्गुण है। आप इस बात को समझ लो। श्री राम विलास पासवान और शरद यादव के मन में बातें छुपेगी नहीं। अगर उसके मन में था, उसने खुलेआम कहा कि अपने हक के लिए सड़क पर आओ लेकिन आप जैसे नहीं है कि संसद में मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए कहते हो परन्तु-लेकिन करके भीतर भीतर लोगों को इंजेक्ट करते हो कि आग लगाओ, बसें जलाओ देश को जलाओ···(व्यवधान)···

हुकुमदेव नारायण यादव इस काम को नहीं कर सकता है। हुकुमदेव नारायण या शरद यादव या राम विलास पासवान जी संसद में बोलेंगे, वही सड़क पर बोलेंगे। जो सड़क पर बोलेंगे, वही संसद में बोलेंगे। जो मस्तिष्क से सोचेगा, वही दिल से सोचेगा क्योंकि हमारा दिल और मस्तिष्क दोनों एक हैं। हम नये समाज की रचना करना चाहते हैं। अभी राजा साहब बोल रहे थे, एक पुराने जमाने की कहानी कह रहे थे, वह कौन-सी प्रेरणा थी ? महात्मा गांधी के रहते हुए आपको आपकी बिरादरी के लोगों ने बाहर कर दिया लेकिन देश के निर्माण के लिए आपने उसको स्वीकार किया था। मैं आशा करता हूं कि राजा दिनेश सिंह यदि उस परिवार व खानदान के है तो आगे बढ़ें और मण्डल कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करें, बिरादरी से बाहर निकल जाए लेकिन गांधी जी के समय जो ···(व्यवधान)···अपने परिवार, अपने खानदान के इतिहास को संसद में खड़ा मत करिए बल्कि अपने योगदान और परिवार की इज्जत को बचाकर रखिये। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि यही पुरुष का पुरुषार्थ है। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, चाहे किसी घर में जन्म लिया हो, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया हो, कहीं भी जन्म लिए हो आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि देश के अन्दर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब परिवर्तन का काम होता है तब अवरोध पैदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब देश में बैंकों का नेशनेलाइजेशन हुआ था तो क्या विरोधी शक्तियां कोर्ट तक मुकदमा नहीं ले गयी थीं। जब देश में भूमि सुधार से सम्बन्धित कानून बना था तो क्या जमींदार सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लेकर नहीं गए थे। इसलिए समाज में जो विरोधी शक्तियां होती हैं, वे हर अच्छे काम में कोई न कोई अवरोध अवश्य खड़ा करेंगी लेकिन यह सत्ता का काम है कि उन अवरोधक-शक्तियों की हिम्मत और उनके हौसले, को बढ़ने दे। यह मत देखो कि हम सत्ता में रहेंगे या नहीं, कुर्सी पर रहेंगे या नहीं। अगर देश को बनाना है तो समाज में अवरोध शक्तियों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर देश को बनाना है तो समाज के जो दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित लोग हैं, जो युगों से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और साम्प्रदायिक रूप से शोषित होते आए हैं, उन्हें आगे लाना ही पड़ेगा। ऊपर उठाना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मे हमेशा से तीन गद्दियों का गठबंधन होता आया हैं उनमे से एक राजा की गद्दी है, दूसरी सेठ की गद्दी है और

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

तीसरी महंथ की गद्दी है। राजा, सेठ और महंथ, इन तीनों के गठबंधन से ही आपकी कुर्सी आज तक चलती आयी है। इस देश में राजा और सेठ आपस में मिल गये, सेठ महंथ आपस में मिल गये। तथा महंथ और राजा आपस में मिल गए और इसी तरीके से शासन चलाते आए हैं। आज यदि आप बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के झगड़े से हार गये हो, थक गये हो तो क्यों आरक्षण के नाम पर अगर-मगर लगा कर आग लगाना चाहते हो। मैं सदन की मारफत इस देश के करोड़ों लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध को याद करो, महावीर को याद करो रामकृष्ण परमहंस को याद करो, स्वामी दयानंद को याद करो, उनकी शिक्षा को याद करो, यद्यपि वे ब्राह्मण, क्षत्रीय आदि कुलों में पैदा हुए थे मगर इस देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। इस देश के किसान के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे। मैं आज उन सभी लोगों का आह्वान करता हूं। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, आज हमें उनके स्वप्नों के भारत का निर्माण करना है। उनके स्वप्नो को टूटने मत दो। आज यदि हिन्दुस्तान में कुछ लोग कट्टरपंथ को चलाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनके खिलाफ डटकर लोहा लेना पड़ेगा। इस काम में यदि कुछ आदमियों की जिन्दगी चली जाए तो उसकी परवाह मत करो, दबे-कुचले लोगों को राह दिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। यदि ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, शोषित पीड़ित लोग ऊपर उठते हैं तो आज देश में जो ब्राह्मण-वाद और पूंजीवाद का जरासंध पैदा हो गया है, वे उसे चीर कर दो टुकड़े कर देंगे। आज हम वी० पी० सिंह के नेतृत्व में इसलिए हैं क्योंकि हम पहले तो कृष्ण वंशी और किसानवंशी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भीम का सहारा लेकर उस जरासंध को बीच से चीर देना चाहते हैं, जिसने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा है। यह ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद हमेशा से भारत को आग की लपटों में झोंकता आया है।

हम पूंजीवाद को बंगाल की खाड़ी में और ब्राह्मणवाद को हिमालय के पार फेंक देना चाहते हैं। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के कारण भारत मे अभी तक नये समाज की रचना नहीं हो पायी, आज हम नए समाज की रचना करने के लिए समाज की रचना नहीं हो पायी, आज हम नए समाज की रचना करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि झोंपड़ियों में खेत में, खालिस्तान में, दलितों में, शोषितों में हर जगह एक नए समाज का निर्माण हो। इस काम के लिए मैं आप सबको नियन्त्रण देता हूं कि आप भी अपने दिल को सम्भालो, बाहर सड़कों पर आकर देखो, वहां जो पागल लोग नाच रहे हैं, उनके पीछे मत दौड़ों। हमें नये भारत का निर्माण करना है। यह नेता का काम है कि वह समाज में परिवर्तन लाये, समाज का नेतृत्व करे। नेता का काम यह नहीं है। कि वह पागलों के पीछे दौड़ता चले। जो पागलों के पीछे दौड़ेगा, वह नेता कहलाने योग्य नहीं है बल्कि उसे तो पागल ही कहा जा सकता है। इसलिए उन्हें समझाना हमारा काम है। आप मण्डल कमीशन की सिफारिशों को सौ फीसदी लागू कराने में हमारी सहायता करो, सहयोग दो, हमारे प्रधानमन्त्री के हाथ को मजबूत करो, संसद को मजबूत करो, संसद को मजबूत करो, देश का आह्वान करो, कल से आन्दोलन अपने आप बन्द हो जाएगा। अपने आप सारे झगड़े खत्म हो जायेंगें। आज हम प्रधानमन्त्री के सदन में दिए गए वक्तव्य पर बहस कर रहे जो उन्होंने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इसी सदन में दिया था। मैं तो चाहता हूं कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर रेडियो और दूरदर्शन में भी बहस होनी चाहिए। हर पार्टी से एक व्यक्ति हिन्दी बोलने वाला और एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला चुन लिया जाये और उसे रेडियो और टेलीविजन पर दस-दस मिनट क्रमशः बोलने का अवसर दिया जाए। राजीव गांधी

जी अंग्रेजी में बोलें और उनकी पार्टी का एक व्यक्ति हिन्दी में बोले। सभी पार्टियों को इस विषय पर अपनी बात कहने का, अपने विचार को रखने का अवसर मिले और सारे देश की जनता को बता दिया जाये कि फलां तारीख से फलां तारीख तक सभी दलों के नेता क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी में मंडल आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, सामाजिक परिवर्तन के बारे में अपने विचार रखेंगे। देश की जनता को उनके विचार सुनने दो, और जो इन लोगों के मन में आए, कहने दो। अन्त में सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमन्त्री उस बहस को कम्प्लूड करें और फिर निर्णय इस देश की जनता पर छोड़ दिया जाए। वह जो फैसला करे, वह सबको मान्य हो। मेरा विश्वास है कि रेडियो और टेलीविजन पर रेफरेंडम कराने से इस देश की जनता को राजीव गांधी के चरित्र का पता चल जाएगा, सबके सामने उनका चरित्र उजागर हो जायेगा। कांग्रेस के लोग किस तरह से कर्नाटक में 40 परसेंट के प्रस्ताव का समर्थन करते थे और आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं, कर्नाटक के लोगों को भी असलियत का पता चल जाएगा। यदि वहां आप 40 परसेंट का समर्थन करते हो, तो हमने जो यहां 27 परसेंट रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करने में आपको क्यों परेशानी हो रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार यदि कोई कदम उठाया जाये तो वह आपके लिए जायज है, यदि इस देश के गरीबों के हित में, शोषित और पीड़ित लोगों के हित में कोई कदम उठाया जाता है तो उसकी आप खिलाफत करें, यह कहां का न्याय है। आप हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों लेना चाहते हो। हमारा विश्वास है कि देश अब पूंजीवादी व्यवस्था को और ज्यादा टोलरेट नहीं कर सकते। उसके खिलाफ हम इस संसद में भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, आकाश में भी लड़ेंगे, पाताल में भी लड़ेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो जान तक भी देंगे, यही मैं कहना चाहता हूं।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इन दोनों विषयों के लिए दो घंटे का टाइम दिया गया था। एक घंटा और चालीस मिनट का उपयोग किया गया है। अब आप कितनी देर तक इस पर चर्चा करना चाहेंगे ? यह स्पष्ट होना चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आज ही इस पर चर्चा करना चाहेंगे या कल ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इस बात पर पहले ही सहमति हो चुकी है कि इस विषय को कल 4 बजे लिया जायेगा। श्री सत्य पाल मलिक के साथ हमारी बैठक हुई थी।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : उपाध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य समाप्त करने के बाद, कल 4 बजे से बैठ सकते हैं, लेकिन कल ही इसे खत्म करना चाहेंगे।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : महोदय' यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और हम सब इस बारे में चिंतित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद इस पर चर्चा जारी रखी जा सकती है।

श्री सत्य पाल मलिक : जी नहीं, केवल वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् ही इस पर चर्चा की जा

सकती है।

डा० लम्बि दुरे : और आपको कोई समय निर्धारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस चर्चा में हम सबसे भाग लेना चाहते हैं। हमें इसे प्रश्न काल के तुरन्त बाद लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कल 4 बजे इन दो विषयों पर आगे चर्चा करेंगे और यह तब तक जारी रहेगी जब तक कल हम समय निर्धारित नहीं करते। आज के लिए, हम यह तय करते हैं कि यह 6 बजे तक जारी रहेगी। यदि आवश्यकता हुई तो समय बढ़ाया भी जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया था कि आज मद संख्या 19 पर चर्चा की जानी चाहिए। क्या यह सदन की इच्छा है कि हम इस आज चर्चा करें ?

कई माननीय सदस्य : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 5 सितम्बर, 1990 के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6 00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 सितम्बर, 1990/14 भाद्र, 1912 (शक)
के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज